रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24] नई दिल्ली, शनिवार, जून 11—जून 17, 2011 (ज्येष्ठ 21, 1933)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 11—JUNE 17, 2011 (JYAISTHA 21, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... 525

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 551

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 11

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... 1079

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है)..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 2361

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टें और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 4007

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 505

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	525
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	551
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	11
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1079
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2361
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4007
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	505
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गईं विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 मई 2011

सं. 50-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, आन्ध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. ईश्वर रेड्डी,
   इंस्पेक्टर
2. जे. मल्लिकार्जुन वर्मा,
   इंस्पेक्टर
3. ए. मुरली मोहन रेड्डी,
   हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, श्री जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और श्री ए. मुरली मोहन रेड्डी, हेड कांस्टेबल को यह विश्वसनीय जानकारी मिली कि शाकामुरी अप्पा राव तथा उसका संरक्षण दल कानुकुडीचलम के वन क्षेत्र में ठहरा हुआ है और उन्होंने एक अभियान की योजना बनाई और जिले के विशेष दल के साथ-साथ पुल्लालचेरूवु से च पड़े और दिनांक 12.3.2010 को 0600 बजे कानुकुडीचलम के एक झरने के पास पहुँच गए।

वे धीरे-धीरे पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़े और वहाँ सी पी आई (माओवादी) के 20-25 सशस्त्र काडरों को पाया। स्थानीय एस आई और जिले के विशेष दल वाली 'ए' टीम ने उत्तरी दिशा से माओवादी शिविर को घेर लिया तथा श्री के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, श्री जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और श्री ए. मुरली मोहन रेड्डी, हेड कांस्टेबल एवं जिले के पुलिस दल वाली 'बी' टीम ने पश्चिमी तरफ से घेरा डाला। 'ए' ने अपनी पहचान जताई और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। परन्तु माओवादियों ने पुलिस को मारने के इरादे से गोलीबारी शुरु कर दी। 'ए' टीम ने गोलीबारी से बचने के लिए चट्टानों की आड़ ले ली।

इस विशिष्ट समय पर 'बी' टीम, विशेषकर श्री के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, श्री जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और श्री ए. मुरली मोहन सरेड्डी, हेड कांस्टेबल, ने देखा कि शाकामुरी अप्पा राव ए.के. 47 राइफल से गोलीबारी कर रहा है तथा उसका संरक्षण दल पश्चिम दिशा की ओर भागने का प्रयास कर रहा है। यह देखकर वे अपनी आड़ से बाहर आ गए, हथगोले फेंके और उन माओवादियों पर भारी गोलीबारी शुरु करदी जो लगातार गोलियां बरसा रहेर थे। यद्यपि चारों तरफ से गोलियां बरस रही थीं, तथापि, के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, श्री जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और श्री ए. मुरली मोहन रेड्डी, हेड कांस्टेबल ने अप्पा राव को मारने का दृढ़संकल्प कर लिया। उन्होंने उसको और उसके गनमैन को भारी गोलीबारी करते हुए लड़ाई के मैदान से दूर भागते हुए देखा। श्री के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, श्री जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और श्री ए. मुरली मोहन रेड्डी, हेड कांस्टेबल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर गोलियाँ बरसानीशुरु कर दी जिसके परिणामस्वरुप शाकामुरी अप्पा राव उर्फ रवि मारा गया। घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार, गोलाबारुद और उपकरण बरामद किए गए:-

1.	ए.के. 47 राइफल	-	01
2.	ए.के. 47 मैगजीन	-	01
3.	किट बैग	-	04

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री के. ईश्वर रेड्डी, इंस्पेक्टर, जे. मल्लिकार्जुन वर्मा, इंस्पेक्टर और ए. मुरली मोहन रेड्डी, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.03.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 51-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. उत्पल बोरा, सब इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. प्रणव कुमार गोगोई, सर्किल इंस्पेक्टर (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26.02.2009 को प्रातः जेंगरईमुख पुलिस थाना के अन्तर्गत बालीगांव ग्राम में उल्फा उग्रवादियों के शरण लेने की संभावना के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, सशस्त्र बल (सी आर पी एफ/ए पसी एस एन) कर्मियों के साथ पुलिस अधीक्षक, जोरहाट के निदेश के अनुसार सीआई मजुलि, श्री प्रणव कुमार गोगोई तथा प्रभारी गोरमर पुलिस थाना एस आई उत्पल बोरा द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरु किया गया था। जैसे ही सुरक्षा बल ने क्षेत्र की घेराबंदी की, उल्फा उग्रवादियों ने अंदर शरण लेकर पुलिस तथा सी आर पी एफ पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सुरक्षा बल ने गोरमर पुलिस थाना प्रभारी एस आई उत्पल बोरा की सहायता से सी आई श्री प्रणव कुमार गोगोई के मार्गदशन में ठोस जवाबी कार्रवाई की। अपनी निजी सुरक्षा एवं सरंक्षण को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने खूंखार आतंकवादियों पर प्रहार किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तथा उनमें से दो को मार गिराया, जिनकी बाद में सरत बोरा, पुल-प्रियाराम बोरा, निवासी – धुवाचल गांव, पुलिस थाना – मजुलि और भाष्कर हजारिका (उल्फा नाम) उर्फ दिम्बो नाथ उर्फ दिम्बेश्वर नाथ (वास्तविक यनाम), पुत्र श्री पूनाराम नाथ, निवासी अचिरिखाना नाथ गांव, पुलिस थाना – लखीमपुर के रूप में पहचान की गयी। भाष्कर हाजारिका, जो उल्फा की 28वीं बटालियन का कमाण्डर था, को अफगानिस्तान में प्रशिक्षण दिया गया था और वह असम में उल्फा के उत्थान एवं अस्तित्व के लिए जिम्मेदार था।

यह अभियान एक ऐसे गांव में चलाया गया था जो सुरक्षा बलों की गतिविधि के अत्यन्त विरुद्ध है और जहाँ उग्रवादियों की गतिविधि के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। आधे घंटे की मुठभेड़ के दौरान, सी आई प्रणव कुमार गोगोई ने अपनी सव्रिस पिस्तौल से 9 मि.मी. असले की 9 चक्र गोलियां चाईं, जिसके बाद एस आई उत्पल बोरा, प्रभारी गोरमुर पुलिस थाना ने ए.के. 47 राइफल से 16 चक्र गोलियां चलाई। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार एवं गोलाबारुद तथा कुछ अभिशंसी दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। इस संबंध में धारा 25(1)(क)/27 आयुध अधिनियम, 10/13 यू ए (पी) अधिनियम के साथ पठित आई पी सी की धारा

120 (ख)/121क/307 के तहत जेंगरईमुख पुलिस थाना में मामला सं. 4/09 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है ।

इस मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं:-

			संख्या
(क)	राइफल ए.के. 56 (एम-220098631)	-	01
(ख)	पिस्तौल (सं. 4601043)	-	01
(ग)	मैगजीन	-	03
(घ)	जिंदा	-	120 चक्र
(ङ)	इ एफ सी	-	13
(च)	चीनी हथगोला	-	01
(छ)	फ्यूज सहित डेटोनेटर	-	20
(ज)	चेनरहित कलाई घड़ी	-	05
(झ)	वॉकी-टॉकी बैटरी एवं एरियल	-	-
(ञ)	नोकिया मोबाइल	-	05
(ट)	मोबाईल चार्जर+02 बैटरी चार्जर	-	03
(ठ)	टॉर्च लाइट	-	04
(ड)	छोटा रेडियो ('काइडी')	-	01
(ढ)	उल्फा की 28वीं बटालियन की रबर राउण्ड सील	-	03
(ण)	पेंसिल बैटरी	-	18
(त)	सिम कार्ड	-	19
(थ)	पॉकेट डायरी	-	11
(द)	स्मॉल टेप कैसेट	-	01
(ध)	उल्फा की 28वीं बटालियन की मनी रसीद बुक	-	05
(न)	उल्फा का मुद्रित पैड (डिमाण्ड लेटर)	-	30
(प)	28वीं बटालियन का उल्फा का पत्र (असमिया में लिखा हुआ)		32
(फ)	विभिन्न तरह की दवाइयों के चालीस पत्ते	-	
(ब)	भारतीय करेंसी नोट 1,00,000/-रुपए		
(भ)	अमेरिकी नोट -10,000/- डॉलर		
(म)	500/-रूपए के एक नोट के साथ एक पर्स		
(य)	एक कलाई घड़ी (टाइटन)		
(र)	उल्फा से संबंधित कुछ अभिशंसी दस्तावेज/पत्र आदि		
(ल)	विभिन्न आकार वाले 07 किट बैग/स्कूल बैग		
(व)	03 कम्बल		
(श)	03 जोड़े जूते		

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री उत्पल बोरा, सब इंस्पेक्टर और प्रणव कुमार गोगोई, सर्किल इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.02.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 52-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक
श्री अनुराग अग्रवाल,
पुलिस अधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 04.03.2008 को प्रातः लगभग 3 बजे श्री अनुराग अग्रवाल, आई पी एस, पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ को गांव सं. 1 भुरभुरी गांव में उल्फा उग्रवादियों के मौजूद होने की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त जानकारी के प्राप्त होने पर श्री अनुराग अग्रवाल ने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर उक्त गांव में एक अभियान चलाया। प्रातः लगभग 4.30 बजे, गांव में तलाशी अभियान के दौरान, उनके नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी उल्फा उग्रवादियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी से घिर गई। श्री अनुराग उग्रवाल ने अपनी पार्टी को तुरन्त जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दिया औरउन्होंने भी अपनी ए.के.-47 राइफल से गोलीबारी करनी शुरु कर दी। उग्रवादियों की गोलीबारी के समक्ष उनके स्वयं आने-जाने से अन्य पुलिस कर्मियों के हौसले बुलन्द हुए तथा प्रोत्साहित हुए, जिससे उन्होंने भी उग्रवादियों की ओर गोलियाँ दागनी शुरु कर दी, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 40 मिनट तक भयंकर मुठभेड़ चलती रही। श्री अनुराग अग्रवाल गोलीबारी की दिशा की औरआगे बढ़े और इस प्रकार उग्रवादियों की गोलीबारी के सामने आ गए। दल के कुछ उग्रवादियों ने अंधेरे एवं घनी झाड़ियों की आड़ लेकर बच निकलने की कोशिश की। श्री अनुराग अग्रवाल ने लगभग 3 कि.मी. तक भाग रहे उग्रवादियों का तब तक पीछा किया जब तक कि वे नजदीकी जंगल में ओझल नहीं हो गए। इसके बाद उन्होंने क्षेत्र की तलाशी करानी शुरु की और तलाशी अभियान के दौरान गोली से छलनी दो शव बरामद हुए। मुठभेड़ स्थल से विविध गोलाबारुद सहित दो पिस्तौल, पाँच सिम कार्डों सहित 3 मोबाइल फोन, 5 कि.ग्रा. विस्फोटक तथा धन उगाही की सूचनाओं सहित कुछ अभिशंसी दस्तावेज और प्रतिबंधित क्षेत्रों (मोहनबारी हवाई अड्डा) के रेखा मानचित्र बरामद किए गए। मारे गए उल्फा उग्रवादियों की बाद

में (1) खनिन बरुआ उर्फ परिखित क्षेत्री, पुत्र श्री बिपिन बरुआ, निवासी दांगपत्थर गांव, पुलिस थाना – लोहोवाल और (2) तपन बरुआ उर्फ अरुण बरुआ, पुत्र – स्वर्गीय नागेन बरुआ, निवासी – हुडुपारा गांव, पुलिस थाना- नहरकटिया के रूप में पहचान की गयी। तपन बरुआ डिब्रूगढ़ एवं लखीमपुर जिलों का उल्फा का जिला कमाण्डर था। दोनों उग्रवादी डिब्रूगढ़ जिले में कई हिंसक घटनाओं के मुख्य षडयंत्रकारी थे और कई मामलों में वांछित थे। इस मुठभेड़ में श्री अनुराग अग्रवाल ने अपनी जान को गंभीर खतरे में डालकर अदम्य साहस और अनुकरणीय नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

इस मुठभेड़ में श्री अनुराग अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 04.03.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 53-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारी नाम और रैंक</u>

श्री निर्मल चन्द डेका, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 17.03.2009 को अपने विश्वसनीय सूत्रों से पुलिस थाना सिपाझार, जिला दारांग के अन्तर्गत कलितापारा गांव में लगभग 2-3 उल्फा उग्रवादियों के शरण लेने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, दारांग पुलिस तथा सेना की 65 फील्ड रेजिमेंट के एक संयुक्त दल ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरु किया। सुरक्षा बलों ने युक्तिपूर्ण तरीके से घरों की तलाशी शुरु कर दी। तलाशी के दौरान उग्रवादियों ने, जो घर में छिपे हुए थे, हथगोले फेंकते हुए बचकर भागने की कोशिश की और साथ-ही-साथ, सुरक्षा बलों पर गोलियां बरसानी भी शुरु कर दी। हल्की गोलीबारी के बाद, श्री होरेन तोक्बी, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), दारांग, जो उग्रवादियों का पीछा कर रहे थे, ने अपने पी एस ओ को उल्फा उग्रवादियों का पीछा करने का आदेश दिया, जबकि उन्होंने स्वयं गोलीबारी का आधार बनाते हुए उनकी सुरक्षा के लिए गोलीबारी की। यह समझते हुए कि बच निकलना असंभव है, दो उग्रवादी एक कच्चे शौचालय में घुस गए। ए बी कांस्टेबल, निर्मल चन्द डेका जो उग्रवादी का पीछा कर रहे थे, ने उन्हें

आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया और साथ-ही-साथ उबड़-खाबड़, जमीन की आड़ लेते हुए शौचालय की ओर बढ़े। जब वे शौचालय से लगभग 10 मीटर की दूरी पर थे, तब उग्रवादियों ने बच निकलने के उद्देश्य से उन परगोली चलानी शुरु कर दी। ए बी कांस्टेबल, निर्मल चन्द डेका ने भी उन पर जवाबी गोलीबारी की और इस गोलीबारी में वे जख्मी हो गए। कांस्टेबल निर्मल चन्द डेका ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बगैर भाग रहे उग्रवादियों का पीछा किया और बिल्कुल नजदीक से एक उग्रवादी को मार गिराया, जिसकी बाद में गणेश शर्मा उर्फ मनोज, वित्तीय सचिव, 709 बटालियन के रूप में पहचान की गयी।

श्री निर्मल चन्द डेका, कांस्टेबल ने अपने साहस एवं कर्मठ प्रयास से उल्फा उग्रवादियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परन्तु जवाबी गोलीबारी में घायल होने की वजह से मारे गए।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री निर्मल चन्द डेका, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.03.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 54-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. राजन सिंह,
   अपर पुलिस अधीक्षक,
2. प्रकाश सोनोवाल,
   उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी,
3. महानन्दा गौरिया,
   कांस्टेबल
4. घनकांत मालाकार,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 07.06.2009 को शाम में यह गुप्त जानकारी मिलने पर कि 4-5 एन डी एफ बी (वार्ता-विरोधी गुट) उग्रवादियों के एक दल ने तमुलपुर पुलिस थाना के अन्तर्गत पश्चिम बारलीपुर (निज-देफली) में शरण ले रखी है, श्री राणा भुयन, ए पी एस, एस पी बक्सा ने श्री राजन सिंह, ए पी एस, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), बक्सा को आवश्यक जानकारी देते हुए क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाने का निदेश दिया। तदनुसार, उसी दिन लगभग रात 11.00 बजे, श्री राजन सिंह, ए पी एस, एडि. एस पी (मुख्यालय) बक्सा ने श्री प्रकाश सोनोवाल, ए पी एस, एस डी पी ओ, तमुलपुर, कमाण्डो बटालियन कार्मिक, 4 सिख लाइट आर्मी तथा 10 बटालियन सी आर पी एफ के साथ गांव के सामान्य क्षेत्र की घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरु कर दिया। लगभग रात 11.45 बजे, जब पुलिस दल श्री राजन सिंह, ए पी एस के नेतृत्व में क्षेत्र की तलाशी कर रहा था, तब अचानक संदिग्ध एन डी एफ बी उग्रवादियों ने नजदीक के जंगल के क्षेत्र से तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियाँ चलानी शुरु कर दी। तत्काल खतरे को भांपते हुए, पुलिस दल ने समय गंवाए बिना मोर्चा संभाल लिया और आत्मरक्षा एवं प्रत्युत्तर में उग्रवादियों की ओर जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। श्रीराजन सिं, ए पी एस ने श्री प्रकाश सोनोवाल, ए पी एस, एस डी पी ओ, तमुलपुर, ए बी सी महानन्दा गौरिया तथा ए बी सी घनकांत के साथ भारी गोलीबारी के बीच उग्रवादियों की ओर आगे बढ़ने के लिए रेंगना शुरु कर दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उग्रवादियों का सीधा मुकाबला किया। परस्पर गोलीबारी के दौरान उग्रवादियों ने पुलिस दल पर रूक-रूक कर गोलीबारी करते हुए जंगल की आड़ में बोरोलिया नदी को पर करते हुए उत्तरी दिशा की ओर पीछे हटना शुरु कर दिया। परन्तु एडि. एस पी के नेतृत्व में चार सदस्यों वालले पुलिस दल ने अपनी जान जोखिम में डाली और बेहतर रण कौशल का उपयोग करते हुए उग्रवादियों का पीछा करना शुरु कर दिया। एडि. एस पी के नेतृत्व वाली पुलिस टीम और उग्रवादियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई और यह लगभग आधे घंटे चली। परस्पर गोलीबारी के दौरान, दो गोलियाँ ए बी सी महानन्दा गौरिया की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगीं। जब गोलीबारी रूकी, तब पीओ की पूर्णरूपेण तलाशी ली गयी और गोलियों से जख्मी दो अज्ञात उग्रवादी पाए गए। अन्य उग्रवादियों को पकड़ने के लिए निकटवर्ती क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, परन्तु अंधेरे और जंगल का फायदा उठाते हुए वे बचकर भागने में सफल हो गए। पीओ की तलाशी के दौरान, पांच राउंड जिंदा गोलाबारुद से लेस एक 9 कि.मी. पिस्तौल, दो राउंड जिंदा गोलाबारुद से लेस एक रिवॉल्वसर, एक चीन निर्मित हथगोला, एक आस्ट्रियाई हथगोला, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया था और जब्त कर लिया गया था। घायल उग्रवादियों को उपचार के लिए तत्काल तमुलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भेज दिया गया था, परन्तु डॉक्टर ने उन्हें मृत लाया गया घोषित कर दिया। उनमें से एक उग्रवादी की पहचान रंजीत बासुमतरी उर्फ रेगंरवा उम्र लगभग 30 वर्ष, पुत्र श्री जादव बासुमतरी, निवासी नयाजान, पुलिस थाना सरुपाथर, जिला गोलाघाट, एन डी एफ बी (वार्ता-विरोधी गुट) के एक स्व-घोषित

कारपोरल के रूप में की गयी थी। दूसरे उग्रवादी की पहचान नही की जा सकी। इस संबंध में तमुलपुर पुलिस थाना में धारा-25(।-बी)/27 आयुध अधिनियम के साथ पठित, धारा ई.एस. एक्ट के साथ पठित, धारा 10/13 यू ए (पी) एक्ट के साथ पठित धारा 307/34 आई पी सी के तहत मामला सं. 77/09 दर्ज किया ।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री राजन सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, प्रकाश सोनोवाल, उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी, महानन्दा गौरिया, कांस्टेबल और घनकांत मालाकार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.06.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 55-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, असम पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. इमदाद अली,
   उप-प्रभागीय पुलिस अधिकारी
2. हेम कांत बोरो,
   कांस्टेबल
3. रत्नेश्वर कलिता
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11.10.2009 को शाम में शिमला ओ पी के अन्तर्गत रंगीदारा गांव में एन डी एफ बी (वार्ता-विरोधी) उग्रवादियों की गतिविधि के संबंध में मिली गुप्त जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, श्री राणा भयान, ए पी एस, पुलिस अधीक्षक, बक्सा ने एक अभियान योजना तैयार की औरएडिशनल एस पी (मुख्यालय) बक्स, एस डी पी ओर, सलबारी, डिप्टी एस पी कमाण्डो बटालियन, प्रभारी शिमला ओ पी के साथ तथा असम पुलिस कमाण्डो बटालियन/3री कुमाऊँ आर्मी/एफ-34 सी आर पी एफ के सैन्यकर्मियों को लेकर अभियान शुरु करने के लिए गांव की ओर बढ़े। उन्होंने पूरे गांव को चारों तरफ से घेर लिया और लगभग शाम 6 बजे तलाशी अभियान शुरु कर दिया।

लगभग शाम 8.30 बजे जब श्री राणा भुयान, ए पी एस, एस पी बक्सा, श्री इमदाद अली, ए पी एस, एस डी पी ओ सलबारी, ए बी सी हेमकांत बोरो तथा ए बी सी रतनेश्वर कलिता सहित एक छोटा दल गांव के पश्चिमी ओर एक पुलिस की तरफ बढ़ रहा था, तब वे संदिग्ध एन डी एफ बी (वार्ता-विरोधी) उग्रवादियों द्वारा लगाई गई घात में आ गए जिन्होंने उन पर पुलिस के पीछे से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरु कर दीं। वास्तव में, वे उस समय चमत्कारिक रूप से बच गए जब उग्रवादियों द्वारा उन पर फेंके गए दो हथगोले नहीं फटे। आसन्न खतरे को भांपते हुए अभियान दल ने अविलम्ब गांव की सड़क के बांयी ओर छलांग लगाई और आत्मरक्षा एवं जवाबी हमले के लिए उग्रवादियों की ओर जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। उन्होंने भारीगोलीबारी के बीच बेहतर युक्तिपूर्ण आड़ पाने के लिए अदभुत रण कौशल का प्रदश्रन करते हुए पुलिस की ओर बढ़ना शुरु कर दिया और अपनी जान पर खेलकर उग्रवादियों का नदजीक से सामना किया। एस पी के नेतृत्व वाले पुलिस दल एवं उग्रवादियों के बीच हुई भयंकर मुठभेड़ लगभग 25/30 मिनट तक चली। जैसे ही दोनों तरफ से गोलीबारी रुकी, पी ओ की तलाशी ली गयी और एक अज्ञात उग्रवादी का गोली से छलीन शव मिला, जिसकी बाद में वार्ता-विरोधी एन डी एफ बी गुट के स्व-घोषित कारपोरल प्रदीप गोयरी के रूप में पहचान की गयी। अन्य उगग्रादी नजदीक के जंगल का फायदा उठाते हुए अंधेरे की आड़ में भागने में सफल रहे। रात्रि मेकं पीओ तथा मृत उग्रवादीके शरीर की तलाशी के दौरान मैगजीन सहित 9 मि.मी. की एक पिस्तौल (इटली निर्मित), 9 मि.मी. गोलाबारुद के चार राउंड, 9 मि.मी. खाली कारतूसों के पांच राउंड, 5.56 मि.मी. खाली कारतूसों के तीन राउंड, 9 गोलाबारुद के चार राउंड, 9 मि.मी. खाली कारतूसों के पांच राउंन्ड खोखे, 5.56 मि.मह. जाली कारतूसों के तीन राउंड, ए के-47 के खाली कारतूसों के चार राउंड, 7.62 मि.मी. एस एल आर जाली कारतूसों का एक राउंड, एक मोहरोला, वी एच एफ हैण्ड सेट, दो नोकिया मोबाइल हैण्ड सेट, दो हथगोले, एन डी एफ बी का एक मनी डिमाण्ड लेटर (खाली) और एन डी एफ बी की एक मनी रसीद बरामद और जब्त किया गया। तलाशी अभियान जारी रहा और अगली सुबह मैगजीन सहित एक 9 मि.मी. पिस्तौल (यू एस ए निर्मित) तथा 9 मि.मी. जिंदा गोलाबारुद के छः राउंड पी ओ से बरामद किए गए। इसका उल्लेख धारा 25(1)(ए)/27 आर्म्स एक्ट के साथ पठित, धारा 4/5 ई एस एक्ट के साथ पठित, धारा 10/13 यू ए (पी) एक्ट के साथ पठित धारा 12 (बी)/121/121ए.122.353/307 आई पी सी के हत पतचारकुची पुलिस थाना में मामला सं. 206/09 में किया गया है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री इमदाद अली, उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी, हेम कांत बोरो, कांस्टेबल और रत्नेश्वर कलिता, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 11.10.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 56-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. डॉ. शंकर कुमार झा
   सब इंस्पेक्टर
2. श्री कामेश्वर सिंह
   सब इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 12 फरवरी 2003 को लगभग 10:15 बजे, एक हिंसक एवं खूंखार अपराधी अशोक सिंह के अपने साथियों के साथ मिलकर गंभर अपराध करने के इरादे से मटिहानी (बेगूसराय) पुलिस थाना के अन्तर्गत जगतपुरा गांव में अपने मामा राम बालक सिंह के मकान में एकत्रित होने की जानकारी प्राप्त होने पर, डॉ. शंकर झा, एस आई, प्रभारी अधिकारी चकिया ओ पी (बेगूसराय) ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी और उनकी स्वीकृति के दसूर पुलिस थाने के अन्तर्गत कथित स्थल के लिए स आई कामेश्वर सिंह तथा 4 सशस्त्र होम गार्डों के साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए चल पड़े। कथित अपराधी और उसके गैंग ने क्षेत्र में आतंक फैला रखा था। डॉ. शंकर कुमार झा ने राम बालक सिंह के मकान की सही पहचान के लिए जगतपुरा में गांव के चौकीदार 9/3 राम चन्द्र पासवान को साथ लिया, डॉ. झा पुलिस दल के साथ लगभग 10:30 बजे उस स्थान पर पहुँचे और जोर-जोर की आवाजें सुनीं। कोई ग्रामीण उनकी मदद के लिए नहीं आ सका। पुलिस दल के मुखिया डॉ. झा ने तीव्रता से कार्रवाई की, अपने दल (2 होम गार्ड जवानों के साथ एक इकाई) को एस.आई. कामेश्वर सिंह के अन्तर्गत एक दल में और दूसरे दल को अपने अन्तर्गत बांट लिया। जैसे ही एस.आई. कामेश्वर सिंह और उनका दल मकान के पूर्वोष्तर कोने के कमरे की तरफ पहुंचा, 2 बदमाशों ने गालियां चलानी शुरु कर दी जिससे एस.आई. कामेश्वर सिंह घायल हो गए और दाहिनी जांघ से अधिक खून बहने और तेज दर्द होने की वजह से तुरन्त गिर गए, परन्तु इससे डॉ. झा विचलित सनहीं हुए। उन्होंने जोखिम उठाया और निडर होकर मोचा्र संभाल लिया और अपराधियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। परन्तु उनहोंने अपने-आपको अनिश्चितता की स्थिति में पाकर डॉ. झा पर गोलियां चला दी। श्री झा ने अने पीछे की अपनी इकाई को बचाने तथा अपनी रक्षा करने के लिए अपनी सर्विस पिस्तौल से लगातारगोलियां चलानी शुरु कर दी। परस्पर गोलीबारी लगभग 20-25 मिनट तक चती रही जिसके बाद शांति एवं निस्तब्धता छा गई। जब गोलीबरी रूक गई तब पुलिस दल ने तलाशी ली और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपने हथियारों, गोलाबारुद इत्यादि के साथ खून में लथपथ दो अज्ञात अपराधियों के शव मिले। इन दोनों अपराधियों की बाद में अरविन्द सिंह, पुलिस थाना – मटिहानी क्षेत्र तथा उमाशंकर सिंह (ककवा), पुलिस थाना

– मुफ्फासिल के रूप में पहचान हुई। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्टों से पता चला कि आग्नेयास्त्रों से वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे जिसके कारण उनकी तुरन्त मौत हो गई। उपरवर्णित मुठभेड़ में दोनों अपराधियों की मौत चकिया पुलिस ओ.पी., बरौनी पुलिस थाना के पुलिस दल के लिए असाधारण एवं दुर्लभ उपलब्धि थी और इन सबसे ऊपर एस आई डॉ. झा एवं एस आई कामेश्वर सिंह का सराहनीय प्रदर्शन था। वास्तव में यह एक अत्यन्त चुनौतीपूर्ण मुठभेड़ थी। मृतक अपराध अरविन्द सिंह को धारा 302/201/34 आई पी एस एवं 25(1-बी)/27 आर्म्स एक्ट के तहत मटिहानी पुलिस थाना में मामला सं. 31/94 दिनांक 26 मार्च, 1994 में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी जिसे भगोड़ा घोषित किया गया था। वह धारा 392/411 आई पी सी के तहत मामला सं. 449/2002 दिनांक 20 अक्टूबर, 2002 (बरौनी पुलिस थाना, चकिया ओ.पी.), मामला सं. 362/02 बेगूसराय पुलिस थाना दिनांक 30 अक्टूबर 2002, धारा 326/306/34 आई पी सी तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत, धारा 414 आई पी सी एवं 25 (1-बी) 26 आर्म्स एक्ट के तहत मटिहानी में मामला सं. 78/02 दिनांक 30 दिसम्बर 2002, धारा 341/307/379/224/225/34 आई पी सी एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत बेगूसराय पुलिस थाना में, धारा 395/412 आई पी सी के तहत बेगूसराय शहर पुलिस थाना मामला सं. 10/2003 दिनांक 9 जनवरी, 2003 में, धारा 364(ए) आई पी सी के तहत बेगूसराय पुलिस थाना मामला सं. 12/2003 दिनांक 16 जनवरी 2003 में भी अभियुक्त था। इस प्रकार वह ऊपरवर्णित सात आपराधिक मामलों में दोषी था। इसी प्रकार, उमाशंकर सिंह (ककवा) भी सात आपराधिक मामलों में अभियुक्त था।

अपराधियों से बरामद की गई घातक वस्तुओं में काबाईन (1), कार्बाइन मैगजीन (2). 9 मि.मी. के जिंदा कारतूस (29), 9 मि.मी. केखाली कारतूस (14), देशी पिस्तौल (1), .303 खाली कारतूस (3). .303 जिंदा कारतूस (2), मोबाइल फोन (3), मोटरसाइकिल (1), धनराशि (446.50 रूपए) शामिल थे।

इस मुठभेड़ में डॉ. शंकर कुमार झा, सब इंस्पेक्टर और श्री कामेश्वर सिंह, सब इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.02.2003 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 57-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. विवेकानन्द,
   पुलिस उपाधीक्षक
2. प्रवेन्द्र भारती,
   सब इंस्पेक्टर
3. रहमत अली,
   सब इंस्पेक्टर
4. मणि भूषण पासवान,
   कांस्टेबल
5. विक्रम कुमार क्षत्रिय,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 6/7-4-2002 की मध्यरात्रि में, श्री विवेकानन्द एस डी पी ओ के नेतृत्व में पुलिस पार्टी पवन कुमार शाह –व्यवसायी के अपहरण के संबंध में धारा 364(ए)/34 आई पी सी के अन्तर्गत मामला सं0 26/2002 दिनांक 14.03.2002 पुलिस थाना उदा-किशनगज में वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु छापा मारने के लए 22.30 बजे चटनानम गांव के लिए चल पड़ी।

जब छापेमारी चल ही रही थी, तब एस डी पी ओ को एक जानकारी मिली कि गैंग ने पूर्णिया जिला के अन्तर्गत अभिया गांव के एक मकान में शरण ले रखी है जो उक्त गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित है। मकान का विस्तृत्त ब्यौरा भी बताया गया था। श्री विवेकानन्द समय गवाए बिना हरकत में आ गए, छापामारी दल को तैयार किया और कुटिल तरीके से रात में ही उक्त स्थान की ओर चल पड़े तथा तड़के 2.30 बजे तक चुपचाप लक्षित मकान को ढूढ़ लिया। उन्होंने एस आई एम.बी. शुक्ला के नेतृत्व वाले प्रथम दल को मकान को उत्तरी दिशा से और एस आई बी यादव के नेतृत्व वाले दूसरे दल को मकान को दक्षिणी दिशा से घेरने का आदेश दिया। उसके बाद ए एस आई बी.एन. सिंह के नेतृत्व वाले एक अन्य दल को भूमि तल पर तलाशी लेने का आदेश दिया जहां अपराधियों के छुपे होने की आशंका थी, जबकि एस डी पी ओ स्वयं सब-इंस्पेक्टर प्रवेन्द्र भरती तथा सब-इंस्पेक्टर रहमत अली और कुछ कांस्टेबलों के साथ मकान की छत पर इस इरादे से चले गए कि आसपास के इलाके को स्पष्ट रूप से परखा

जा सके। वे सभी सतर्क और सावधान थे। तथापि, छत पर छुपे हुए आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी की गतिविधियों को भांप लिया। वे सभी सतर्क थे और पुलिस पार्टी पर हमला करने के लिए पहले से रणनीतिक स्थिति में थे। जैसे ही पुलिस पार्टी छत पर पहुंची, अपराधियों ने उत्तरी दिशा से उनपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी।

एस आई प्रवेन्द्र भारती, जो एस डी पी ओर के साथ बिल्कुल सामने थे, को एक गोली लगी और वे गिर गए। निर्भीक एस डी पी ओ अपने स्थान पर बने रहे और अपने आदमी को नहीं डरने के लिए प्रोत्साहित किया तथा सब-इंस्पेक्टर की तरह ही तुरन्त लेटकर अपना मोर्चा संभाल लिया। एस डी पी ओ ने पुलिस के रूप में अपनी पहचान बताते हुए, बार-बार अपराधियों को गोलीबारी रोकने तथा आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। परन्तु अपराधियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा जिन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी जारी रखी। पुलिस पार्टी एकदम खुले में, बिना किसी बचाव के और गोलियों के निशाने की दूरी के अन्दर थी। यह एक भयंकर स्थिति थी। पुलिस पार्टी को अधिकतम खतरा था जबकि अपराधियों ने बिल्कुल सुरक्षात्मक और आक्रामक रूख अपनाकर लगातार गोलियों की बौछार कर रहे थे। ऐसे में अत्याधिक दु:साहसिक निर्णय लेने की आवश्यकता थी और एस डी पी ओ ने अपने आदमी को आत्म-रक्षा में तथा अपने हथियारों एवं गोला-बारूद की रक्षा करने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया। एस आई भारती ने गोली से घायल होने के बावजूद, अपराधियों का गोलीबारी में सामना किया। गोलियों का आदान-प्रदान लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। जब अपराधियों की गोलीबारी बंद हो गई, तब हमलावर दल सावधानीपूर्वक छत की उत्तरी दिशा में गया और उनमें (अपराधियों में) से चार को मरा हुआ पाया जबकि अन्य सभी अंधेरें का लाभ उठाकर भागने में सफल हो गए। मृतकों की पहचान(1) सुनिल मंडल (2) मुन्ना मंडल (3) गुलिया मंडल के रूप में की गई चौथे को जिसकी पहचान घटनास्थल पर नहीं की जा सकी, बाद में पूर्णिया जिला अन्तर्गत रूपौली पुलिस थान के बिलिया निवासी भविक्षण शर्मा के रूप में पहचाना गया। एक सामान्य डी बी बी एल बंदूक, एक अन्य बंदूक, दो देशी पिस्तौल, एक तलवार और कुछ कारतूस तथा खाली खोखे उनके पास से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री विवेकानन्द, पुलिस उपाधीक्षक, प्रवेन्द्र भारती, सब इंस्पेक्टर, रहमत अली, सब इंस्पेक्टर, मणि भूषण पासवान, कांस्टेबल एवं विक्रम कुमार क्षत्रिय, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.04.2002 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 58-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी नाम और रैंक

श्री अजीत कुमार ओगरे,
सब इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 23 अप्रैल, 2007 को धनोरा पुलिस थाना के प्रभारी, सब इंस्पेक्टर श्री आजीत कुमार ओगरे को एक सूचना मिली कि तोड़सी गांव के पास बर्दा दालम कामरेड किशोर के नेतृत्व में नरूकसलवादी वाहनों को उड़ाना चाहते हैं और बेदमा-इरागांव सड़क के निर्माण में लग श्रमिकों को अपहरण करना चाहते हैं। इस जानकारी के प्राप्त होने पर श्री आजीत ओगरे ने दो हेड कांस्टेबलों, दो कांस्टेबलों, दो होमगार्ड के सैनिकों तथा तीन विशेष पुलिस अधिकारियों सहित एक सशस्त्र पुलिस दल स्थल की ओर जाने के लिए गठित किया। चलने से पहले, दल को आई ई डी के खतरे तथा दुश्मन की तैयारी के बारे में बारीकी से जानकारी प्रदान की गयी। नकसलवादियों को पुलिस की गतिविधि के बारे में जानकारी मिल गई और जैसे ही पुलिस दल तोड़सी गांव पहुँचा, नक्सलवादियों ने एक बारुदी सुरंग का विस्फोट किया और पुलिस दल की ओर भारी गोलबारी शुरु कर दी जिसमें श्री आजीत ओगरे जख्मी हो गए। जख्मी होने और भारी गोलीबारी के बावजूद उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और दल को घुटनों के बलचलकर युक्तिपूर्वक घात से बाहर निकाला तथा दुश्मन परगालियाँ चलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने बुद्धिमता का परिचय दिया और सुदूर के नक्सलवादियों को मारने के लिए 51 मि.मी. मोर्टार का प्रयोग किया। नक्सलवादियों की तरफ से भारी गोलीबारी के बावजूद, श्री आजीत ओगरे ने अपने अपेक्षित दायित्व से आगे बढ़कर छोटे रास्ते से घने जंगल में नक्सलवादियों का पीछा किया और नक्सलवादी पार्टी को फिर से घेर लिया, जिसके परिणामस्वरूप भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें दो वर्दीधारी नक्सलवादीमारे गए और कई घायल हो गए। मृतकों की पहचान सोमा उर्फ रामसिंह उर्फ महेश, तीस नंबर प्लाटून के सेक्शन कमाण्डर निवासी चिंतापल्लीगांव, पुलिस थाना फरसेगढ़, जिला बीजापुर और संजय उर्फ संदीप, तीस नंबर प्लाटून के सेक्शन कमाण्डर, निवासी कदमी गांव, पुलिस थाना कोइलीबेदा, जिला कांकेर के रूप में हुई। मुठभेड़ के बाद तलाशी के दौरान स्थल से एक लैस बारह बोर का हथियार, एक मजल लोडिंग हथियार, विस्फोटक और तीन खाली कारतूस जब्त किए गए।

अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में तथा जान का भारी खतरा होते हुए भी श्री आजीत कुमार ओगरे ने परिस्थिति से कर्मठता एवं बहादुरी से निपटने के लिए असाधारण साहस, वीरता तथा नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके परिणामस्वरूप दो खूंखार नक्सलवादी मारे गए जिससे

समपूर्ण क्षेत्र को उस असुरक्षा की भावना से मुक्ति मिल गई जिसने इन खूंखार नक्सलवादियों की उपस्थिति के कारण पूरे समुदाय को घेर रखा था।

इस मुठभेड़ में श्री अजीत कुमार ओगरे, सब इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.04.2007 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 59-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सुजीत कुमार,
   अपर पुलिस अधीक्षक
2. कोमल नेतम,
   सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 06.07.2009 को सुजीत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर को जानकारीमिली कि नक्सलवादी बड़ी संख्या में छिमारी गांव के पास एकत्रित हुए हैं। छिनारीगांव पुलिस थाना फारसगांव से चौदह किलोमीटर दूर दुर्गम क्षेत्र एवं घने जगंल में स्थित है। तदनुसार कार्रवाई की योजना बनाई गई और फारसगांव पुलिस थाना की बजाय धौराई पुलिस थाना से पुलिस दल को भेजा गया। आश्चार्य में डालने के लिए, पुलिस दल ने अपनी कार्रवाई रात में शुरु की। भारी वर्षा हो रही थी और अंधेरी रात थी जिससे आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी। तड़के 04:30 बजे पुलिस दल अपने लक्ष्य के निकट पहुँच गया। कार्रवाई योजना के अनुसार, दल को तीन हिस्सों में बांट दिया गया। उन्होंने घेरकर मारने की योजना बनाई। हमला दल का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक ने किया जबकि दो घेराबंदी दलों का नेतृत्व पी सी कुजुर और ए पी सी राव ने किया। घेराबंदी दलों द्वारा अपना मोर्चा संभालने के बाद, हमला दल ने तलाशी की कार्रवाई शुरु कर दी। जब यह दल संदिग्ध झोपड़ी कीओरबढ़ रहा था, तब नक्सलवादियों ने झोपड़ी के पीछे से पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी। नक्सलवादियों

की संख्या उम्मीद से काफी अधिक थी और रणनीतिक तौर पर ऊँचे स्थानो पर विद्यमान थे। परिस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए, श्री सुजीत कुमार ने घेराबंदी दल को रेंगते हुए आगे बढ़ने तथा लक्ष्य को बेधने के लिए मोर्चा संभालने का आदेश दिया। श्री सुजीत कुमार गोली बरसाते हुए बांयी दिशा की ओर आगे बढ़े औरए एस आई कोमल नेतम को दांयी तरफ से आगे बढ़ने तथा वहां से सहायता में गोलीबारी करने का निदेश दिया। नक्सलवादी हताश हो गए क्योंकि उन पर दोनों दिशाओं से गोलीबारी हो रही थी। इस प्रकार श्री सुजीत कुमार की युक्ति से पुलिस दल के हताहत होने से बचाने में सफलता मिली। श्री सुजीत कुमार के आक्रामक रूख ने दलों को आक्रामक होकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साति किया और नकसलवादी और अधिक हतोत्साहित हुए। नक्सलवादियों ने भागना शुरु कर दिया। पुलिस दल ने कुछ दूर तक उनका पीछ किया और उसके बाद युद्ध भूमि की तलाशी शुरु कर दी। तलाशी करने पर पुलिस दल ने उस स्थल से पांच एम एल गनों, तीन क्लेमारे सुंरगों, एक हथगोला, 200 मीटर तार, ड्रिल किट, दवाइयों, नक्सली साहित्य इत्यादि के साथ वर्दी में दो नक्सलवादियों के शव बरामद किये। उनमें से एक नकसलवादी की पहचान जय राम, झारा दलम के एरिया कमाण्डर के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुजीत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक और कोमल नेतम, सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06.07.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 60-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. मुकेश गुप्ता (वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार)
   पुलिस महानिरीक्षक
2. गुरजीत सिंह ठाकुर (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
   रिजर्व इंस्पेक्टर
3. किरित सिन्हा (वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक)
   असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर

इन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 12 जुलाई, 2009 की सुबह नक्सलियों ने राजनंदगांव जिला में मदनवारा सीमा चौकी पर हमला किया और दो पुलिसकर्मियों को मार दिया। इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे, इसलिए एस पी राजनंदगांव और आई जी दुर्ग रेंज ने तलाशी अभियानों की देखरेख करने का निर्णय लिया और अपने संबंधित मुख्यालयों से चल पड़े। एस पी श्री विनोद चौबे ने मार्ग में पड़ने वाले पुलिस थानों को निर्देश दिया कि वे मदनवारा चलने के लिए तैयार रकें। पुलिस थाना अम्बागढ़ चौकी, मोहला और मानपुर की पुलिस पार्टी मानपुर पुलिस थाना के चौराहे पर एस पी के काफिले में मोटरसाइकलों के साथ शामिल हो गई। काफिले को नक्सलियों द्वारा घात लगाकर घेर लिया गया और पीछे चल रहा वाहन आग की चपेट में आ गया जिसमें ड्राईवर जख्मी हो गया परन्तु वे सभी घात से बाहर आने में सफल हो गए। इस डर से कि उनके पीछे चल रही मोटरसाइकल पार्टी खतरे में है, वे कोहका गांव के पास रूक गए और फोन पर पुलिस थाना मानपुर के ए एस आई को तुरन्त एम पी वी में उपलब्ध सेना के साथ चलने का निर्देश दिया तथा सी आर पी एफ को कूच करने का निदेश दिया। उन्होंने सीतागांव से अतिरिक्त बल भी बुलाया और उन्हें मोटरसाइकल पार्टी को सबल बनाने तथा घात को तोड़ने के लिए पीछे की तरफ भेज दिया। आई जी दुर्ग रेंज श्री मुकेश गुप्ता को भी घात के बारे में आर आई श्री गुरजीत सिंह द्वारा बताया गया था। घात स्थल की ओर वापस जाते समय, उन्होंने पाया कि नक्सलियों ने सड़क पर नई बाधाएँ खड़ी कर दी थीं और सशस्त्र टुकड़ियों द्वारा रक्षा की जा रही थी जिससे कि एस पी को रोका जा सके, परन्तु उन्होंने बहादुरी से उसे साफ कर दिया और स्थल तक पहुँच गए। उसी समय ए एस आई सिन्हा छः कांस्टेबलों के साथ एम पी वी में घात स्थल पर पहुँच गए। उन्होंने वहां देखा कि नक्सलियों ने मोटरसाइकल पार्टी को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है और जो बच गए थे वे नक्सलियों के साथ हारने वाली लड़ाई लड़ रहे थे। ए एस आई सिन्हा अत्यन्त चतुराई का परिचय देते हुए समय गंवाए बिना गोलीबारी कर रहे नक्सलियों तथा पुलिसकर्मियों के बीच में एम पी वी से कूद गए और गोलियां चलाईं। घायलों को एम पी वी में आराम से खींच लिया गया और उनकी जान बचाई जा सकी। अब नक्सलियों की गोलियों का निशाना एम पी वी पर था, टायर को गोली से उड़ा दिया गया था, ड्राईवर को मारने के लिए आगे के शीशे पर गोलियां चलाई जा रही थी और एम पी वी को जलाने की तैयारी की जा रही थी। एम पी वी के लोग खतरनाक बंदी और मृत्यु की स्थिति में थे परन्तु लड़ रहे थे। आर आई श्री गुरजीत सिंह के साथ आई जी मानपुर की ओर से पहुँच गए थे और ए एस आई किरित सिन्हा की पार्टी की सहायता करने के लिए उनसे मिल गए थे। नक्सलियों के हमले का सामना करने के लिए एस पी की पार्टी भी उनसे मिल गई थी। एक भयंकर मुठभेड़ हुई। नक्सली पीछे हट गए। समय पर हस्तक्षेप से फंसे हुए पुलिसकर्मियों को बचाया जा सका। नागरिकों को लेकर एक परिवहन बस, जो घात के बीच में आ गई थी, को भी सुरक्षित ढंग से निकाल लिया गया

था । पीछे हट रहे नक्सलियों को फिर से देखा गया जो अपने जख्मी साथी को ले जा रहे थे और फिर से दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। नक्सली बचावी गोलीबारी का लाभ उठाकर बच निकले। तलाशी के दौरान, आर आई श्री गुरजीत सिंह को 05 घायलों को मानपुर ले जाने के लिए कहा गया था। उस समय जब वे घात से मात्र लगभग 500 मीटर दूर गए थे और एक शरीर के जीवित होने का निरीक्षण कर रहे थे, तब पुलिस के स्काउट होने का निरीक्षण कर रहे थे, तब पुलिस के स्काउट ने सड़क के मोड़ के आगे एक आइ ई डी को देखा। जब तक कि वह चेतावनी के लिए शोर मचाता, नक्सलियों ने आइ ई डी को उड़ा दिया। एक भयंकर विस्फोट से सड़क के परखचे उड़ गए, मलबे से चारों तरफ अंधेरा छा गया और हवा से मलबा तथा पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। इसी समय लगभग 300 की संख्या में नक्सलवादी, धमाके का फायदा उठाकर, जंगल से बाहर आने लगे और भयंकर गोलीबारी करते हुए टेलिफोन केबल के गड्ढों के नजदीक तथा बड़ी चट्टानों के पीछे पहले से निर्धारित मोर्चे को संभाल लिया। कई पेड़ों पर चढ़ गए और पुलिस पार्टी पर लगातार हथगोले बरसाने लगे। पुलिस खतरनाक स्थिति में फंस गकई और बिना किसी बचाव के खुले में जमीन पर लेट गई। पुलिस पार्टी को घेर लिया गया और वे भारी गोलीबारी के बीच में थे। नक्सलियों ने हतोतहित करने के क्रम में मारने और कब्जे में लेने के लिए शोर मचाया। परन्तु जल्द ही दोनों अधिकारियों के नेतृत्व मेकं पुलिस पार्टियां अपने आवेग में आ गईं और दुश्मन की संख्यात्मक एवं भौगोलि लाभ के बावजूद, साहसपूर्वक हमला किया और भयानक तरीके से जवाब दिया, जबकि इस विकट परिस्थिति में अतिरिक्त बल के साथ अपने साथियों को बचाने के भगीरथ प्रयास की भी अनदेखी नहीं की गई। जैसे ही आर आई श्री गुरजीत सिंह ने भयंकर धमाके की आवाज सुनी, वे तत्काल उस स्थान की ओर वापस लौट गए, परन्तु एक गिरे हुए पेड़ तथा उसकी रक्षा कर रहे नक्सलियों द्वारा उनके रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया। उन्होंने उन पर गोलियाँ चलाईं और जल्द ही सी आर पी एफ की टुकड़ी उनसे मिल गई थी। सड़क को साफ करने के बाद, दूसरे घातस्थल तक पहुँचने वाले वे प्रथम थे जहाँ पर आई जी और उनके साथी नक्सलियों से लड़ रहे थे। श्री गुरजीत सिंह हमले में शामिल हो गए और नक्सलियों को करारा जवाब देने के लिए गोलीबारी शुरु कर दी। बाद में सी आर पी एफ भी आ गई और नकसली भाग निकले। सामने की तरफ से नेतृत्व कर रहे श्री चौबे ने इस विषम परिस्थिति में नक्सली हमले में अवरोध पैदा करने का निर्णय लिया, अपने स्थान से चले और 10 मीटर दूर गड्ढों में छुपे नक्सलियों की ओर भागे तथा उन पर गोलियां चलाईं। इस निर्भीक और अप्रत्याशित जवाबी हमले ने दुश्मनों के बीच हताशा की स्थिति पैदा कर दी ओर उन्हें बड़ी चट्टानों के पीछे भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार प्रोत्साहित पुलिस कर्मियों ने गोलीबारी शुरु कर दी और हमला जारी रखा। एक भयंकर परन्तु रूक-रूक कर लड़ाई जारी रही। श्री चौबे दृढ़ निश्चय और कंकड़ी बजरी के साथ हादुरी से लड़े और अन्ततः अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करते हुए अपने जीवन की बलि दे दी। श्री गुप्ता इस घात के दौरान पुलिस के जवाबी हमले की पराकाष्ठा पर थे और इस तथ्य के बावजूद कि पुलिस बल ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वे लम्बे समय तक टिके रह सकें, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाली और वे अपने

साथियों के साथ काफी तेजी से एम पी वी में घुस गए। अब उनके पास बेहतर कवर था और ऊँचाई का लाभ था। पुलिस बल ने एक नई ऊर्जा के साथ भयंकर जवाबी हमला किया, जिससे घायल कांस्टेबल कृष्ण कुमार और ए एस आई श्री किरित सिन्हा की पार्टी को मौका मिल गया, जो बचते हुए एम पी वी के अंदर घुस गए। सात अन्य कांस्टेबलों, जिनके हथियार समाप्त हो गए थे, को भी बचा लिया गया। श्री गुप्ता 45 मिनट से भी अधिक नक्सलियों पर भारी रहे जब तक कि अतिरिक्त बल नहीं आ गया। घटनास्थल से निम्नलिखित हथियार और गोला-बारुद बरामद किए गए:-

1. 9 हथगोले
2. 12 मोलोटोव कॉकटेल
3. पेट्रोल बम जिन्हें घटनास्थल पर नष्ट कर दिया गया और
4. 60 मीटर बिजली की तार इत्यादि

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री मुकेश गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, गुरजीत सिंह ठाकुर, रिजर्व इंस्पेक्टर और किरित सिन्हा, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति के पुलिस पदक का प्रथम बार/राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12 जुलाई, 2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 61-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एन.के. साहु
पुलिस उपाधीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 09.04.2009 को, एस पी नारायणपुर को ओरछामेट्टा गांव, पुलिस थाना-ओरछा, जिला-नारायणपुर के पास जंगल में नक्सलियों के उपस्थित होने की जानकारी मिली। वे हिंसा में शामिल होने तथा संसदीय चुनाव 2009 का बहिष्कार करने के लिए ग्रामिणों को संगठित करने की योजना बना रहे थे। तत्काल श्री एन.के. साहु, पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय) के नेतृत्व में डी इ एफ, बी एस एफ, सी ए एफ तथा एस पी ओ की एक संयुक्त पार्टी को इस जानकारी पर

कार्रवाई करने के लिए भेजा गया था। इस पार्टी ने तड़के 04.30 बजे अबुझमाड की परिधि में स्थित ओरछा से शुरूआत की। पार्टी को युक्तिपूर्वक दो दलों में बांटा गया। एक को डिप्टी एस पी की कमान के तहत और दूसरे को श्री नितिन ध्यानी, असिस्टेंट कमाण्डेंट बी एस एफ की कमान के तहत गठित किया गया था। यह डिप्टी एस पी की युक्तिपूर्ण चतुराई थी कि पार्टी को तब तक किसी के द्वारा नहीं पहचाना जा सकता था जब तक कि वे दुलुपारा गांव से आगे कोडनार गांव नहीं पहुंच जाते। लगभग स्थाना के नजदी पहुंचने पर, नक्सलियों के पेड़ के ऊपर बैठे संतरी ने पुलिस दल के एक व्यक्ति को देख लिया। जैसे ही उसने पुलिस कर्मी को देखा, उसने पुलिसकर्मी की ओर निशाना साधा और गोलियां चलानी शुरू कर दी। नक्सलियों को मैदानी क्षेत्र का लाभ मिल रहा था। वे एक तरफ पहाड़ से घिरे हुए और एक नाला के पीछे थे, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी चतुराई गोली चलाकर पीछे हट जाना होता। परन्तु डिप्टी एस पी एन.के. साहु ने इसकी वजाय साहस का परिचय दिया, अपने लोगों को प्रेरित किया और गोली चलाते हुए आगे बढने की तकनीक को अपनाते हुए उन्होंने नक्सलियों को बांयी तरफ से घेरना चाहा। इसी समय श्री नितिन ध्यानी के नेतृत्व में दूसरी पार्टी ने उन्हें दांयी तरफ से घेर लिया। डिप्टी एस पी एन.के. साहु ने अपने बदन और सिर के पास से गुजरने वाली गोलियों की परवाह नहीं की। वे जोखिम उठाते हुए नक्सलियों के निकट आए जिससे कि उनमें से एक को देख सके। उन्हें ए एस आई कुजुर एवं तीन अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा करीब 20 फीट पीछे से सक्षम तरीके से सहायता प्रदान की जा रही थी। उन्होंने अपनी स्थिति को बदलते हुए नक्सलियों पर गोलियां चलाईं। उन्होंने गोलियों की बौछार को झेला, परन्तु उसके पुलिसकर्मियों ने भी अपनी स्थिति बदली और नक्सलियों की ओर गोलियां चलाईं जिससे कि ऐसा लगे कि उन्हें एक बड़ी पार्टी ने घेर लिया है। नक्सली भयभीत हो गए और एक बारूदी सुरंग का विस्फोट और भारी संख्या में गोलियां चलाकर तीव्र प्रतिक्रिया जताई। घटनास्थल की सघन तलाशी ली गई जिसमें एक सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली, उम्र 20 वर्ष, कद 5'4 का मृत शरी बरामद हुआ।

श्री एन.के. साहु ने उच्च पेशेवर कुशाग्रता, अदम्य साहस एवं सराहनीय बुद्धिमता का परिचय दिया। वे जमीन का युक्तिपूर्ण प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते रहे। मैदानी क्षेत्र तथा नक्सलियों की स्थिति को भांपते हुए, डिप्टी एस पी के विलक्षण नेतृत्व में पुलिस की कार्रवाई के परिणामस्वरूप एक खूंखार नक्सली को मारा जा सका।

विरतापूर्ण कार्रवाई वाले स्थान से निम्नलिखित बरामदगियाँ की गईं:-

(क)	भारमर गन	-2
(ख)	देशी गन	-1
(ग)	12 बोर के कारतूस	-6
(घ)	हथगोला	-1
(ड.)	पाईप बम	-1

(च)	टिफिन बम	-4
(छ)	तार	-3 बंडल
(ज)	नक्सलियों की वर्दी	-2 सेट
(झ)	दवाईयां	-2 कंटेनर
(ण)	ग्रेनेड पाऊच	-1 जोडा
(ट)	पिट्ठू	-3
(ठ)	नक्सली साहित्य(पत्रिका)	
(ड)	भूमकल	-2
(ढ)	दैनिक उपभोग की सामग्रियाँ	

इस मुठभेड़ में श्री एन.के. साहु, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09 अप्रैल, 2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा),
संयुक्त सचिव

सं. 62-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, छत्तीसगढ़ पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

श्री बी.आर. मांडवी
इंस्पेक्टर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 03.10.2006 को असिस्टेंट कमाण्डेंट मि. जॉय थॉमस की कमान के तहत केन्द्रयी रिजर्व पुलिस बल के कर्मियों तथा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बी.आर मांडवी की कमान के तहत पुलिस थाना बासागुडा के स्थानीय पुलिस बल की एक संयुक्त पुलिस पार्टी बासागुडा गांव के पास क्षेत्रीय तलाशी अभियान चला रही थी। जब पार्टी पक्केल गांव की ओर बढ़ रही थी, तब एक नक्सली दल ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी। पुलिस की ओर जवाब दिए जाने पर नक्सलियों ने पीछे हटते हुए और बचावी गोलीबारी का प्रयोग करते हुए राजपेंटा की ओर भगना शुरू कर दिया। पुलिस पार्टी ने नक्सलियों को घेरने के लिए उनका पीछा करने का निर्णय लिया।

भागते हुए नक्सलियों को घेरने हेतु पुलिस पार्टी दो हिस्से में बंट गई। एक का नेतृत्व इंस्पेक्टर बी.आर. मांडवी और दूसरे का नेतृत्व असिस्टेंट कमाण्डेंट श्री जॉय थॉमस ने किया। इंस्पेक्टर मांडवी के नेतृत्व वाला दल दांयी तरफ गया और असिस्टेंट कमाण्डेट जॉय थॉमस वाला दल वांयी तरफ गया तथा उन्हें सरकेगुडा गांव के पास घेर लिया। घेर लिए जाने पर नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। और आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि एक बड़ी चट्टान के पीछे पुलिस टुकड़ी पर गोलियाँ बरसा रहे नक्सलियों को मार गिराया जाए। यहाँ पर श्री मांडवी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जान की परवाह किए वगैर लगभग 100 मीटर तक रेंगते हुए गए तथा नक्सलियों के स्थान के काफी नजदीक पहुंच गए और उनपर गोलियां चलाईं। अपने दल के साथ इस परिणमी लड़ाई में दो नक्सली मारे गए थे। इनमें से एक की पहचान मांडवी हुंगा, उम्र पच्चीस वर्ष, बुडगीचेरी निवासी के रूप में की गई, जबकि दूसरे की पहचान को निर्धारित नहीं किया जा सका। पुलिस पार्टी ने पहले नक्सली के पास से एक मज्जल लोडिंग गन, एक तीर और पांच धनुष तथा दूसरे से एक तीर और सात धनुष बरामद किए। जबकि बाद में क्षेत्र की तलाशी के दौरान एक डेटोनेटर, 156 ग्राम विस्फोटकों के साथ 5 कि.ग्रा. का एक टिफिन बम और एक नयलॉन बैग में रखे साठ मीटर लम्बे बिजली के तार को जब्त किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री बी.आर. मांडवी, इंस्पेक्टर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03 अक्तुबर, 2006 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 63-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. राजेन्द्र सिंह, इंस्पेक्टर — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. जरनैल सिंह, इंस्पेक्टर — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
3. सत्येन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दक्षिण जिला, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने अतिविशिष्ट प्रयास के आधार पर अदमय वीरता का कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप एक सफल कार्रवाई को अंजाम दिया जा सका जिसमें सत्ते-बिट्टू गैंग के खूंखार गैंग के सात सदस्यों को दिनांक 19.01.2009 को ग्रीन पार्क क्षेत्र में हुई शूट आऊट घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से अपराध के लिए प्रयोग में लाई गई भारी मात्रा में कारतूसों के साथ 4 ऑटोमेटिक पिस्तौलें, नौ सेलुलर फोन, 2 कट्टे, 1 चुराई हुई एस एक्स-4 कार, मारुति जेन, 1 होण्डा एकॉर्ड, 1 सैंट्रो कार और 1 मोटर साइकल बरामद की गई है। दिन के उजाले में हुई इस शूट आऊट में गैंग-लीडर सत्य प्रकाश उर्फ सत्ते खूंखार गैंगवार नदीम उर्फ नसीम और शकील तथा उनके सहयोगी कुलदीप उर्फ सोनू सहित चार अपराधी बुरी तरह से जख्मी हो गए।

अधिकांशतः वर्ष 2008 और 2009 की शुरुआत के दौरान सत्ते-बिट्टू का एक खूंखार गैंग दिल्ली, एन सी आर, यू पी और राजस्थान के इलाके में बैंक डकैतियों तथा भारी मात्रा में नदक ले जा रहे व्यवसायियों को लख्य बनाने की सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। इस गैंग के कुछ सदस्यों को पहले ही कोटा, राजस्थान एवं दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका था। गैंग के सरगना सत्ते ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर नवम्बर, 2008 माह में आर.के. पुरम के इलाके में एक नदकी वाहन डकैती को अंजाम दिया था। इन सभी सनसनीखेज घटनाओं में अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया था और अधिकांश मामलों में पीड़ितों को कई-कई जगह गोलियों के जख्म हुए थे। अन्ततः इस खूंखार गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमों को तैनात किया गया। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में 25,000 रूपए का नदक ईनाम और पुलिस थाना, नन्दनगरी, नई दिल्ली में मकोका के अनतर्गत एक मामला भी सत्य प्रकाश सत्ते के खिलाफ शुरु किया गया। दिल्ली पुलिस की कई टीमों द्वारा किए गए गहन प्रयासों के बावजूद, यह गैंग बड़े पैमाने पर मौजूद रहा और दिल्ली, एन सी आर, यू पी एवं राजस्थान में श्रृँखलाबद्ध सनसनीखेज अपराधों को निरन्तर अंजाम दिया।

इस गैंग को निष्क्रिय करने के लिए, इंस्पेक्टर जरनैल सिंह, प्रभारी ए ए टी एस, एस आई पवन तोमर, प्रमोद जोशी, बलिहार सिंह तथा इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह, एस एच ओ/लोधी कालोनी के पर्यवेक्षण के तहत अन्य लोगों एवं श्री विक्रमजीत सिंह, ए सी पी/डिफेंस कालोनी सहित पुलिस थाना लोधी कालोनी तथा ए.ए.टी.एस; दक्षिण जिला की एक संयुक्त टीम को गठित किया गया था। इस तरह से तैयार की गई टीम ने अपने स्त्रोतों को सक्रिय किया और तब इन्हें पता चला कि सत्ते-बिट्टू के खूंखार गैंग का दक्षिण जिला इलाके में मुखबिरों का एक सुव्यवस्थित जाल है जो इलाके में नकदी वाहनों की आवाजाही के बारे में उन्हें विशेष रूप से

जानकारी दे रहा था और जिन्होंने डकैतियाँ डालने के लिए कुछ बैंकों का अभिनिर्धारण भी किया था। टीम द्वारा किए गए प्रयासों का तत्काल परिणाम हासिल हुआ और पुलिस थाना लोधी कालोनी में अपराधियों की गतिविधियों के बारे में एक विशेष जानकारी मिली कि सत्ते के गैंग के सदस्य दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में कुछ बैंक डकैती करने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी के प्राप्त होने पर, एस एच ओ/लोधी कालोनी ने तत्काल डी सी पी/साऊथ, श्री एच.जी.एस. धालीवाल को सूचित किया जिन्होंने इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह की निगरानी में पी एस लोधी कालोनी के स्टाफ तथा इंस्पेकटर जरनैल सिंह की निगरानी में एंटी-ऑटो थैप्ट स्वायड के स्टाफ की एक संयुक्त टीम का गठन किया।

आगे और जानकारी मिली कि गैंग के सदस्य भारी मात्रा में हथियारों से लैस हैं और कालेज रंग की होण्डा एकॉर्ड कार तथा मोटरसाइकलों में जा रहे हैं। बाद में कार की नम्बर की पहचान डी एल-7-सी इ-0909 (होण्डा एकॉर्ड) के रूप में हुई थी। अपराधियों का समूह पहले मैक डोनाल्ड, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-।। और बाद में होटल आर.के. इन्टरनेशनल, एन डी एस ई-। पर एकत्रित हुआ।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं तालमेल के तहत दोनों टीमों ने इस क्रांतिक स्थिति में साथ-साथ मिलकर काम किया और दुर्दांत अपराधियों द्वारा प्रयोग में लाई गई वाहनों की पहचान की और तेजी से तलाशी शुरु कर दी। जब पुलिस टीम एन डी एस इ-। पहुँची, तब अपराधी पहले ही उपरवर्णित वाहनों में ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके की ओर आगे बढ़ गए थे और पीछे एन डी एस इ-। में मोटर साइकलों को छोड़ दिया था। पुलिस टीम ने अपराधियों के अभिनिर्धारित वाहन का पीछा करना शुरु किया और गहन तलाशी के बाद गेट नम्बर 2, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन पर काली होण्डा एकॉर्ड कार को घेर लिया। जब पुलिस टीम ने अपराधियों के वाहन के पास जाने की कोशिश की तो काली होण्डा एकॉर्ड कार के सवारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। अपराधियों के साथ गोलीबारी लगभग 12 से 15 मिनट तक चली और दोनों तरफ से लगभग 54 चक्र गोलियां चलीं। होण्डा एकॉर्ड कारा में सवार समस्त आक्रमणकारियों को गोलियों के जख्म हुए और पुलिस कर्मी अर्थात कांस्टेबल उमेश, सुरेश एवं कौशलेन्दर को भी गोलियों के जख्म हुए। दूसरा वाहन अर्थात सफेद सैंट्रो, जिसमें इन खूंखार अपराधियों के और अधिक साथी थे, घटनास्थल से भागने में सफल हो गई।

समस्त घायलों को एम्स ट्रॉमा सेन्टर में ले जाया गया था। धारा 307/186/332/353/34 आई पी सी तथा 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 19.01.2009 को प्राथमिकी सं. 24 के तहत एक मामला हौजखास पुलिस थाना में दर्ज किया गया था और छानबीन शुरु की गई थी। सभी चार घायल अपराधियों को नाजुक स्थिति में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। बाद में दो अन्य अभियुक्तों अर्थात्त नादिर और हरपाल उर्फ हनी को गिरफ्तार किया गया था। एम्स के एक कर्मचारी अर्जुन को भी दिनांक 29.01.09 को

सत्ते-बिट्टू गैंग के सदस्यों को जाली चिकित्सा प्रमाणपत्र उपलब्ध करने हेतु शराफत शेख के साथ प्राथमिकी सं. 29/09 के तहत डिफेंस कालोनी पुलिस थाना में दर्ज धोखा एवं ठगी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और शराफत शेख की माँ, जो कुख्यात मादक द्रव्यों की डीलर थी, पहले से मकोका में तिहाड़ जेल में बंद थी। भागने में सफल सैंट्रो कार को भी लाजपत नगर इलाके से बरामद कर लिया गया था। एन डी एस ई-I में अपराधियों द्वारा छोड़ी गई एक मोटरसाइकल को भी गिरफ्तार किए गए दोनों नादिर एवं हनी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया था। गीतांजलि से चुराई गई एक एस एक्स-4 कार को भी हरपाल उर्फ हनी की निशानदेही पर सरोजनी नगर इलाके से बरामद कर लिया गया था जबकि सत्ते तथा उसके गैंग के सदस्यों द्वारा कई अपराधों में प्रयोग में लाई गई एक मारुति जेन कार को भी कोमेसम रेस्टोरेंट पार्किंग एरिया, हजरत निजामुद्दीन से बरामद कर लिया गया था।

निम्नलिखित हथियार/गोला-बारुद बरामद किए गए थे:-

i) 4 ऑटोमैटिक पिस्तौल (3 यू एस ए निर्मित और 1 इटली निर्मित)
ii) 8 जिंदा कारतूसों के साथ 3 अतिरिक्त मैगजीन
iii) 19 चलाई गई कारतूस
iv) 1 चुराई गई ए एक्स-4 कार
v) 1 चुराई गई मारुति जेन कार
vi) 1 अपराध में प्रयुक्त होण्डा एकॉर्ड कार
vii) अपराधियों द्वारा भागने हेतु प्रयुक्त 1 सैंट्रो कार
viii) अपराध को अंजमा देने में प्रयुक्त 1 मोटर साइकल
ix) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के 10 सेलुलर फोन और 17 सिम कार्ड
x) 2 कट्टे
xi) कुछ जाली दस्तावेज
xii) लूटी गई नकदी को ले जाने के लिए दो ट्रैवलिंग बैग

पूछताछ के दौरान अभियुक्त सत्ते और उसके अन्य साथियों ने सनसनीखेज अपराधों की श्रृँखलाओं का खुलासा किया, जिसे उन्होंने अपने आपराधिक पेशे के वर्तमान चरण के अपने स्वर्णकाल के दौरान दिल्ली, राजस्थान तथा एन सी आर में अंजाम दिया था।

अधिकारियों की वैयक्तिक भूमिका

<u>इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह की भूमिका</u>

भारी हथियारों से लैस बैंक डकैतों एवं इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली एक टीम की पुलिस पार्टी के बीच दिन के उजाले में ग्रीन पार्क के रिहायशी/व्यावसायिक इलाके में भयंकर

गोलीबारी वाली लड़ाई वास्तव में पुलस कार्रवाई का एक निर्बाध एवं अत्यन्त पेशेवर उदाहरण था जिसमें किसी आम नागरिक को कोई हानि नहीं हुई और पुलिस टीम को कम-से-कम क्षति हुई जबकि हमलावरों को काफी अधिक नुकसान हुआ।

इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह ने शूट आऊट के दिन इस खूंखार गैंग की गतिविधि के बारे में विशेष खुफिया जानकारी जुटाने में अत्यन्त महवपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सुविचारित आयोजना, वाहन की उपयुक्त तैनाती और संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की असंदिग्ध रूप से तलाशी के कारण इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम द्वारा पुलिस कार्रवाई का प्रत्यक्ष निष्पादन सम्पन्न हो सका। जब इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली टीम सत्ते गैंग के होण्डा एकॉर्ड कार का पीछा करते हुए ग्रीन पार्क एक्सटेंशन इलाके में पहुँची और अपराधियों को पकड़ने के लिए कार को ओवरटेक करने की कोशिश की तो होण्डा एकॉर्ड कार में बैठे सत्ते और उसके गैंग ने राजिन्दर सिंह के वाहन पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरु कर दी। उसी समय इंस्पेक्टर जरनैल सिंह के नेतृत्व वाली दूसरी टीम ने होण्डा एकॉर्ड कार को पीदे से अपनी कार से ठोकर मार दी। हमलावरों द्वारा चलाई गई दो गोलियां इंस्पेक्टर राजेन्द्र सिंह के ठीक सामने से वाहन के दाहिने फेन्डर को भेदती हुई निकल गई और वे बाल-बाल बच गए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी टीम का सामने से नेतृत्व किया जिसके परिणामस्वरूप कई गोलियां उनके बदन के पास से निकलती रहीं परन्तु निर्भीक होकर उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम के सदस्य उपयुक्त बल का प्रयोग करें जिससे किसी तरह की संपार्श्विक क्षति हो रोका जा सके।

इंस्पेक्टर जरनैल सिंह की भूमिका

इंस्पेक्टर जरनैल सिंह स्कॉर्पियो कार में अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने होण्डा एकॉर्ड कार के पीछे से अपनी स्कॉर्पियो को भिड़ाते हुए इस तरह से होण्डा एकॉर्ड कार को रूकने पर मजबूर कर दिया कि वाहन बच कर निकल न सके। जब वे वाहन से बाहर निकले तो अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और अपराधियों की गोलीबारी के निशाने में आ गए। वे शांतचित्त रहे और सौंपे गए कार्य को इस तरह से निभाया कि पुलिस पार्टी बिना आहत के बच निकली तथा कोई आम नागरिक न तो पुलिस की गोली से और न ही अपराधियों की गोली से घायल हुआ। हालांकि गोलीबारी 15 मिनट तक चली और आम नागरिकों के ठीक सामने लगभग 200 मीटर के दायरे में फैली रही।

उन्होंने अपनी जान को वास्तव में जोखिम में डाला और काफी नजदीक से हमले का सामना किया परन्तु निर्भीक और निडर होकर उन्होंने बहादुरी से अपराधियों की गोलीबारी का सामना किया।

हेड कांस्टेबल सत्येन्द्र सिंह की भूमिका

हेड कांस्टेबल सत्येन्द्र सिंह 49/एस डी ने खूंखार सत्ते-बिट्टू गैंग के सदस्य को पकड़ने के लिए लगभग दो महिने तक कार्य किया और यमुनापार के इलाके में कई बार बिल्कुल अकेले अपनी जान को जोखि में डालकर अपराधियों के छुपने के स्थानों के आसपास कई रातें जागकर बिताईं।

जब पुलिस पार्टी ने हमलावरों के होण्डा एकॉर्ड कार को घेर लिया तब एच सी सत्येन्द्र सिंह ने होण्डा एकॉर्ड के पीदे की तरफ अपना मोच्रार संभाला और अपराधियों को कार से भागने का कोई मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह कए वगैर पुलिस पार्टी के दूसरे सदस्यों को कवर फायर देने के लिए दो बार गोलियां चलाईं और अपराधियों को पकड़ने की स्थिति मेकं ला दिया जिससे अन्ततः पुलिस पार्टी उन सभी को पकड़ने में सफल हो पाई।

इस मुठभेड़ में श्री राजेन्द्र सिंह, इंस्पेक्टर, जरनैल सिंह, इंस्पेक्टर एवं सत्येन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.01.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 64-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. परवेज अहमद,
   सब इंस्पेक्टर
2. इम्तियाज अहमद,
   सब इंस्पेक्टर
3. मोहम्मद शाफी,
   सब इंस्पेक्टर
4. परवीन कुमार,
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 15 जुलाई, 2008 को वारपोरा सोपोर गांव में आतंकवादियों के उपस्थित होने की विशेष जानकारी मिलने पर एस ओ जी सोपोर के नफरी, 179 बटालियन सी आर पी एफ तथा पी एस सोपोर उस स्थान की ओर बढ़ा। उक्त गांव के पास पहुँचने पर यह पता चला कि हिलाल अहमद सोफी उर्फ खालिद, पुत्र-मोहम्मद सुलतान सोफी, निवासी-वारपोरा सोपोर, अल-बराक आतंकवादी गुट तथा अति राजा, निवासी-पी आ के, जे इ एम आतंकवादी गुट नामक दो आतंकवादी ग. हसन वार, पुत्र-जाजी मोहम्मद सुलतान वार, निवासी-वारपोरा सोपोर के घर में छुपे हुए हैं। एस ओ जी सोपोर के एस आई मोहम्मद साफी तथा पुलिस थाना सोपोर के एस आई परवेज अहमद ने सख्त घेरा डाला और आतंकवादियों को उक्त मकान में अवरुद्ध कर दिया तथा कार्रवाई शुरु कर दी। पुलिस दल को देखकर आतंकवादियों ने तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरु कर दी। जब आतंकवादियों ने कार्रवाई दल पर गोलियां चलाईं उस समय उस स्थान पर कई नागरिक मौजूद थे और इन नागरिकों को वहाँ से हटाना एक साहसपूर्ण कार्य था। जवाबी गोलीबारी करने से पहले, पुलिस कर्मियों की एक छोटी टुकड़ी ने अपने-आपको समर्पित कर नागरिकों को बचाना शुरु कर दिया। नागरिकों के निकट सम्पक्र में पहुँचने पर, आतंकवादियों ने पुलिस दल पर हथगोले फेंकने शुरु कर दिए तथा अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जिसके दौरान एस आई मोहम्मद साफी और कांस्टेबल अब्दुल कयूम जख्मी हो गए, जबकि एस पी ओ अब्दुल रशीद शहीद हो गए। परन्तु एस आई परवेज अहमद, एस आई इम्तियाज अहमद, एस आई मोहम्मद साफी (लँगड़ाते हुए) और कांस्टेबल परवीन कुमार वाले पुलिस दल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नागरिकों को पहुँचने में सफलता प्राप्त कर ली। पुलिस कर्मियों ने साहसपूर्वक काम किया और अतयंत फुरती दिखाई तथा नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने के कार्य को पूरा कर लिया। इसके तत्काल बाद, एस आई परवेज अहमद, एस आई इम्तियाज अहमद, एस आई मोहम्मद साफी और कांस्टेबल परवीन कुमार वाले पुलिस दल ने सक्रियता से कार्रवाई में हिस्सा लिया और लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ने के लिए कार्रवाई के अत्यन्त चुनौतीपूर्ण पहलू को स्वीकार किया। जब वे आतंकवादियों के काफी निकट पहुँचे, तब आतंकवादियों ने उन पर हथगोले फेंकने शुरु कर दिए तथा अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे, परन्तु अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आतंकवादियों की ओर बढ़ना जारी रखा तथा कुशल योद्धाओं की तरह जवाबी गोलीबारी की। यह कार्रवाई 23 घंटे तक चलती रही और दल द्वारा की गई बेहतरीन जवाबी गोलीबारी से हिलाल अहमद सोफी उर्फ खालिद, पुत्र-मोहम्मद सुलतान सोफी, निवासी-वारपोरा सोपोर, अल-बराक आतंकवादी गुट तथा अलि राजा, निवासी-पी ओ के, जे ई एम आतंकवादी गुट नामक दोनों आतंकवादियों को मार पाना पुलिस कर्मियों के लिए संभव हो सका। इस घटना के लिए मामला धारा 307, 302 आर पी सी, 7/27 ए एक्ट के तहत प्राथमिकी सं. 186/08 के रूप में सोपोर पुलिस थाना दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री परवेज अहमद, सब इंस्पेक्टर, इम्तियाज अहमद, सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद शाफी, सब इंस्पेक्टर एवं परवीन कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16 जुलाई, 2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 65-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01 साजद अस्साद
उप निरीक्षक

02 गु. मोहम्मद चेची
एस जी, कांस्टेबल

03. गु. मोहम्मद मलिक
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 12.09.2008 को मर्गी दिवर लोलाब (कुपवाड़ा) क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों के मौजूद होने के संबंध में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कुपवाड़ा पुलिस की एस ओ जी पार्टी द्वारा 28 आर आर और 125 बटालियन, सी आर पी एफ की सहायता से एक अभियान चलाया गया। जिस तराई क्षेत्र में आतंकवादी छिपे हुए थे, वह अभियान के कार्मिकों के लिए प्रतिकूल था क्योंकि वहां यदि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से गोलीबारी पूर्व-सावधानियां/सामरिक युक्तियों का प्रयोग न किया जाता तो नुकसान होने की सम्भावना थी। इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध कार्मिकों की तुलना में मुकाबला करने का कम अनुभव होने के बावजूद उप निरीक्षक साजद अस्साद के नेतृत्व में पुलिस दल ने सुभेद्य स्थानों से आतंकवादियों का सामना करने का निर्णय लिया। वे अपने कार्मिकों को घेराबंदी और तलाशी अभियान के लिए लक्ष्य स्थल की ओर लेकर गए। ज्यों ही उन्होंने घेराबन्दी और तलाशी अभियान शुरू किया, आतंकवादियों ने उप निरीक्षक एवं एस जी गु. मोहम्मद और कांस्टेबल गु. मोहम्मद नामक उनके सहयोगी जो सामने से आगे बढ़ रहे थे, पर हथगोलों और गोलियों की बौछार कर दी। चूंकि वह स्थान अत्यंत सुभेद्य था,

इसलिए आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी को देख लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपनी जान का भारी खतरा झेलना पड़ा। परन्तु अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उप निरीक्षक साजद-अस्सा (एस एच ओ, पी/एस सोगाम) एवं उनके सहयोगियों ने आतंकवादियों का पीछा किया किन्तु आतंकवादियों ने जोरदार जवाबी हमला कर दिया जिसके कारण कार्मिकों को अपनी पोजीशनों से तितर-बितर होना पड़ा। तथापि, उन्होंने तत्काल सूझबूझ का परिचय देते हुए फिर से तुरन्त अपनी पोजीशन ले ली और अपनी-अपनी पोजीशनों से तेजी से जबाबी हमला बोल दिया, जिसकी वजह से आतंकवादियों की हिम्मत टूट गई और उन्होंने घेराबन्दी तोड़कर भागने का प्रयास किया किन्तु पुलिस कर्मियों द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक फुर्तीलेपन की वजह से आतंकवादी बचकर नहीं निकल सके और घेर लिए गए और गोलीबारी करते रहे। अन्ततः, लम्बे समय तक चली गोलीबारी के पश्चात, पुलिस पार्टी ने उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया जिनकी पहचान बाद में समीर अहमद राथेर पुत्र गु. हुसैन निवासी नौपारा पेयीन, पुलवामा और अहमद रेशी पुत्र अब. रहमान निवासी चाकू सोपियान के रूप में हुई। अभियान के दौरान, दो ए.के. 56 राइफलें, पांच ए.के. मैगजीनें और 90 ए.के. राउण्ड बरामद किए गए। इस संबंध में पुलिस स्टेशन, सोगाम में मामले की एफ आई आर संख्या 27/2008 दिनांक 12 सितम्बर, 2008 दर्ज है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री साजद अस्साद, उप निरीक्षक, गु. मोहम्मद चेची एस जी, कांस्टेबल और गु. मोहम्मद मलिक, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.09.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 66-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

1. शेख फैजल कयूम,
   उप पुलिस अधीक्षक
2. चमेल सिंह,
   हेड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 17.05.2008 को ग्राम-लारू जागीर, ट्राल अवन्तीपुरा के बाहर आतंकवादियों के मौजूद होने की विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए श्री अमरजीत सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, ट्राल की कमान में अवंतीपुरा पुलिस ने 185 बटा. सी आर पी एफ की सहायता से एक संयुक्त घेराबन्दी और तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी वाला क्षेत्र एक विस्तृत फलोद्यान क्षेत्र था जिसमें आतंकवादियों के मौजूद होने का आभास किया गया था। इसलिए, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए शेख फैजल, उप पुलिस अधीक्षक, डी ए आर, अवन्तीपुरा की कमान में 42 आर आर और पुलिस पार्टी की एक अतिरिक्त टुकड़ी बुलाई गई श्री फैजल के साथ एच सी चमेल सिंह, और पार्टी के अन्य पुलिस कार्मिकों को फलोद्यान के पूर्वी ओर , जो वस्तुतः इस अभियान का अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्र था, से आगे बढ़ने का दायित्व दिया गया था। इसमें सबसे प्रमुख उत्तरदायित्व उन लोगों को सुरक्षित रखने का था जो फलोद्यानों में काम कर रहे थे। फलोद्यान के पूर्वी तरफ काम कर रहे लोगों को सुरक्षित निकलते समय श्री फैज़ल, उप पुलिस अधीक्षक को आतंकवादियों के मौजूद होने का आभास हुआ और उन्होंने उन्हें हथियार डालने के लिए ललकारा। तथापि, आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी और अधिकारी की ओर हथगोले फेंके। श्री फैजल और एच.सी. चमेल सिंह, तुरन्त जवाबी गोलीबारी करके और लगातार गोलीबारी में आतंकवादियों को उलझाकर उन्हें बच निकलने का कोई मौका दिए बगैर अनुकरणीय सूझबूझ और उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया। ये अधिकारी और उनके सहयोगी रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और घमासान गोलीबारी की लड़ाई में सभी छह आतंकवादियों का सफाया करने में सफल हुए, जिनकी पहचान बाद में, वसीम हसन अहंगेर उर्फ कैरी पुत्र गु.हसन, निवासी कचमुल्लाह, मो. यूसुफ भट उर्फ प्रिम्ना पुत्र अव. समद निवासी चारसू, मेहराजुद्दीन शेख पुत्र गु. नबी निवासी नूरपुरा, अली बाबा उर्फ बदरभाई निवासी पाकिस्तान, इफ्तकार भाई निवासी पाकिस्तान और अकरम उर्फ कालू भाई निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र/गोला-बारूद बरामद किए गए और इस संबंध में पुलिस स्टेशन, ट्राल में आर पी सी की धारा 307, आई.ए. की धारा 7/27 के अन्तर्गत मामले की एफ आई आर संख्या 35/2008 दर्ज है।

(क)	राइफल ए के-47	-02
(ख)	राइफल ए.के.56	-04
(ग)	ए.के. मैगजीनें	-21
(घ)	ए.के. राउण्ड	-88
(ड.)	चाइनीज पिस्टल	-01
(च)	पिस्टल मैगजीन	-02

(छ)	पिस्टल राउण्ड	-03
(ज)	वायरलेस सैट	-03
(झ)	सैटेलाइट फोन	-01
(ञ)	चाइनीज हथगोले	-07
(ट)	यू बी जी एल हथगोले	-06
(ठ)	नोकिया मोबाइल फोन	-04

इस मुठभेड़ में सर्वश्री शेख फैजल कयूम, उप पुलिस अधीक्षक और चमेल सिंह, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.05.2008 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 67-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री भोला प्रसाद सिंह,
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.05.2008 को बरकाठा के प्रभारी अधिकारी श्री विनोदानन्द सिंह ने विष्णुगढ़ के प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह को सूचना दी कि उन्होंने सी पी आई (माओवादी) के आंचलिक कमाण्डर अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है जो माण्डू पुलिस स्टेशन के मामला संख्या 181/08/ दिनांक 11.05.2008 में भा.दं. संहिता की धारा 147/148/149/353/333/302/307/324/326, आयुध अधिनियम की धारा 27, बिस्फोटक अधिनियम की धारा 3/4 और सी.एल.ए. अधिनियम की धारा 17 के तहत भी अभियुक्त है। इसके पश्चात, उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह और अन्य लोगों ने उससे पूछताछ की और उन्हें अर्जुन यादव और नक्सल एरिया कमाण्डर नीतीश उर्फ योद्धा साव की पूर्व निर्धारित बैठक के बारे में जानकारी मिली। उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह ने पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को इसकी जानकारी दी जिन्होंने छापा मारने की योजना बनायी और इसके लिए तीन टीमें बनायीं गई। 1- हमला टीम जिसमें उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह, सहायक सेनानी, सी आर पी एफ हर्षपाल

सिंह और अन्य लोग शामिल थे 2. उप निरीक्षक विनोदानन्द सिंह की घेराबंदी टीम और 3. एस डी पी ओ सरयू पासवान और उप निरीक्षक अरूण कुमार के नेतृत्व में डी ए पी कांस्टेबलों की स्टापर टीम।

सभी टीमें अर्जुन यादव को साथ लेकर सायं 8 बजे रवाना हुईं और चन्दरमुण्डू गांव पहुंच गई, एक गांव वाले को साथ ले लिया जिसने टीम का मार्गदर्शन किया और बैठक के स्थान की जानकारी दी। उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह और सहायक सेनानी सी आर पी एफ ने अर्जुन यादव को साथ लेकर एक छोटी नदी को पार करने के पश्चात रात करीब 9.30 बजे अंधेरे और प्रबंचन का फायदा उठाकर एक छोटी पहाड़ी पर होने वाली बैठक के स्थान पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव ने नीतीश को बुलाया और हाथ मिलाने के बाद लाल-सलाम के साथ अभिवादन किया और अन्य लोगों को इशारा किया। उप निरीक्षक, भोला प्रसाद सिंह अन्य लागों के साथ अपनी जान को गम्भीर एवं तत्काल खतरा होते हुए भी उस क्षेत्र में पहुंच गए जहां सशस्त्र नक्सलियों की बैठक चल रही थी। ज्यों ही वह अन्य लोगों के साथ एरिया कमाण्डर नीतीश और अन्य नक्सलियों के बिल्कुल निकट पहुंचे तो उन्हें अभास हो गया कि वहां पर पुलिस है और उन्होंने तत्काल पुलिस वालों पर गोलीबारी शुरू कर दी। उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह और सहायक सेनानी हर्षपाल सिंह ने जवानों को ग्रामीणों को बचाते हुए हमले की जवाबी गोलीबारी करने का निदेश दिया। वहां पर जीवन और मौत का सवाल था क्योंकि वहां हर एक जगह पर नक्सली मौजूद थे जबकि उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह और हर्षपाल सिंह केवल एक जवान के साथ उस क्षेत्र में गए थे जो नक्सलियों से पूर्णरूपेण घिरा हुआ था। इसी बीच, नीतीश ने गोली चलाने के लिए अपनी .303 राइफल बाहर निकालने की कोशिश की । उप निरीक्षक भोला प्रसाद ने अपनी जांन की परवाह न करते हुए उसका कंधा और गर्दन पकड़ लिया और अपनी सरकारी पिस्टल निकाल लिया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा किन्तु गिरफ्तार माओवादी अर्जुन यादव ने भी नीतीश की मदद करनी शुरू कर दी और उनकी पिस्टल छीनने की कोशिश की। इस हाथापाई में वे तीनों पहाड़ी से नीचे लगभग 12 फीट नीचे जमीन पर गिर गए। ज्यों ही उप निरीक्षक भोला प्रसाद ने खुद को उससे छुड़ाया तो नीतीश ने अपनी .303 राइफल से भोला सिंह, उप निरीक्षक को निशाना बनाते हुए एंक राउण्ड फायर कर दिया। किन्तु उन्होने हिम्मत नहीं हारी और पूर्ण साहस का परिचय देते हुए नीतीश को निशाना बनाकर फायर कर दिया और वह घायल होकर नीचे गिर गया। तत्काल अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव ने भोला प्रसाद सिंह पर फायर करने के लिए नीतीश की राइफल उठाने की कोशिश की किन्तु उन्होंने अर्जुन यादव को निशाना बनाकर दुबारा फायर किया जिससे वह भी नीचे गिर गया। इस दौरान, नक्सलियों और बाकी पुलिस/सीआरपीएफ पार्टी के बीच मुठभेड़ चल रही थी। उन्होंने उग्र सीपीआई (माओवादी) आतंकवादियों पर भी गोली चलायी जो अपने काड़रों की सशक्त मौजूदगी की वजह से खतरनाक हो गए थे। सहायक सी.ओ. सी आर पी एफ ने भी सी आर पी एफ कांस्टेबलों के साथ मिलकर जबाबी गोलीबारी की। आतंकवादियों का धैर्य

टूट गया और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद गोलीबारी रुक गई। साहसी एस आई भोला प्रसाद सिंह ने सी आर पी एफ पार्टी के साथ मिलकर गहन तलाशी की और महिला कार्यकर्त्ता कान्ती कुमारी को गिरफ्तार किया और उन्हें उस स्थल से आतंकवादियों के 04 शव मिले एवं राइफल, पिस्टल, विस्फोटक आई ई डी और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए गए।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार एवं गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1.	.303 रेगुलर पुलिस राइफल	-01
2.	देशी बन्दूक	-01
3.	देशी सिक्स राउण्ड रिवाल्वर	-01
4.	देशी पिस्टल	-01
5.	धनुष लगभग	-10
6.	तीर	-04
7.	केन बम	-01 (25 किग्रा.)
8.	फ्यूज सहित बिजली के तार लगभग	-100 मीटर
9.	पिट्ठू (कंधे का बैग)	-05
10.	बैटरी	-01
11	फ्यूज के साथ डेटोनेटर	
12.	कारतूस	
	(i) .38 जिन्दा कारतूस	-03
	(ii) .315 जिन्दा कारतूस	-04
	(iii) .303 जिन्दा कारतूस	-35
	(iv) .303 खाली कारतूस	-03
	(v) .315 खाली कारतूस	-11
	(vi) ए.के. – 47 खाली राउण्ड	-05
	(vii) 9 एम एम खाली कारतूस	-03
13.	नक्सल डायरी	-01
14.	लेवी रसीद बुक	-01
15.	नारी मुक्ति संघ की लेवी रसाद बुक	-02
16.	सीपीआई (माओवादी) की लेवी रसीद बुक	-02
17.	केन्द्र पट्टी मजदूर संघ हर्ष समिति उत्तर छोटा नागपुर की लेवी रसीद बुक	
18.	नक्सली गुप्त दस्तावेज	
19.	महिलाओं एवं पुरूषों के अनेक उपयोगी कपड़े	
20.	भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की दवाइयां	

21. अनेक साबुन
22. ग्राउण्ड शीट -08
23 आई ई डी के विस्फोट हेतु वायर के साथ कैमरा फ्लैश
24. विभिन्न तारीखों की अखबार की कतरनें
25. पानी की बोतल -01
26. टार्च -01
27. मोबाइल (नोकिया) -01
28. मोबाइल चार्जर -01
29 2930 रू. नकद
30. कुल्हाड़ी -02
31. अनेक जोड़ी चप्पलें (चमड़ा एवं हवाई) लगभग 15 जोड़ी
32. नक्सल संबंधी अन्य दस्तावेज एवं सामग्री

इस मुठभेड़ में श्री भोला प्रसाद सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.05.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 68-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री बालकिशोर किस्कू
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 18.08.2008 को करीब 17.15 बजे सायं एस.पी. हजारी बाग की इस सूचना के आधार पर कि एम सी सी (आई) (माओवादी) (प्रतिबंधित संगठन) का सब-जोनल-कमाण्डर कृष्णा यादव और बबुआ सिंह अपने दस्ते के साथ पुलिस स्टेशन-केरादरी, जिला-हजारीबाग के अन्तर्गत आने वाले ग्राम-बटुका, टोला नोनियाडीह के नजदीक स्थित नीरी पहाड़ी के जंगल में घूम रहे हैं और सहायक कमाण्डेन्ट पी.आर. मिश्रा के नेतृत्व में सी आर पी एफ की डी कम्पनी

22 बटालियन को आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस स्टेशन बड़कागांव भेजा जा रहा है, पुलिस स्टेशन केरदारी के प्रभारी अधिकारी को भी बड़कागांव पुलिस स्टेशन पहुंचने का निदेश दिया गया। उपर्युक्त सूचना प्राप्त होने के पश्चात, पुलिस स्टेशन केरदारी के प्रभारी अधिकारी श्री बालकिशोर किस्कू पी एस रिजर्व फोर्स के पांच पुलिस कार्मिकों को साथ लेकर सरकारी वाहन से बडकागांव पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हुए और उसी दिन करीब 19.45 बजे बड़कागांव पहुंच गए। सहायक कमाण्डेंट श्री पी.आर. मिश्रा भी वहां पहुंच गए थे और नक्सलियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की एक रणनीति तैयार करने के पश्चात, प्रभारी अधिकारी, केरदारी उसी दिन सी आर पी एफ की टुकड़ी के साथ अम्बाटोला के रास्ते घने जंगल की ओर रवाना हुए और पैदल पहाड़ी और घने जंगल से होते हुए रात में करीब 23.20 बजे नीरी पहाड़ी के जंगल में पहुंच गए। घने जंगल और पहाड़ियों की वजह से वाहन को अम्बाटोला पुलिस चौकी पर छोड़ दिया गया। प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन (उप निरीक्षक बाल किशोर किस्कू) द्वारा स्थानीय सूत्रों से नक्सलियों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई। सहायक कमाण्डेण्ट, सी आर पी एफ के साथ आवश्यक विचार-विमर्श करने के पश्चात पुलिस स्टेशन केरदारी के प्रभारी अधिकारी द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध विशेष कार्रवाई करने के प्रयोजन से दो स्टाप पार्टियां और एक तलाशी एवं छापामार पार्टी बनायी गयी। दोनों स्टाप को निर्देश दिए गए। पहली स्टाप पार्टी को घने जंगल की ओर नोनियाडीह के उत्तर की ओर पहुंचने का निदेश दिया गया जबकि दूसरी स्टाप पार्टी को नोनियाडीह, बुढ़िया झरना के दक्षिण की ओर पहुंचने का निदेश दिया गया। तलाशी एवं छापामार पार्टी का नेतृत्व पुलिस स्टेशन, केरदारी के प्रभारी अधिकारी ने किया। प्रभारी अधिकारी पुलिस स्टेशन, केरदारी के नेतृत्व में पुलिस बल घने जंगल और घनघोर अंधेरे के बावजूद चकमा देने के लिए नियमित रास्ते से हटकर गहरे पानी वाली नदी, पहाड़िया, तराई पार करते हुए आगे बढ़ता गया। साहसपूर्ण जज्बे के साथ अपने आपको छिपाते हुए प्रभारी अधिकारी, केरदारी दिनांक 19.08.2008 को रात 00.15 बजे नक्सलियों के समीप बुढ़िया झामा पहुंच गए। उस घने जंगल में पहाड़ी के ऊपर घरों का एक समूह दिखाई दिया। घने जंगल और नालों से जुड़ी पहाड़ी की चोटी पर दूर-दराज अलग स्थिति एक मकान में हलचल का आभास हुआ। लक्ष्य क्षेत्र की पहचान करने के बाद, प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन (उप निरीक्षक बालकिशोर किस्कू) पुलिस बल के साथ उसी वक्त लक्ष्य क्षेत्र के यथासम्भव निकट पहुंचने के लिए आगे बढ़े । अचानक नक्सलियों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया और पुलिस बल पर गोलीबारी शुरू कर दी और जान से मारने के इरादे से हमला कर दिया। इस जोखिमपूर्ण स्थिति में स्वयं को बचाने और आत्म रक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन ने वीरता के साथ तत्काल जबावी हमला करने के लिए पुलिस बल को नक्सलियों की गोलीबारी का जवाब देने का ओदश दिया। उप निरीक्षक बाल किशोर किस्कू, प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन केरदारी ने अपनी ए.के.-47 राइफल से फायर किया जबकि अन्य बलों ने भी अपने-अपने आग्नेयास्त्रों से फायर करना शुरू कर दिया। प्रभारी अधिकारी,

केरदारी पुलिस स्टेशन अपने दल के आगे चल रहे थे। पहाड़ी की चोटी पर चट्टानों के पीछे छिपे नक्सलियों की ओर से भीषण गोलीबारी हो रही थी। दोनों ओर से यह गोलीबारी करीब डेढ़ घण्टे चलती रही। उस अंधेरी रात में उस लक्ष्य क्षेत्र में एक मानव आकृति दिखायी पड़ी थी। प्रभारी अधिकारी, केरदारी द्वारा पहले तैयार की गई रणनीति के अनुसार, पुलिस बल द्वारा नक्सलियों की ओर दो एच ई बम फेंके गए और इसके पश्चात, धीरे-धीरे नक्सलियों की ओर से गोलीबारी रूक गई। इसके बावजूद, पुलिस ने हमला जारी रखा और उस क्षेत्र की घेराबन्दी बनाए रखी और इसी बीच प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन द्वारा मुठभेड़ की सूचना पुलिस अधीक्षक हजारी बाग और सी आर पी एफ की 22वीं बटालियन के कमाण्डेन्ट को मोबाइल फोन से दी गई। करीब 3.00 बजे नक्सलियों की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रभारी अधिकारी केरदारी पुलिस स्टेशन के निदेश पर पुलिस बल द्वारा तीन पैरा बम भी फेंके गए। इसके बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी। तब प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा घटनास्थल को सुबह तक घेरे रखा गया।

दिनांक 19.08.2008 को सुबह तड़के लगभग 5.30 बजे प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन, उप निरीक्षक बाल किशोर किस्कू ने अन्य बलों के साथ मिलकर उस क्षेत्र की तलाशी शुरू की और तलाशी के दौरान यह पाया गया कि एक वर्दीधारी नक्सली घटनास्थल पर अपनी एस एल आर राइफल, पिट्ठू, छाता, चप्पल, राइफल आदि सामान के साथ पड़ा हुआ है। बाद में प्रभारी अधिकारी, पुलिस स्टेशन केरदारी द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से उप संभागीय मजिस्ट्रेट, हजारीबाग को किए गए अनुरोध के पश्चात, मुठभेड़ स्थल को सुरक्षा की दृष्टि से प्रभारी अधिकारी, केरदारी द्वारा पुलिस स्टेशन के रिजर्व बल और सी आर पी एफ के साथ घेर लिया गया। वहां पड़े नक्सलियों के शवों की जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त किया गया और इसी बीच वहां कुछ गांव वाले इकट्ठे हो गए। प्रतिनियुक्त किए मजिस्ट्रेट द्वारा उनमें से दो लोगों की मौजूदगी में तलाशी शुरू की गई और तलाशी के दौरान गांव वालों द्वारा शव की पहचान बिनोद मुण्डा, ग्राम बच्चाडीह, पुलिस स्टेशन- केरदारी, जिला हजारीबाग के रूप में की गई। मजिस्ट्रेट द्वारा विनोद मुण्डा के शव की जांच रिपोर्ट तैयार की गई। लोड की हुई मैगजीन के साथ एस एल आर राइफल, उसकी पीठ में काले रंग का पिट्ठू, एस एल आर में लोड की हुई दो मैगजीनें, दो मोबाइल सेट, एक वायरलेस सेट 50,000 रूपए नकद, एस एल आर के 58 कारतूस और एस एल आर के 5 खाली खोखे पाए गए। इतना ही नहीं, घटना स्थल पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सामान भी पाए गए । गोलीबारी के क्षेत्र के भीतर .303 बोल्ट एक्शन की एक राइफल के साथ .303 के 48 जिन्दा करतूसों वाला एक पाउच और एक दूसरा वायरलेस सेट भी पाया गया। सम्भवतः, कुछेक नक्सली घायल हो गए थे। प्रभारी अधिकारी, केरदारी पुलिस स्टेशन द्वारा घटना स्थल पर दो गवाहों की उपस्थिति में बरामद की गई वस्तुओं की सूची तैयार की गई।

उपर्युक्त घटना के आधार पर, केरदारी पुलिस स्टेशन में आई पी सी की धारा 147/148/149/332/353/307, आयुध अधिनियम की धारा 25 (1-ख) क/26/27/35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और सी एल ए अधिनियम की धारा 17 के तहत मामला संख्या 64/08 दिनांक 19.08.2008 दर्ज किया गया है।

इस मुठभेड़ में श्री बाल किशोर किस्कू, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.08.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 69-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, झारखण्ड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री दाउद कीरो
उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग को एक गोपनीय सूचना प्राप्त होने पर, पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग और सी आर पी एफ के सहायक कमाण्डेन्ट श्री पी.आर. मिश्रा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, हजारीबाग में उप निरीक्षक दाउद कीरो के साथ परामर्श करके एक योजना बनाई गई। दिनांक 16.09.2008 को सायं यह सूचना मिली थी कि सी पी आई (माओवादी) नक्सलियों का सब-जोनल कमांडर कृष्णा यादव अपने लगभग 20 साथियों के गुट के साथ चतरा जिले के सिमरिया पुलिस स्टेशन की घामा पहाड़ियों में घूम रहा है। बनाई गई योजना के अनुसार, कटकमसन्डी के प्रभारी अधिकारी उप निरीक्षक दाउद कीरो और श्री पी.आर. मिश्रा, सहायक कमाण्डेन्ट ने सी आर पी एफ जवानों की प्लाटूनों और डी ए पी कांस्टेबलों की एक टुकड़ी के साथ रात 22.00 बजे कटकमसंडी पुलिस स्टेशन से छापा कार्रवाई हेतु घामा पहाड़ी की ओर रवाना हुए यह सम्पूर्ण टीम पूरी रात जंगलों और पहाड़ी तराइयों वाले क्षेत्रों में चलती रही और अलग-अलग गांवों और पहाडियों में छापा मारती रही और तलाशी करती रही। अन्ततः, 03.00 बजे यह टीम घामा पहाड़ियों में पहुंच गई और कृष्ण यादव और उसके साथियों के पहाड़ी एवं जंगल में छिपने के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की। तत्काल दो टीमें बनायी गई और उस

स्थान तथा सटी पहाडियों के उत्तर एवं दक्षिण दिशा की ओर से घेराबंदी और तलाशी की कार्रवाई शुरू की गई। सशस्त्र नक्सलियों का खतरा होते हुए भी, दोनों टीमें उप निरीक्षक दाउद कीरो और सहायक कमाण्डेन्ट पी आर मिश्रा के कुशल नेतृत्व में सभी पूर्वसावधानियां बरतते हुए घने जंगल और अंधेरे में आगे बढ़ी। पहली टीम नाला तक पहुंच गई और पहाड़ी की तरफ से नाला पार करना आरम्भ किया। करीब 05.45 बजे सुबह का समय था जब नाला के दूसरी ओर पहाड़ियों और चट्टानों में बैठे नक्सलियों ने पुलिस पार्टी की मौजूदगी को जान लिया और पुलिस पर गोलीबारी आरम्भ कर दी। उप निरीक्षक दाउद कीरो और श्री पी आर मिश्रा, सहायक कमाण्डेन्ट ने जवानों को जवाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया और इस प्रकार, उन्होंने भी अपनी-अपनी ए.के.-47 से गोलीबारी शुरू कर दी। किन्तु नक्सली पहाड़ी की चोटी से दोनो तरफ से और आस-पास की चट्टानों की ओट लेकर गोलियां चला रहे थे । अत्यधिक खतरनाक स्थिति के बावजूद, उप निरीक्षक दाउद कीरो और श्री आर.पी. मिश्रा तीन जवानों के साथ रेंगते हुए और एक – दूसरे को ए के-47 की फायरिंग का कवर देते हुए पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। इस प्रकार कुछ दूर तक पहाडी पर चढ़ने के बाद, उन्होंने चट्टानों की आड़ लेकर पूरब की ओर से तीन-चार उग्रवादियों को गोली चलाते हुए देखा। अपने आप को छिपाते हुए उप निरीक्षक दाउद कीरो और श्री पी.आर.मिश्रा उस स्थान के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए जहां से गोलीबारी हो रही थी। वहां नक्सलियों द्वारा की जा रही गोलीबारी की गिरफ्त में आने का अत्यन्त खतरा था और वहां विभिन्न स्थानों पर अधिक संख्या में नक्सलियों के होने की सम्भावना थी। लेकिन कर्तव्य की पुकार और राष्ट्र के लिए तत्परता की भावना के साथ वे दोनों गोलीबारी कर रहे नक्सलियों की ओर वीरतापूर्वक आगे बढ़े। अपनी ए.के. 47 राइफलों से नक्सलियों की ओर गोलीबारी की। इस गोलीबारी से एक नक्सली की चीख निकली और वह गिर पड़ा, दूसरे नक्सली भी घायल हो गए और चट्टानों और पेड़ों की ओट लेकर भाग गए। पुलिस/सी आर पी एफ और नक्सलियों के बीच यह गोलीबारी डेढ़ घण्टे तक चलती रही और अन्ततः नक्सलियों की ओर से बन्द हुई। पुलिस पार्टी ने पहाड़ी में अगले कुछ घण्टों तक अपनी पोजीशन बनाए रखी।

बाद में, स्थानीय गांव वालों की उपस्थिति में तलाशी कार्रवाई की गई जिसमें एक नक्सली का शव बरामद किया गया था। मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद तथा अन्य सामान बरामद किए गए:-

1. 06 कारतूसों के साथ .303 राइफल-1
2. .303 राइफल के जिन्दा कारतूस-143 का एक बण्डल
3. एस एल आर राइफल-01, 5 कारतूसों से भरी मैगजीन के साथ।
4. दो पाउचों में 7.62 कारतूस
5. काले रंग के बण्डल के 07 राइफल चार्जर और प्रत्येक चार्जर में 8 कारतूस थे, कुल - 56 और एक बण्डल में 30.06 के 83 कारतूस।
6. छाता-07

इस मुठभेड़ में श्री दाउद कीरो, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 70-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. शंकर महादेव बिदरी (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   उप महानिरीक्षक
2. के.के. विजय कुमार (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   रिजर्व उप निरीक्षक
3. कोन्जलट्टा रामानन्द (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस कांस्टेबल
4. जी.के. दिलीप कुमार (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   पुलिस कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

श्री शंकर महादेव बिदरी ने दिनांक 18.02.1993 से 20.06.96 तक पुलिस उप महानिरीक्षक और कुख्यात शिकारी, हाथी मारने वाले, चन्दन तस्कर और हत्यारे वीरप्पन एवं उसके गैंग के सदस्यों को पकड़ने के लिए विशेष रूप से गठित कार्य बल, एम एम हिल्स के कमाण्डर के रूप में कार्य किया। इस अवधि के दौरान, दिनांक 30 अक्तूबर 993 को जब वे अपने अभियान दल के साथ तमिलनाडु के इरोड जिले में स्थित उत्तरी बरगूर के जंगलों में कॉम्बिंग अभियान के लिए गए हुए थे, तब उन्हें यह सूचना मिली कि जंगल का डाकू वीरप्पन और उसके गैंग के सदस्य मोयार नदी के उत्तर की ओर गेज्जलहट्टी दर्रा के निकट इरोड जिले के साथ्यामंगला तालुक में साउथ तालामलाइ जंगल में छिपे हुए हैं। इस जानकारी की सूचना मिलने पर, वह तत्काल एम एम हिल्स स्थित अपने मुख्यालय लौट गए और एक अभियान दल का गठन किया जिसमें एक डी एस पी, 3 उपनिरीक्षक और कर्नाटक पुलिस के 32 अन्य रैंकों के कार्मिक और एक पी एस आई और सीमा सुरक्षा बल के 15 जवान शामिल थे और उन्हें इस सूचना के बारे में जानकारी दी। श्री बिदरी के नेतृत्व में इस अभियान दल ने दिनांक 30 अक्तूबर, 1993 को 2300 बजे रात में जीपों में एम एम हिल्स से निकल पड़े और जीपों के द्वारा जंगली रास्ते पर 150 किमी. की दूरी तय करने के बाद यह दल दिनांक 31.10.1993 को सुबह

0500 बजे गेज्जलहट्टी दर्रा पहुंच गया। अभियान दल के वाहनों को एक सुविधाजनक स्थान पर खड़ा कर दिया गया और उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में गार्ड तैनात कर दिए गए। दल के शेष सदस्यों के साथ श्री बिदरी ने पैदल गेज्जलहट्टी से साउथ तालामलाई के जंगलों में प्रवेश किया और उस गैंग के छिपने के स्थान की तलाश करने का प्रयास शुरू कर दिया। खड़ी पहाड़ी और घने जंगल तथा बहुत दुर्गम क्षेत्र वाले घने जंगल में लगभग 6 किमी. पैदल पूरी तय करने के बाद उन्हें आभास हुआ कि वह सम्भावित छिपाव-स्थल के करीब पहुंच गए हैं।

संदिग्ध छिपाव-स्थल से लगभग 2 किमी. की दूरी पर, उन्होंने अपने अभियान दल को 3 दलों में विभाजित कर दिया। पहले दल का नेतृत्व श्री जोगलेकर, आर पी आई ने बी एस एफ के 10 जवानों के साथ किया और उन्हें पश्चिम दिशा की ओर से कार्रवाई के पश्चात भागने वाले गैंग के सदस्यों को रोकने और गिरफ्तार करने के लिए कट-आफ ग्रुप के रूप तैनात किया गया। दूसरा दल जिसका का नेतृत्व श्री मोनप्पा, ए आर एस आई ने किया और उन्हें भी इसी तरह के कार्य के लिए पूर्व दिशा की ओर तैनात किया गया। तीसरा दल नेतृत्व श्री बिदरी ने किया और जिसमें डी एस पी मुदालैय्या, आर पी आई पाराशिवा, पी आई सौदागर, पी एस आई, बी एस एफ, भोजप्पा, ए आर एस आई विजय कुमार और 15 कांस्टेबल शामिल थे, छिपने के स्थान की ओर बढ़ा। छिपने के स्थान से लगभग 300 मीटर की दूरी पर उन्होंने अपने दल को 4 टुकड़ियों में विभाजित किया। श्री पाराशिवा के नेतृत्व में पहली टुकड़ी को संदिग्ध छिपाव स्थल से 300 मीटर की दूरी पर छिपाव स्थल के बायीं ओर घात लगाने के लिए तैनात किया गया, श्री भोजप्पा के नेतृत्व में दूसरी टुकड़ी को दायीं ओर घात लगाने के लिए तैनात किया गया, और श्री मुदालैय्या, डी एस पी के नेतृत्व में 2 कांस्टबलों वाली तीसरी टुकड़ी को मुखबिर का ध्यान रखने और चौथी टुकड़ी अर्थात हमला टुकड़ी जिसका नेतृत्व श्री बिदरी द्वारा किया जा रहा था, का अनुसरण करने के लिए तैनात किया गया। श्री बिदारी, पी आई सौदागर, ए आर एस आई विजय कुमार, एपीसी दिलीप कुमार और के. रामानन्द को साथ लेकर छिपाव-स्थल की ओर बढ़े। जब वे छिपाव-स्थल जो नाला के सामने टीले की चोटी पर था, से करीब 30 मीटर की दूरी पर थे, तभी वीरप्पन और उसके गैंग के सदस्यों को श्री बिदरी के नेतृत्व में चल रहे हमला टुकड़ी के पहुंचने की जानकारी हो गई और उन्होंने अचानक उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। हमला टुकड़ी ने तत्काल ओट लेकर जवाबी गोलीबारी की। श्री बिदरी के नेतृत्व वाली हमला टुकड़ी और उनके साथियों द्वारा की जा रही गोलीबारी का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि गैंग ऊंचाई पर था। दूसरी ओर, श्री बिदरी के नेतृत्व में हमला टुकड़ी द्वारा ओट ले लेने की वजह से वीरप्पन गैंग द्वारा की गई गोलीबारी से हमला टुकड़ी को नुकसान नहीं हुआ और गोलियां उनके सिर के ऊपर से निकल गई। उस क्षण, श्री बिदरी ने एपीसी दिलीप कुमार को गैंग की ओर एचई-36 हथगोला फेंकने का निदेश दिया। ग्रेनेड (हथगोला) के फटने के तुरन्त बाद, हमला टुकड़ी के सभी सदस्यों अर्थात श्री बिदरी, सौदागर, विजय कुमार, दिलीप और के. रामानन्द ने छिपाव स्थल की ओर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। यह गोलीबारी तब तक की जाती रही जब

तक कि गैंग द्वारा हमला टुकड़ी की ओर की जा रही गोलीबारी बन्द नहीं हो गई। गैंग की ओर से हमला टुकड़ी पर की जा रही गोलीबारी के बन्द होने के 5 मिनट बाद, हमला टुकडी सावधानीपर्वूक छिपाव स्थल की ओर बढ़ी। छिपाव-स्थल पर, उन्हें जैतून के रंग की हरी वर्दी और पुलिस की बेल्ट पहने तथा बगल में एस एल आर राइफल लिए ग्रेनेड और गोलियों से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा हुआ एक व्यक्ति मिला। उसने अपना नाम मूलाकर मणि उर्फ करंगलुर मणि उर्फ एन एस मणि बताया और यह बताया कि गैंग के अन्य सदस्य भाग गए है। कुछ मिनट बाद ही घटना स्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर निम्नलिखित आग्नेयास्त्र, गन-पाउडर, लेड-बॉल्स, पुलिस की वर्दियां इत्यादि मिली। जब्त की गईं बरामदगियाँ निम्नवत है:-

1. एक सेल्फ लोडिंग राइफल संख्यांक 15124270
2. 9 एस एल आर जिंदा राउंड सहित एक एस एल आर मैगजीन
3. दस .303 जिंदा राउंड और 3 चार्जर क्लिपों सहित एक .303 राइफल संख्यांक 33533
4. चार सिंगल बैरल वाली मजल लोडिंग बंदूकें
5. एक खाली 0.450 कारतूस
6. बारुद के साथ एक एल्यूमीनियम बोतल
7. लीड बॉल सहित एक छोटा सूती थैला
8. बारुद के साथ एक छोटा प्लास्टिक कवर
9. एस बी एम एल कैप सहित एक प्लास्टिक कवर
10. तीन लाल और नीले पुलिस शोल्डर बैज
11. पुलिस यूनीफार्म शोल्डर स्टार
12. एक तमिलनाडु पुलिस पीक कैप बैज
13. एक टूटा हुआ छोटा आइवरी टुकड़ा
14. 9 रुपये की राशि के सिक्के
15. जैतून की तीन हरी कमीजें
16. जैतून के दो हरे ट्राउज़र
17. पुलिस यूनीफार्म की सीटी का एक लाल फ़ीता
18. दो खाकी यूनीफॉर्म कमीज़ें
19. एक खाकी ट्राउज़र
20. महिलाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली चाँदी की एक पायजेब
21. कुछ बर्तन और खाद्यान्न

छिपाव –स्थल चारों ओर से पत्थर के बंकरों से सुरक्षित था। तैनात कट-आफ और घात टुकड़ी की मदद से छिपाव स्थल के आस-पास के सारे जंगल की लगभग 5 घण्टे तक तलाशी की गई। परन्तु गैंग का कोई भी सदस्य नहीं मिला। यह मुठभेड़ सुबह करीब 8.30 बजे हुई

थी। दिनांक 31.10.1993 को लगभग 3 बजे अपराह्न जंगल क्षेत्र में घनघोर बरसात शुरू हो गई। अभियान दल के लिए जंगल में सर्यास्त के बाद आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं होता। इसलिए श्री बिदारी, अपने अभियान दल के साथ जब्त किए गए आग्नेयास्त्र एव अन्य सामान तथा गैंगस्टर एन एस मणि के शव को घने जंगल, खड़ी पहाडियों एवं कठिन एवं गहरी जंगली क्षेत्र से होते हुए गेज्जलहट्टी दर्रे तक लाए। वहां से वे गेज्जलहट्टी से लगभग 25 किमी. दूर स्थित भवानी सागर पुलिस स्टेशन जीप से गए और गैंगस्टर एन.एस. मणि के शव और छिपाव स्थल से जब्त किए गए आग्नेयास्त्रों एवं अन्य सामान को उनके सुपुर्द किया और दिनांक 31.10.1993 को सायं 7.20 बजे इस घटना से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर भवानी सागर पुलिस स्टेशन में एक दाण्डिक मामला संख्या 262/93 दर्ज किया गया।

श्री बिदरी ने जीप द्वारा 150 किमी. से अधिक दूरी और दुर्गम एवं घने तथा अपरिचित जंगली क्षेत्र में 10 किमी. से अधिक पैदल दूरी तय करते हुए वीरप्पन और उसके गैंग द्वारा एस एल आर .303 और एस बी एम एल बन्दूकों से की जा रही गोलीबारी के सामने मौत का सामना करते हुए तथा हमला टुकड़ी की व्यक्तिगत रूप से अगुवाई करते हुए अपनी जान की परवाह न करके उच्च कोटि की संगठनात्मक एवं अभियान कौशल, नेतृत्व, साहस और अत्यधिक उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन किया। वह छिपाव स्थल पर सफल धावा बोलने और एक ऐसे गैंग के खूंखार और महत्वपूर्ण सदस्य को मारने मे कामयाब हुए जिस पर 10 लाख रूपए का नकद ईनाम था।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री शंकर महादेव बिदरी, उप महानिरीक्षक, के.के. विजय कुमार, रिजर्व उप निरीक्षक, कोन्जलट्टा रामानन्द, पुलिस कांस्टेबल और जी के दिलीप कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.10.1993 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 71-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एल. विक्रम सिंह,
सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19/11/2009 को करीब 3.20 बजे सुबह केइबी टाइगर कैम्प के क्षेत्र के आसपास घाटी के भूमिगत संगठन से संबंधित सशस्त्र काडरों के मौजूद होने के बारे में एक विश्वस्त जानकारी प्राप्त हुई। आसूचना संबंधी जानकारी के आधार पर, मेजर कौशलेन्द्र सिंह, ब्रेवो कम्पनी के नेतृत्व में इम्फाल ईस्ट कमाण्डो और 23 असम राइफल्स के कार्मिकों का एक संयुक्त दल समुचित योजना और मौके की ब्रीफिंग करने के पश्चात उस क्षेत्र की ओर झटपट रवाना हुआ।

योजनानुसार, असम राइफल्स के कार्मिकों ने टाइगर कैम्प के आबादी वाले क्षेत्र अर्थात पूर्वी और जबकि जमादार चौ. पुष्पेन्द्र कुमार के नेतृत्व में कमाण्डो ने सोनापाट नाम से मशहूर टाइगर कैम्प हिल रेन्ज के पश्चिम की ओर सी.आई.कार्रवाई आरम्भ की।

सामरिक तौर पर, कमाण्डो ने अपने वाहनों से उतरकर संदिग्ध क्षेत्र अर्थात केइबी हिल रेंज की ओर पहुंच गए। पहाड़ी की तलहटी वाले क्षेत्र में ऊबड़-खाबड़ जमीन पर धान के खेत, आबादी वाले क्षेत्र से अलग फैले हुए थे। ज्यों ही कमाण्डो परस्पर सामरिक दूरी बनाए रखते हुए पहाड़ी क्षेत्र की ओर जा रहे थे, उसी समय लगभग 9/10 की संख्या में सशस्त्र उग्रवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों से कमाण्डो पर गोलीबारी कर दी। कमाण्डो ने पहाड़ी की तलहटी में स्थित नाले के साथ अपनी पोजीशन लेकर जवाबी गोलीबारी की और अलग-अलग दिशाओं से पहाड़ी के ऊपर की ओर रैंगते हुए आगे बढ़ते रहे। जमादार पुष्पेन्द्र कुमार लगातार गोलियां बरसाते हुए उत्तर की तरफ से कमाण्डो के एक दल का आगे रहकर नेतृत्व करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके ठीक पीछे राइफलमैन आई. सुनील सिंह चल रहे थे। इसी बीच, सहायक उप निरीक्षक, एल. विक्रम सिंह भीषण मुठभेड़ करते हुए हिल रेंज के पश्चिम की तरफ से आगे बढ़ते रहे। पहाड़ी के ऊपर की तरफ करीब 50 मीटर तक चढ़ने के पश्चात, ए एस आई विक्रम ने एक युवक को देखा जो कमाण्डोज की ओर फायर करने का प्रयास कर रहा था। वह युवक अपने

बाकी साथियों से बिल्कुल अलग-थलग था। ए एस आई विक्रम ने रेडियो सेट के माध्यम से इस विरल स्थिति के बारे में जमादार पुष्पेन्द्र कुमार को अवगत कराया। इस प्रकार, कमाण्डोज ने विभिन्न दिशाओं से उक्त उग्रवादी की ओर नजदीज पहुंचने का सतत प्रयास किया । उग्रवादी के समक्ष जमादार पुष्पेन्द्र कुमार और राइफल मैन आई सिंह का सामना करने की मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई थी और वह कमाण्डोज के जोरदार हमले का सामना करने में अक्षम होकर पश्चिम की ओर से नीचे की ओर पीछे भागने लगा जहां ए एस आई विक्रम पोजीशन लिए हुए थे। इस प्रकार उग्रवादी को ए एस आई विक्रम का सामना करना पड़ा। ए एस आई विक्रम ने इस कठिन घड़ी में जबरदस्त धैर्य एवं नए जोश के साथ उग्रवादी का मुकाबला किया। इस आमने-सामने की अकेली लड़ाई में, ए एस आई विक्रम उस उग्रवादी को मार-गिराने में सफल हुए। बाकी उग्रवादी दक्षिण की ओर तितर-बितर होकर उस क्षेत्र की ओर गोली बारी करते रहे। जमादार पुष्पेन्द्र कुमार और राइफल मैन सुनील हथियारों से लैश उग्रवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ में जमकर भिड़ गए। बाकी उग्रवादी हिल रेंज के घने जंगलों का फायदा उठाकर वापस भाग गए। इस प्रकार इस मुठभेड़ में एक उग्रवादी मारा गया जिसकी पहचान बाद में पीपल्स रिवोलुशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक (प्रीपाक) के यू जी गुट के एक एस/एस सार्जेंट एनगैंरंगबम अमित उर्फ रोज उर्फ विक्की, उम्र (19) वर्ष पुत्र (स्व.) एन जी बीरबल सिंह, निवासी कियामगेई खोईराम लेइकेई ए/पी सागोलबन्द मेइनों लेईराक, इम्फाल के रूप में हुई। शव के पास से एक ए.के. 56 असाल्ट राइफल, जिसका नं. 84575 है, चेम्बर में एक जिन्दा राउण्ड और मैगजीन में 12 जिन्दा राउण्ड के साथ बरामद की गई। इसके अलावा, मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान ए के-राइफल की एक खाली मैगजीन, ए के-56 राइफल के 44 खाली खोखे, एस एल आर के 13 खाली खोखे, एम-79 का एक अत्यधिक विस्फोटक शेल, ए के.36 एच ई हथगोला (हैण्ड ग्रेनेड) बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में श्री एल. बिक्रम सिंह, सहायक उप निरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.11.2009 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 72-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. ए. गीतचन्द्र
   हवलदार,
2. एम. धनजीत सिंह
   हवलदार
3. एच. टिकेन्द्रजीत सिंह
   राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 12 जून, 2010 को अपराह्न 4.30 बजे, सुगनू पुलिस स्टेशन पर तैनात थाउबल जिले की कमाण्डो युनिट को एक विश्वस्त सूचना मिली कि प्रतिबंधित भूमिगत संगठन कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एम सी) के कुछ सशस्त्र काडरों ने वान्गू सदंगखोंग एल पी स्कूल जहां पर सड़क निर्माण हेतु मजदूर ठहरे हुए थे, से लशराम नाओबा सिंह नामक एक उप-ठेकेदार का अपहरण कर लिया है। उक्त विशिष्ट और विश्वस्त सूचना के प्राप्त होने पर थाउबल जिले के कमाण्डो की दो टीमें एक टीम 4 राइफल मैनों के साथ हवलदार एम. धनजीत सिंह के नेतृत्व में और दूसरी टीम 4 राइफलमैनों के साथ हवलदार ए. गीत चन्द्र के नेतृत्व में, उक्त गांव अर्थात वान्गू सदंगखोंग की ओर विद्रोह – रोधी कार्रवाई और उक्त उप-ठेकेदार को छुड़ाने के लिए तत्काल रवाना हुई।

वान्गू सदन्गखोंग गांव, सुग्नू पुलिस स्टेशन से लगभग 13 किमी (थाउबल जिला मुख्यालय से 50 किमी) बहुत दूर-दराज क्षेत्र में स्थित है और अपनी स्थलाकृतिक विशेषताओं की वजह से विद्रोहियों से आतंकित हैं। क्षेत्र की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हवलदार धनजीत और हवलदार गीतचन्द्र ने अपने जवानों को अत्यधिक सतर्कता बरतने के बारे में ब्रीफ दिया और इस तरीके से कार्रवाई योजना तैयार की ताकि उग्रवादी छिपकर गांव से बाहर न भाग जाएं।

इस प्रकार, करीब 5.30 बजे अपराह्न जब कमाण्डो दो वाहनों में वान्गू सदन्गखोंग गांव में प्रवेश कर रहे थे, तभी हवलदार धनजीत सिंह, जो पहले वाहन में थे, ने एक युवक को गांव से बाहर आते हुए देखा। उक्त व्यक्ति कमाण्डो को देखकर आशंकित और असहज दिखायी पड़ रहा था, और तेजी से चलने लगा। युवक की संदिग्ध चाल को देखकर, हवलदार धनजीत सिंह ने सत्यापन करने के लिए जोर से आवाज लगाकर उसे रूकने के लिए कहा। तथापि, युवक चेतावनी की ओर ध्यान दिए बगैर इम्फाल नदी के तट की ओर भागने लगा। दूसरे वाहन में चल रहे कमाण्डो को भी सतर्क कर दिया गया और दोनों पार्टियों ने भाग रहे युवक का तेजी से पीछा किया। जब कमाण्डो इम्फाल नदी की ओर जाने वाली गांव की एक संकरी उप-गली से युवक का पीछा कर रहे थे और उसके निकट पहुंचने वाले थे, तभी नदी के किनारे बांस के झुरमुटों के बीच से दो दिशाओं से कमाण्डो पर अचानक गोलियां चलायी गई।

कमाण्डो तत्काल नीचे कूद पड़े और जहां कहीं भी गली में पोजीशन ले सकते थे उन्होंने वहीं पोजीशन ले ली। कुछ देर के लिए तो वे हिल भी नहीं सके। फिर कमाण्डो समय गवांए बिना अलग-अलग दिशाओं में फैल गए और जवाबी गोलीबारी करने लगे और वहां पर सीधी मुठभेड़ शुरू हो गई। जब कमाण्डो ने तेजी के साथ कार्रवाई करनी आरम्भ की और उग्रवादियों के विरूद्ध हमला करते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने भी कमाण्डो के हमले का मुकाबला करने के लिए व्यूह रचना करनी आरम्भ कर दी। उग्रवादियों की संख्या लगभग 8 से 10 के आस-पास रही होगी।

हवलदार धनजीत सिंह ने सामने से उग्रवादियों के विरूद्ध जोरदार हमला बोल दिया। उन्हें बांस के झुरमुट के बीच से एक छोटा शस्त्र (पिस्टल) लिए हुए एक उग्रवादी बाहर आता हुआ और नदी तट के दक्षिण की ओर भागता हुआ दिखायी दिया। हवलदार धनजीत ने भाग रहे उस युवक का तेजी से पीछा किया जिसने उन पर 4/5 राउण्ड फायर भी किए। अपनी सुरक्षा और जान के जोखिम की परवाह न करते हुए, वह उस युवक का पीछा करते रहे और अन्ततः उसे मार-गिराया। उसी समय अन्य उग्रवादियों ने भी हवलदार धनजीत पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन संकटपूर्ण परिस्थिति में, हवलदार गीतचन्द्र सिंह और राइफलमैन टिकेन्द्रजीत सिंह भी हवलदार धनजीत सिंह की सहायता के लिए आगे बढ़े।

दूसरी ओर, हवलदार गीतचन्द्र और राइफलमैन टिकेन्द्रजीत सिंह उग्रवादियों का सफाया करने के लिए गोलीबारी करते हुए बांसों के झुरमुट में घुस गए, जहां उग्रवादी पीछे हटने के लिए इधर-उधर भागने लगे। जब लगभग 3-4 उग्रवादी बच निकलने के लिए निष्फल प्रयास करते हुए नदी तट की ओर भाग रहे थे, तभी उन्हें देख लिया गया। इस निर्णायक स्थिति में हवलदार गीतचन्द्र और टिकेन्द्रजीत सिंह ने भागते हुए उग्रवादियों का तेजी से पीछा किया और उन पर हमला कर दिया। इस हमले में कमाण्डो दूसरे उग्रवादी को मार गिराने में सफल हुए। इस प्रकार, उनकी गोलियों से घायल होने के कारण दो उग्रवादियों ने मुठभेड़ स्थल पर ही दम तोड़ दिया । शेष उग्रवादी अंधेरे और घनी झाड़ियों/बांस के झुरपमुटों का फायदा उठाकर बचकर भाग गए।

कुछ देर तक रुक-रुक कर गोलीबारी चलती रही। जब वहां सन्नाटा हो गया तो कमाण्डो ने पूरे क्षेत्र में तलाशी प्रारम्भ की और उन्हें नदी के किनारे बांस की झांड़ के पास एक व्यक्ति छिपा हुआ मिला जिसकी पहचान बाद में उक्त उप-ठेकेदार अर्थात लैशराम नाओबा सिंह पुत्र (स्व.) धीरेन सिंह निवासी काकवा लिलान्डो लाम्पाक, इम्फाल के रूप में हुई। इस प्रकार उसे उनके चुगुल से छुड़ा दिया गया।

मारे गए दोनों उग्रवादियों की पहचान बाद में (i) निन्थौजाम हेमन्त सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, पुत्र (स्व.) एन.थोम्बा सिंह, निवासी पांगलतबी माखा लेईकेई और (2) हुईद्रोम बिजेन सिंह उर्फ इनाओ, उम्र 25 वर्ष, पुत्र एच.इबोम्चा सिंह, निवासी क्वसीफाई मेयाई के रूप में हुई। ये दोनों भूमिगत संगठन कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पाटी (एम सी) के खूंखार काडर के रूप में सूचीबद्ध थे। उनमें से एक अर्थात एन.हेमन्त सिंह ने वर्ष 1996 में आत्मसमर्पण कर दिया था और राज्य सरकार की पुनर्वास योजना के तहत उसे मणिपुर पुलिस में भर्ती किया गया था। किन्तु दिनांक 30.12.2001 को उक्त व्यक्ति शस्त्र और गोलाबारूद (एक एस एल आर, तीन मैगजीनें, 7.62 गोलाबारूद के 30 राउण्ड और एक एच ई हथगोला के साथ पुलिस से फरार हो गया था और अपने मूल भूमिगत संगठन में शामिल हो गया था। पुलिस अभिलेखों से पता चलता है कि उक्त व्यक्ति जबरन वसूली, बमों को लगाने और विस्फोट करने इत्यादि जैसे अनेक जघन्य अपराधों में संलिप्त था। मारा गया हुईद्रोम बिजेन नामक दूसरा उग्रवादी वर्ष 1999 में पी एल ए में शामिल हुआ था और बाद में कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (एमसी) में शामिल हो गया था। इस प्रकार, वह भी अनेक जघन्य अपराधों में संलिप्त एक सूचीबद्ध खूंखार उग्रवादी था।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारूद बरामद गिए गए:-

(क) मारे गए एच. बिजेन के हाथ से एक .32 एम एम (7.65 के रूप में अंकित) कैलिबर पिस्टल बरामद हुआ जिसकी मैगजीन में .32 गोलाबारूद (7.65 के रूप में अंकित) के दो जिन्दा राउण्ड्स भरे थे (यू एस ए निर्मित एली ब्रांण्ड जिसका पंजीकरण संख्या ए-1477 है)।
(ख) मारे गए उग्रवादी एन. हेमन्त. के हाथ से एक 9 एम.एम. कैलिबर पिस्टल (देशी) बरामद हुआ जिसमें 9 एम. एम. गोलाबारूद के 2 जिन्दा राउण्ड भरे थे।
(ग) .32 गोलाबारूद के दो खाली खोखे (7.65 के रूप में अंकित), 9 एम एम गोलाबारूद के दो खाली खोखे, ए.के. राइफल गोलाबारूद के 15 खाली खोखे।
(घ) मारे गए निन्गथाऊजम हेमन्त की जेब से काले रंग का चमड़े का एक बटुआ, जिसमें निंगथाऊजम हेमन्त सिंह पुत्र एन. लोम्बा सिंह निवासी पनगलताबी के नाम का एक चुनाव पहचान पत्र और एक पैन कार्ड (संख्या बी सी एस पी एस 1475 जी) और एन.अचाउबा सिंह पुत्र एन शामू सिंह निवासी यान्गू सन्दन्गखोंग के नाम से एक ड्राइविंग लाइसेंन्स।

(ड.) दो नोकिया मोबाइल हैण्ड सेट, मारे गए एन हेमन्ता से, एक काले रंग का मोबाइल जिसका आई एम ई आई संख्या 352761/01/733849/3 है और मारे गए एच. बिजेन सिंह से दूसरा लाल रंग का मोबाइल जिसका आई एम ई आई संख्या 352260/01/840598/9 है।

इसका उल्लेख सुग्नू पुलिस स्टेशन में मामले की एफ आई आर संख्या 20(6) 2010 धारा 364-क/342/307/34 आई पी सी, 20 यू ए (पी) और 25(1-सी) शस्त्र अधिनियम में है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री ए. गीतचन्द्र, हवलदार, एम. धनजीत सिंह, हवलदार और एच. टिकेन्द्रजीत सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.06.2010 से दिया जाएगा।

(बरुण मित्रा)
संयुक्त सचिव

सं. 73-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का चौथा बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक का तीसरा बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01.	पी. संजय सिंह उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का चौथा बार)
02.	एम.सुधीर कुमार मेईतेई निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का तीसरा बार)
03.	जी. थैंगम्पाऊ उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
04.	गिंगाउथंग हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	मो. मजीबुर रहमान हवलदार	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
06.	मो. सलामद शाह राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
07.	थ. आनन्द कुमार सिंह राइफलमैन	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 01/09/2009 को घाटी में सक्रिय उग्रवादियों ने एन एच/50 पर चल रही बस पर टिडिडम रोड़ के साथ फाउगाकचाओ के पास हमला कर दिया और मौके पर ड्राइवर को मार दिया। दिन-दहाड़े ड्राइवर की हत्या जिला प्रशासन के साथ- साथ राज्य के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया। तत्काल, जिला पुलिस इस जघन्य अपराध में संलिप्त दोषियों को पकड़ने के लिए हरकत में आई ताकि जिला पुलिस में और जिला प्रशासन का इस मामले में ध्यान देने के प्रति लोगों का विश्वास कायम रहे।

जिला पुलिस विष्णुपुर के अथक प्रयास के फलस्वरूप, दिनांक 07/09/2009 को प्रातः 3.00 बजे एक विशेष और विश्वस्त सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित गुट कांगलेई याओल कन्ना लुप-मिलिटरी डिफेन्स फोर्स (के वाई के एल-एम डी एफ) के घाटी में सक्रिय लगभग 20 उग्रवादी कुछ वरिष्ठ काडरों जो उक्त ड्राइवर नामतः एन कसकेपम बसन्ता उर्फ एनगोन्गो (28) पुत्र एन.जी मणि सिंह निवासी नाम्बोल थांगटेक, विष्णुपुर की हत्या में संलिप्त थे, के नेतृत्व में कुम्बी पुलिस स्टेशन के दक्षिण-पश्चिम की ओर लगभग 10 किमी की दूरी पर स्थित आनन्दपुर हिल रेन्ज (निन्गथाऊखोंग कुनाऊ चिन्गया लेईकेई) में ठहरे हुए हैं। इस सूचना के प्राप्त होने पर विष्णुपुर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री के. जयन्त सिंह एम पी एस ने ओसी/सीडीओ-बीपीआर, श्री एम. सुधीर कुमार मेईतेई और अन्य अधिकारियों से गुप्त मंत्रणा की और एक सुनियोजित कार्रवाई योजना तैयार की तथा तदनुसार उचित बीक्रिग की। उस स्थान पर पहुंचने और विभिन्न दिशाओं से उग्रवादियों पर हमला करने के लिए चार टीमें बनायीं गई आवश्यकता पड़ने पर तत्काल अतिरिक्त बल मुहैया कराने के लिए 7वीं असम राइफल की एक टीम की भी मांग की गई।

तदनुसार, उप निरीक्षक पी.संजय सिंह, उप निरीक्षक जी. थैन्गमपाऊ, हवलदार गिन्गाउथंग, राइफलमैन मो. सलामद शाह, कांस्टेबल आनन्द कुमार सिंह और अन्य कार्मिकों को आनन्दपुर हिल रेंज पर हाओटाक बरास्ता बोंग्लुशी गांव होकर पैदल पहुंचना था जहां वे भूमिगत उग्रवादी ठहरे हुए थे। निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेईतेई, ओ सी /कमाण्डो विष्णुपुर जिनके साथ हवलदार मो. मुजीबुर रहमान और उसके साथी जवान थे, को वाथालम्बी बरास्ता शान्तीपुर होकर आनन्दपुर हिल रेंज पैदल पहुंचना था और सामरिक उत्तरी दिशा को कवर करना था और भूमिगत उग्रवादियों पर हमला करना था। निरीक्षक श्री चन्द्र कुमार सिंह 2 आई/सी कमाण्डो विष्णुपुर को अन्य शेष कमाण्डो और असम-राइफल्स के जवानों के साथ डोंगकोन के रास्ते एनगनुकोन से पैदल चलना था और पुलिस अधीक्षक, विष्णुपुर श्री के. जयन्त सिंह और उनकी टीम को वांगू साबल क्षेत्र से चलना था। अन्य 7वीं असम राइफल्स की टीम को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बल के रूप में सीधे कार्रवाई के लिए तैयार रहना था। यद्यपि, उस दिन भारी वर्षा हो रही थी, फिर भी सभी टीमों ने अपने गन्तव्य के लिए सुबह 9 बजे जिला मुख्यालय से प्रस्थान कर दिया।

जब उप निरीक्षक, पी. संजय सिंह, उप निरीक्षक जी, थैन्गम्पाऊ, हवलदार गिन्गाऊथंग, राइफलमैन मो. सलामद शाह कांस्टेबल थ. आनन्दकुमार सिंह और अन्य जवान करीब 11.45 बजे पूर्वाह्न आनन्दपुर हिल रेंज की तलहटी के पास पहुंचे, तो उन्हें उसके पास 3(तीन) खेती झोपड़ियां दिखाई पड़ी। भरपूर कोशिश के बावजूद भी उन्हें झोपड़ियों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दिया क्योंकि उस क्षेत्र में भारी वर्षा हो रही थी। ऐसी स्थिति में, उप निरीक्षक संजय सिंह और हवलदार जिन्गाउथंग सामरिक तरीके से और सावधानीपूर्वक पूर्वी तरफ से खेती झोपडियों की ओर बढे ताकि इन झोपड़ियों को बेहतर तरीके से घेरा जा सके। झोपड़ियों के भीतर छिपे उग्रवादियों ने अपने अत्याधुनिक हथियारों से उन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। सेकेण्ड से भी कम समय में कवर लेते हुए उन्होंने अपनी ए.के. 47 असाल्ट राइफलों से तत्काल जवाबी गोलीबारी की और पूर्वी तरफ से उन्हें घेर लिया। सहजतापूर्वक, उप निरीक्षक थैन्गमपाऊ राइफलमैन मो. सलामद शाह और कांस्टेबल थ. आनन्द कुमार सिंह ने भी कवर लेते हुए अपनी एके. 47 असाल्ट राइफलों से गोलियों की बौछार करते हुए जोरदार जवाबी गोलीबारी की और दक्षिण दिशा को कवर कर लिया। अब वे सभी नाजुक स्थिति में थे क्योंकि वे भूमिगत उग्रवादियों की मारक क्षमता के अति संवेदनशील रेंज में थे। उन्होंने अपना धैर्य खोये बगैर और अपनी सहज कर्तव्यनिष्ठा की भावना से उन भूमिगत उग्रवादियों के साथ भीषण गोलीबारी की और दो उग्रवादियों को मार गिराने में सफल हो गए। उग्रवादियों और कमाण्डो के बीच गोलियों की बौछार चलती रही। हालांकि उन उग्रवादियों की ओर से बहुत ज्यादा गोलियां चल रही थी जो अत्यंत सुरक्षित प्रकृति प्रदत्त खायी से घिरी पहाड़ी की चोटियों पर पोजीशन लिए हुए थे। वे आगे बढ़ रहे कमाडो पर मशीनगनों और लेथेड बमों से सभी तरफ से फायर कर रहे थे। इस नाजुक घड़ी में, निरीक्षक एम. सुधीर कुमार मेईतेई, ओसी/कमाण्डो विष्णुपुर और हवलदार मो. मुजीबुर रहमान अपने जवानों को पर्याप्त कवर-फायरिंग मुहैया कराने का निर्देश देकर इस प्रतिकूल स्थिति में उत्तरी दिशा से छिपते हुए पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए मोर्टार बमों की लगातार फायरिंग करके जवाबी कार्रवाई की और पहाड़ी की चोटी पर पोजीशन लिए हुए उग्रवादियों को गम्भीर नुकसान पहुंचाया । इस उचित समय का फायदा उठाकर, वे आगे बढ़े और तत्काल दूसरे उग्रवादी को मार गिराया। यह भीषण मुठभेड़ कुछ देर चलती रही और आगे बढ़ रहे कमाण्डो की ताकत को समझकर बाकी उग्रवादी पहाड़ी के आस पास के घने जंगलों में भाग गए।

दोनों ओर से गोलीबारी के बन्द होने के पश्चात, पुलिस अधीक्षक, विष्णुपुर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में सभी कमाण्डों कार्मिकों द्वारा आनन्दपुर हिल रेंज में और उसके आस-पास गहन और व्यापक तलाश की गई। तलाश पार्टी को पहाड़ी की चोटी पर झोपड़ियों की तरह के तीन कैम्प मिले किन्तु वहां कोई उग्रवादी नहीं मिला क्योंकि वे घने जंगलों से बचकर भागने में कामयाब हो गए थे । अलग-अलग जगहों पर अज्ञात सशस्त्र उग्रवादियों के तीन शव मिले और निम्नलिखित शस्त्र, गोला-बारूद, आपत्तिजनक दस्तावेज और सामारिक भण्डार भी बरामद किए गए:-

1. (एक) ए के-56 असाल्ट राइफल।
2. 1 (एक) मैगजीन।
3. ए के गोलाबारूद के 8(आठ) जिन्दा राउण्ड
4. ए के गोलाबारूद के 3 (तीन) खाली खोखे।
5. 1 (एक) नोकिया मोबाइल हैण्डसेट।
6. 1 (एक) एम- 16 राइफल।
7. 1 (एक) मैगजीन।
8. एम- 16 गोलाबारूद के 15 (पंद्रह) जिन्दा राउण्ड।
9. 1 (एक) 9 एम एम पिस्टल।
10. 1 (एक) मैगजीन।
11. .9 एम एम गोलाबारूद के (दो) जिन्दा राउण्ड।
12. चीन निर्मित 3 (तीन) हथगोले।
13. 1 (एक) जनरेटर सेल।
14. 1 (एक) वायरलेस आई-काम हैण्डसेट।
15. के वाई के एल (एम डी एफ) की 1 (एक) रसीद बुक।
16. खाबा मंगाग, वित्त सचिव, के वाई के एल (एम डी एफ) द्वारा हस्ताक्षर किए हुए के वाई के एल (एम डी एफ) के 7 (सात) मांग पत्र।
17. 10 (दस) कम्बल।
18. 3 (तीन) तारपोलीन और
19. 1 (एक) छद्मावरण टी शर्ट।

भाग गए उग्रवादियों को और क्षति पहुंचाने के लिए, झोपड़ीनुमा तीनों कैम्पों को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। मृतक उग्रवादियों की पहचान बाद में, उस क्षेत्र में सक्रिय प्रतिबंधित संगठन कांग्लोई यायोल कन्ना लुप, मिलिटरी डिफेन्स फोर्स (के वाई के एल) (एमडीएफ) के खूंखार सशस्त्र काड़रों के रूप में हुई। तथापि, मारे गए काडरों के केवल दो शवों नामतः थिन्गम लुखोई मेईतेई उर्फ आयोक्या (21) पुत्र थ. अंगो मेईतेई, निवासी काकचिंग खुनाऊ, उमाथेल अवांग लेईकेई पो.आ. काकचिंग थाऊबल (2) फुरेलटपाम अजित कुमार शर्मा उर्फ सरूम्बा (16) पुत्र फ. तोम्बा शर्मा निवासी चिंगडांग लेईकेई, जोयपुर खुनाऊ, विष्णुपुर का ही उनके रिश्तेदारों द्वारा दावा किया गया और तीसरे उग्रवादी का सभी विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद म्युनिसिपल काउंसिल द्वारा अज्ञात शव के रूप में संस्कार कर दिया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी. संजय सिंह, उप निरीक्षक, एम. सुधीर कुमार मेइतेई, निरीक्षक, जी. थैंगम्पाऊ, उप निरीक्षक, गिंगाउथंग, हवलदार, मो. माजीबुर रहमान, हवलदार, मो. सलामद शाह, राइफलमैन और थ. आनन्दकुमार सिंह राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का चौथा बार/पुलिस पदक का तीसरा बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.09.2009 दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 74-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हुईद्रोम सुकुमार सिंह,
   उप निरीक्षक
2. पी. मणिरतन सिंह
   सहायक उप निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 03 मई, 2009 को करीब 9.00 बजे रात में 39 असम राइफल्स से एक विश्वसनीय सूचना मिली कि प्रतिबंधित विधिविरूद्ध संगठन (पी आर ई पी ए के) के काडरों के कुछ संदिग्ध गुट आम जनता से जबरन वसूली, अपहरण, फिरौती जैसी अपनी प्रतिकूल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए कामलेंग गांव के सार्वजनिक क्षेत्र में घूम रहे हैं और मौका पाने पर सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला करने की योजना बना रहे है। इस आसूचना जानकारी के आधार पर, ओ/पी,सी डी ओ, इम्फाल-पश्चिम की कमान में कमाण्डो की एक संयुक्त टीम और 39 असम राइफल की एक टीम उक्त क्षेत्र की ओर झटपट रवाना हुई।

जब यह टीम खोंगामपट गांव की ओर जाने वाली सड़क पर कामेंग गांव की ओर गश्त लगा रही थी, तभी उस टीम को जंगल की ओर सड़क की पूर्वी-दिशा में 6/7 युवकों की संदिग्ध गतिविधि नजर आयी। अचानक, सुरक्षा बल ने सत्यापन हेतु युवकों को रूकने की आवाज लगाई, परन्तु रूकने के बजाय उन्होंने तत्काल सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी कर दी और एक हथगोला भी फेंका और गोलीबारी करते रहे। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए, सुरक्षा बलों के जवान वाहनों से कूद गए और जवाबी गोलीबारी करने लगे। कड़े प्रतिरोध और सटीक गोलीबारी को देखकर, युवकों ने लान्गोल रिजर्व फारेस्ट की ओर भागना शुरू कर दिया। उनको घने जंगली क्षेत्रों में घुसने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने 2 इंच मोर्टर से दो राउण्ड फायर किए और हैंड ग्रेनेड फेंके।

जब उप निरीक्षक एच. सुकुमार सिंह, उप निरीक्षक टी.खोमेन जेम, वाई. राजू सिंह और सहायक उप निरीक्षक पी.मणिरतन सिंह 39, असम राइफल्स की टीम के साथ सड़क के पूर्वोत्तर तरफ से गोलीबारी वाले क्षेत्र की ओर बढ़े, तभी उप निरीक्षक एच.सुकुमार सिंह और सहायक उप निरीक्षक पी. मणिरतन सिंह धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां युवक सुरक्षा के लिए भाग रहा था। उप निरीक्षक एच. सुकुमार सिंह और सहायक उप निरीक्षक मणिरतन सिंह साथ-साथ चले और कमाण्डो की पोजीशन को देखकर, उस युवक ने सुरक्षा बल पर गोली चला दी और उप निरीक्षक सुकुमार सिंह एक युवक को मार गिराने में कामयाब रहे जबकि सहायक उप निरीक्षक पी मणिरतन सिंह ने बल की ओर भाग रहे दूसरे युवक का पीछा किया और उसे भी तुरन्त मार गिराया। गोलीबारी लगभग 10.20 बजे रात में शुरू हुई थी और 10 मिनट तक चली। शेष अज्ञात युवक अंधेरे और घने जंगली क्षेत्र का फायदा उठाकर बचकर भाग गए।

मुठभेड़ के बाद, क्षेत्र की पूरी तलाशी करायी गई और पहाड़ी के पास सड़क के पूरब की तरफ गोली से घायल एक युवक मृत पाया गया और शव के पास पिन रहित चीन निर्मित हैण्ड ग्रेनेड मिला। पहले शव के दक्षिण पूरब की ओर 10-12 फीट की दूरी पर दूसरा शव भी मिला और 10 जिन्दा कारतूसों से भरी मैगजीन के साथ एक स्टेनगन कारबाइन बरामद की गई।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित सामान बरामद हुए थे:-

(क) एक स्टेन. कारबाइन, 10 जिन्दा राउण्डस से भरी मैगजीन के साथ चेम्बर में एक मिस्ड फायर राउण्ड।
(ख) पिन रहित चीन निर्मित एक हथगोला।
(ग) 9 एम एम गोलाबारूद के 5 खाली खोखे।
(घ) 7.62 ए के गोलाबारूद के चार खाली खोखे।

बाद में अज्ञात युवकों की पहचान (1) मायेन्गम बिजॉय सिंह, (34) पुत्र एन बीरेन सिंह निवासी युम्माम लेईकेई, नागा क्राबा लेईराक, (2) गुरूम्यूम बिशे शर्मा (32) पुत्र (स्व.) जी शामू शर्मा निवासी भेइग्याबाटी लेईकेई मांगिल के रूप में हुई और ये सभी पी आर ई पी ए के दुर्दान्त सदस्य थे।

इसका उल्लेख लामसंग पुलिस स्टेशन में धारा 307/341, भा.दं. सं., 25(1-सी) आयुध अधिनियम, 20 यू ए (पी) ए एक्ट और 5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामले की एफआई आर सं. 21 (5)/09 में है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री हुईद्रोम सुकुमार सिह, उप निरीक्षक और पी. मणिरतन सिंह सहायक उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 03.05.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 75-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जोगेश चन्द्र हाओबिजम, अपर पुलिस अधीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक)
2. एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह, निरीक्षक — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3. एम. धनजीत सिंह, हवलदार — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4. एच. टिकेन्द्रजीत सिंह, राइफलमेन — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 17.08.2010 को करीब 5.30 बजे सायं पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक (पीआर ई पी ए के) नामक घाटी में सक्रिय भूमिगत संगठन के सशस्त्र काडरों के ग्राम 'सरीक कोंजि' और 'लैराऊ' के सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद होने के संबंध में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर, श्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम, अपर पुलिस अधीक्षक, (ओ पी एस) और निरीक्षक श्री एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह, प्रभारी अधिकारी, कमाण्डो यूनिट थाउबाल जिला पुलिस के नेतृत्व में थाउबाल जिला कमाण्डो की एक टीम बनायी गई और उक्त क्षेत्र के लिए तत्काल रवाना हुई।

संदिग्ध छिपने का स्थान दूर-दराज के क्षेत्र में स्थित होने और वहां से विद्रोह की गतिविधियों को अंजाम देने की वजह से श्री जागेशचन्द्र हाओबिजम और निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह ने वहाँ की विद्यमान स्थलाकृति के अनुसार विद्रोह रोधी कार्रवाई की समुचित योजना बनायी और कार्रवाई के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए कमाण्डो कार्मिकों को उचित रूप से ब्रीफ किया।

करीब 6.30 बजे सायं बिल्कुल अंधेरे में, जब कमाण्डो तीन वाहनों में काकचिंग खुनाऊ और इथाई गांव की अन्तर ग्रामीण सड़कों से होते हुए सारिक कोंजिन गांव की ओर जा रहे थे और लैराऊ मुनुसोई पहाड़ी के पास एक सड़क के जंक्शन पर पहुंचे, तो उन पर अलग-अलग दिशाओं से उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जो समीपवर्ती पहाड़ी की घनी झाड़ियों और पेड़ों के पीछे अपनी पोजीशन लिए हुए थे। चूंकि कमाण्डो पर विभिन्न दिशाओं से अत्याधुनिक हथियारों से घात लगाकर हमला किया जा रहा था, इसलिए वे तत्काल कोई कार्रवाई नहीं कर सके तथापि, वे अपने-अपने वाहनों से कूद पड़े।

कमाण्डो को अपने शारीरिक कवरेज के लिए कोई ठोस चीज/आवरण न दिखाई देने के कारण, वे तुरन्त दलदल वाली झील की ओर भागे जहां से उन्होंने उग्रवादियों पर जवाबी गोलीबारी करनी शुरू की। हवलदार एम. धनजीत सिंह और राइफलमैन एच. टिकेन्द्रजीत सिंह जो तीसरे (अन्तिम) वाहन वाले कमाण्डो में थे, ने रेंगते हुए आगे बढ़ने में सफल हुए क्योंकि पहले दोनों वाहनों वाले अधिकारी और जवान भीषण हमले की चपेट में फंसे हुए थे।

श्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम ने धैर्य पूर्वक अपने सभी जवानों को फिर से संगठित किया, सुग्राही बनाया और उनमें जोश भरा जो अचानक हमले की वजह से क्षण भर के लिए दुविधा की स्थिति में आ गए थे। यह अधिकारी पहाड़ी की उस तलहटी की ओर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए आगे बढ़े जहां से कमाण्डो पर लगातार गोलियों की बौछार हो रही थी। निरीक्षक श्री एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह भी रेंगते हुए आगे बढ़कर टीम के साथ हो गए। हवलदार एम. धनजीत सिंह और राइफलमैन एच. टिकेन्द्र जीत सिंह, पहाड़ी की तलहटी क्षेत्र के पश्चिम की ओर 2/3 उग्रवादियों के एक पृथक गुट का पीछा करने की कोशिश करने लगे। तथापि, वे असहाय हो गए क्योंकि वे स्वचालित हथियारों से उग्रवादियों द्वारा दोनों ओर से की जा रही लगातार गोलीबारी से घिर गए थे। इस नाजुक स्थिति में, श्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम और निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह उस स्थान की ओर दौड़े और इस प्रकार कमाण्डो की उग्रवादियों से सीधी टक्कर शुरू हो गई। श्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम और निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता और कवरिंग फायर का फायदा उठकार, हवलदार एम. धनजीत सिंह और राइफलमैन एच. टिकेन्द्रजीत सिंह जोरदार गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ते रहे और उग्रवादियों पर हमला बोल दिया। अन्ततः वे दोनों ए के.56 राइफल लिए हुए एक उग्रवादी को मार गिराने में सफल हुए। गोली से घायल होने के बावजूद, उग्रवादी लुढ़ककर नीचे चला गया और एक झाड़ी के पीछे शारीरिक कवरेज लेकर कुछ देर गोलीबारी करता रहा। श्री जोगेश चन्द्र हाओबिजम ने अचानक उक्त उग्रवादी की पोजीशन को देख लिया। तब अधिकारी तुरंत उस स्थान पर गए और अपनी ए के-47 राइफल से उग्रवादी पर गोली चला दी। तत्पश्चात, उनकी गोली लगने से घायल होने की वजह से उग्रवादी की मौत हो गई।

दूसरी ओर, निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह जब उग्रवादियों से लोहा ले रहे थे, तभी दूसरे उग्रवादी से उनका सामना हो गया। निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए इतनी फुर्ती और वीरता से कार्रवाई की कि उग्रवादी का आगे बढ़ पाना मुश्किल हो गया। इसी बीच निरीक्षक एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह पर अन्य दिशाओं से भी गोलीबारी की गई।

तथापि, अपने चारों ओर की मुश्किलों से बिचलित हुए बगैर निरीक्षक श्री एस. एच. चन्द्र कुमार सिंह फुर्ती से आगे बढ़े और उग्रवादी पर गोली चला दी जो उनकी गोली लगने से घायल होने की वजह से मौके पर ही ढ़ेर हो गया। इस प्रकार, मुठभेड़ में गोली लगने की वजह से घायल निम्नलिखित दो उग्रवादी मारे गए:-

(क) सोरो खैबाम खेलेन सिंह पुत्र एस. निपामचा सिंह (35 वर्ष) निवासी खुदेक्पी जो ए के-56 राइफल से लैश था।

(ख) मोईरंगथेम तोम्बी सिंह (60 वर्ष) पुत्र (स्व.) एम. निंगथोरेन सिंह निवासी लैरॉक, जो 9 एम एम पिस्टल से लैश था।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र एवं गोला-बारूद बरामद किए गए:-

(क) एस. खेलेन सिंह नामक मारे गए उग्रवादी से एक ए के. 56 राइफल जिसकी मैगजीन में 9 जिन्दा राउण्ड भरे थे।

(ख) एम. तोम्बी सिंह नामक मारे गए उग्रवादी से चीन निर्मित एक 9 एम एम पिस्टल, मॉडल-213 नेरिन्सियों, बॉडी न. 403366, जिसकी मैगजीन में 9 एम एम गोला बारूद के दो जिन्दा राउण्ड भरे थे।

(ग) मारे गए भूमिगत उग्रवादियों के निकट से डेटोनेटर के साथ चीन निर्मित दो हैड ग्रेनेड।

इसके अतिरिक्त, तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से गोलाबारूद के 3 (तीन) खाली खोखे बरामद हुए।

श्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम, अपर पुलिस अधीक्षक (ओ पी एस) की कमान में कमाण्डो कार्मिक दो उग्रवादियों को मार गिराने के बाद भी उन शेष उग्रवादियों का पीछा करते हुए दबिश की कार्रवाई करते रहे जो क्षेत्र में अंधेरा होने पर भी लैराऊ मुनुसोई हिल नामक पहाड़ी श्रंखला के ऊपर की ओर भाग रहे थे। तथापि वे उग्रवादी पहाड़ी क्षेत्र और अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर निकल गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जोगेशचन्द्र हाओबिजम, अपर पुलिस अधीक्षक, एस. एच. चन्द्रकुमार सिंह, निरीक्षक, एम. धनजीत सिंह, हवलदार और एच. टिकेन्द्रजीत सिंह राइफलमेन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.08.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 76-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक/वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1.	डॉ. प्रीतिन्दर सिंह पुलिस अधीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
2.	श्री विजयमल सिंह यादव निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
03.	श्री अखिलेश कुमार सिंह उप निरीक्षक	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 19/11/2009 को डॉ. प्रीतिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र को गांव कनाछ, पुलिस स्टेशन चोपन के जंगल में खतरनाक हथियारों के साथ नक्सलियों के गैंग की मौजूदगी के बारे में सूचना प्राप्त हुई। डॉ. प्रीतिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र पुलिस बल के साथ कनाछ गांव पहुंच गए। पुलिस बल को कार्रवाई की योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दने के पश्चात, पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र ने पूरे बल को दो दलों में विभाजित किया। डॉ. प्रीतिन्दर के नेतृत्व में पहली टीम निरीक्षक विजयमल के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ी और उप निरीक्षक अखिलेश के नेतृत्व में दूसरी टीम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ी। ज्यों ही ये टीमें जंगल की ओर बढ़ी, डॉ. प्रतिन्दर सिंह ने अचानक 10-12 नक्सलियों को घूमते हुए देखा। उन्होंने पुलिस पार्टी को उचित पोजीशन लेने के लिए कहा। उन्होंने स्वयं नक्सलियों को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। आत्म समर्पण करने के बजाय नक्सलियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एक गोली डॉ. प्रीतिन्दर सिंह और विजयमल की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी और बाद में अखिलेश की बुलेट प्रूफ जैकेट- में भी एक गोली लगी। बार बार दी जा रही

चेतावनी का जब उन पर कोई असर नहीं पड़ा तो पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षा में नक्सलियों पर जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी।

नक्सलियों ने जान से मारने के इरादे से भारी गोलीबारी शुरू कर दी । डॉ. प्रीतिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक विजयमल, उप निरीक्षक अखिलेश ने झाड़ियों में, चट्टानों पर रेंगने के कारण आई चोटों के बावजूद अनुकरणीय साहस और अतुलनीय वीरता का प्रदर्शन किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए नक्सलियों की ओर आगे बढ़े। जब गोलीबारी रूक गई तब पुलिस पार्टियां सावधानी के साथ आगे बढ़ी और एक नक्सली का शव पहाड़ की तलहटी में पड़ा देखा जिसकी पहचान सब जोनल कमाण्डर सी पी आई (माओवादी) कमलेश चौधरी के रूप में हुई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,00,000 रूपए और बिहार सरकार ने 50,000/-रूपए का नकद ईनाम घोषित कर रखा था।

कार्रवाई स्थल से निम्नलिखित हथियार और गोला बारूद बरामद हुए:-

1. एक.303 बोर राइफल, 31 जिन्दा कारतूस और 1 खाली खोखा
2. एक एस एस बी बन्दूक 12 बोर फैक्ट्री निर्मित, 13 जिन्दा कारतूस और 09 खाली खोखे।
3. एक देशी .32 बोर रिवाल्वर, 3 जिन्दा कारतूस और 03 खाली खोखे
4. ए के.47 राइफल के 16 खाली खोखे, एस एल आर राइफल के 10 खाली खोखे और 315 बोर के 04 खोखे।

इस मुठभेड़ में डॉ. प्रीतिन्दर सिंह, पुलिस अधीक्षक, श्री विजयमल सिंह यादव, निरीक्षक और श्री अखिलेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक/पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09/11/2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 77-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री रवि लोचन मित्रा

निरीक्षक (मरणोपरान्त)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 24/02/2010 को 22.15 बजे श्री रवि लोचन मित्रा, प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन, बांकुरा जिला को टेलीफोन पर एक विश्वसनीय सूचना मिली कि सिद्धू सोरेन और सशाधर महतो के नेतृत्व में 40/50 माओवादी दस्ते के सदस्य ग्राम सोनारडांगा, पुलिस स्टेशन सरेन्गा, जिला बांकुरा में सी पी आई (एम) पार्टी के एक नेता श्री ताराशंकर पात्र के घर के निकट श्री ताराशंकर पात्र और इसके बाद कुलडीह के श्री रमेश दुबे और गोबिन्दपुर के श्री राजेश राणादिवे, दोनों सरेन्गा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आते है, का अपहरण और हत्या करने के लिए एकत्रित हुए हैं।

श्री रबि लोचन मित्रा ने उपर्युक्त व्यक्तियों की जान बचाने के लिए उक्त जानकारी के आधार पर कार्य योजना तैयार करने का निर्णय किया। उन्होंने पुलिस स्टेशन के अधिकारियों एवं पुलिस बल को तैयार होने और इस कार्रवाई में उनके साथ चलने का निदेश दिया। करीब 22.40 बजे पुलिस बल के साथ श्री ताराशंकर पात्र के घर के निकट पहुंचने पर प्रभारी अधिकारी सरेन्गा पुलिस स्टेशन ने पाया कि कुछ माओवादी विद्रोहियों ने उक्त घर को घेर रखा है और कुछ लोग श्री ताराशंकर पात्र को उनके घर से जबरदस्ती घसीट कर बाहर ला रहे हैं और उनके सिर पर एक छोटे हथियार से निशाना लगाए हुए हैं। श्री पात्र के दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे। यह देखकर, प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन ने माओवादी विद्रोहियों को ललकारा। तत्काल उनमें से एक माओवादी ने श्री पात्र के शरीर के निचले हिस्से को निशाना बनाते हुए गोली चला दी। इसके साथ-साथ अन्य माओवादी कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्मिकों को निशाना बनाकर अपनी स्वचलित/अर्ध स्व-चलित और अन्य आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री पात्र की जान बचाने और अन्य पुलिस कार्मिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन ने अपनी 9 एम एम सर्विस पिस्टल से दो (02) राउण्ड फायर किए और श्री संजीब देबनाथ असीश बिसाई, हिमांग्सू पाल और अमित बाल को गोली चलाने का निदेश दिया। आदेशानुसार उन सभी ने अपने आग्नेयास्त्रों से 5-5 राउण्ड फायर किए। गोलियों की आवाज सुनकर श्री ताराशंकर पात्र, जो घायल थे और जिनके शरीर से खून बह रहा था, को छोड़कर बागी माओवादी मकान से बाहर आ गए और अपने आग्नेयास्त्रों से लगातार गोलीबारी करते हुए पुलिस पर हमला कर दिया। प्रभारी सरेन्गा पुलिस स्टेशन की बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसी नेतृत्व में

निर्भीक पुलिस बल ने माओवादी विद्रोहियों को पकड़ने के लिए उन पर चारों ओर से हमला कर दिया। गोविन्दपुर मोड़ पहुंचकर श्री आर एल मित्रा, प्रभारी सरेन्गा पुलिस स्टेशन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और जान की परवाह न करते हुए और अन्य पुलिस कार्मिकों की जान को बचाने के लिए अपनी 9 एम एम सर्विस पिस्टल से फायर करते हुए उनके साथ विद्रोही माओवादियों की ओर बढ़े। एक छोटी मुठभेड़ के बाद माओवादियों की ओर से गोलीबारी रूक गई। पुलिस पार्टी ने माओवादियों की गतिविधि को देखने की कोशिश की। उस समय ताराशंकर पात्र के घर के आस-पास तलाशी की गई। उन्हें उनके मकान में बाएं पैर में बन्दूक की गोली से घायल पाया गया। एक माओवादी विद्रोही जिसने अपना परिचय ग्राम सलुका, पुलिस स्टेशन सरेन्गा के जगन्नाथ दुले पुत्र जयदेव के रूप में दिया, भी बन्दूक की गोली से घायल मिला। उसके बगल में एक राउण्ड जिन्दा गोलाबारूद से भरी एक कामचलाऊ पाइप गन मिली। पूर्णत: तलाशी करने पर उसके ट्राउजर की जेब से दो और जिन्दा गोलाबारूद बरामद किए गए।

उस समय श्री संजीब देवनाथ, जो श्री आर.एल. मित्रा, प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन के साथ थे, ने पाया कि माओवादियों गैंग का वीरतापूर्वक पीछा करने और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते समय श्री मित्रा की बांयी छाती में गोली लगी है और वे अचेत अवस्था में पड़े हैं। एक अन्य माओवादी विद्रोही जिसने अपना परिचय ग्राम सलुका, पुलिस स्टेशन सरेंगा के मित्तन दुले पुत्र महादेव दुले के रूप में दिया, भी दाहिने कन्धे में बन्दूक की गोली से घायल अवस्था में पाया गया। श्री आर-एल-मित्रा, प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन, ताराशंकर पात्र और दो (02) माओवादी विद्रोहियों को उपचार हेतु तत्काल "सरेन्गा खिस्तीय सेवा निकेतन" पहुंचाया गया जहां श्री रबिलोचन मित्रा, प्रभारी, सरेन्गा पुलिस स्टेशन को मृत घोषित कर दिया गया। एक माओवादी विद्रोही जगन्नाथ दुले को भी मृत घोषित कर दिया गया। घायल ताराशंकर पात्र और मित्तल दुले को बाद में बेहतर चिकित्सा हेतु बांकुरा सम्मिलानी मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल भेज दिया गया। रात के अंधेरे में माओवादी दस्ते के सदस्यों के साथ मुठभेड़ के दौरान श्री रवि लोचन मित्रा प्रभारी सरेन्गा पुलिस स्टेशन ने आतंकवादियों के हमले का अत्यधिक साहस के साथ सामने से मुकाबला किया। गम्भीर खतरों और जान के जोखिम की विवश स्थिति के बावजूद उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने नेतृत्व के अधीन कार्यरत अधिकारियों एवं जवानों की रक्षा, सुरक्षा और जान का पूरा ध्यान रखा और सावधानी बरती। उनके अनुकरणीय नेतृत्व और साहस की वजह से पुलिस बल, ताराशंकर पात्र की जान बचाने में सफल हुआ। उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई से ही एक खूंखार विद्रोही जगन्नाथ दुले को मारा जा सका और मित्तल दुले नामक दूसरा माओवादी घायल हुआ।

तलाशी के दौरान निम्नलिखित शस्त्र एवं गोलाबारूद बरामद किए गए:-

1. ट्रिगर फायरिंग पिन वाली कामचलाऊ पाइपगन-01
2. जिन्दा गोलाबारूद
3. चालू हालत में ब्लैक रंग का कार्बन मोबाइल सेट-01

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री रवि लोचन मित्रा, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 24.02.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 78-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, असम राइफल्स पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री थोन्गम बिशोरजीत सिंह,
राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11 जून, 2008 एक विशिष्ट आसूचना प्राप्त होने पर मेजर आर डी व्यास द्वारा बटालियन स्पेशल आपरेशन टीम और उरूप आर एम 4579 में इम्फाल ईस्ट पुलिस कमाण्डो के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई आरम्भ की गई। ये टीमें गांव वाली पहाड़ी पर घात लगाकर बैठ गई। करीब 1800 बजे, हथियारों से लैश 5-6 उग्रवादी सीधे घात क्षेत्र की ओर आते हुए दिखे। जब उग्रवादी मारक रेंज में आ गए, तो टीम ने ठीक निशाने पर गोलियों की बौछार कर दी और एक भीषण गोलीबारी की जंग छिड़ गई।

राइफलमैन बिशोरजीत सिंह के साथ टीम गोलीबारी करते हुए; पहाड़ी की ओर फुर्ती से आगे बढ़ी और एक उग्रवादी पर हमला किया और उसे मार गिराया। बाद में 2100 बजे एक और उग्रवादी मारा गया।

अन्य उग्रवादियों को बचकर भागने से रोकने के लिए क्षेत्र की घेराबन्दी की गई। मेजर आर.डी.व्यास राइफलमैन बिशोरजीत के साथ एक नाले में घात लगाकर बैठ गए। दिनांक 12 जून, 2008 को प्रात: 0300 बजे, दो उग्रवादी घात क्षेत्र की ओर आते हुए दिखायी दिए और जब उन्हें ललकारा गया तो उन्होंने घात पर गोलीबारी करके बचकर भागने का प्रयास किया, किन्तु बिशोरजीत ने तत्काल जवाबी गोली चलायी और वह गोली एक उग्रवादी के पैर में लगी। घायल उग्रवादी ने एक पत्थर के पीछे अपनी पोजीशन ली और बहादुर सिपाही पर गोली बारी करने लगा और एक ग्रेनेड फेंका। गम्भीर खतरा होने के बावजूद और आश्चर्यजनक तरीके से

निश्चित मौत से बचते हुए राइफलमैन बिशोरजीत सिंह उग्रवादियों का ध्यान बंटाते हुए बिल्कुल सामने आ गए और सटीक कवरिंग फायर देने लगे। इससे मेजर व्यास को दबाव से राहत मिली और वह उठ खड़े हुए और उग्रवादी पर प्रहार किया और उसे मार गिराया। बाद में, बिशोरजीत ने एक और उग्रवादी को मारने में सहायता की।

जीवन को अत्यधिक खतरे और गम्भीर जोखिम में डालते हुए, अपनी दृढ़ता और सूझबूझपूर्ण कार्रवाई के द्वारा उन्होंने प्रभावकारी कवरिंग फायर मुहैया करायी और इस प्रकार उग्रवादियों का सफाया करने में सहायता की और इस प्रकार निर्भीक इरादे और सराहनीय बहादुरी का प्रदर्शन किया।

इस वीरतापूर्ण कार्रवाई के स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गई:-

(क) मारे गए उग्रवादी -04
(ख) मैगजीन के साथ जी-2 राइफल-1
(ग) मैगजीन सहित .315 राइफल-01
(घ) मैगजीन के साथ .303 राइफल-01
(ङ) मैगजीन के साथ 9 एम एम पिस्टल-01
(च) लेथोड़ बम-02
(छ) जी-2 राइफल के जिन्दा राउण्ड-13
(ज) .315 के जिन्दा राउण्ड-05
(झ) .303 के जिन्दा राउण्ड-05
(ञ) 9 एम एम के जिन्दा राउण्ड-03

इस मुठभेड़ में श्री थोन्गम बिशोरजीत सिंह, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.06.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 79-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, असम राइफल्स के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री मोहम्मद सईद

राइफलमैन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

राइफलमैन सामान्य ड्यूटी मोहम्मद सईद अनेक सफल कार्रवाई अभियानों के अंग रहे हैं। दिनांक 11 फरवरी, 2009 को "ओपी पेची" में अग्रणी क्विक रिएक्शन टीम के एक अंग के रूप में उन्होंने एक खूंखार आतंकवादी का सफाया करने में सहायता की।

दिनांक 30 अप्रैल, 2009 को 0600 बजे सुबह 34 असम राइफल्स और थाउबाल कमाण्डो की संयुक्त टीमों ने न्यू टोलेन के जनरल क्षेत्र में तलाशी और आतंकवादियों के सफाया करने का अभियान शुरू किया। मेजर नीरज रावत के अधीन चल रही टीम 3-4 सशस्त्र आतंकवादियों की आवाजाही के संबंध में सूचना मिलने पर न्यू टोलेन की ओर तत्काल रवाना हुई, जहां वह भीषण गोलीबारी की चपेट में आ गई। राइफलमैन जनरल ड्यूटी मोहम्मद सईद, अग्रणी स्काउट ने साथी सैन्य टुकड़ी को खतरा भांपकर चुपके से रेंगते हुए सामने से हो रही गोलीबारी के बीच गोलीबारी कर रहे आतंकवादियों की ओर बढ़ने लगे और अपनी जान का भय न करते हुए यथासम्भव आतंकवादियों के निकट पहुंच गए और उन पर गोलाबारी करके उनमें से एक को मौके पर ही मार गिराया। अन्य आतंकवादी डर गए और वे पहाड़ियों की ओर भाग गए। मारे गए आतंकवादी से मैगजीन सहित एक 9 एम एम पिस्टल, 9 एम एम के 4 जिन्दा राउण्ड, 9 एम एम के 3 खाली खोखे और ए के-47 के दस खाली खोखे बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री मो. सईद, राइफलमैन ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 30.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 80-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री नितिन ध्यानी
सहायक कमांडेंट

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 8/9 अप्रैल, 2009 के बीच की रात को जब श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट, 84 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और श्री एन के साहू, डी एस पी, छत्तीसगढ़ पुलिस दिनांक 9 अप्रैल, 2009 को एक शक्तिशाली घात लगाने का अभियान चलाने की योजना बना रहे थे तो स्थानीय ग्रामीण ने अदेर क्षेत्र में, जो ओर्चा पुलिस स्टेशन के दक्षिण की तरफ जंगल के अंदर लगभग 26 कि.मी. दूर है, सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में सूचित किया। इस सुराग से उत्साहित हुए श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट, बी एस एफ ने नक्सलियों के इस समूह को पकड़ने के लिए विस्तृत अभियान चलाने की योजन बनाई। तदनुसार, बी एस एफ की दो प्लाटून, एस ए एफ छत्तीसगढ़ पुलिस की एक प्लाटून, ओर्चा पुलिस स्टेशन के कुछ कार्मिक और कुछ एस पी ओ को मिला कर अभियान चलाने का एक ग्रुप बनाया गया। विस्तारपूर्वक ब्रीफ करने के बाद लगभग 090345 बजे श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट, 84 बटालियन, बी एस एफ और श्री एन.के.साहू, डी एस पी (मुख्यालय) की कमांन में इस पार्टी ने गांव अदेर की ओर कूच किया। टुकड़ियों ने अपनी चाल अत्यंत सावधानीपर्वूक और चतुराई से चली जिसमें अत्यधिक गोपनीयता बरती गई। दो एस पी ओ के साथ बी एस एफ और एस ए एफ छत्तीसगढ़ का एक-एक भाग पाइंट सेक्शन के रूप में आगे बढ़ा। यह पार्टी छोटी नदी की सहायक नदियों के आस-पास के घने जंगलों की लगभग 13 किमी. की टुकड़ी को ही पार सकी। जब यह पार्टी ओर्चा मेटा और बाई टुंडाबारा पहुंची तो पार्टी ने क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू कर दी और जब यह पार्टी लगभग 0800 बजे खुले पठार तक पहुंची तो दो दिशाओं से उन पर भारी मात्रा में गोलीबारी हो गई।

श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट बी एस एफ ने अनुकरणीय पेशेवर बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय देते हुए कालम सेक्शनों के बिल्कुल पीछे कालम का नेतृत्व करते हुए बांयें छोर को कवर करने के लिए श्री एन.के.साहू, डी एस पी को भेजा और दांयें छोर को कवर करने के लिए स्वयं 51 एम एम मोर डेट के साथ रेंगते हुए आगे बढ़े। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो इन्होंने देशी बंदूक से गोलीबारी करते हुए एक नक्सली को देख लिया। इस पर श्री नितिन ध्यानी ने वक्त गवांये बगैर अपनी इंसास राइफल से पांच गोलियां दागी ताकि उस नक्सली को निष्क्रिय किया जा सके। इसके तुरंत बाद इन्होंने अपने हथियार से गोलीबारी को, नक्सलियों की

चीखें सुनाई दी और नक्सलियों ने जंगल की ओर भागना शुरू किया। श्री नितिन ध्यानी ने भाग रहे नक्सलियों पर तत्काल 51 एम एम से गोलीबारी कर दी। अत्यधिक तनाव और चारों ओर शोर होने के बावजूद इन्होंने अपना मानसिक संतुलन बनाए रखा और अपनी पार्टी को गोलीबारी करने का आदेश दिया। इन्होंने पुलिस पार्टी को मोर्चे पर बने रहने के लिए कहा और इंसास की 09 राउंद गोलीबारी, 01 राइफल ग्रेनेड और 51 एम एम मोर. के 03 एच ई बमों का ही इस्तेमाल करके गोलीबारी अनुशासन के उच्च मानकों का परिचय दिया।

गोलीबारी 15 मिनट तक चली। इसके बाद चतुराई से तलाशी अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र से अज्ञात नक्सली का शव बरामद हुआ । जिस क्षेत्र को श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट, बी एस एफ ने नक्सलियों को निष्क्रिय करने का लक्ष्य बनाया था वहां से निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद/विस्फोटक पदार्थ और अन्य वस्तुएं बरामद हुई:-

(क)	राइफल भरमार	-	02 नग
(ख)	देशी कट्टा	-	01 (12 बोर)
(ग)	12 बोर जीवित राउंद	-	6 राउंद
(घ)	ग्रेनेड	-	01 नग
(ड.)	पाइप बम	-	01 नग
(च)	टिफिन बम	-	04 नग
(छ)	तार	-	03 बंडल
(ज)	बर्दी (नक्सली)	-	02 नग
(झ)	दवाइयां	-	02 बक्से
(ञ)	ग्रेनेड पाउच	-	01 नग
(ट)	थैले	-	03 नग
(ढ)	नक्सली साहित्य	-	02 नग (प्रभात, हुरोकल)
(ड)	दैनिक प्रयोग की वस्तुयें		-

इस मुठभेड़ में श्री नितिन ध्यानी, सहायक कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव'

18—101 GI/2011

सं. 81-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. थोरट प्रसाद
   कांस्टेबल
2. राज कुमार
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 26.02.2009 को लगभग 0630 बजे ओसी गरमुर, मजौली द्वीप समूह से यह विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कि ग्राम: बालीगांव, थानांतगर्त: जंगरैमुख, मजुली उप-प्रभाग के एक मकान में उग्रवादी छिपे हुए हैं तो स्थानीय पुलिस और जी/189 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) को मिला कर एक संयुक्त अभियान चलाने और उग्रवादियों का मुकाबला करने/ पकड़ने के लिए चतुराई पूर्ण योजना बनाई गई। बल द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई देख करके उग्रवादी घबरा गए और उन्होंने उस मकान से अभियान दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें उन्होंने शरण ली हुई थी। अभियान दल ने तुरंत मोर्चा संभाला और लक्ष्यगत मकान को घेर लिया। कांस्टेबल/जीडी थोरट प्रसाद और कांस्टेबल/जीडी राज कुमार ने गोलियों की बौछार के बीच रेंगते हुए लम्बी दूरी तय की। इन्होंने अपने जीवन के लिए होने वाले गंभीर खतरे की परवाह नहीं की और उग्रवादियों के निकट पहुंच गए। जब 2 उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी करते हुए बच कर भाग निकलने की कोशिश की तो कांस्टेबल/जीडी थोरट प्रसाद और कांस्टेबल/जीडी राज कुमार ने निशाना साध कर जबावी गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप भाष्कर हजारिका (28 बटालियन उल्फा का आपरेशन कमांडर) और शरत बोरा (उल्फा का खूंखार उग्रवादी) नामक दो दुर्दांत उग्रवादी मारे गए और 10000 अमरीकी डालर के साथ हथियारों/गोलीबारूद/विस्फोटक पदार्थों का जखीरा, महत्वपूर्ण दस्तावेज और 1,00,000 भारतीय मुद्रा बरामद की गई।

निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद हुआ:-

1. चार जीवित राउंद के साथ एक ए के 56 राइफल, मैग्जीन
2. ए के सीरीज के 49 जीवित राउंद
3. ए के सीरीज के 13 खाली केस
4. सात राउंद वाले मैग्जीन के साथ 9 एम एम की 01 पिस्तौल
5. 02 स्पेयर मैग्जीन और 55 जीवित राउंद
6. छोटे हथियार एक जीवित राउंद
7. एक चीनी ग्रेनेड
8. डिटोनेटर-20
9. मोबाइल फोन-05
10. अप्रयुक्त सिम कार्ड-18
11. कलाई घड़ी-05
12. भारतीय मुद्रा- एक लाख
13. उल्फा से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ 10,000 अमरीकी डालर और दवाइयां

इस मुठभेड़ में सर्वश्री थोरट प्रसाद, कांस्टेबल और राज कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 26.02.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 82-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री घुबदे देवीदास
हैड कांस्टेबल (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

41 कार्मिकों और 05 सिविल पुलिस कार्मिकों को मिला कर बनाई गई ए/65 बटालियन की दो प्लाटूनों ने दिनांक 17.06.2008 को लगभग 0700 बजे अभियान शुरू किया। रास्ते में इन्होंने संदिग्ध गांवों/ जंगली क्षेत्र की तलाशी ली और लगभग साढ़े पांच घंटे पैदल चलने के बाद ये गुमरीदीह पहुंचे और मकानों की तलाशी ली। तलाशी के लिए अगला गांव कोंडे था, यह क्षेत्र पहाड़ियों, नालों से भरा पड़ा है और जंगली क्षेत्र है जो आगे बढ़ रहे दल के सामने प्राकृतिक बाधायें पैदा कर रहे थे।

अभी यह दल गुमरीदीह से 200 मीटर ही आगे बढ़ा होगा कि उन पर स्वचालित हथियारों से अंधाधुंध गोलीबारी हो गई। नक्सलियों ने जंगल/पहाड़ियों से घिरे खेतों में लगाए गए अपने मोर्चों से ग्रेनेड भी फैंके, आई ई डी धमाके किए। ए/65 के हैड कांस्टेबल/जीडी शत्रुघ्न सिंह, एल एम जी फटने से बुरी तरह से घायल हो गए। नक्सलियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया था और सड़क की दांई तरफ से शत्रु की ओर से भारी गोलीबारी हो रही थी। हमारे दल के दो जवानों ने नक्सलियों की ओर ग्रेनेड फैंकने शुरू किए लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ग्रेनेड नहीं फटे। इससे नक्सली उत्साहित हो गए और उन्होंने गोलीबारी तेज कर दी।

तदनुसार घात लगा कर किए गए इस भयंकर हमले में नक्सलियों का पलड़ा भारी रहा। इस पर हैड कांस्टेबल/जीडी घुबदे देवीदास ने जल्दी ही संपूर्ण स्थिति का जायजा लिया और पहले वे रेंगते हुए लगभग 20 मीटर आगे बढ़े ताकि अपेक्षाकृत रूप से ऊंची जमीन तक पहुंचा जा सके और रणनीतिक लाभ हासिल किया जा सके और फिर इन्होंने नक्सलियों का विश्लेषण किया और उनके मोर्चों का पता लगाया। इसके आसपास ही 51 एम एम मोर्टार के साथ कांस्टेबल लीला राम पटेल ने मोर्चा संभाला हुआ था लेकिन नक्सलियों की गोलीबारी से ये घायल हो गए। स्थिति का जायजा लेते हुए हैड कांस्टेबल/जीडी घुबदे देवीदास ने साहस करके नक्सलियों पर गोलीबारी कर दी। इन्होंने घायल जवान लीला राम पटेल की सहायता के लिए उन तक पहुंचने और 51 एम एम मोर्टार का प्रयोग करके नक्सलियों की घात का मुकाबला करने की सोची जबकि नक्सली इनकी योजना को निष्फल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसके बाद दो नक्सली महिलायें, घायल हैड कांस्टेबल/ जी डी शत्रुघ्न सिंह से इनका हथियार छीनने के लिए एक-एक करके आगे बढ़ी। लेकिन हमारी टुकड़ियों ने इसे देख लिया और इसके जबाब में की गई

गोलीबारी में दोनो महिलायें मारी गई। अत्यधिक विपरीत स्थिति होने के बावजूद हैड कांस्टेबल/जीडी घुबदे देवीदास, कांस्टेबल/जीडी लीला राम तक पहुंचने में सफल हो गए और ये उन्हें खींच कर सुरक्षित स्थान पर ले गए। इसके बाद इन्होंने एक सेकेंड भी गंवाए बगैर दुश्मन पर 51 एम एम मोर्टर बम फेंके। बम, नक्सलियों पर भारी पड़े और वे घबरा गए। इस पर शत्रुओं ने महसूस किया कि अधिक समय तक टिके रहना उनके लिए कठिन है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि यदि वे हैड कांस्टेबल/जीडी देवीदास घुबदे को नही रोक पाते हैं तो उनके लिए बच कर भाग निकलना कठिन होगा। इसी बीच हैड कांस्टेबल देवीदास घुबदे ने एक और बम फेंकने की कोशिश की लेकिन सेफ्टी पिन टूट गई। अब नक्सलियों ने वह भारी गोलीबारी हैड कांस्टेबल/जीडी घुबदे देवीदास की तरफ मोड़ दी जिससे ये बुरी तरह घायल हो गए। तब तक हमारी टुकड़ियों ने शत्रु का कारगार ढंग से मुकाबला किया और घबराये हुए नक्सलियों का लाभ उठा कर ये उनकी ओर भी आगे बढ़े ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। उन्होंने गुमरीदीह नाले/जंगल का फायदा उठाया और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। यह लड़ाई आधा घंटे से अधिक समय तक चली और जब तक टुकड़ियां उस क्षेत्र की तलाशी लेती तब तक सायं हो गई थी।

इस लड़ाई में हैड कांस्टेबल देवीदास घुबदे सहित पांच कार्मिक घायल हुए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था । जब कि दूसरे कार्मिक बचा लिए गए लेकिन हैड कांस्टेबल/जीडी घुबदे देवीदास घायलावस्था में वीरगति को प्राप्त हो गए। शत्रु अपने साथियों के शव और घायलों को अपने साथ ले जाने में सफल हो गए।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित सामग्री बरामद की गई:-

(क)	रॉकेट लांचर	-	01 नग
(ख)	एस एल आर का खाली केस	-	23 नग
(ग)	ए के-47 का खाली केस	-	12 नग
(घ)	315 बोर का खाली केस	-	08 नग
(ङ)	इंसास का खाली केस	-	01 नग
(च)	पेंसिल बैटरी	-	06 नग
(छ)	कौमोफ्लेग कैप	-	01 नग

इस मुठभेड़ में (स्व.) श्री घुबदे देवीदास, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.06.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 83-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. हर्षपाल सिंह
   सहायक कमांडेंट
2. रियाज अहमद
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 31.05.2008 को लगभग 1730 बजे अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव (गिरफ्तार किया गया माओवादी) और नक्सल एरिया कमांडर नितीश उर्फ योद्धा सॉं के बीच पूर्व-निर्धारित बैठक के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कमांडेंट 22 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और एस.पी. हजारीबाग ने छापा मारने की योजना बनाई और तदनुसार निम्नलिखित तीन टीमें बनाई:

टीम 1: श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट, ए/22 बटालियन, सी आर पी एफ की कमांड और उप निरीक्षक भोला प्रसाद, झारखंड पुलिस और अन्यों को मिला कर एसॉल्ट टीम।

टीम 2: उप निरीक्षक बिनोदानंद सिंह, झारखंड पुलिस की कमांड में कार्डन टीम।

टीम 3: एस डी पी ओ सरयू पासवान के नेतृत्व और उप निरीक्षक/ जी डी मदन लाल, ई/22 बटालियन और उप निरीक्षक अरूण कुमार तथा झारखंड पुलिस कांस्टेबलों को मिला कर स्टॉपर टीम।

सभी टीमें अर्जुन यादव के साथ अपराह्न 8 बजे आगे बढ़ी और चंदरमंडु गांव पहुंचे और एक ग्रामीण ने टीम का मार्गदर्शन किया तथा बैठक स्थल के बारे में सूचना दी। श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट और उप निरीक्षक भोला प्रसाद सिंह तथा कांस्टेबल/जीडी रियाज अहमद, अंर्जुन यादव के साथ एक छोटी नदी पार करने के बाद अंधेरे और छल का लाभ उठा कर एक छोटी पहाड़ी पर होने वाली बैठक स्थल के निकट पहुंचे। श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट और एस एच ओ भोला प्रसाद ने अपने आपको नक्सलियों की पार्टी के रूप में दर्शाया, जो बैठक में भाग लेने आई है और बैठक स्थल के बारे में पूछा तथा उस पार्टी को नक्सल ग्रुप का एक हिस्सा मानते हुए गांव का एक सिविलियन इन्हें बैठक स्थल तक ले गया। 08 कांस्टेबलों के साथ श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट, एस एच ओ भोला प्रसाद और हैड कांस्टेबल/जी डी महिन्द्र सिंह, पूरी तरह से आश्चर्य का भाव लाते हुए लक्ष्य क्षेत्र अर्थात् बैठक स्थल की ओर बढ़े।

बैठक स्थल में प्रवेश करने से पहले श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट ने स्ट्राइकिंग पार्टी के कमांडर हैड कांस्टेबल/जी डी महिन्द्र सिंह से कहा कि वे निकटवर्ती स्थल में अपनी पार्टी के साथ मोर्चा संभाले जहां से जरूरत पड़ने पर सर्पोटिंग गोलीबारी की जा सकती है। श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट, एस एच ओ भोला प्रसाद और कांस्टेबल/जीडी रियाज अहमद, गिरफ्तार किए गए माओवादी अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव उर्फ डाक्टर के साथ चुपचाप बैठक स्थल पर पहुंचे क्योंकि ये सिविल पोशाक में थे। अपराह्न लगभग 0930 बजे अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव ने नितीश को पुकारा और हाथ मिलाने के बाद लाल सलाम का स्वागत किया और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। पार्टी के पास ए के-47 राइफल देख कर नक्सलियों को पुलिस की मौजूदगी का संदेह हुआ और उन्होंने गोलीबारी कर दी। श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट की कमान में स्ट्राइकिंग पार्टी ने जबाब में पूरी और कारगर नियंत्रित गोलीबारी की। मुठभेड़ के दौरान नितीश उर्फ योद्धा साओ और अर्जुन यादव उर्फ विजय यादव उर्फ डाक्टर ने पिस्तौल छीनने और एस एच ओ भोला प्रसाद, श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल/जीडी रियाज अहमद को अपने कब्जे में करने और पिस्तौल छीनने की कोशिश लेकिन नक्सलियों से घिरे इन जांबाजों ने बहादुरी से जवाबी गोलीबारी की और घटनास्थल पर ही नितीश और अर्जुन, दोनों को ही मार गिराया। दूसरी ओर से नक्सलियों ने हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट और कांस्टेबल/जीडी रियाज अहमद पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी लेकन इन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला और नक्सलियों तथा उप-निरीक्षक भोला प्रसाद को अपने कब्जे में लिया। इस गोलीबारी में रश्मि और विजय घत्बार नामक दो नक्सलियों को गोली लगी और मारे गए। एक नक्सली कैडर 16 वर्षीया सुश्री कान्ति, पुत्री भुवेश्वर हेमराम को पकड़ लिया गया। क्यू आर टी के साथ एस.पी. हजारीबाग, सेकेंड-इन-कमान- 22 बटालियन सहित कमांडेंट-22 बटालियन, रात के दौरान तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे और शेष अभियान का पर्यवेक्षण किया। अभियान में श्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट ने असाधारण साहस, बहादुरी और प्रभावी कमांड और नियंत्रण का परिचय दिया और सी आर पी एफ पार्टी से किसी को भी नुकसान हुए बगैर यह अभियान सफल हुआ। कांस्टेबल/जीडी रियाज अहमद ने भी असाधारण बहादुरी और साहस का परिचय दिया जब इन्होंने पूरी मुठभेड़ में अपने जीवन को जोखिम में डाला। .303 बोल्ट एक्शन राइफल-01 नग, सिंगल बैरल मजल लोडिंग राइफल-01, देशी पिस्तौल (.315)-01, रिवाल्वर (.38)-01, वन केन बम (लगभग-25 कि.ग्रा.), आई ई डी-1 नग, इलैक्ट्रानिक डिटोनेटर-01, आई ई डी तार-01 बडंल, दवाइयां- 01 पैकेट, प्रशिक्षण सामग्री-01 पैकेट, वर्दी-01, नोकिया मोबाइल फोन-01, कुल्हाड़ी-02, 12 बोल्ट बैटरी-01, राउंद-.303-35 राउंद,.38-04 राउंद,.315-09 राउंद, धनुष-बांण-01, पिट्ठू-06 (कपड़ों से भरा), 2200/-रूपए नकद और कुछ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी अभियान के दौरान बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री हर्षपाल सिंह, सहायक कमांडेंट और रियाज अहमद, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 31.05.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 84-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व श्री

1. विनय कुमार कपिल (मरणोपरांत)
   सहायक कमांडेंट
2. हनमंत बिरदार (मरणोपरांत)
   हैड कांस्टेबल
3. पंकज कुमार त्यागी (मरणोपरांत)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ग्राम लक्ष्मणिया में माओवादियों के इकट्ठे होने के बारे में दिनांक 19.12.2007 को प्राप्त आसूचना जानकारी के आधार पर श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट, 153 बटालियन की कमान में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ), सिविल पुलिस और बी एम पी के एक संयुक्त अभियान ने ग्राम लक्ष्मणिया में छापा मारने और तलाशी लेने के लिए कूच किया। जब यह दल लक्ष्मणिया ग्राम से लगभग एक किमी. दूर था तो इन्होंने देखा कि 40-50 माओवादी, गांव के दक्षिण से ग्राम सेमराहा की ओर भाग रहे हैं। श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट, जो मोटर साइकल पर थे, ने निर्णय लिया कि वे जी/153 के 9 कार्मिकों के साथ मोटर साइकल पर माओवादियों का पीछा करेंगे जबकि दल के शेष कार्मिक पैदल ही माओवादियों का पीछा करेंगे। श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट के दल ने लम्बी दूरी तक माओवादियों का पीछा किया। श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट और इनके दल ने आगे आ रहे संभावित खतरे की परवाह किए बगैर माओवादियों का ग्राम- कदम तक पीछा किया जिसमें माओवादियों ने बांस के पुल को पार कर पहले ही प्रवेश कर दिया था। श्री विनय कुमार कपिल और इनके दल ने शेष दल से पहले ग्राम कदम में प्रवेश किया और माओवादियों के बारे में पूछ-ताछ की। इनके दल ने इशारा पाकर एक मीटर चौड़े बेहद कमजोर बांस के खतरनाक पुल को पार किया। चूंकि मोटर साइकल पर इस पुल को पार नहीं किया जा सकता था इसलिए अपने दल के साथ इन्होंने पैदल आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इससे इनके साहस और समर्पण की भावना का पता

चलता है क्योंकि ये अज्ञात क्षेत्र में मौजूद खतरे की ओर ही बढ़ रहे थे। श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट और हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार, कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी, कांस्टेबल/जी.डी. के. षणमुगम, कांस्टेबल/जीडी संदीप कुमार, कांस्टेबल/जीडी मुशीर अहमद, कांस्टेबल/बग. विनोद कुमार, कांस्टेबल/जीडी महेन्द्र सिंह, कांस्टेबल/जीडी सतीश चंद और कांस्टेबल/जीडी प्रदीप कुमार को मिला करके बनाए गए दल ने बांस के पुल (लगभग डेढ़ मीटर चौड़ा) को पार करने के बाद पी.एस. राजेपुर के तहत कदम गांव में प्रवेश किया। हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार और कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी, कास्टेबल/जीडी के. षणमुगम और कांस्टेबल/बग. विनोद कुमार के साथ श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट उक्त दल के साथ आगे बढ़े जबकि अन्य कार्मिक भी पीछे से चतुराई से आगे बढ़ रहे थे। एक स्थान पर इन्होंने उप-निरीक्षक/जीडी अत्तर सिंह और अन्य कार्मिकों को मिला करके बनाई गई पिछली पार्टी के साथ चर्चा करने की सोची कि वे इनके साथ मिल जाएं लेकिन अगले ही क्षण बांयें छोर से माओवादियों ने बांस के झुरमुटों और झाड़ियों के पीछे से इन पर गोलीबारी कर दी। इस पर श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट और इनके दल ने उस ओर तत्काल जबावी गोलीबारी की लेकिन उसी समय दांये छोर से बांस की झाड़ियों और सामने के दो मकानों से भी उन पर गोलीबारी हो गई। चूंकि ये खुले क्षेत्र में थे और इनके पास अपने बचाव की कोई आड़ नहीं थी इसलिए ये अलाभप्रद स्थिति में थे फिर भी इन्होंने बहादुरी से जबावी कार्रवाई की। इसी बीच आमने-सामने की इस लड़ाई में श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट की बांई भुजा में गोली लग गई। बांई हथेली गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद इन्होंने गोलीबारी करनी जारी रखी और हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार, और कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी से कहा कि वे वापस लौट जांए और अपनी जान बचाएं। इन्होंने अपने पीछे के कार्मिकों को भी आदेश दिया कि वे माओवादियों पर गोलीबारी जारी रखें। लेकिन हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार और कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी वापस नहीं लौटे और इन्होंने गोलीबारी जारी रखी। इन्होंने माओवादियों के विरूद्ध कारगर कार्रवाई की और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया ताकि वे अपने सदस्यों की स्थिति का लाभ न उठा सकें। बाद में श्री विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट अचेत हो कर गिर पड़े लेकिन हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार और कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी ने निकटवर्ती क्षेत्र से गोलीबारी जारी रखी। कांस्टेबल/जीडी पंकज कुमार त्यागी ने श्री विनय कुमार कपिल को वहां से हटाने की कोशिश की लेकिन दुर्भाग्य से इनकी पीठ और छाती के मध्य में दो गोलियां लग गईं और श्री विनय कुमार कपिल की छाती के पीछे भी गोली लग गई जो दोनों के लिए घातक सिद्ध हुई। इसी बीच हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार ने गोलीबारी जारी रखी और सपाट धरातल पर आमने-सामने की लड़ाई साहस पूर्वक लड़ी। इसी बीच हैड कांस्टेबल/जीडी हनमंत बिरदार के बांयें कंधे के सामने और बांयें कंधे के पीछे भी गोलियां लग गईं। यूनिट क्यू आर टी जब स्थल पर पहुंची तो बहादुर सिपाहियों/शहीदों के शव मिले।

उप-मंडलीय अधिकारी पकरीदयाल, पश्चिम चंपारण द्वारा एस पी, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण को प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों अधिकारियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने से पहले ब्रिज किशोर राम (24 वर्ष) नामक एक उग्रवादी को मार गिराया। पूरी तलाशी के दौरान रक्त के धब्बे पाए गए जिससे यह पता चलता है कि मुठभेड़ में 4-5 माओवादी मारे गए थे। इसके अलावा अत्यंत अंधेरे और गहरे कोहरे का लाभ उठाते हुए माओवादी भाग खड़े हुए और वे अपने साथ शव ले जाने में भी सफल हो गए। तथापि, एक उग्रवादी का शव बरामद हुआ। घटना स्थल के पूर्वी छोर पर बिंदेश्वर सिंह और योगेन्द्र सिंह की जमीन से निम्नलिखित गोलीबारूद पाए/बरामद किए गए:

(i) ए के राइफल की 08 गोलीबारूद
(ii) एस एल आर की 01 गोलीबारूद
(iii) इंसास राइफल की 04 गोलीबारूद
(iv) इंसास राइफल के 02 राउंद

इस मुठभेड़ में सर्वश्री (स्व.) विनय कुमार कपिल, सहायक कमांडेंट, (स्व.) हनमंत बिरदार, हैड कांस्टेबल और (स्व.) पंकज कुमार त्यागी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.12.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 85-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. प्रकाश रंजन मिश्रा (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   सहायक कमांडेंट
2. हेम राज ठाकुर (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

पी एस- केरेदारी के नोनियादीह और निकटवर्ती पहाड़ी वन क्षेत्र में नक्सलियों की गतिविधि के बारे में दिनांक 18.08.2008 को लगभग 1700 बजे विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर एस पी हजारीबाग, कमांडेंट 22 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) और श्री पी आर मिश्रा, ए सी, ओसी-22 बटालियन ने तलाशी और छापा मारने की एक विशेष योजना बनाई और श्री पी आर मिश्रा की कमान में डी 22 बटालियन की दो शक्तिशाली प्लाटूनों ने इसे निष्पादित किया। सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए डी 22 बटालियन की टुकड़ियों को तीन समूहों में विभाजित किया गया। स्टॉप ग्रुप का नेतृत्व उप-निरीक्षक/जीडी रणजीत सिंह ने किया और रिजर्व ग्रुप तथा रेड ग्रुप का नेतृत्व श्री पी.आर. मिश्रा ने किया जिसमें 5 अन्य कार्मिक शामिल थे। टुकड़ियों को विस्तार से बताया गया और इसके बाद इन्होंने लगभग 1745 बजे विशेष अभियान के लिए कूच किया। यह दल लगभग 1945 बजे बारका गांव पुलिस स्टेशन पहुंचा जहां उप-निरीक्षक बाल किशोर किस्कू, ओसी, पी एस-केरेदारी टुकड़ियों में शामिल हो गए। टुकड़ियां और आगे बढ़ीं और इन्होंने अपने वाहन अम्बातंद पुलिस पिकेट में छोड़ दिए और इसके बाद इन्होंने नियमित मार्ग को छोड़ दिया और पगडंडियों से होते हुए पैदल ही गहरी नदी पार की, पहाड़ी क्षेत्रों, घनी झाड़ियों और गहरे अंधेरे को पार करके ये आगे बढ़े। लगभग 10 किमी. की दूरी पार करने के बाद ये ग्राम-नोनियादीह के निकट पहुंचे और इन्होंने नक्सल इंडो-गुटों की शरण स्थलियों की तलाशी लेनी शुरू की। लम्बी पहाड़ी श्रृंखला की तलहटी में मकानों का समूह दिखाई दिया। एन वी डी की सहायता से घने वन और नाले के निकट पहाड़ी की तलहटी के ऊपर अलग-थलग पड़े मकान के निकट कुछ असामान्य हलचलें पाई गईं। तथापि,

उस समय कोई नक्सली नहीं देखा गया। श्री पी.आर. मिश्रा ने सभी छः स्टॉप ग्रुपों को बच कर भाग निकलने के संभावित मार्गों पर तैनात कर दिया और सभी ओर से अत्यंत कठिन भू-भाग पर नजर रखने की कोशिश की। उस अकेले मकान के यथा संभव निकट पहुंचने के लिए श्री पी.आर. मिश्रा, रेड ग्रुप के साथ आगे बढ़े। लक्ष्य क्षेत्र के बिल्कुल नजदीक पहुंचने के बाद रेड ग्रुप ने पहाड़ी की ओर आगे बढ़ना शुरू किया और रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर पहाड़ी में कुछ नक्सलियों की मौजूदगी नोटिस की जिन्हें संभवतः संतरी की ड्यूटी पर तैनात किया गया था और उन्हें पुलिस बल की मौजूदगी का संदेह हुआ तथा उन्होंने श्री पी आर मिश्रा तथा रेड दल पर गोलीबारी कर दी। लेकिन श्री पी.आर. मिश्रा भारी गोलीबारी से बच गए और इन्होंने टुकड़ियों को आदेश दिया कि वे इन्हें कवर फायरिंग दें और ये संतरी को पकड़ने और अन्य नक्सलियों की स्थितियों का पता लगाने के लिए आगे बढ़े तथा साथ ही नक्सलियों की गोलीबारी का जबाब भी दिया। चूंकि श्री पी.आर. मिश्रा, रेड ग्रुप के आगे-आगे बढ़ रहे थे इसलिए नक्सलियों की गोलियों की बौछार उन पर ही हुई लेकिन इन्होंने अत्यंत साहसिक पहल की, असाधारण साहस और अत्यंत बहादुरी का परिचय दिया और टीम नियंत्रित की। लेकिन यह जानते हुए कि चारों ओर अन्य कई नक्सली मौजूद हो सकते हैं और अंधेरे तथा घने वन और चट्टानी पहाड़ियों के कारण दिखाई न देने की वजह से वे रक्षात्मक हो सकते हैं, ये कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर और हैड कांस्टेबल/जीडी तथा रेड ग्रुप के दो कांस्टेबल/जीडी की सपोर्टिंग गोलीबारी के साथ पीछे की ओर से अधिक से अधिक निकट पहुंचे और उस नक्सली विशेष के बिल्कुल निकट पहुंच गए जो लांग रेंज के हथियार से लगातार गोलीबारी कर रहा था जो बाद में 7.62 एम एम एस एल आर पाई गई। कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर के साथ श्री पी आर मिश्रा ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालते हुए पहाड़ी की चोटी और चट्टानों के पीछे से नक्सलियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बीच आगे बढ़ना जारी रखा। श्री पी आर मिश्रा और कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर, पहाड़ी की तलहटी में थे और ये ऊपर की ओर आगे बढ़ रहे थे जबकि नक्सली सुरक्षित चट्टानों के पीछे छिपे हुए थे और वे लाभप्रद स्थिति में थे। दोनों ने ही अपने जीवन की परवाह नहीं की और इन्होंने संतरी के निकट पहुंचने की कोशिश की और उसके निकट पहुंचने के बाद श्री पी.आर मिश्रा ने उस नक्सली पर कई राउंद गोलीबारी की और उसे वहीं पर मार गिराया। दूसरे नक्सलियों ने इन पर और कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर पर गोलीबारी करनी जारी रखी और बहुत कम दूरी से दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई जिसमें श्री पी आर मिश्रा और कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर उस समय दर्शाई गई अपनी चतुराई और बहादुरी से बच गए। दोनो ओर से 0300 बजे तक गोलीबारी होती रही और क्योंकि चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी इसलिए इसमें नक्सलियों के भी मारे जाने और घायल होने की संभावना हो गई लेकिन उन्होंने अंधेरे और घने वन का बेहतरीन उपयोग किया और वहां से भाग खड़े हो गए। स्टॉप ग्रुप के साथ भी गोलीबारी हुई जिन्होंने अत्यंत सावधानी से जबावी गोलीवारी की ताकि दोनों ओर से हो रही गोलीबारी से इनके ग्रुप का कोई कार्मिक हताहत न हो। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों का पता लगाने के लिए पैरा बम फेंके गए। 0300 बजे के बाद नक्सली, श्री पी.आर. मिश्रा और कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर द्वारा सुनियोजित और नियंत्रित

गोलीबारी तथा साहासिक दबाव को नहीं झेल सके और रक्षात्मक तथा लाभप्रद स्थिति में होने के बावजूद वे असहाय हो गए। वे श्री पी.आर. मिश्रा और कांस्टेबल/जीडी हेमराज ठाकुर को नहीं मार सके और घने वन के साथ जुड़े नाले और पहाड़ियों की श्रृंखला का लाभ उठाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। नक्सलियों के बच कर भाग निकलने के संभावित मार्गों को काटने के लिए दो एच ई वम भी गिराए गए। पहले प्रकाश में पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई और घेराव किया गया तथा दल ने रात को श्री पी.आर. मिश्रा द्वारा मार गिराए गए नक्सलियों के शव बरामद किए, ग्रामीणों द्वारा जिनकी पहचान विनोद मुंडा (प्लाटून कमांडर) के रूप में की गई लेकिन बाद में इसकी पहचान कैलू मांझी उर्फ सुमन माझी उर्फ परवेज दा (एमसीसीआई मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर) के रूप में की गई जो अत्यंत खूंखार नक्सली के रूप में जाना जाता था, पुत्र झल्लू मांझी, ग्राम सिमरावेड़ा, पी एस-महुआटंड, जिला- बोकारो, झारखंड के रूप में की गई। श्री पी.आर मिश्रा और कांस्टेबल/ जीडी हेमराज ठाकुर ने पूरे अभियान के दौरान अपने जीवन की परवाह किए बगैर असाधारण साहस और कौशल का परिचय दिया जिसके परिणामस्वरूप कैला उर्फ सुमन मांझी, उर्फ परवेज दा (एम सी सी आई मिलिट्री विंग का प्लाटून कमांडर) नामक खूंखार नक्सली मारा गया और कई नक्सली घायल हो गए। इस अभियान के दौरान निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद/अन्य वस्तुएं बरामद की गईं:-

(क)	7.62 एम एम एस एल आर	-01 नग
(ख)	303 बोल्ट एक्शन राइफल	-01 नग
(ग)	7.62 एस एल आर गोलीबारूद	-158 राउंद
(घ)	.303 बोल्ट एक्शन गोलीबारूद	-48 राउंद
(ड.)	7.62 एस एल आर मैग्जीन	-03 नग
(च)	.303 बोल्ट एक्शन मैग्जीन	-01 नग
(छ)	इलैक्ट्रानिक डिटोनेटर	-02 नग
(ज)	वायरलैस सैट	-02 नग
(झ)	मोबाइल सैट	-02 नग
(ञ)	वाकमैन	-02 नग
(ट)	पिट्ठू	-07 नग
(ठ)	भारतीय मुद्रा	-1,71,750/-
(ड)	नक्सल साहित्य, लेवी रशीद	-कुछ
(ढ)	पुल थ्रो	-04 नग
(ण)	.303 खाली केस	03 राउंद
(त)	6.2 एम एम के खाली केस	-08 नग
(थ)	पुरूष और महिला कपड़े	-कुछ
(द)	छाता	-12 नग

इस मुठभेड़ में सर्वश्री प्रकाश रंजन मिश्रा, सहायक कमांडेंट और हेम राज ठाकुर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.08.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
संयुक्त सचिव

सं. 86-प्रेज/2011-राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री आनंद सिंह
सेकैंड – इन-कमान

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ग्राम वारपुरा, पी एस-सोपोर, जिला-बारामुला (जम्मू और कश्मीर) में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में एस ओ जी, सोपोर/श्रीनगर के माध्यम से दिनांक 15-16.07.2008 को विशिष्ट सूचना मिलने पर एस ओ जी/ जे के पी, सोपोर/श्रीनगर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एस) की 179/177/92 बटालियन और 22 आर आर द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया। शुरू में टुकड़ियों द्वारा संदिग्ध मकानों का घेराव किया गया। श्री आनंद सिंह, सेकैंड-इन-कमान, 179 बटालियन, सी आर पी एफ भी यूनिट क्यू ए टी के साथ घटना स्थल पर पहुंची। जब लक्ष्यगत मकानों के चारों ओर कंसर्सिया कॉयल विछाई जा रही थी उस समय छिपे हुए आतंकवादियों ने एक ग्रेनेड फेंका जिससे अधिकारियों सहित आर आर, सी आर पी एफ और जे के पी के 13 कार्मिक घायल हो गए। श्री आनंद सिंह, सेकैंड-इन-कमान, 179 बटालियन, सी आर पी एफ ने स्वयं कई घायल कार्मिकों को वहां से हटाया । रात में इन्होंने बारीकी से स्थिति का जायजा लिया और घेरा बढ़ा दिया, संदिग्ध क्षेत्र में तेज रोशनी करवाई और आतंकवादियों को भागने नहीं दिया। सुबह ये तलाशी लेने के लिए मुख्य संदिग्ध मकान में गए लेकिन उग्रवादी रात में निकटवर्ती मकान में चले गए थे। उन्होंने उस मकान से एस ओ जी/ जे के पी के तलाशी दल पर गालीबारी की जिससे जे के पी का एक कार्मिक मारा गया और एक घायल हो गया। बी पी वाहनों की सहायता से तलाशी दल और घायल कार्मिकों को वहां से हटाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान आतंकवादियों ने बुलेट-प्रूफ जिप्सी पर भी गोलीबारी की जिससे

इसका विंड स्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गया। घायल कार्मिकों और तलाशी दल को हटाने के बाद सेना द्वारा एम जी एल सहित टुकड़ियों द्वारा मकान पर भारी गोलीबारी कर दी लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। फिर यह निर्णय लिया गया कि जिस रसोई घर से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे थे उस किचन में हैंड ग्रेनेड फेंका जाए। लेकिन सड़क की तरफ खुल रही किचन में केवल एक खिड़की ही थी और वहां पर कोई आड़ नहीं थी। इस तथ्य को जानते हुए भी कि आतंकवादी किचन से गोलीबारी कर रहे हैं और उनके पास ग्रेनेड हैं, ग्रेनेड फेंकने के लिए स्वयं श्री आनंद सिंह आगे आए। ग्रेनेड फेंकने के लिए श्री आनंद सिंह अकेले ही गए जबकि सी आर पी एफ और सेना का कवरिंग दल बुलेट प्रूफ वाहन में ही रहा। श्री आनंद सिंह खुली सड़क से आगे बढ़े और किचन की खिड़की से इन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका जो अंदर फट गया। इसके बाद इन्होंने उसी खिड़की से एक और ग्रेनेड फेंका। जब श्री आनंद सिंह खिड़की की ओर बढ़ रहे थे या जब इन्होंने सड़क की तरफ वाली खिड़की से ग्रेनेड फेंका उस समय यदि आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी कर दी होती तो ये बच नहीं पाते क्योंकि वहां पर कोई आड़ नहीं थी।

इसके बाद सेना ने उस मकान में आई ई डी रखा लेकिन यह नहीं फटा। इस पर श्री आनंद सिंह ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाला और खुले में खिड़की तक गए और खिड़की से किचन में एक और आई ई डी लगाया। आई ई डी के विस्फोट के कारण मकान ध्वस्त हो गया और उस पर आग लग गई। जिस कमरे (रसोई घर) में श्री आनंद सिंह ने ग्रेनेड फेंका था और आई ई डी लगाई थी उसी कमरे से शवों को हटाए जाने के दौरान आतंकवादियों के दो शव बरामद हुए। उनकी पहचान हिलाल अहमद सोफी उर्फ खालिद पुत्र मो. सुल्तान सोफी (अल-बुर्क/जे-ई-एम) निवासी वारपोरा सोपोर और अली रोजा (अल-बुर्क/जे-ई-एम) निवासी पाकिस्तान के रूप में हुई और 02 एके 47 राइफल, 05 एके-47 मैग्जीन और एके-47 के 60 राउंद बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री आनंद सिंह, सेकेंड-इन-कमान ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16.07.2008 से दिया जायेगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 87-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. के. सज्जानुद्दीन (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
   कमांडेंट
2. संतोष कुमार पाल (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   सहायक कमांडेंट
3. चन्द्रदेव सिंह यादव (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल
4. वसीम अहमद खान (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल
5. कृष्ण कुमार (वीरता के लिए पुलिस पदक)
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ग्राम लुरोजगिर के आस-पास के खेतों और फलोद्यानों में 6 से 8 उग्रवादियों की मौजूदगी के संबंध में दिनांक 16.05.2008 की रात को श्री के. सज्जानुद्दीन, कमांडेंट, 185 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) को किसी स्रोत से सूचना प्राप्त हुई। सूचना में आगे बताया गया था कि गांव के निकट से गुजर रहे पानी के पाइप के साथ-साथ चलते हुए उग्रवादियों की अवस्थिति की पुष्टि की जा सकती है। सूचना की पुष्टि करने के बाद दिनांक 17.05.2008 की सुबह ही अभियान की योजना बनाई गई।

उग्रवादियों की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए श्री संतोष कुमार पाल, सहायक कमांडेंट, 185 बटालियन की कमान में एक शक्तिशाली, प्लाटून की तैनाती की गई। इस प्लाटून को तीन भागों में बांटा गया, एक भाग हैड कांस्टेबल/जी डी टी डी नायर की कमान में, दूसरा भाग श्री संतोष कुमार पाल, सहायक कमांडेंट की कमान में था। ग्राम लुरोजगिर के आस-पास के खेतों और फलोद्यानों की तलाशी लेने की प्रक्रिया में कांस्टेबल/जीडी सी एस यादव और कांस्टेबल/

जीडी कृष्ण कुमार, जो हैड कांस्टेबल/जी डी टी डी नायर की कमान वाले भाग में थे, ने अखरोट के खेतों में थोड़ी सी ऊंचाई वाले स्थान पर उग्रवादियों को देखा। इन दो कांस्टेबलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी का पहला दौरा शुरू हुआ। इस गोलीबारी में दो उग्रवादी मारे गए। बाकी उग्रवादी, मुठभेड़ स्थल पर अपने पीछे दो एके-56 मैग्जीन, एक वायरलैस सैट और अन्य उपकरण छोड़ गए और उन्होंने पड़ोस की पहाड़ी की तरफ भागने की कोशिश की लेकिन श्री संतोष कुमार पाल ने गोलीबारी की आवाज सुन कर उन्हें पहले ही रोक दिया। दोनों ओर से हुई भारी गोलीबारी में उग्रवादी, ग्राम लुरोजगिर के उत्तर-पूर्व दिशा में पड़ने वाली पहाड़ी की ओर लौटने पर मजबूर हो गए। उग्रवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद यह दल आगे बढ़ने और ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंचने में सफल हुआ ताकि उग्रवादियों को गांव के आस-पास के खेतों और फलोद्यानों की ओर ले जाया जा सके। इस गोलीबारी में एक उग्रवादी मारा गया। यह संपूर्ण कार्रवाई श्री संतोष कुमार पाल, सहायक कमांडेंट, हैड कांस्टेबल/जीडी वनराज भाई, कांस्टेबल/जीडी वसीम अहमद खान, कांस्टेबल/जीडी सी एस यादव, कांस्टेबल/जीडी कृष्ण कुमार, कांस्टेबल/जीडी जतिन्द्र कुमार, कांस्टेबल/जीडी हिलाल अहमद हुर्रा और कांस्टेबल/जीडी शौकत हुसैन मीर 185 बटालियन की कमान में की गई और इन्होंने अत्यधिक साहस, बहादुरी और निडरता का परिचय दिया।

इस अवसर पर श्री के. सज्जानुद्दीन, कमांडेंट, 185 बटालियन के नेतृत्व में मुख्य दल, 42 बटालियन आर आर के कुछ तत्वों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा। श्री सज्जानुद्दीन ने तत्काल स्थिति का जायजा लिया और महसूस किया कि क्योंकि उग्रवादी गांव में भाग कर जा सकते हैं इसलिए गांव का घेराव करना आवश्यक है। गांव की घेरा बंदी करना उस समय तक जारी रखा जब तक उग्रवादी, सी आर पी एफ की टुकड़ियों के बढ़ते दबाव पर जबावी कार्रवाई करने के लिए मजबूर न हो जाएं। उग्रवादियों ने स्वचालित और ग्रेनेड से अत्यधिक गोलीबारी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी संख्या लगभग छः है। इस अत्यंत गंभीर स्थिति में श्री सज्जानुद्दीन ने टुकड़ियों के साथ निरंतर निकट संपर्क बनाए रखा और अत्यधिक उच्च श्रेणी की नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। इनकी निजी नेतृत्व क्षमता और उदाहरण के कारण ही उग्रवादियों को अंततः पकड़ लिया गया।

अंतिम हमले में उग्रवादियों की ओर से स्वचालित हथियारों और ग्रेनेड से भारी गोलीबारी की गई। श्री सज्जानुद्दीन के बिल्कुल निकट दो ग्रेनेड फटे लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और इस मुठभेड़ को तर्कसंगत और सफलतापूर्वक संपन्न किया।

दिन में हुई इस मुठभेड़ में जे-ई-एम के कुल छः उग्रवादी मारे गए बाद में जिनकी पहचान वसीम हसन अहंगर (जिला कमांडर) पुत्र गुलाम हसन अहंगर, निवासी कुचमुल्ला, मेहराज अहमद शैख पुत्र गुलाम नबी शैख निवासी नूरपुरा, मोहम्मद युसुफ वट पुत्र अब्दुल समद बट निवासी चरसू, त्राल, इफ्तिखार अहमद निवासी पाकिस्तान और अहरम उर्फ कुल्लू बट निवासी पाकिस्तान और अली बाबा उर्फ बट निवासी पाकिस्तान के रूप में की गई। मुठभेड़

सं. 88-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. पी. महाराजन
   कांस्टेबल
2. सतीश चंद
   हैड कांस्टेबल
3. निरंजन सिंह
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11.09.2008 को लगभग 2030 बजे ओसी ए/125 श्री ए.के. सिंह ए सी को आई/सी, एस ओ जी लालपुरा से एस ओ एस प्राप्त हुआ कि एस ओ जी टिक्कीपुरा के कुछ कार्मिकों की ग्राम डेवर के निकट ग्राम छोटी मर्गी में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ हो गई है, मुठभेड़ अभी भी चल रही है और एस ओ जी, टिक्कीपुरा को तत्काल कुमुक की जरूरत है। कमांडेंट 125 के साथ चर्चा करने के बाद श्री ए.के. सिंह, ए सी ने चुने हुए कार्मिकों को मिला कर बनाई गई अपनी कंपनी की प्लाटून और एस ओ जी लालपुरा के 10 कार्मिकों के साथ मुठभेड़ स्थल की ओर कूच किया। मुठभेड़ स्थल को जाने वाले मार्ग में श्री ए.के. सिंह, ए. सी. स्थल से 02 एके-47 राइफल, 04 एके-56 राइफल, 23 एके-47 मैग्जीन, 3 वायरलैस सैट, एडेप्टर के साथ 4 वायरलैस सैट एंटीना, 10 नोकिया मोबाइल फोन, 5 चीनी ग्रेनेड, 01 पाक ग्रेनेड, 6 यू बी जी एल शैल, 1 चीनी पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैग्जीन, 3 पिस्तौल राउंद, 88 एके-47 राउंद और कपड़े के जूते, मोबाइल फोन चार्जर, खाद्य पदार्थ आदि जैसी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बरामद हुई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सज्जानुद्दीन, कमांडेंट, संतोष कुमार पाल, सहायक कमांडेंट, चंद्रदेव सिंह यादव, कांस्टेबल, वसीम अहमद खान, कांस्टेबल और कृष्ण कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 17.05.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

ने टेलीफोन पर आई/सी एस ओ जी टिक्कीपुरा से बात की और उग्रवादियों की संभावित संख्या, उनके आश्रय स्थल आदि सहित स्थिति का जायजा लिया। मुठभेड़ स्थल पहुंच कर सी आर पी एफ प्लाटून ने उसे घेर लिया और जब कभी आवश्यक हुआ तब उग्रवादियों पर गोलीबारी कर उन्हें करारा जबाब दिया। लगभग 2230 बजे हैड कांस्टेबल/जीडी सतीश चंद, कांस्टेबल/जीडी पी. महाराजन, कांस्टेबल/जीडी निरंजन सिंह को मिला कर बनाई गई कार्डन पार्टी ने एक उग्रवादी देख लिया और उसे लक्ष्य बना कर की गई गोलीबारी में उसे मार गिराया । पूरी रात मुठभेड़ होती रही। चूंकि यह क्षेत्र पेड़-पौधों से भरा हुआ है और तब तक अंधेरा हो गया था इसलिए उसे सील करना अत्यंत कठिन था। तथापि कांस्टेबल/जीडी पी महाराजन ने उग्रवादियों को घेरे से भागने नहीं दिया क्योंकि इन्होंने अपनी 2 इंच मोर्टार से पैरा बम फेंके थे। इससे उग्रवादियों का पता लगाना आसान हो गया और सुरक्षा बल प्रभावी गोलीबारी कर सके। 2330 बजे श्री ए.के. सिंह, ए सी ने एक बार फिर श्री संजय कुमार, कमांडेंट से फोन पर संपर्क किया और कुमुक भेजने के लिए कहा। श्री संजय कुमार, कमांडेंट, 125 बटालियन, सी आर पी एफ, यूनिट क्यू आर टी के साथ दिनांक 12.09.2008 को 1245 बजे मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे। अभियान की कमान अपने हाथ में लेकर इन्होंने ए/125 सी आर पी एफ का घेरा मजबूत किया।

क्षेत्र की तलाशी सुबह की पहली किरण के साथ शुरू हुई। एक उग्रवादी, जो पेड़-पौधों के नीचे छिपा हुआ था उसने सर्चिंग पार्टी पर गोलीबारी कर दी। सर्चिंग पार्टी के सदस्य श्री ए.के. सिंह, ए सी, हैड कांस्टेबल/जीडी जी.सी. बौमात्री, कांस्टेबल/जीडी रोशन लाल और कांस्टेबल/जीडी राजा राम मीणा ने उसे मार गिराया। घेरे के अंदर घटना स्थल के सभी मकानों और आस-पास के खुले क्षेत्र की पूरी तलाशी ली गई लेकिन कोई अन्य उग्रवादी नहीं मिला। अभियान समाप्त किया गया। एल ई टी के दो उग्रवादियों के शव अलग-अलग स्थानों पर पाए गए। बाद में उनकी पहचान मोहम्मद इस्माइल निवासी पाक अधिकृत कश्मीर, पिता का नाम ज्ञात नहीं और समीर अहमद राठेर पुत्र गुलाम अहमद राठेर निवासी नवपुरा, पईन, पुलवामा के रूप में की गई। मारे गए उग्रवादियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में शुष्क राशन के अलावा 2 ए.के.-47 राइफल, 5 मैग्जीन और 90 राउंद बरामद हुए। इस बात को देखते हुए कि सुरक्षा बलों के कार्मिकों या संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ इसलिए इस क्षेत्र में सी आर पी एफ द्वारा अभियान की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री पी.महाराजन, कांस्टेबल, सतीश चंद, हैड कांस्टेबल और निरंजन सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहें है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 89-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री केदार नाथ सिंह

हैड कांस्टेबल/ड्राइवर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

नक्सलियों ने दिनांक 12.07.2009 को लगभग 0600 बजे राजनंदगांव सीमा चौकी मदनवाड़ा के सिविल पुलिस कार्मिकों पर उस समय घात लगाई जब ये दैनिक निवृत्ति के लिए गए हुए थे। एस पी राजनंदगांव से सूचना मिलने पर श्री विनोद चौबे, भा.पु.से ने पुलिस सीमा चौकी की ओर गाड़ियों के काफिले में घटना स्थल की ओर कूच किया। जब गाड़ियों का यह काफिला ग्राम कोरकोट्टि के निकट पहुंचा तो नक्सलियों ने इस काफिले पर गोलीबारी कर दी जिसमें इस काफिले के ड्राइवर को गोली लग गई और इसी बीच एस पी राजनंदगांव ने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को इस घटना के बारे में सूचित किया और मानपुर में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) एम पी वी के लिए कहा।

सूचना प्राप्त होने पर सी आर पी एफ के एम पी वी के साथ कुमुक दल घटना स्थल की ओर भेजा गया। जब सिविल पुलिस के साथ एम पी वी सातवें मील के पत्थर के निकट पहुंची तो नक्सलियों ने इस पर गोलीबारी कर दी। एम पी वी चला रहे केदार नाथ सिंह ने निरंतर चल रही गोलीबारी के बावजूद एम पी वी को आगे बढ़ाना जारी रखा और अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे को स्वीकार किया तथा एम पी वी को एक तरफ खड़ा भी कर दिया और घायल डी एफ जवान का पकड़ कर वाहन के अंदर रख दिया। हैड कांस्टेबल/ड्राइवर केदार नाथ सिंह ने स्वयं अपना जीवन अत्यंत खतरे में डाला और साहस पूर्वक एम पी वी को चारों ओर घुमाते रहे ताकि वाहन में बैठे पुलिस कार्मिक कारगर ढंग से जबावी कार्रवाई कर सकें। नक्सली अधिक संख्या में थे और उन्होंने टायर फाड़ने के लिए गोली चला कर और एम पी वी वाहन को घेर कर इस चाल पर जबाबी कार्रवाई की जबकि कुछ नक्सली सड़क से आए और ड्राइवर को डराने के लिए उन्होंने सीधे ही सामने के शीशे पर गोली चला दी लेकिन हैड कांस्टेबल/ड्राइवर घबराया नहीं और फटे हुए टायर से ही ये बहादुरी से वाहन को चलाते रहे जिससे पुलिस कार्मिक कारगर ढंग से गोलीबारी कर सके और इन्होंने अपनी कार्बाइन, एम पी वी के ऊपर की तरफ कर दी और नक्सलियों पर गोलीबारी कर दी जिससे एक नक्सली पर गोली लग गई और वह सड़क पर गिर पड़ा। ड्राइवर केदार नाथ सिंह उस नक्सली को चलती एम पी वी के नीचे ही कुचलना चाहते थे लेकिन अचानक चट्टान के पीछे से एक और नक्सली आया और उसने घायल नक्सली को झाड़ियों में खींच लिया। बाद में नक्सलियों ने एम पी वी पर हमला कर दिया और पैट्रोल बमों

से एम पी वी को जला कर उड़ाने की कोशिश की। हैड कांस्टेबल/ड्राइवर के.एन. सिंह ने अपने जीवन को गंभीर खतरे में डाला और भारी गोलीबारी के बीच एम पी वी वाहन को सफलतापूर्वक मानपुर की ओर ले गए और शौर्य का परिचय दिया।

फिर हैड कांस्टेबल/ड्राइवर केदार नाथ सिंह, एम पी वी को आगे-पीछे ले गए ताकि जवान और अधिक कारगर ढंग से गोलीबारी का सकें और दूसरे कार्मिकों तक पहुंच सकें और वे एम पी वी में आड़ ले सकें। अचानक ही इन्होंने इस गोलीबारी में सड़क के निकट एक पेड़ के साथ आई जी पी दुर्ग को अपने गनमैन के साथ देखा। तत्काल ये एम पी वी को पीछे मोड़ कर आई जी पी के निकट ले गए और आई जी पी तथा इनके गनमैन की कमीज के कॉलर को पकड़ कर एम पी वी के अंदर खींच लिया और फिर एम पी वी को पीछे मोड़ा ताकि अंदर बैठे कार्मिक एम पी वी के स्लॉट से अलग-अलग दिशाओं में गोलीबारी कर सकें। इन्होंने यह भी नोट किया कि नक्सली चट्टानों और पेड़ों के पीछे से गोलीबारी कर रहे हैं और मृत जवानों के हथियार उठा रहे हैं और फिर जंगल में ओझल हो रहे हैं। ऐसे अवसर पर हैड कांस्टेबल/ड्राइवर केदार नाथ सिंह ने एम पी वी के माइक्रोफोन पर जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि वे नक्सलियों पर अलग-अलग दिशाओं में गोलीबारी करें। घटना स्थल के लगभग निकट पहुंची सी आर पी एफ पार्टी ने भाग रहे नक्सलियों की दिशा में एच ई बम फेंके जिसके परिणामस्वरूप नक्सली घने वन, पथरीली जमीन और नालों का लाभ उठा कर घटना स्थल से भाग खड़े हुए।

इस घटना में हैड कांस्टेबल/ड्राइवर केदार नाथ सिंह ने उत्कृष्ट और अनुकरणीय साहस, वीरता, उच्च चरित्र, अतुलनीय बहादुरी का परिचय दिया, अपने जीवन को खतरे में डाला और दूसरे के हित के लिए कर्तव्य का पालन करते हुए अत्यंत सूझ-बूझ का परिचय दिया जिससे श्री मुकेश गुप्ता, आई जी पी (सिविल पुलिस) और अन्य 11 कार्मिकों का जीवन बचाया जा सका।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित बरामदगियां की गईं और उन्हें घटना स्थल ही नष्ट कर दिया गया।

(क) 09 ग्रेनेड (ख) 12 मोलोटोव कॉकटेल (ग) पैट्रोल बम (घ) 60 मीटर बिजली की तार।

इस मुठभेड़ में श्री केदार नाथ सिंह, हैड कांस्टेबल/ड्राइवर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.07.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 90-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सत्येन्द्र नाथ सिंह, सहायक कमांडेंट — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
2. संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
3. गुलाब सिंह, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक का प्रथम बार)
4. कृष्ण कुमार, कांस्टेबल — (वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

नक्सलियों द्वारा दिनांक 14.06.2006 और 15.06.2006 को किए गए बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस की मांग के अनुसार टुकड़ियां अपनी ड्यूटियों पर थीं। दिनांक 13.06.2006 को टुकड़ियां, पी एस रामगढ़ के अंतर्गत पत्रतु गईं और वहां पर रात में रूक गई। दिनांक 14.06.2006 को लगभग 1000 बजे टुकड़ियां रेलगाड़ी में सवार हुई, हैंदरगिर पहुंची और उस क्षेत्र की तलाशी ली। दिनांक 15.06.2006 को लगभग 2000 बजे टुकड़ियां, शाक्तिपुंज एक्सप्रेस रेल गाड़ी में सवार हुईं और लगभग 2130 बजे बाराखाना पहुंची। वहां से टुकड़ियां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ)/सिविल पुलिस के वाहनों पर सवार हुई और 0030 बजे घाटो पहुंची। यह सूचना प्राप्त होने पर कि नर्की जंगल में नक्सली बहुतायत संख्या में मौजूद हैं, एस पी हजारीबाग ने टुकड़ियों को सूचित किया कि वे डुबका गावं चले जाएं। लगभग 0600 बजे नर्की पहुंचने पर टुकड़ियों ने वाहन छोड़ दिए और पैदल ही दो दलों में डुबका की ओर चल पड़े। एक दल श्री एस.एन.सिंह, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में और दूसरा दल उपनिरीक्षक/जीडी नवीन कुमार झा के नेतृत्व में था। इसी बीच श्री एस.एन.सिंह, सहायक कमांडेंट ने भी नक्सलियों के एकत्र होने के बारे में स्थानीय ग्रामीणों से सूचना एकत्र की और इस आशय की सूचना मिलने पर 72वीं बटालियन की टुकड़ियां सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए चतुराई से आगे बढ़ी। जब श्री एस.एन. सिंह अपने दल के साथ संदिग्ध छिपने/प्रशिक्षण स्थल की ओर बढ़ रहे थे तो नक्सलियों ने इस दल पर निगरानी चौकी से गोलीबारी कर दी। श्री एस.एन. सिंह, सहायक कमांडेंट के दांये पैर पर गोली लग गई लेकिन इन्होंने अपनी निजी सुरक्षा और जीवन की परवाह नहीं की और आगे बढ़ना तथा जबावी गोलीबारी करना जारी रखा। इस मुठभेड़ के दौरान श्री एस.एन. सिंह, सहायक कमांडेंट ने एक नक्सली को मार गिराया और उसके कब्जे से

एक एस एल आर बरामद की। नक्सलियों के साथ भयंकर मुठभेड़ होती रही और एक अधिकारी ने गोलीबारी करना जारी रखा और टुकड़ियों को इस ढंग से संगठित किया कि उन पर गोली लग जाने के बारे में जानकारी मिलने पर टुकड़ियों का मनोबल न गिरे। दांये पैर पर गोली लग जाने के बावजूद श्री एस.एन. सिंह, सहायक कमांडेंट ने सामने की पहाड़ी से टुकड़ियों को निदेश देना जारी रखा कि वे नक्सलियों की घेराबंदी करें और उन पर गोलीबारी करना तथा बम फैंकना जारी रखें। श्री एस.एन. सिंह, सहायक कमांडेंट ने अपनी टुकड़ियों के कांस्टेबल/जीडी गुलाब सिंह, कांस्टेबल/जीडी संतोष कुमार सिंह और कांस्टेबल/जीडी कृष्ण कुमार नामक तीन कांस्टेबलों के साथ नक्सलियों को ललकारा और गोलीबारी जारी रखी। जब नक्सलियों की ओर से गोलीबारी रूक गई तो पूरे क्षेत्र का घेराव किया गया और पूरी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, एक एस एल आर, दो .303 राइफल मैग्जीन के साथ, एक .315 सिंगल बैरल राइफल, एक नक्सली का शव, तीन मैन पैक्ड मोटोरोला सैट, 12 इलैक्ट्रानिक डिटोनेटर, 700 जीवित राउंद, दो फ्लैश आपरेटिड आई ई डी, एक इलैक्ट्रानिक आपरेटिड आई ई डी, 26700/-रूपए नकद, पोलीथीन शीट के साथ 40 थैले, वर्दी, वर्तन, नक्सली साहित्य और उपयोग की अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। मारे गए नक्सली के शव सहित बरामद किए गए सभी हथियार/गोलीबारूद और अन्य वस्तुएं सिविल पुलिस को सौंपी गई। मुठभेड़ के बाद निकटवर्ती ग्रामीणों ने पुष्टि की कि मुठभेड़ के दौरान 2-3 नक्सली भी घायल हुए जिन्हें नक्सली अपने साथ ले गए। उल्लिखित तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि खूंखार नक्सली को मार गिराने और बड़ी मात्रा में हथियार/विस्फोटक पदार्थ बरामद किया जाना तभी संभव हो सका जब श्री एस.एन. सिंह ने असाधारण साहस, वीरता, नेतृत्व, दृढ़ता और संकल्प का परिचय दिया तथा कांस्टेबल संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल गुलाब सिंह और कांस्टेबल कृष्ण कुमार नामक 72 बटालियन के तीन कास्टेबलों ने अनुकरणीय वीरता और संकल्प का परिचय दिया। इन्होंने भारी गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह नहीं की और बढ़ते रहे और बहादुरी से लड़ाई लड़ी तथा न्यूनतम बल प्रयोग करके और पुलिस कार्मिकों के अमूल्य जीवन को हानि पहुंचाए बगैर सफलता हासिल की।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सत्येन्द्र नाथ सिंह, सहायक कमांडेंट, संतोष कुमार सिंह, कांस्टेबल, गुलाब सिंह, कांस्टेबल और कृष्ण कुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक का प्रथम बार/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 16.06.2006 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 91-प्रेज/2011 - राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अरूण कुमार
   सहायक कमांडेंट
2. मोहम्मद रियाज
   कांस्टेबल
3. अनूप कुमार हरंगखल
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 05.10.2009 को लगभग 2200 बजे श्री अरूण कुमार ओ सी ए-187 बटालियन, रात को कैंप क्षेत्र की नियमित गश्त पर थे। इन्हें डुमरू टॉप क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में यूनिट/कंपनी द्वारा विकसित स्रोत से सूचना प्राप्त हुई। इन्होंने तत्काल यह सूचना टेलीफोन पर कमांडेंट, 187 बटालियन को दी और अभियान चलाने के आदेश मांगे। दूसरे स्रोतों से सूचना की पुष्टि करने के बाद कमांडेंट, 187 बटालियन ने सिविल पुलिस के साथ अभियान चलाने के आदेश दिए। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट ने अभियान की योजना बनाई और अभियान के लिए कार्मिक चुने, कार्रवाई के दौरान सिविल पुलिस के साथ भूमिका, जिम्मेदारी और आर वी बिन्दुओं, अभियान से पहले और अभियान के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानी के बारे में उन्हें बताया। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेट के नेतृत्व में जी ओ-01, हैड कांस्टेबल/जीडी-03, कांस्टेबल/जीडी-24, कुल-28 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) और सिविल पुलिस 09 को मिला कर बनाए गए संयुक्त दल ने लगभग 2300 बजे डुमरू टॉप क्षेत्र की ओर कूच किया। यह दल अंधेरे और घने पहाड़ी वन से हो कर लगभग 10 कि.मी. आगे बढ़ा और दिनांक 06.10.2009 को लगभग 0400 बजे आर वी पहुंचा। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट ने अंधेरे में ही महत्वपूर्ण/रणनीतिक बिंदु निश्चित किए और घेरा डाल दिया। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट और बल के चुने हुए कुछ कार्मिक चुपचाप डुमरू टॉप की चोटी पर पहुंचे। लगभग 0600 बजे जब संयुक्त दल ने तलाशी अभियान शुरू किया तो श्री अरूण

कुमार (दल कमांडर) ने डुमरू टॉप की ओर जाते हुए कंबल में लिपटे 03 संदिग्ध व्यक्ति देखे। श्री अरूण कुमार (दल कमांडर) ने उन तीन संदिग्ध व्यक्तियों को ललकारा।

इस पर उन संदिग्ध व्यक्तियों ने दल पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी। श्री अरूण कुमार ने कांस्टेबल/जीडी मोहम्मद रियाज खां, कास्टेबल/जीडी अनूप कुमार हरंगखल,ए/187 बटालियन और सी आर पी एफ/सिविल पुलिस के अन्य कार्मिकों के साथ जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ओर से हुई इस गोलीबारी के दौरान श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट ने नोट किया कि एक उग्रवादी पहाड़ी भू-भाग की गहरी खाई की झाड़ियों में छिपा हुआ है। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट, मोहम्मद रियाज खां, कांस्टेबल/जीडी और अनूप कुमार हरंगखल, कांस्टेबल/जीडी ने भारी गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह किए बगैर छिपे हुए उग्रवादी की ओर चतुराई से आगे बढ़ना शुरू किया। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट और ए/187 बटालियन के उक्त दो कांस्टेबल/जीडी ने घायल उग्रवादी द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच अपने जीवन की परवाह किए बगैर पहाड़ी भू-भाग में लगभग 500 मीटर तक उग्रवादी का पीछा किया और जावेद इकबाल, कोड नाम-मतीन, निवासी देहेदानी मरमत, जिला-डोडा नामक एच एम के एक खूंखार उग्रवादी को मार गिराया और मुठभेड़ स्थल से एक ए के-47 राइफल, 10 जीवित राउंद, एक मैग्जीन और एक वायरलैस सैट बरामद किए। श्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट द्वारा किए गए वीरता के इस कृत्य से इस यूनिट विशेष और सामान्य रूप से बल की कीर्ति बढ़ी है। तलाशी के दौरान छिपे हुए उग्रवादी के उस स्थान को नष्ट कर दिया गया। उक्त तीन कार्मिकों के दल ने अनुकरणीय साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अरूण कुमार, सहायक कमांडेंट, मोहम्मद रियाज, कांस्टेबल और अनूप कुमार हरंगखल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 06.10.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा,
संयुक्त सचिव.

24—101 GI/2011

सं. 92-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. सेवा सिंह
   हैड कांस्टेबल
2. जी. राधाकृष्णन
   हैड कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27.09.2008 को 63 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) की तीन प्लाटून ने 4 सिविल पुलिस कार्मिकों के साथ लगभग 0300 बजे बदेनघोल और कोंगेरा गांवों, जहां के बारे में आसूचना जानकारी से पता चला था कि अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए बड़ी संख्या में नक्सली यहां पर एकत्र हुए हैं, में नक्सल-रोधी अभियान चलाने के लिए ए/63 बटालियन, धौड़ी शिविर से कूच किया। टुकड़ियों ने नक्सलियों को पकड़ने और निष्क्रिय करने के लिए आस-पास के क्षेत्र की तलाशी लेने की योजना बनाई। ये चतुराई से उक्त गांवों की ओर पैदल बढ़ रहे थे। जब ये टुकड़ियां लगभग 0845 बजे उक्त गांवों के निकट गहरे जंगली क्षेत्र की तलाशी ले रही थी तो रामू और उर्मिला, आंध्र के खूंखार और सूचीबद्ध नक्सली, नामक नक्सल कमांडर के नेतृत्व में कम से कम 30-40 नक्सलियों के नक्सली दलम (मिलिट्री विंग) ने टुकड़ियों पर घात लगा दी। उन्होंने टुकड़ियों पर आधुनिक हथियारों से भारी गोलीबारी कर दी। टुकड़ियों ने गोलीबारी से बचने के लिए आड़ लेने के बाद नक्सलियों को गोलीबारी में उलझाए रखा। इस गोलीबारी में नक्सलियों ने टुकड़ियों पर हावी होने की कोशिश की ताकि पुलिस कार्मिकों की हत्या/घायल करके उनके हथियारों को लूटा जा सके। इसी अफरा-तफरी में नक्सलियों ने सिविल पुलिस के एस पी ओ चैतू को देख लिया जो स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में टुकड़ियों के साथ आया था और आगे बढ़ रहा था, उस पर गोली लग गई और वह नीचे गिर पड़ा। वहां पर एक नक्सली दिखाई दिया और उसने एस पी ओ चैतू की हत्या करके उसकी एस एल आर राइफल छीनने की मंसा से घायल एस पी ओ चैतू पर हमला कर दिया। अपने जीवन को खतरे में देख करके एस पी ओ चैतू सहायता के लिए चिल्लाया। इस पर हैड कांस्टेबल सेवा

सिंह, सी/63 बटालियन, जिन्होंने निकट ही मोर्चा संभाला हुआ था और जो गोलीबारी कर रहे थे, भारी गोलीबारी के बीच तुंरत आए और देखा कि एक नक्सली, घायल एस पी ओ चैतू को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा है तथा अपने तेज धार वाले हथियार से उसकी हत्या करने के लिए खींच रहा है तथा साथ ही उसकी एस एल आर राइफल भी लूटने की कोशिश कर रहा है। दोनों के बीच संघर्ष अपने चरम बिन्दु पर था। सेवा सिंह ने इस तीव्र लड़ाई में समय गंवाए बिना अपने जीवन को खतरे में डाला और निशाना साध करके उस नक्सली को घटना स्थल पर ही ढेर कर दिया तथा ये घायल एस पी ओ का जीवन और उसका हथियार बचाने में सफल रहे। इसी बीच जब सेवा सिंह इस लड़ाई में लिफ्त थे तो निकटवर्ती स्थान पर छिपा हुआ एक और नक्सली अचानक बाहर आया और उसने सेवा सिंह को लक्ष्य बना कर गोलीबारी शुरू कर दी। इस चीख पुकार को सुन कर जब हैड कांस्टेबल जी. राधाकृष्णन, ए/63 बटालियन वहां आए तो इन्होंने देखा कि एक नक्सली, इनके साथी सेवा सिंह को लक्ष्य बना करके इन पर गोली चला रहा है। श्री जी.राधाकृष्णन ने इस पर अत्यंत सूझ-बूझ का परिचय दिया और उस नक्सली को वहीं पर ढेर कर दिया। श्री जी. राधाकृष्णन का यह साहसिक कृत्य, बहादुरी और सूझ-बूझ का सर्वोच्च उदाहरण है जिसमें अपने जीवन की तुलना में दूसरों के जीवन को अधिक मूल्य दिया गया है। नक्सलियों ने अपने मृत साथियों के शव उठा कर ले जाने की कोशिश की लेकिन उक्त दोनों कार्मिकों द्वारा लक्ष्यबद्ध और कारागार गोलीबारी के कारण उनकी यह कोशिश सफल नहीं हो सकी। घटना स्थल पर ही अपने साथियों के मारे जाने और सुरक्षा बलों द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई सें घबरा कर नक्सलियों ने घने झाड़-झंकार और ढलवा पहाड़ी क्षेत्र का लाभ उठाया और इस गोलीबारी से डर कर भाग खड़े हुए। तथापि, दोनों ओर से लगभग 20-25 मिनट तक गोलीबारी हुई। इसके बाद पूरे क्षेत्र की अच्छी तरह से तलाशी ली गई जिसमें उक्त दोनों नक्सलियों के शवों सहित 03 भरमर बंदूकें, एक टिफिन बम जिसमें आई ई डी था और 25 मीटर बिजली की तार बरामद हुई। घटना स्थल पर कई स्थानों पर खून के धब्बे भी पाए गए जिससे इस तथ्य का पता चलता है इस मुठभेड़ में निश्चित ही कुछ और नक्सली मारे गए होंगे लेकिन नक्सली उन्हें खींच कर अपने साथ ले गए होंगे।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री सेवा सिंह, हैड कांस्टेबल और जी. राधाकृष्णन, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 93-प्रेज/2011- राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अमित कुमार त्यागी
   कांस्टेबल (मरणोपरांत)
2. भानु प्रताप यादव
   कांस्टेबल
3. भुपाल मजुमदार
   उप-निरीक्षक

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

ग्राम- मुंडयारी, पी एस- पट्टन, बारामुला (जम्मू और कश्मीर) में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में दिनांक 19.04.2009 को लगभग 1930 बजे एस पी (ओपीएस) एस ओजी, कार्गो, श्रीनगर से विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई। एस पी (ओ पी एस), एस ओ जी, श्रीनगर और श्री निशांत वैष्णव, सहायक कमांडेंट, 117 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) द्वारा विशेष अभियान की एक संयुकत योजना बनाई गई। तदनुसार, एफ/117 बटालियन, सी आर पी एफ की प्लाटून ने एस ओ जी कार्गो कार्मिकों के साथ लगभग 2030 बजे एस ओ जी कार्गो कांप्लेक्स से कूच किया और लगभग 2115 बजे ग्राम-मुंडयारी (पट्टन) की सीमा में पहुंचे। दी गई सूचना के अनुसार एफ/117 बटालियन सी आर पी एफ और एस ओ जी ने ग्राम-मुंडयारी का आंतरिक घेराव करना शुरू किया। यह आंतरिक घेराव लगभग 0300 बजे पूरा हुआ। इसी बीच 29 आर आर और 45 बटालियन सी आर पी एफ भी इसमें शामिल हो गई और इन्होंने बाहरी घेरा डाला। पहली किरण के साथ एफ/117 बटालियन सी आर पी एफ दल और एस ओ जी कार्गो श्रीनगर के कार्गो द्वारा तलाशी शुरू की गई। इस उद्देश्य से कि कोई सिविलियन हताहत न हो इसलिए मो. खांडे पुत्र अब्दुल अजीज खांडे के संदिग्ध मकान और आस-पास के मकानों में रह रहे लोगों को वहां से हटाने के पूरे प्रयास किए गए। तलाशी अभियान के दौरान जब मो. खांडे पुत्र अब्दुल अजीज खांडे के मकान में छिपे उग्रवादियों को बच कर भाग निकलने का कोई रास्ता न मिला तो उन्होंने लगंभग 0700 बजे ऑप्रेशन टुकड़ियों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।

ऑप्रेशन टुकड़ियों ने इस गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जबाव दिया। इसी बीच उग्रवादियों ने दल पर ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड के छर्रों से अपने आप को बचाने के उद्देश्य से सुरक्षा दल ने तदनुसार उस समय उपलब्ध सुरक्षित आड़ ली । इसी बीच उग्रवादी सुरक्षा दल की ओर आगे बढ़े और उन्होंने बहुत नजदीक से सुरक्षा दल पर गोलीबारी कर दी जिससे उप निरीक्षक/जीडी भुपाल मजुमदार, कांस्टेबल/जीडी भानु प्रताप यादव और कांस्टेबल/जीडी अमित कुमार त्यागी पर गोलियाँ लगने के कारण ये घायल हो गए लेकिन सुरक्षा दल ने अपने जीवन की परवाह किए बगैर उग्रवादी पर गोलीबारी करनी जारी रखी और उसे वहीं पर ढेर कर दिया। मारे गए उग्रवादी की पहचान अब्दुल रशीद बेग पुत्र गु. मोहम्मद बेग निवासी गनिस्तान, सुम्बल जिला बांदीपुरा (जम्मू और कश्मीर) एच एम ग्रुप के रूप में हुई। उन उग्रवादियों से कुछ और जानकारी प्राप्त होने पर एस ओ जी कार्मिकों के साथ हमारे दल ने उनसे निम्नलिखित हथियार/गोलीबारूद बरामद किए:

राइफल एके-47-01 नग, मैग्जीन एके-47-05 नग, मैग्जीन पिस्तौल -01 नग और पाउच -01 नग। उग्रवादी का शव और बरामद किये गये हथियार/गोलीबारूद, पी एस-पट्टन, बारामुला, जम्मू और कश्मीर को सौंपे गए।

उप निरीक्षक/जीडी भुपाल मजुमदार, कांस्टेबल/जीडी भानु प्रताप यादव और कांस्टेबल/जीडी अमित कुमार त्यागी को विशेष अभियान के दौरान शरीर पर कई जगह चोटें आईं। घायल कार्मिकों को इलाज के लिए तत्काल 29 आर आर अस्पताल ले जाया गया जहां अमित कुमार त्यागी की घायलावस्था में मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री (स्व.) अमित कुमार त्यागी, कांस्टेबल, भानु प्रताप यादव, कांस्टेबल और भुपाल मजुमदार, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 19.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 94-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. रघुवंश कुमार
   सेकण्ड-इन-कमांड
2. कृष्ण कुमार हलदर
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 27.01.2009 को लगभग 1300 बजे, श्री रघुवंश कुमार, 2-आई/सी, 177 बटालियन, सी आर पी एफ ने अमरगढ़, सोपोर में एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरु किया। सैन्य टुकड़ियों को देखते ही आतंकवादी ने गोलीबारी शुरु कर दी और बचकर भाग निकलने का प्रयास किया। श्री रघुवंश कुमार ने असीमित साहस दर्शाते हुए और अपनी जान को भारी खतरे में डालते हुए, अन्य सैन्य टुकड़ियों को बचाने के उद्देश्य से उस आतंकवादी पर बहुत करीब से गोलीबारी की और उसे घायल कर दिया जो पास की ही एक गली में चला गया।

कांस्टेबल कृष्ण कुमार हलदर ने उस गली में अपने आदमी तैनात करके और अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादी पर सामने से गोलीबारी शुरु कर दी। आतंकवादी एक घर में छिप गया और शांत बैठा रहा। श्री कुमार और कांस्टेबल हलदर ने जे के पी और 52 आर आर की संयुक्त टीम के साथ घर की तलाशी का कार्य शुरु किया। तलाशी के दौरान, आतंकवादी ने अचानक भारी गोलीबारी शुरु कर दी और टीम पर हथगोले फेंके जिसके फलस्वरुप 52 आर आर के राइफलमैन श्री सोहन लाल शर्मा मारे गए और दो अन्य सैन्य-कर्मी घायल हो गए। श्री कुमार और कांस्टेबल हलदर अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादी के बहुत करीब जा पहुँचे और उस पर गोलीबारी शुरु कर दी। उनकी त्वरित और साहसपूर्ण कार्रवाई से न केवल अन्य कार्मिकों की जान बचाई जा सकी बल्कि आतंकवादी को भी मार गिराया गया।

मारे गए आतंकवादी की पहचान अबु हम्जा, प्रभागीय कमांडर, लश्कर-ए-तैयबा के रूप में हुई। उसके पास से एक ए के-47 राइफल, 04 मैगजीनें और 31 राउण्ड बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रघुवंश कुमार, सेकण्ड-इन-कमांड और कृष्ण कुमार हलदर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 28.01.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव.

सं. 95-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. विशाल पाटीदार
   सहायक कमांडेंट
2. मोहम्मद आरिफ़ वागाय
   कांस्टेबल
3. तनवीर अहमद मीर
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11.04.2009 को भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों, जिसका एक भाग जे ई एम जैसे आत्मघाती दस्ते के रूप में जाना जाने वाला आतंकवादी संगठन हो सकता था, की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर कुछ ही मिनटों में सहायक कमांडेंट श्री विशाल पाटीदार और 53 आर आर और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की एस.ओ.जी. यूनिट के विशेष अभियान दल के साथ पुलवामा जिले के स्थानीय अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशंस) श्री असलम के नेतृत्व में उस विशिष्ट क्षेत्र की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरु किया गया। श्री विशाल पाटीदार सी आर पी एफ अभियान दल के प्रभारी कम्पनी कमान्डर थे और इनके पास पुलवामा में उग्रवादी/आतंकवादी हमले के विरुद्ध चलाए गए विशेष अभियान के समन्वय का प्रभार था। तदनुसार, लगभग 1845 बजे श्री विशाल पाटीदार के नेतृत्व में ए/182 सी आर पी एफ की एक प्लाटून जम्मू एवं कश्मीर पुलिस और 53 आर आर के विशेष अभियान दल के साथ से क्षेत्र विशेष की ओर गई और उस क्षेत्र को सभी सिविलियनों से खाली करा लिया और लक्ष्य-मकान को घेर लिया। उसी समय यह पता चला कि लक्ष्य-मकान में छिपे आतंकवादियों की संख्या अधिक हो सकती है और चारों ओर से सुरक्षा बलों पर एक साथ हमले हो सकते हैं और यह भी पता चला कि सभी आतंकवादी एक ही स्थान पर नहीं होंगे। एस ओ जी की पार्टी जिसमें सी आर पी एफ के श्री विशाल पाटीदार प्रतिनिधि थे, अपनी जान की परवाह किए बिना उस स्थल की ओर गए और आतंकवादियों को बाहर निकालने और सी ए एस ओ अभियान चलाने के

उद्देश्य से तत्काल उस क्षेत्र की घेराबंदी करने की व्यवस्था की। यह कार्य अगले दिन सुबह होने तक जारी रहा और इस लम्बी अवधि के दौरान, श्री विशाल पाटीदार और दो कांस्टेबलों अर्थात् मोहम्मद आरिफ़ वागाय और तनवीर अहमद मीर ने शौर्य और धैर्य की सच्ची भावना प्रदर्शित की और अत्यधिक तत्परता भी बनाए रखी। अगले दिन सूर्योदय के समय जब आतंकवादियों ने तलाशी दल पर गोलीबारी की तब श्री विशाल ने स्थिति पर नियंत्रण स्थापित किया और सामने की ओर से तथा बाईं ओर से हो रही भीषण गोलीबारी के बीच अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए उस स्थल तक पहुंचे और इस प्रकार तलाशी दल तथा सिविलियनों को बचाने का उनका उद्देश्य पूरा हुआ। इस प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशंस) श्री असलम की नेतृत्व वाली एस ओ जी टीम द्वारा जे ई एम का एक आतंकवादी, आज़ाद बदर मारा गया।

53 आर आर के असॉल्ट कमांडर कैप्टन पटियाल को एक अन्य आतंकवादी से घातक चोट पहुँची। बाद में यह आतंकवादी सभी पार्टियों पर गोलीबारी जारी रखने के प्रयोजन से पड़ोस के एक बड़े मकान में चला गया। जब शेष टीम और शेष नेतृत्व दल गोलीबारी के अपनी रक्षा करने में व्यस्त था, तब श्री विशाल पाटीदार ने केवल दो कांस्टेबलों के साथ पुनः अदम्य साहस और शौर्य की भावना प्रदर्शित की और अत्यंत संकटकालीन स्थिति के महत्व को भाँपकर सी आर पी एफ की छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया जो अब घेराबंदी पार्टी न रहकर आक्रमण-पार्टी में तब्दील हो गई। संकटकाल में नेतृत्व की यह मिसाल निश्चित रूप से एक ऐसे निर्भीक सैनिक के महान गुणों को प्रकट करती है जो न केवल अपने साथियों को बचाने बल्कि अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार है। तत्पश्चात् श्री विशाल ने बच निकलने के एकमात्र रास्ते को, जो फंसे हुए आतंकवादी के लिए सुलभ था, तत्काल सील कर दिया। यदि श्री विशाल ने वीरता की भावना प्रदर्शित न की होती और असॉल्ट कमांडर का स्थान न लिया होता, तो उग्रवादी निश्चित रूप से निकल भागने में सफल हो गया होता। इन तीनों लोगों ने ही अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए ऐसे समय पर अपनी सक्षमता और कौशल का प्रदर्शन करते हुए योजनाबद्ध, सुसमन्वित और लक्ष्यबद्ध गोलीबारी की, जब इन गुणों की अत्यधिक आवश्यकता थी। इस दुर्लभ से दुर्लभतम समय पर दुर्लभ से दुर्लभतम गुणों के प्रदर्शन के परिणामस्वरूप आतंकवादी पैर में चोट लगने से घायल हो गया। इस प्रकार असॉल्ट कमांडर श्री विशाल ने बच निकलने के एकमात्र रास्ते को वास्तविक रूप में अवरुद्ध करके और आतंकवादी को पैर में चोट पहुंचा कर उसे घायल करके दो कार्य किए।

उस विशेष समय पर असॉल्ट कमांडर (श्री विशाल) की शौर्यपूर्ण कार्रवाई का सबसे बड़ा साक्ष्य और प्रमाण स्वयं घायल उग्रवादी से प्राप्त हुआ क्योंकि घायल उग्रवादी की अन्यत्र अपने कमांडर के साथ टेलीफोन पर बातचीत सक्षम प्राधिकारी द्वारा सतत अवरुद्ध करके सुनी जा रही थी। बाद में अंतिम आक्रमण के एक भाग के रूप में कांस्टेबल मोहम्मद आरिफ और तनवीर अहमद मीर की सहायता से श्री विशाल ने उस मकान में हथगोले फेंके और अभियान को समाप्त किया। वे उस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे, जहाँ से निरन्तर गोलीबारी हो रही थी। अभियान की समाप्ति पर, जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के दो खतरनाक आतंकवादियों के शव

बरामद हुए जिनकी पहचान (1) अजाज बाबर पुत्र ताज मोहम्मद निवासी – हवेली लाकाह, जिला – ओकारा, पाकिस्तान और (2) अहसानुल्लाह फ़ारुक़ी उर्फ अफाक पुत्र बरकतुल्लाह कुरैशी निवासी रावलपिंडी, पाकिस्तान के रूप में हुई। इस अभियान के परिणामस्वरूप निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद/सामान भी बरामद किए गए:-

i)	ए के -56 राइफल	-	01 (क्षतिग्रस्त)
ii)	ए के – 47 राइफल	-	01
iii)	ए के मैगजीन	-	05 (02 क्षतिग्रस्त)
iv)	चीन निर्मित हथगोला	-	01
v)	जे ई एम पहचान-पत्र	-	01
vi)	जाली स्थानीय पहचान-पत्र	-	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री विशाल पाटीदार, सहायक कमांडेंट, मोहम्मद आरिफ वागाय, कांस्टेबल और तनवीर अहमद मीर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 96-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01.	जयपाल सिंह उप-निरीक्षक	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
02.	भरत राम हैड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
03.	दिवाकर तिवारी उप-कमांडेंट	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
04.	शंकर कुमार सहायक कमांडेंट	(वीरता के लिए पुलिस पदक)
05.	प्रदीप कुमार सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 10.4.09 को लगभग 0840 बजे सी आर पी एफ की ए/55 बटायिन के 45 कार्मिकों की एक पार्टी चिन्तागुफा पुलिस स्टेशन पर तैनात 06 सिविल पुलिस कार्मिकों के साथ सी/डब्ल्यू जी पी ई 2009 में मिनप्पा मतदान केन्द्र के क्षेत्र और रास्ते की टोह लेने के लिए पैदल मार्च किया। लगभग 1130 बजे रास्ते में जब सैन्य कर्मी दल गाँव पाइडीगुडा पार कर रहा था, तब अत्याधुनिक हथियारों से लैस और जन मिटिया द्वारा समर्थित नक्सलियों के एक बड़े समूह ने उन पर आक्रमण कर दिया जिसका सैन्य दल ने प्रभावकारी जवाब दिया। तथापि, नक्सली सैन्य दल की घेराबंदी करने में सफल रहे और शीघ्र ही उन्होंने स्थिति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बीच, सैन्य दल ने वायरलेस के माध्यम से अपने मुख्यालय से अतिरिक्त बल की मांग की। भीषण गोलाबारी में, हैड कांस्टेबल भरत राम ने एक नक्सली को गोलीबारी करते देख, एक पेड़ की आड़ लेकर सटीक निशाना साधा और उसे मार गिराया। कुछ देर के बाद, एक साथी नक्सली जो मारे गए नक्सली के उठाने और घसीटकर ले जाने का प्रयास कर रहा था, भी उनके द्वारा मार गिराया गया। इस लड़ाई में हैड कांस्टेबल भरत राम नक्सलियों की भारी गोलीबारी के चपेट में आ गए और सरकारी सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। शहीद भगत राम ने अंतिम सांस लेने से पूर्व चतुराई से अपना हथियार अपने शरीर के नीचे छिपाकर बचा लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल चोला राम पटेल भी एक नक्सली को मार गिराने में सफल हुए। अतिरिक्त बल एक-एक करके तीन बार में आया। वे पहली पार्टी के आगे चले और सीधी मुठभेड़ में लिप्त हो गए। उप-निरीक्षक जयपाल सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 03 नक्सलियों का खात्मा कर दिया और उनके शव और हथियार बरामद किए।

तथापि, नक्सलियों ने अपने साथियों के शव प्राप्त करने के प्रयत्न में भारी गोलीबारी की जिसमें वे घटनास्थल पर ही मारे गये। सहायक कमांडेंट श्री शंकर कुमार ने अपने सथियों का आगे से नेतृत्व किया और कई नक्सलियों को मार गिराया। इस अधिकारी ने अपनी आँख में लगी चोट की परवाह किए बिना अपने सैन्य दल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उप-कमांडेंट श्री दिवाकर तिवारी ने नक्सलियों के पश्चिम की ओर से गोलीबारी करते हुए अपने दल के साथ घात के क्षेत्र में प्रवेश किया। कांस्टेबल प्रदीप कुमार सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना हिम्मत के साथ नक्सलियों को चुनौती देते हुए उनकी ओर आगे बढ़कर अदम्य साहस का परिचय दिया और दुश्मन की और से भारी गोलीबारी करते हुए नक्सलियों को भारी जनहानि पहुँचाई। तथापि, इस कार्रवाई में वे पेड़ के ऊपर से गोलियाँ चला रहे एक नक्सली को देख नहीं पाए और उनके सीने और घुटने में बहुत सी गोलियाँ [redacted] उन्होंने बेहोश होने तक गोलीबारी जारी रखी। उप कमांडेंट श्री दिवाकर तिवारी ने घायल कांस्टेबल प्रदीप कुमार सिंह और सहायक कमांडेंट श्री शंकर कुमार को बेहोशी ही हालत में सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। साथ ही साथ, वे वीरतापूर्वक अपने साथियों को नक्सलियों को मार गिराने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। दुर्भाग्यवश, उन्हें भी एक नक्सली की गोली लगी और घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। यह गोलीबारी लगभग तीन घण्टे तक जारी रही। उस क्षेत्र में हथियारों से गोलीबारी करने के बाद नक्सली पीछे हटे और घने जंगल में भाग गए। सूचना के अनुसार, इस गोलीबारी में 20-25 नक्सली मारे गए और कई नक्सली घायल हुए, लेकिन नक्सली अपने साथियों के शव घसीटकर ले जाने में सफल रहे।

[redacted]

तथापि, सैन्य दल भरी हुई मैगजीन सहित एक रेगूलर ए के एम राइफल, जिंदा कारतूस, वायरलेस सेट और नक्सली साहित्य आदि सहित लड़ाकू वेशभूषा में 03 नक्सलियों के शव बरामद करने में सफल रहा।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री (स्वर्गीय) जयपाल सिंह, उप-निरीक्षक, (स्वर्गीय) भरत राम, हैड कांस्टेबल, (स्वर्गीय) दिवाकर तिवारी, उप-कामंडेंट, शंकर कुमार, सहायक कमांडेंट और प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 10.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 97-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

1. श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा
   सेकण्ड-इन-कमांड
2. श्री माचामल्ला सदानन्दम
   कांस्टेबल
3. श्री विनय सरकार
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 06-07.01.2010 के दौरान, सी आर पी एफ ने एक पाकिस्तानी अबुक्रारी और एक कश्मीरी मंजूर अहमद, जिन्होंने श्रीनगर के लाल चौक में होटल पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया था, सहित भारी हथियारों से लैस दो आतंकवादियों का सफलतापूर्वक सामना किया और उन्हें मार गिराया और इसमें उनका कोई भी अधिकारी हताहत नहीं हुआ। यह अभियान 22 घण्टे चला। यह घटना निम्नलिखित रूप में हुई:

06 जनवरी को लगभग 1405 बजे माइसूमा पुलिस स्टेशन के एस एच ओ लाल चौक क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रहे थे। जब उन्होंने दो व्यक्तियों को अपने फिरान उठाने को कहा, तब उन्होंने फिरान के अंदर से ही गोली चला दी। उनके ड्राइवर, जो पास में ही खड़ा था, को सिर में गोली लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। उसके बाद आतंकवादी भाग निकले और भागते हुए उन्होंने एक हथगोला फेंका। सी आर पी एफ के हैड कांस्टेबल गेंदालाल कुशवाहा, जो ड्यूटी पर थे, घायल हो गये। आतंकवादी सड़क के दूसरी ओर से होटल पंजाब में घुस गए और वहाँ से गोलीबारी करनी शुरु कर दी। होटल के सामने से सी आर पी एफ की 132वीं बटालियन के कमांड पोस्ट के कार्मिकों ने तत्काल जवाबी गोलीबारी की। सी आर पी एफ की 180 बटालियन के सैन्यदल और जम्मू और कश्मीर पुलिस सहित श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा, सेकण्ड-इन-कमांड की कमान के तहत सी आर पी एफ की 132 बटालियन के सैन्यदल लाल चौक, श्रीनगर के पलाडियम थिएटर, जो अभियान के प्रयोजन के लिए लाल चौक

में सी आर पी एफ की कमांड पोस्ट के रूप में कार्य करता है, पर फिदायीन हमले का जवाब देने के लिए दिनांक 06.01.2010 से 07.01.2010 को एक अभियान में व्यस्त थे। 132 बटालियन, सी आर पी एफ की कमांड पोस्ट अर्थात् पलाडियम थिएटर परदिनांक 06.01.2010 को लगभग 1405 बजे सशस्त्र फिदायीन हमला हुआ और अंधाधुंध गोलीबारी हुई और हथगोले फेंके गए। 132 बटालियन, सी आर पी एफ पोस्ट पर हुए हमले का श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा, सेकण्ड-इन-कमांड की कमान में, जिन्होंने फिदायिनों पर जवाबी हमले की योजना बनाई, युक्तिपूर्वक जवाब दिया गया और उन्हें होटल पंजाब में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा, सेकंड-इन-कमांड ने लाल चौक के आस-पास के क्षेत्र की प्रभावकारी घेराबंदी करना भी सुनिश्चित किया जिसके द्वारा बचकर भाग निकलने के रास्ते सफलतापूर्वक बंद कर दिए गए और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और अपनी जान जोख़िम में डालकर मुठभेड़ स्थल से हताहतों को व्यक्तिगत रूप से हटाया। यह मुठभेड़ अर्थात् अपने सैन्य दल और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी, रात भर चली और अगले दिन अर्थात् 07.01.2010 को 1130 बजे समाप्त हुई। श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा, सेकंड-इन-कमांड, 132 बटालियन, सी आर पी एफ के सैन्यदल के साथ होटल पंजाब की बिल्डिंग पर कब्जा जमाए उग्रवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी से घिर गईं। अपने ऊपर की जा रही भारी गोलीबारी की परवाह न करते हुए और तैनात सुरक्षा बलों के होते हुए भी और चंगुल में फंसाने की चाल को जानते हुए भी, रूम इन्टरवेंशन पार्टी रणनीतिपूर्वक गोलीबारी के बीच आगे बढ़ी। इस प्रकार अपनी जान को जोख़िम में डालकर उन्होंने हमले का डटकर मुकाबला किया और उग्रवादियों को गोलीबारी में लिप्त रखा जिसके परिणामस्वरुप रूम इंटरवेंशन पार्टी अंतिम हमले की योजना बनाने में कामयाब हुई जिसमें दो उगग्रादी मारे गए।

आतंकवादियों को गोलीबारी में उलझाकर, बाजार में फंसे हुए, सैकड़ों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और हाउस इंटरवेंशन पार्टी ने अंततः आतंकवादियों को अगले दिन तक उलझाए रखा। हाउस इंटरवेंशन होटल पंजाब के आखिरी तल की दीवार में एम एम जी से गोलीबारी करके बनाई गई एक दरार के मध्यम से बनाया गया था। यह दरार एम एम जी से गोलीबारी की एक नई विधि से बनाई गई थी। हाउस इंटरवेंशन पेशेवर तरीके से किया गया था। इसके परिणामस्वरुप कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। तथापि, एक जवान अर्थात् कांस्टेबल सदानंदम एक आतंकवादी की गोली पैर में लगने से घायल हो गए थे। कांस्टेबल विनय सरकार ने हाउस इंटरवेंशन टीम के प्रवेश के लिए एक रास्ता बना दिया। वे भारी जोखिम उठाकर टिन से बनी छत पर लगभग 20-25 फुट तक चले। उन्होंने टीम के अन्य सदस्यों को बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करने में सक्षम बनाया। उन्होंने अपनी जान को भारी जोखिम होने के बावजूद उत्कृष्ट शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी इस शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप हाउस इंटरवेंशन टीम के अन्य सदस्यों के बिल्डिंग में प्रवेश करने की वजह से अंततः आतंकवादियों का खात्मा संभव हुआ।

जब हाउस इंटरवेंशन पार्टी ने होटल में प्रवेश किया, तब कांस्टेबल सदानंदम ने आगे से मोर्चा संभाले रखा और अच्छी तरह से यह जानते हुए कि आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं और सैन्य दल की गतिविधियों को देख रहे हैं, उन्होंने अपने आपको भारी खतरे में डालकर अन्य सदस्यों की आगे रहकर सुरक्षा की। उन पर गोलियाँ चलाई गईं और वे इनसे घायल भी हुए लेकिन वे दृढ़ रहे और टीम के अन्य सदस्यों को सतर्क किया और उनकी जान बचाई। उनकी शौर्यपूर्ण कार्रवाई के परिणामस्वरूप अंततः आतंकवादियों का खात्मा हुआ।

तदनंतर, आतंकवादियों ने होटल में आग लगा दी और इस प्रकार उत्पन्न संभ्रम का फायदा उठाकर होटल की पिछली खिड़की से कूदकर बच निकलने का प्रयास किया। उन्हें पीछे की ओर तैनात पार्टी ने मार गिराया।

इस अभियान में, लश्कर-ए-तैयबा के निम्नलिखित आतंकवादी मारे गए:-

1) पाकिस्तान निवासी अबु कारी
2) सोपरे निवासी मंजूर अहमद

मारे गए आतंकवादियों से निम्नलिखित हथियार और गोलाबारुद बरामद किए गए:-

i.	ए के 47 राइफल	:	01
ii.	ए के 56 राइफल	:	01
iii.	यू बी जी एल	:	01
iv	ए के बारुद	:	162 राउंड.
v.	चीन निर्मित हथगोला	:	01
vi.	ए के मैगजीन	:	10
vii.	पाउच	:	02

इस मुठभेड़ में श्रीमती सियाम होई चिंग मेहरा, सेकंड-इन-कमांड, श्री माचामल्ला सदानन्दम, कांस्टेबल और श्री विजय सरकार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 07.01.2010 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 98-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. अरविंद सिंह बिष्ट
सहायक कमांडेंट

02. अजय सिंह तोमर
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

एस ओ जी (पुलवामा) द्वारा जुटाई गई विशिष्ट आसूचना के आधार पर, श्री अनवर-उल-हक (उप पुलिस अधीक्षक/जम्मू एवं कश्मीर) की कमान में एस ओ जी, सी ओ-183 की कमान में 183 बटालियन, 44 आर आर और अरविंद सिंह बिष्ट, सहायक कमांडेंट की कमान में जी/182 की एक प्लाटून की संयुक्त टीम ने दिनांक 27 सितम्बर, 2008 को लगभग 17:30 बजे काडीपोरा, पुलिस स्टेशन – राजपोरा, जिला – पुलवामा (जम्मू एवं कश्मीर) के सामान्य क्षेत्र की घेराबंदी की।

श्री बिष्ट ने दुर्गम, पर्वतीय और झाड़-झंकाड़ वाले भू-भाग में एस ओ जी/सी आर पी एफ की संयुक्त तलाशी पार्टी का नेतृत्व करते हुए तलाशी की योजना बनाई और तलाशी शुरु की। श्री बिष्ट ने सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्वक तरीके से मुठभेड़-स्थल से सिविलियनों को सुरक्षित बचाकर बाहर निकाल लिया। उनकी अनवरत एवं योजनाबद्ध तलाशी ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन उग्रवादी को बचकर नीचे की ओर भागने के लिए विवश कर दिया जहाँ कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी अजय सिंह तोमर ने सहायता पहुंचने तक अपनी जान की परवाह किए बिना, बहादुरी से और अकेले ही उग्रवादी के बचकर भाग निकलने के प्रयास को विफल कर दिया। श्री बिष्ट अपनी तलाशी टीम के साथ सम्पर्क स्थल पहुँच गए। उस स्थान से उगग्रादी की ओर ऊपर-नीचे बढ़ते हुए और "गोलीबारी करने तथा आगे बढ़ने" (फायर एंड मूव) की रणनीति अपनाकर उन्होंने दाहिनी ओर से पार्श्विक आक्रमण शुरु कर दिया। चूँकि, श्री बिष्ट संयुक्त पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अत: उन्होंने ही सबसे पहले उग्रवादी को देखा और हमला टीम को उस दिशा में लक्ष्यबद्ध गोलीबारी करने का संकेत दिया। नियंत्रित एवं समन्वित गोलीबारी ने उग्रवादी की गतिविधि को रोक दिया।

उग्रवादी ने चाल चली और मृत हेने का ढोंग रचा। इसी बीच श्री बिष्ट चुपके से रेंगर उग्रवादी के पीछे की ओर पहुँच गए और उसी समय उप-निरीक्षक सलीम (एस ओ जी/पुलवामा) और कांस्टेबल गफ्फूर (एस ओ जी/पुलवामा) उग्रवादी की ओर झपटे। चालाक उग्रवादी ने उन

पर अचानक गोलीबारी शुरु कर दी। श्री बिष्ट ने समय गँवाए बिना उगग्रादी पर लक्ष्यबद्ध गोली चलाई जिससे उसके सिर के पीछे की ओर घातक चोट लगी।

यद्यपि यह अभियान टीम के सुसंगठित प्रयास की वजह से सफल हुआ था, तथापि ये दोनों कार्मिक अपने अत्यंत शौर्यपूर्ण प्रयास और अपेक्षित ड्यूटी से परे सर्वोत्कृष्ट साबित हुए।

पहला स्थान कांस्टेबल तोमर का है जिनकी सतर्कता और साहसिक प्रयास ने अपने जीवन को सतत खतरा होते हुए भी उगग्रादी के बचकर भाग निकलने के प्रयास को विफल कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतिम हमले में भी प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरा स्थान श्री बिष्ट का है, जिन्होंने अपने ऊपर निरन्तर खतरा होते हुए भी, सही योजना और पूर्ण निष्पादन के साथ, बहुत ही दुर्गम भूभाग में तलाशी शुरु की। उन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से स्थिति का विश्लेषण किया और मुठभेड़-स्थल से सिविलियनों को सुरक्षित निकाल लिया। उनके अनम्य दृष्टिकोण और युक्तिपूर्ण योजनाबद्ध तलाशी ने उग्रवादी को सामने आने के लिए बाध्य कर दिया। उनकी इस निर्णायक नैदानिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप 3 उग्रवादी मारे गए। इसके दौरान उन्होंने दो एस ओ जी कार्मिकों की जान भी बचाई।

उनकी सतर्क योजना और उत्कृष्ट निष्ठा और उदाहरणात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप अभियान में सफलता मिली और इसमें हथियारों, सिविलियनों और बल कार्मिकों की कोई हानि नहीं हुई।

अभियान की समाप्ति पर उग्रवादी का शव बरामद हुआ और उसकी पहचान निम्नलिखित रूप हुई:- एच एम तंजीम के रईस अह डार उर्फ शोएब पुत्र मो.यासीन डार निवासी गड्डीपुरा, शूपियान।

मुठभेड़ स्थल से निम्नलिखित शस्त्र/गोलाबारुद भी बरामद किए गए:-

(क)	ए के – 56 राइफल	-	01
(ख)	ए के मैगजीन	-	02
(ग)	ए के गोलाबारुद	-	25 राउंड
(घ)	चीनी पिस्तौल	-	01 (क्षतिग्रस्त)
(ड.)	पिस्तौल मैगजीन	-	01
(च)	पिस्तौल राउंड	-	03

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अरविंद सिंह बिष्ट, सहायक कमांडेंट और अजय सिंह तोमर, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 27.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 99-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

01. रणबीर सिंह सोलंकी
कांस्टेबल

02. बीरेन चन्द्र दास
हैड कांस्टेबल

03. नीलमेगम उल्लागप्पन
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 20 अगस्त, 2007 को लगभग 1100 बजे कमांडेंट 166 बटालियन, सी आर पी एफ ने गनोपोरा गाँव में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के मौजूद होने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, अपने सैन्य को दल एकत्र किया और गनौपोरा गांव की ओर कूच किया और लक्ष्य मकान के आस-पास के क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। जैसे ही सैन्य दल न तलाशी अभियान शुरु किया, आतंकवादियों ने खतरे का आभास होते ही सैन्य दल पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। चूँकि सैन्य दल और आतंकवादियों के बीच बड़ी संख्या में ग्रामवासी और पालतू पशु अभी भी फंसे हुए थे, इसलिए सैन्य दल ने जवाबी कार्रवाई करने में अत्यधिक नियंत्रण प्रदर्शित किया और ग्रामवासियों के सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया।

इसी बीच महानिरीक्षक (ऑप्स) कश्मीर और उप-महानिरीक्षक दक्षिणी कश्मीर, सी आर पी एफ भी घटनास्थल पर पहुंच गए और आगे कार्रवाई की योजना बनाने से पूर्व स्थिति का विश्लेषण किया। तदनुसार, उप-महानिरीक्षक दक्षिणी कश्मीर, कमांडेंट 166 बटालियन और श्री सलविंदर कुमार, सहायक कमांडेंट की कमान के तहत तीन हमला दल गठित किए गए। कमांडेंट के नेतृत्व में दूसरे दल ने उप-महानिरीक्षक के नेतृत्व वाले पहले दल द्वारा की जा रही कवरिंग गोलीबारी के साथ लक्ष्य मकान में आगे से प्रवेश करने का प्रयास किया। जैसे ही हमला दल ने मकान में प्रवेश किया, मकान के स्नान-गृह में छिपा एक आतंकवादी सैन्य दल की ओर

अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए तेजी से बाहर निकला। सामने आ जाने के बावजूद और खतरे अथवा परिणामों को दरकिनार कर 166 बटालियन सी आर पी एफ के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी रणबीर सिंह सोलंकी ने रणनीतिपूर्वक उग्रवादी को ढेर कर दिया और अत्यधिक सूझबूझ का परिचय देते हुए मारे गए आतंकवादी का हथियार छीन लिया। इसी दौरान दूसरा आतंकवादी, जो सबसे ऊपरी तल पर घिर गया था, सैन्य दल पर लगातार गोलीबारी करता रहा और उसने सैन्य दल की ओर एक हथगोला फेंका किन्तु श्री सलविन्दर कुमार, सहायक कमांडेंट, जो स्थिति के प्रति सजग थे, ने हथगोले को पैर से पास ही के झरने में फेंक दिया।

इस कार्रवाई के दौरान, एक महिला, जो लक्ष्य मकान (आतंकवादियों के कब्जे में) की निवासी थी, ने रक्षा की गुहार लगाई और मकान में फंसे एक पोलियोग्रस्त व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने का अनुरोध किया। पहले और तीसरे हमला दल की कवर गोलीबारी का लाभ उठाते हुए, जी डी रणबीर सिंह सोलंकी, हैड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी बीरेन चन्द्र दास और 166 बटायिन सी आर पी एफ के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी नीलमगेम उल्लागप्पन ने अपनी जान की परवाह किए बिना मकान के सबसे ऊपरी तल पर छिपे आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बावजूद अशक्त व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बचे हुए आतंकवादी को मार गिराने के लिए अंतिम हमले की योजना बनाई गई और मकान के सबसे ऊपरी तल पर संकेंद्रित भारीगोलीबारी की गई और कुछ राइफल ग्रेनेड भी दागे गए। कुछ समय बीत जाने के बाद, मकान से गोलीबारी पूर्णतः बंद हो गई। अभियान पूरा होने के बाद, मकान की तलाशी के दौरान, दो आतंकवादियों के शव बरामद हुए जिनकी पहचान निम्नलिखित के रूप में हुई:-

क) अहमद हाइ राथर उर्फ खुबैद उर्फ साद भाई, निवासी अलियापुर (लश्कर-ए-तैयबा गुटा का जिला कमांडर – "क" श्रेणी)।

ख) सिराज अहमद मीर उर्फ उमर, निवासी तुलराम (लश्कर-ए-तैयबा गुट का आतंकवादी)।

निम्नलिखित हथियार/गोलाबारुद बरामद किए गए:-

i)	5.56 इंसास राइफल (बिना बट वाली)	-	1
ii)	5.56 इंसास मैगजीन	-	1
iii)	इंसास राउंड	-	9
iv)	ए के 56 राइफल (क्षतिग्रस्त)	-	1
v)	ए के मैगजीन	-	1
vi)	ए के राउंड	-	8
vii)	सिम के साथ सैटेलनाइट फोन	-	1
viii)	वायर सैट आई.कॉम	-	1
ix)	कामचलाऊ चार्जर	-	1
x)	मोबाइल (नोकिया-1100)	-	1

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री रणबीर सिंह सोलंकी, कांस्टेबल, बीरेन चन्द्र दास, हैड कांस्टेबल और नीलमेगम उल्लागप्पम, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 20.08.2007 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 100-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>अधिकारियों के नाम और रैंक</u>

सर्व/श्री

01. सुसर अरुण बलवन्त
हैड कांस्टेबल

02. तुकाराम चव्हाण
कांस्टेबल

<u>उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया</u>

दिनांक 13.04.2008 को लगभग 2130 बजे पुलिस अधीक्षक (अभियान), श्रीनगर से पुलिस स्टेशन हारवान, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के अंतर्गत डाचीगॉव नेशनल पार्क क्षेत्र में उग्रवादियों की मौजूदगी के बारे में विश्वस्त सूचना प्राप्त होने पर, एस ओ जी श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के साथ सहायक कमांडेंट श्री शिव कुमार झा की कमान में जी/122 की एक प्लाटून और सहायक कमांडेंट श्री हरीश चंद की कमान में एफ/117 की एक प्लाटून ने कैम्प स्थल से प्रस्थान किया और लगभग 2230 बजे डाचीगाँव नेशनल पार्क पहुंच गई।

एस ओ जी श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) के साथ जी/122 और एफ/117 की प्लाटून ने बच निकलने के संभावित रास्तों पर घात लगाना शुरु किया। जी/122 बटालियन के हैड कांस्टेबल/जी डी सुसर अरुण बलवन्त की कमान के तहत कांस्टेबल/जी डी विनोद कुमार यादव और कांस्टेबल/जी डी तुकाराम चव्हाण ने निगरानी करने के लिए दिए गए क्षेत्र में एक छोटे नाले के समीप घात लगा ली।

लगभग 0045 बजे कांस्टेबल/जी डी तुकाराम ने अपने से कुछ गज दूर दो संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधि महसूस की और उनकी पहचान के लिए उन्हें रूकने की चेतावनी दी। लेकिन रूकने के बजाय संदिग्ध च्यक्तियों ने गोलियाँ चलाना शुरु कर दिया। कांस्टेबल /जी डी तुकाराम चव्हाण ने उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब दिया और अपने स्थान से कूदकर दूसरे वैकल्पिक स्थान पर आ गए और हैड कांस्टेबल/जी डी सुसर अरुण बलवन्त और कांस्टेबल/जी डी विनोद कुमार यादव को भी गोलीबारी करने के लिए सतर्क कर दिया।

हैड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सुसर अरुण बलवन्त और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी विनोद कुमार यादव ने समय गँवाए बिना उग्रवादियों की ओर तत्काल गोलीबारी शुरु कर दी। निकट की इस आपसी गोलीबारी के दौरान हैड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सुसर अरुण बलवन्त के पाँव में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हैड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सुसर अरुण बलवन्त अपनी जान की परवाह किए बिना कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी तुकाराम चव्हाण के साथ बहादुरी से लड़े और एक उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराने में सफलता प्राप्त की। दूसरा उग्रवादी अंधेरे और घनी झाड़ियों की आड़ लेकर बच निकलने में कामयाब हो गया। मारे गए उग्रवादी की पहचान अबू हाफ़िज़ उर्फ जकीरा, निवासी पाकिस्तान (लश्कर-ए-तैयबा का जिला कमांडर) के रूप में हुई तथा 01 ए के-47 राइफल, 02 मैगजीन, 10 जिन्दा गोलाबारुद और 03 हथगोले बरामद किए ।

सम्पूर्ण अभियान के दौरान हैड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सुसर अरुण बलवन्त और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी तुकाराम चव्हाण ने अपनी जान को प्रत्यक्ष और गंभीर खतरा होते हुए भी अनुकरणीय साहस, सी क्यू बी की स्थिति में उत्कृष्ट सूझबूझ, व्यावसायिक दक्षता, उत्कृष्ट शौर्य और पूर्ण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री सुसर अरुण बलवन्त, हैड कांस्टेबल और तुकाराम चव्हाण, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.04.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 101-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री एस.एम. सिधगणेश

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 14.05.2008 को 11.15 बजे पुलिस स्टेशन सिरडाला के अंतर्गत माधी गाँव में माओवादियों के इकट्ठा होने की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 153 बटालियन की सहायक कमांडेंट श्रीमती विजयलक्ष्मी की कमान के तहत दो प्लाटूनों वाली केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक पार्टी ब्रीफिंग के लिए निर्दिष्ट स्थान की ओर रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ी। पुलिस अधीक्षक, नवादा ने अभियान में भाग लेने वाले के.रि.पु.बल, बी एम पी और एस ए पी के सैन्य दलों को स्थिति के बारे में अवगत कराया। तथापि, सैन्य दलों की उपस्थिति को भाँपकर, माओवादी सैन्य दलों के वहाँ पहुंचने से पहले माधी गाँव से बच निकलने में कामयाब हो गए।

तत्पश्चात्, माओवादियों को उनके छिपने के स्थान से पकड़ने के लिए सैन्य दलों को तीन छोटे दलों में विभाजित किया गया ताकि वे घने जंगल में रणनीतिपूर्वक पैदल आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ने के दौरान सैन्य दलों ने अचानक माओवादियों की उपस्थिति भाँप ली और एक पेड़ के नीचे उनका लाल झंडा भी दिखाई पड़ा। पार्टी कमांडर ने सैन्य दलों को कठिन एवं चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने के लिए सतर्क रहने के लिए कहा और माओवादियों की घेराबंदी कर ली। माओवादियों ने यह महसूस कर कि उन्हें घेरा जा रहा है, सैन्य दलों की ओर तत्काल अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। सतर्क सैन्य दलों ने स्थिति को संभाल लिया और प्रभावकारी जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। चूँकि माओवादी पहाड़ी इलाके से भलीभाँति परिचित थे, इसलिए उन्होंने स्थिति का पूरा लाभ उठाया।

153 बटालियन की सहायक कमांडेंट श्रीमती विजय लक्ष्मी, जो अभियान का आगे से नेतृत्व कर रही थीं, ने साहसिक कदम उठाते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एच ई बम दागने का आदेश दिया। के.रि.पु. बल की 153 बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी एस एम सिधगणेश, जो फायरिंग जोन में थे, माओवादियों को हमारे सैन्य दलों की ओर बढ़ने से रोकने

के लिए आदेश का पालन किया और माओवादी कैम्पों को गंभीर क्षति पहुँचाई। अभियान दल के अन्य कार्मिकों ने भी माओवादियों का मुकाबला करने में उनकी सहायता की। अभियान के दौरान, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी एस एम सिधगणेश के बाएँ घुटने में गोलियाँ लगने से वे घायल हो गए किन्तु अपने जीवन को भारी जोखिम में डालकर वे नक्सलियों के विरुद्ध साहस से लड़े और देश से असामाजिक तत्वों को समाप्त करने में अपनी ड्यूटी करते हुए अदम्य साहस और उच्च मनोबल का प्रदर्शन किया।

तलाशी अभियान के दौरान घटनास्थल से माओवादियों के 06 शव, 03 बोल्ट एक्शन राइफलें, 02 हस्तनिर्मित कार्बाइन, 2 कि.ग्रा. आर डी एक्स, 100 मीटर फ्यूज वायर, 303 राइफल के 40 जिन्दा राउंड, एक वायरलेस सेट, तीन केस बम और मोबाइल सेटों के 2 चार्जर बरामद किए गए ।

ई/153 बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी एस एम सिधगणेश द्वारा निभाई गई भूमिका के फलस्वरूप न केवल नक्सली मार गिराए गए बल्कि उनके अति सुरक्षित छिपने के ठिकाने, जो उनके लिए सर्वाधिक सुरक्षित स्थान था, में माओवादियों का मनोबल भी प्रभावकारी ढंग से समाप्त हो गया। विपरीत परिस्थिति में जिम्मेदारी की भावना और बुद्धि के उचित प्रयोग, बल के कठिन प्रशिक्षण और उनके द्वारा उठाये गये गंभीर जोखिम के फलस्वरूप अभियान में सफलता प्राप्त हुई।

इस मुठभेड़ में श्री एस.एम. सिधगणेश, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.05.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 102-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री थेयशिंगू राजन

कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 14.09.2008 को 0200 बजे निरीक्षक राजीव कुमार की कमान में एफ/63 बटालियन की दो प्लाटूनों और यूनिट क्यू आर टी के साथ जिला पुलिस बल और एस पी ओ 63 बटालियन, के.रि.पु. बल कैम्प के समग्र पर्यवेक्षण के तहत के.रि.पु. बल कैम्प फरासगाँव से 63 बटालियन, के.रि.पु. बल 2 के प्रभारी श्री आर एम सम्पार के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत करमारी गाँव में विशेष अभियान हेतु निकल पड़े। उन्होंने गाँव की तलाशी करने के लिए 0600 बजे उसकी घेराबंदी कर ली। लगभग 0800 बजे जब पार्टी करमारी गाँव के जंगल क्षेत्र की तलाशी कर रही थी, तभी नक्सलियों के एक दल, जो संख्या में कम से कम 10 थे और पास में ही कैम्प में डेरा डाले हुए थे, ने 2 आई ई डी धमाकों और स्वचालित और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करके पार्टी पर हमला कर दिया। ज्यों ही थेयशिंगू राजन, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी ने धमाके की आवाज़ सुनी, त्यों ही सैन्यदल के एक भाग का नेतृत्व करते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक पोज़ीशन ले ली और नक्सललियों की दिशा का पता लगाया। वे अपनी जान की परवाह किए बिना बहादुरी से रेंगकर आगे बढ़े और रणनीतिपूर्वक उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। उनकी इस पहल से न केवल नक्सलियों के हौसले पस्त हो गए, बल्कि उन्होंने बचकर भागने की तैयारी करना भी शुरु कर दिया क्योंकि कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी थेयशिंगू राजन एक खतरनाक नक्सली को मार गिराने में सफल हो गए थे। इस प्रकार कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी थेयशिंगू राजन की साहसिक पहल और राजनीतिक बुद्धिमत्ता अन्य लोगों की जान, हथियार और गोलाबारूद बचाने में सहायक साबित हुई। तब श्री आर एम सम्पार ने एक छोर से आक्रमण कर दिया जिसने नक्सलियों को जल्दबाज़ी में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी थेयशिंगू राजन की उपर्युक्त कार्रवाई ने साहस और रणनीतिक पहल का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया और उन्होंने अनुकरणीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। उनकी इस पहल के परिणामस्वरूप एक कट्टर नक्सली मारा गया और अभियान दल के अन्य सदस्यों का बहुमूल्य जीवन भी बचाया जा सका। वे पहले व्यक्ति थे जिनकी त्वरित शौर्यपूर्ण कार्रवाई ने नक्सलियों की गोलीबारी को रोक दिया और उनमें से एक को मार गिराया। उनका यह साहसिक कार्य बल के मनोबल को बढ़ाता है और बल में स्थानीय लोगों का विश्वास फिर से उत्पन्न करता है।

इस मुठभेड़ में श्री थेयशिंगू राजन, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 14.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 103-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. धर्मेन्द्र सिंह
   सेकंड-इन-कमांड
2. अमरेश कुमार जमातिया
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

सूचना प्राप्त होने पर श्री सुनन्द कुमार, कमांडेंट के पर्यवेक्षण में के.रि.पु. बल की 45 बटालियन की एक पार्टी दिनांक 23.09.2008 को 2100 बजे 13 आर आर मुख्यालय पहुँच गई, जहाँ 13 आर आर, 45 बटालियन के.रि.पु. बल और एस डी पी ओ सुम्बल के अधिकारियों ने एक अभियान की योजना बनाई और तदन्तर अजस से सुम्बल तक विभिन्न स्थानों पर सुनियोजित घात लगाई गई। 2230 बजे ओल्ड ब्रिज सुम्बल में घात लगाने का निर्णय किया गया। क्षेत्र की पूरी तरह से टोह लेने के बाद, 45 बटालियन के.रि.पु. बल, 13 आर आर और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की एक संयुक्त पार्टी 45 बटालियन सी आर पी एफ के कमांडेंट के पर्यवेक्षण में पुल के दोनों ओर रणनीतिपूर्वक तैनात कर दी गई। लगभग 0315 बजे क्यू आर टी के सदस्यों ने दो उग्रवादियों को पुल पार करते हुए देखा। उपर्युक्त पार्टी ने उग्रवादियों को चेतावनी दी, किन्तु उग्रवादियों ने उन पर गोलियाँ चलाना शुरु कर दिया और पुल के नस्बल छोर की और दौड़े जहाँ धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी, 45 बटालियन के.रि.पु. बल और 13 आर आर के लेफ्टीनेन्ट कर्नल दास की पार्टी ने उन्हें चुनौती दी। दोनों उग्रवादियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल दास और उनकी पार्टी पर गोलियाँ चंलाना शुरु कर दिया। त्वरित सकारात्मक कार्रवाई करते हुए और उच्च अभियानगत क्षमता दर्शाते हुए, श्री धर्मेन्द्र सिंह 2-आई/सी समय गँवाए बिना पीछे की ओर से खुले क्षेत्र की ओर तेजी से दौड़ पड़े और 13 आर आर पार्टी के सदस्यों की जान बचाने और उग्रवादियों को मारने के लिए जवाबी गोलीबारी शुरु कर दी। कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी ए के जमातिया ने अपने अधिकारी का अनुसरण किया और उग्रवादियों पर गोलियाँ चलाना शुरु कर दिया। श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी ए के जमातिया की गोलीबारी

के परिणामस्वरूप दोनों ही उग्रवादी घायल हो गए और नीचे गिर पड़े किन्तु उसी समय वे श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी ए के जमातिया की ओर वापस मुड़े और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी। दोनों कार्मिकों ने खुले मैदान पर लेटकर तत्काल पोजीशन ले ली और उग्रवादियों पर दुबारा गोलीबारी शुरु कर दी और अपनी रक्षा करते हुए लेटकर और दौड़ते हुए बड़ी सतर्कता और फुरती से पोजीशन बदल ली। इस पार्टी ने जब कवर में पोजीशन ली, एक घायल उग्रवादी ने पार्टी पर दुबारा गोली चलाने का प्रयास किया। रणनीतिपूर्वक आगे बढ़ते हुए और अपनी जान की लेशमात्र परवाह किए बिना श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी तत्काल उग्रवादियों के करीब पहुँच गए और उन पर गोलियाँ चला दीं और उग्रवादियों को मार गिराया। इस अभियान के दौरान श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी की घात पार्टी की उग्रवादियों के साथ निकट से गोलीबारी हुई। श्री धर्मेन्द्र सिंह, 2-आई/सी और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी ए के जमातिया ने उग्रवादियों का सफाया करने के लिए अपनी जान को भारी जोखिम में डाल दिया और उग्रवादियों की गोलीबारी से बाल-बाल बचे। इसके परिणामस्वरूप दोनों उग्रवादी घटनास्थल पर ही मारे गए। इस मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के दो अतिवांछित पाकिस्तानी उग्रवादी अर्थात् अबु ताहिर, उत्तरी कश्मीर का प्रभागीय कमांडर और अबु अब्दुल्ला उर्फ माज़, पट्टन का जिला कमांडर मारे गए।

उग्रवादियों के कब्जे से बरामद किए गए हथियारों/गोलाबारुद और अन्य सामान का विवरण:-

1.	ए के/47 राइफल	:	02
2.	ए के/47 मैगजीन	:	06
3.	ए के/47 गोलाबारुद	:	89
4.	हथगोले (क्षतिग्रस्त)	:	02
5.	मैग पाउच	:	02
6.	सैटेलाइट फोन	:	01

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री धर्मेन्द्र सिंह, सेकंड-इन-कमांड और अमरेश कुमार जमातिया, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 23.09.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 104-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. जितेन्द्र रंगा
   कांस्टेबल
2. चेतराम
   कांस्टेबल
3. देवेन्द्र
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 11.04.2009 को लगभग 2100 बजे सिविल पुलिस कार्मिक और एस पी ओ गौतम नरेश कुमार और कंस राम ने सूचना दी कि नक्सलियों ने एडेनार गाँव के निकट तीन देशी मोर्टार रखे हैं, और 30 से 40 नक्सली ग्रामवासियों को आगामी सरान्डी और एडेवार गाँव के बीच संसदीय चुनाव-2009 का बहिष्कार करने के लिए उकसाने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने यह भी सूचित किया कि नक्सलियों ने दिनांक 11.04.2009 को रात्रि में सरांडी गाँव के निकट ग्रामवासियों के साथ में एक बैठक करना निश्चित किया है। आसूचना प्राप्त होने पर, श्री अनिल कुमार राम, सहायक कमांडेंट, ओ सी-जी/65 ने एक बैठक का आयोजन किया और नक्सलियों की गतिविधि के बारे में उप-निरीक्षक/सामान्य ड्यूटी के पी सिंह, उप-निरीक्षक/सामान्य ड्यूटी पृथ्वी सिंह, सिविल पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक आर पी तिवारी और तीन अन्य एस ओ पी के साथ विचार-विमर्श किया और एक अभियान की योजना बनाई। तदनंतर, ओ सी/जी-65 ने कार्य योजना और पहाड़ी क्षेत्र के बारे में जवानों को अवगत कराया और मुख्य रास्ते को छोड़कर दुर्गम रास्तों पर चलने और स्थलाकृति के अनुसार आगे बढ़ने को कहा। उन्हें आई ई डी, नक्सली गतिविधियों, उनके पूर्ववृत्त, गतिविधि के तौर-तरीकों और हमला करने के तरीकों के बारे में भी अवगत कराया। दिनांक 12.04.2009 को 0345 बजे श्री अनिल कुमार राम, सहायक कमांडेंट की कमान में सहायक उप-निरीक्षक आर पी तिवारी, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी दाकेश कुमार, एस पी ओ नरेश कुमार गौतम और सिविल पुलिस के कंस राम सहित 72 बटालियन सी

आर पी एफ कार्मिकों की एक पार्टी एडेनार गाँव की घेराबंदी करने और तलाशी अभियान के लिए निकल पड़ी। लगभग 0520 बजे जब पार्टी सरांडी गाँव (1.5 कि.मी. दक्षिण) को पीछे छोड़कर पूर्व दिशा की ओर एक समूह में आगे बढ़ रही थी, ओ सी-जी/65 श्री अनिल कुमार राम, सहायक कमांडेंट ने तुरंत स्थिति और गोलीबारी की दिशा का आकलन करके सेक्शन कमांडरों को पोजीशन लेने और तदनुसार जवाबी गोलीबारी करने के तत्काल आदेश दे दिए। नक्सलियों की स्थिति के अनुसार पार्टी तत्काल एकजुट हो गई। ओ सी जी/65 ने सेक्शन 3,4,5 को गोली चलाने के आदेश दिए और स्वयं सेक्शन 1 और 2 के साथ नक्सलियों का सामने से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। सेक्शन 6 के नक्सलियों को दाहिनी ओर से घेरने का आदेश दिया गया। सेक्शन 4 और 5 ने नक्सलियों को भारी गोलीबारी में व्यस्त रखा। सेक्शन 5 के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी जितेन्द्र रंगा झाड़ियों की आड़ लेकर नक्सलियों की ओर आगे बढ़े। दूसरी ओर सेक्शन 6 के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी चेतराम रेंगकर नक्सलियों की ओर बढ़े। कुछ नक्सली पार्टी को व्यस्त रखने के लिए निरन्तर गोलीबारी कर रहे थे ताकि नक्सली घटनास्थल से बचकर भाग जाएं। एक नक्सली ने अपनी 303 राइफल से अचानक कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी जितेन्द्र रंगा पर गोली चला दी। इसके जवाब में कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी जितेन्द्र रंगा ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत नजदीक से नक्सलियों पर गोलियाँ चला दीं और नक्सलियों को घायल करने में कामयाब हुए। घायल नक्सलियों ने दुबारा जितेन्द्र रंगा पर गोलीबारी की, किन्तु इसी बीच सेक्शन 6 के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी चेतराम, जो नक्सली पार्टी की ओर बढ़ रहे थे, ने समय गँवाए बिना नक्सलियों पर गोली चला दी और एक नक्सली को घटनास्थल पर ही मार गिराया। दूसरी ओर सेक्शन 4 के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी देवेन्द्र ने अपनी जान जोखिम में डालकर और नक्सलियों की ओर से की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद रणनीतिपूर्वक नक्सलियों की ओर बढ़े और उन्हें एक नक्सली दिखाई दिया और उस पर गोलियाँ बरसाकर घटनास्थल पर ही उसे मार गिराया। इस प्रकार, अपनी जान बचाने के लिए नक्सली अपने हथियार,गोलाबारुद और अन्य सामान मुठभेड़-स्थल पर छोड़कर भाग गए। उस क्षेत्र की गहन तलाशी करने पर तीन नक्सलियों के शव, बड़ी मात्रा में हथियार, गोलाबारुद और विस्फोटक बरामद किए गए। हमारी पार्टी की सम्पूर्ण कार्रवाई में उच्च स्तर की पेशेवरता, आपसी सहयोग/समन्वय की भावना और साहसिक जवाबी कार्रवाई दिखाई दी।

सेक्सन 4,5 और 6 के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी जितेन्द्र रंगा, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी चेतराम और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी देवेन्द्र ने अपनी जान की परवाह किए बिना अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन किया और तीन नक्सलियों को मार गिराया जिनकी पहचान (1) फागू राम उसेंदी, पुत्र सुखराम, निवासी, ग्राम – एडनार, एडनार जनमिलिटिया का कंबैटाइज्ड कमांडर, (2) बैजू राम पुत्र सोपा सिंह, ग्राम-सरांडी, (3) मंडर पुत्र रज्जा गौड, ग्राम-सरांडी के रूप में हुई। मारे गए नक्सली टाकोडी कैम्प पर कैम्प फायरिंग घटना के भी अभियुक्त थे।

मुठभेड़-स्थल से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गईं:-

1. भ्रमर गन-09

2. क्लेमोर माइन(पाइप बम)-01
3. लगभग 3 कि.ग्रा. का एक स्टील टिफिन बम, लकड़ी पर लपेटा हुआ बिजली का तार, बड़ी बैटरियाँ-06, तारयुक्त हरे रंग का शक्तिशाली बम-03
4. एक 303 राइफल, बॉडी नं. 31203 के-99, बट नं. 119 के पी टी।
5. 02 जिंदा राउंड और एक खाली खोखा सहित मैगजीन।
6. 03 डेटोनेटर सहित एक हैवरसैक, एक फ्लैशगन स्विच, एक ब्राउन कलर फुल पैंट, एक फुल शर्ट, एक अंडरवियर।
7. एक देशी 315 बोर की बंदूक।
8. एक देशी हथगोला।
9. 10 पठाकों के साथ एक बक्सा।
10. एक भ्रमर बंदूक, लम्बाई-29½ इंच, बट 6 फुट।
11. पाँच लीटर की एक जेरीकेन।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री जितेन्द्र रंगा, कांस्टेबल, चेतराम, कांस्टेबल और देवेन्द्र, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 12.04.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 105-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक/ वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1.	अमरा राम हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
2.	सरबजीत सिंह हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
3.	सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
4.	लखविंदर सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
5.	सुखविंदर सिंह कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरान्त)
6.	ओ एल एन रेड्डी कांस्टेबल	(वीरता के लिए पुलिस पदक) (मरणोपरांत)

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 18.02.2008 को लगभग 0930 बजे के.रि.पु.बल की बी/31 बटालियन के 29 कार्मिकों की एक प्लाटून उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद की कमान में जिला-बीजापुर, छत्तीसगढ़, के अंतर्गत मिरटूर पुलिस स्टेशन के लगभग 03 कि.मी. उत्तर-पश्चिम स्थित ग्राम टडकेल में नक्सल-रोधी तलाशी अभियान चलाने और क्षेत्र पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए पैदल आगे बढ़ी। 07 सिविल पुलिस कार्मिकों और 26 एस पी ओ ने भी के.रि.पु.बल के सैन्य दल का साथ दिया। के.रि.पु.बल सैन्य दल रणनीतिपूर्वक 'एरो हेड' गठन के रूप में आगे बढ़ने के लिए 03 सेक्शनों में विभाजित कर दिए गए, जिसमें सेक्शन नं. 01 आगे चल रहा था और बाईं ओर से सेक्शन नं. 02 और दाईं ओर सेक्शन नं. 03 पीछे-पीछे चल रहा था और इनका नेतृत्व उप-निरीक्षक जगदीश प्रसाद द्वारा किया जा रहा था। सिविल पुलिस के कार्मिक सेक्शन नं. 02 के बांई ओर थे। लगभग 04 घण्टे पैदल मार्च करने और रास्ते में फुलगेटा गाँव की तलाशी करने

के उपरान्त लगभग 1330 बजे जब सैन्यदल टडकेल पहाड़ियों से लगभग एक कि.मी. दूर थे, तभी नक्सलियों की मिलीटरी दलाम की एक कम्पनी ने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। नक्सलियों की संख्या 300 से अधिक थी और वे एल एम जी, 2" मोर्टार, ए के-47, एस एल आर, हथगोले, राइफल ग्रेनेड जैसे अत्याधुनिक हथियारों के साथ लड़ाकू वेशभूषा में थे और उनके कई अग्रणी संगठन 12 बोर की बंदूकों, .303 राइफलों, पेट्रोल बमों के साथ डेटोनेटरों, धनुष-बाण से सुसज्जित और अन्य घातक हथियारों से लैस थे। नक्सलियों ने घने पेड़ों, परित्यक्त झोंपड़ियों और पहाड़ियों की आड़ लेकर बाएं, दाएं और सामने से सैन्य दलों पर भारी गोलीबारी शुरु कर दी,जिसमें प्रथम सेक्शन के कुछ जवान जो आगे चल रहे थे घात क्षेत्र के घेरे में आ गए और गोलियां लगने से घायल हो गए। सैन्य दलों ने भी उपलब्ध फायर कवर लेकर आक्रमणकारी नक्सलियों को वीरतापूर्वक गोलीबारी में उलझाए रखा। गोलीबारी के दौरान, नक्सली सुरक्षा बलों को मारने और उनके हथियार छीनने के उद्देश्य से घटनास्थल पर अपना वर्चस्व क़ायम करने का प्रयास कर रहे थे। यद्यपि सैन्य दल भी नक्सलियों पर गोलीबारी कर रहे थे किन्तु इसका नक्सलियों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वे रणनीतिक दृष्टि से लाभप्रद स्थिति थे और उनकी संख्या भी बहुत अधिक थी। इस विकट स्थिति में हेड कांस्टेबल सरबजीत सिंह, सुरेश कुमार और कांस्टेबल लखविन्दर सिंह, सुखविन्दर सिंह और ओ एल एन रेड्डी जो सेक्शन नं. 01 में थे, घायल होते हुए भी, रणनीतिपूर्वक आगे बढ़े और नक्सलियों पर गोलियों की बौछार कर दी जिसके कारण कई नक्सली घटनास्थल पर ही मारे गए और कई घायल हो गए। वे आक्रामक बने रहे ओर उन्होंने नक्सलियों पर तब तक गोलियाँ चलाना जारी रखा जब तक कि वे मारे नहीं गए। ठीक उसी समय, हेड कांस्टेबल अमरा राम, जो सेक्शन नं. 2 में थे, ने नक्सलियों को भीषण गोलीबारी में व्यस्त रखा। कांस्टेबल डी.एम. डेका उनके निकट कुछ ही दूरी पर थे। इनके हाथ में 5'' एम एम मोर्टार होते हुए भी, वे इस एरिया वेपन से गोलीबारी शुरु नहीं कर सके। ये देखकर हेड कांस्टेबल अमरा राम ने नक्सलियों द्वारा की जा रही भीषण गोलीबारी के बावजूद, अपनी पोजीशन से हटकर कांस्टेबल डी.एम. डेका की ओर पहुँचने का प्रयास किया और रेंगकर साहसपूर्वक कुछ ही मिनट में उनके पास पहुँच गए। उन्होंने अपना हथियार कांस्टेबल डी.एम. डेका को देकर उनसे 51'' एम एम मोर्टार ले लिया और मैदान साफ करने के उद्देश्य से अचूक गोलीबारी शुरु कर दी, जिसके कारण कई नक्सली हताहत हो गए। दुर्भाग्यवश, इस प्रक्रिया में 51'' एम एम मोर्टार चलाते हुए उन्हें नक्सलियों की गोली लग गई। नक्सलियों की इस गोलीबारी के कारण वे गिर पड़े और घायल अवस्था में लड़ते हुए घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। किन्तु, इस मुठभेड़ में, एरिया वेपन से गोलीबारी की उनकी साहसिक कार्रवाई के कारण और उनके द्वारा प्रदर्शित गत्यात्मकता के फलस्वरूप नक्सलियों की घात तोड़ी जा सकी और नकसली संवर्गों ने अपने मिलिटरी कम्पनियों को 'भागो भागो नहीं तो सब के सब मारे जाओगे' की आवाज लगाते हुए भागना शुरु कर दिया। उपर्युक्त मुठभेड़ दो घण्टे से अधिक समय तक चली।

उपर्युक्त मुठभेड़ के दौरान उपर्युक्त सभी 06 सैनिकों ने सोद्देश्य लगाई गई घात का सामना किया और अंतिम सांस तक हथियारबंद नक्सलियों से लड़ते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान किया। सूचना के अनुसार इस मुठभेड़ में 30-40 नक्सली मारे गए किन्तु उनकी अग्रिम पंक्ति के संवर्ग नक्सलियों के शवों को घसीट ले जाने में कामयाब हुए। तथापि, सैन्य दलों ने तलाशी अभियान में घटनास्थल से नक्सलियों के 03 शव बरामद किए। उपर्युक्त मुठभेड़ की सूचना प्राप्त होने के बाद कमांडेंट-31 बटालियन, पुलिस अधीक्षक बीजापुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की कमांड में अतिरिक्त सैन्य पार्टियां भैरमागढ़ से मुठभेड़ स्थल पर पहुँच गईं। तत्पश्चात्, पुनः समूहबद्ध होने के उपरान्त, उन्होंने 'फायर एंड रन' की नीति अपनाकर भागते हुए नक्सलियों का पीछा किया। इस प्रक्रिया में, फुलाडी में पुलिस की टुकड़ियों और नक्सलियों के बीच पुनः मुठभेड़ शुरु हो गई जिसमें सुरक्षा बल नक्सलियों पर भारी पड़े और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। प्रभावी जवाबी आक्रमण के कारण, नक्सली घने जंगल और पहाड़ी भूभाग की आड़ लेकर भाग निकले। उस क्षेत्र में बाद में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान फुलाडी क्षेत्र से नक्सलियों के 07 और शव तथा 12 बोर की 3 राइफलें और अन्य वस्तुएं बरामद हुईं। अक्तूबर, 2008 माह की 'पड्रीयोरा पोलो' नामक दण्डकारण्यता मिलिटरी मैगजीन के अनुसार, नक्सलियों ने स्वीकार किया कि उन्हें उपर्युक्त मुठभेड़ में भारी जनहानि उठानी पड़ी और सैन्यदलों द्वारा की गई प्रभावकारी जवाबी कार्रवाई के कारण वे अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। उन्होंने स्वीकार किया कि टाडकेल में हुई उपर्युक्त मुठभेड़ के दौरान के.रि.पु. बल के सैन्यदलों द्वारा उनके 06 कॉमरेड अर्थात् कम्पनी कमांडर मधु, डिप्टी बद्रू, सेक्शन कमांडर अर्थात्, नंडल, शांति और पवन मारे गए।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री(स्वर्गीय) अमरा राम, हेड कांस्टेबल, (स्वर्गीय) सरबजीत सिंह, हेड कांस्टेबल, (स्वर्गीय) सुरेश कुमार, हेड कांस्टेबल, (स्वर्गीय) लखविन्दर सिंह, कांस्टेबल, (स्वर्गीय) सुखविन्दर सिंह, कांस्टेबल और (स्वर्गीय) ओ एल एन रेड्डी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, राष्ट्रपति का पुलिस पदक/पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 18.02.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 106-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारी का नाम और रैंक

श्री करूष्ण चन्द्रा साहू (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 22.06.2008 को सी.आर.पी.एफ, श्रीनगर के उप-महानिरीक्षक (अभियान) श्री एम.पी. नाथनैल ने अपने ए.ओ.आर. से संबंधित आसूचनागत जानकारी पर विचार-विमर्श करने के लिए दूरभाष पर कमांडेंट-137, श्री करपाल सिंह को पुलिस अधीक्षक (अभियान), श्रीनगर के श्री मो. इरशाद से सम्पर्क करने का निदेश दिया। प्राप्त जानकारी के आधार पर सी आर पी एफ की 117 बटालियन की दो प्लाटूनों और एस ओ जी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के साथ विशेष अभियान चलाने के लिए कमांडेंट श्री करपाल सिंह ने सहायक कमांडेंट, श्री अजय कुमार की कमान के तहत जी/137 की दो प्लाटूनों और क्यू आर टी की यूनिट को एक जगह एकत्र किया। सी आर पी एफ के सैन्यदलों और एस ओ जी, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस की ब्रीफिंग के बाद 0300 बजे हबक क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरु किया गया। हबक क्षेत्र की तलाशी के बाद, पार्टी वानीहामा की ओर बढ़ गई, जहाँ कमांडेंट, श्री करपाल सिंह भी उनमें शामिल हो गए और अभियान का पर्यवेक्षण किया। वानीहामा में भी तलाशी अभियान निरर्थक साबित हुआ। तत्पश्चात् सी आर पी एफ और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के कार्मिकों पार्टी सुपारीबाग, छात्रहामा की ओर बढ़ी और उस क्षेत्र की घेराबंदी कर ली। जब संदिग्ध भवन की घेराबंदी की जा रही थी, तब भवन में छिपे, उग्रवादियों ने हमारे सैन्यदलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरु कर दी जिसमें जी/137 बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी वीरेन्द्र कुमार को दाएँ कंधे में गोलह लग गई और उन्हें वहाँ से तत्काल हटाया गया। उग्रवादियों और सी आर पी एफ/जे के पी कार्मिकों के बीच जब भारी गोलीबारी जारी थी, तभी घेराबंदी-स्थल को तोड़कर बाहर निकलने के उद्देश्य से एक उग्रवादी हमारे सैन्यदलों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भवन से बाहर निकला किन्तु उसे सी आर पी एफ और जे के पी कार्मिकों द्वारा तत्काल मार गिराया गया।

137 बटालियन के कमांडेंट, श्री करपाल सिंह ने पुलिस अधीक्षक (अभियान) से परामर्श के बाद क्यू आर टी 137 बटालियन को, भवन में जहाँ उग्रवादी छिपे हुए थे, सी जी आर एल शेल दागने का निदेश दिया। उग्रवादियों की ओर से लगभग एक घण्टे तक कोई प्रतिक्रिया न होने पर, कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी करूष्ण चन्द्रा साहू सहित 137 बटालियन की क्यू आर टी भवन को उग्रवादियों से मुक्त करने के प्रयोजन से रूम इन्टरवेंशन ऑपरेशन के लिए रणनीतिपूर्वक उक्त मकान की और बढ़ी। सी आर पी एफ की 137 बटालियन की क्यू आर टी ने जब मुख्य भवन को अपने कब्जे में कर लिया, तब जी/137 बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी करूष्ण चन्द्रा साहू क्षेत्र की तलाशी के लिए रणनीतिपूर्वक मकान के पीछे की और पहुँच गए। इसी दौरान एक उग्रवादी,जो एक नीची शेड की नीचे छिपा हुआ था, ने अपनी ए के 47 राइफल से कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी कृष्ण चन्द्र साहू पर गोली चला दी, जिसके कारण कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी कृष्ण चन्द्र साहू को गले में गोली लग गई, किन्तु गोली लगने के बावजूद उन्होंने छिपे हुए उग्रवादी पर निरन्तर गोलीबारी की और दोनों ओर से इस गोलीबारी में उग्रवादी कई गोलियाँ लगने से घायल हो गया और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी कृष्ण चन्द्र साहू की गोलीबारी में घायल होने की वजह से घटना स्थल ही पर मृत्यु हो गई। तदनंतर, घायल उग्रवादी को सी आर पी एफ और जे के पी कार्मिकों द्वारा मार गिराया गया। इस मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के दो उग्रवादी मारे गए और मारे गए उग्रवादियों/मुठभेड़-स्थल से दो ए के-47 राइफलें, 5 मैगज़ीनें, 20 जिंदा राउंड और एक हथगोला बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में (स्वर्गीय) श्री करूष्ण चन्द्रा साहू, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 22.06.2008 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 107-प्रेज/2011, राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अधिकारियों के नाम और रैंक

सर्व/श्री

1. अजय कुमार बर्मन
   कांस्टेबल
2. सुभाष
   कांस्टेबल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया

दिनांक 09.10.2009 को लगभग 2130 बजे कस्तीगढ़ सीमा चौकी, डोडा (जम्मू एवं कश्मीर) को उग्रवादियों के छिपने के स्थान के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर गाँव जारन, कस्तीगढ़, पुलिस स्टेशन और जिला डोडा (जम्मू एवं कश्मीर) में हेड कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी श्रीनाथ, के पर्यवेक्षण के अधीन डी/76 सी आर पी एफ की एक टुकड़ी, पुलिस पार्टी और 10 आर आर द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरु किया गया। तलाशी अभियान के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक आतंकवादी नूर मोहम्मद के घर में छिपा हुआ है। सी आर पी एफ पार्टी/पुलिस पार्टी/10 आर आर ने उस मकान को घेर लिया और मकान में उग्रवादी की उपस्थिति की पुष्टि भी हो गई। अभियान के दौरान उग्रवादी ने अभियान पार्टी पर मकान के अंदर से अंधाधुंध गोलीबारी की। संयुक्त अभियान पार्टी ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की और एक मुठभेड़ शुरु हो गई।

मुठभेड़ के दौरान, जब छिपे आतंकवादी का पता लगा लिया गया, तब 76 बटालियन के कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी अजय कुमार बर्मन और कांस्टेबल/सामान्य ड्यूटी सुभाष ने अनुकरणीय साहसिक कार्रवाई का प्रदर्शन किया और अपनी जान की परवाह किए बिना, वे दोनों मकान की छत के ऊपर चढ़ गए और उग्रवादियों को रात-भर गोलीबारी में उलझाए रखा। सुबह उन्होंने उग्रवादियों को देखा और उनकी ओर अचूक निशाना साधा और गोलियों का सामना करते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए उग्रवादी पर गोलियाँ चला दीं और उसे घटनास्थल पर ही मार गिराया। बाद में, उग्रवादी की पहचान लियाक़त अली, कोड जुनैद, तहसील कमांडर (एच एम) पुत्र अली मोहम्मद गुज्जर, ग्राम लालूर, पुलिस स्टेशन-डेस्सा, जिला-डोडा (जम्मू और कश्मीर) के रूप में हुई और मुठभेड़ से एक ए के 56 राइफल, 03 मैगजीन, 01 डेटोनेटर बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री अजय कुमार बर्मन, कांस्टेबल और सुभाष, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पुरस्कार, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरुप इसके साथ नियम 5 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 09.10.2009 से दिया जाएगा।

बरुण मित्रा
संयुक्त सचिव

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई 2011

सं. 108-प्रेज/2011--आईसी-27022 बिग्रेडियर अनिल कुमार लाल को इस सचिवालय द्वारा 26 जनवरी, 2004 की अधिसूचना सं. 28-प्रेज/2004 के अन्तर्गत प्रदान किया गया विशिष्ट सेवा पदक एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 2011

सं. ए-43011/11/2010-प्रशा. I--मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन सं. 571/2/3/2010-मंत्रि-III दिनांक 11.02.2010 के अनुसरण में 11.02.2010 से राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति (एनटीडीपीसी) नामक एक उच्च स्तरीय समिति का गठन श्री राकेश मोहन की अध्यक्षता में किया गया है, जो इस कार्य को राज्य मंत्री के दर्जे में अवैतनिक क्षमता में देख रहे हैं। समिति के विचारार्थ विषय, गठन तथा अन्य रीतिविधान निम्नानुसार हैं:--

1. विचारार्थ विषय

(1) स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर आर्थिक, जनांकिकी और प्रौद्योगिकीय रूझानों के संदर्भ में आगामी दो दशकों के लिए अर्थव्यवस्था की परिवहन आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

(2) परिवहन के विभिन्न माध्यमों अर्थात् सड़क, रेल, हवाई, पोत परिवहन तथा अंतर्देशीय जल परिवहन की तुलनात्मक संसाधन लागत लाभ को ध्यान में रखते हुए तथा आर्थिक रूप से कम विकसित माध्यमों पर विशेष फोकस करते हुए परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक एवं धारणीय नीति की सिफारिश करना तथा

(क) परिवहन के विभिन्न माध्यमों के युक्तिसंगत मिश्रण को बढ़ावा देना जिससे कि अर्थव्यवस्था के समग्र संसाधन लागत को कम किया जा सके।

(ख) आर्थिक विकास के लिए परिवहन क्षमता में संतुलन सुनिश्चित करना तथा ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षा, सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा भावी जीवन गुणवत्ता बनाए रखना।

(ग) सार्वजनीन ग्रामीण संपर्कता सुनिश्चित करना।

(घ) एक ओर सूदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा दूसरी ओर शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों की विशेष समस्याओं का समाधान करना, तथा

(ङ) लागत प्रभावी सृजन, परिवहन परिसम्पत्तियों का किफायती अनुरक्षण और कुशल उपयोगिता के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाना एवं विकसित करना।

(3) परिवहन क्षेत्रक की निवेश आवश्यकताओं का मूल्यांकन तथा इन निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने में राज्य और निजी क्षेत्रक की भूमिका की पहचान करना तथा परिवहन सेवाओं की व्यापक व्यावसायिक अभिविन्यास हेतु उपाय का सुझाव देना। इस परिप्रेक्ष्य में, समिति को पीपीपी पहल के साथ अनुभव की समीक्षा करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा इसमें और संशोधन करने का सुझाव देना चाहिए।

(4) परिवहन व यातायात के विभिन्न माध्यमों से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों की जांच करना तथा समुदाय के हित में गंभीरता से लागू करने हेतु उपायों का सुझाव देना तथा तेजी से बढ़ती हुई आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रणाली और प्रक्रिया को सुचारू बनाना।

(5) उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां डाटा बेस आवश्यकताओं में सुधार किया जाना है जिससे कि समिति द्वारा संस्तुत नीतिगत उपायों को प्रतिपादित व कार्यान्वित किया जा सके।

(6) परियोजनाएं विकसित और कार्यान्वित करने हेतु क्षमता में सुधार करने के लिए उपायों का सुझाव देना।

(7) संस्तुत नीति के विभिन्न घटकों को निश्चित-सीमा के अंतर्गत कार्यान्वित करने हेतु उपायों का सुझाव देना।

(8) ऐसे किसी भी उपाय की सिफारिश करना जिसे समिति उपर्युक्त मद (1) तथा (7) के संगत समझे।

2. गठन

अध्यक्ष

श्री राकेश मोहन (राज्य मंत्री के दर्जे में अवैतनिक क्षमता में)। वे समिति के कार्य में सहायता हेतु किसी भी सदस्य को सहयोजित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

सदस्य

(1) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

(2) सचिव, शहरी विकास मंत्रालय

(3) सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(4) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

(5) सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय

(6) सचिव, वित्तीय सेवा विभाग

(7) सचिव, कोयला मंत्रालय

(8) सचिव, विद्युत मंत्रालय

(9) सचिव, रसायन व प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(10) उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सलाहकार

(11) अध्यक्ष, राइट्स

(12) श्री के. एल. थापर, अध्यक्ष एशियन परिवहन विभाग संस्थान

(13) श्री एम. रविन्द्र, पूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड

(14) श्री एस. सुन्दर, पूर्व सचिव, परिवहन व पोत परिवहन

(15) श्री डी. पी. गुप्ता, पूर्व महानिदेशक, सड़क

(16) प्रो. दिनेश मोहन, आई आई टी, दिल्ली

(17) श्री भरत सेठ, एम डी, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग

(18) डॉ. राजीव बी. लाल, एम डी, आईडीएफसी

(19) श्री मोहनदास पाई

(20) श्री साइरस, गज़र, अध्यक्ष, एएफएल ग्रुप

(21) वरिष्ठ परामर्शदाता (परिवहन) योजना आयोग सदस्य-सचिव के रूप में

3. संचालन विधि

समिति विशेषज्ञ निकायों द्वारा विशेष अध्ययन करा सकती है। समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में है। समिति ऐसे स्थानों का दौरा कर सकती है तथा जहां आवश्यक हो, अपने कार्यों के संबंध में ऐसे पणधारियों व विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर सकती है।

4. समय-सीमा

समिति का कार्यकाल मंत्रिमंडल सचिवालय के का.ज्ञा. सं. 571/2/3/2010-मंत्रि-III दिनांक 11.02.2010 के तहत् समिति के गठन की तिथि अर्थात् 11 फरवरी, 2010 से 18 महीने का होगा।

5. प्रबंधन

योजना आयोग द्वारा समिति को सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

6. बजटिंग

योजना आयोग एनटीडीपीसी के लिए निर्धारित निधियां अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी (आईडीएफसी) को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करता है जिसका उपयोग परामर्शदाता और सहायक सचिवालयी स्टाफ नियुक्त करने पर व्यय, समिति के सदस्यों और कार्यकर्त्ताओं के टीए/डीए, अध्ययन पूरा कराने, स्टेशनरी पर व्यय, वाहन व यात्रा तथा अन्य विविध व्यय को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अवसंरचना विकास वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईडीएफसी) कार्यालय स्थान तथा कम्प्यूटर/प्रिंटर के रूप में निःशुल्क अवसंरचना प्रदान कर रहा है।

जी. राजीव
अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा मानीटरिंग प्रभाग)

नई दिल्ली-110066, दिनांक 16 मई 2011

संकल्प

सं. 4-3/2010 (आर) प्रेम--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एतद्द्वारा विकलांगों के विकास, समाज रक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के विकास के क्षेत्रों में मंत्रालय को निम्नलिखित पहलुओं पर सलाह देने के लिए अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन करता है :--

(क) विकलांगों के विकास, समाज रक्षा, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य का संवर्द्धन/समन्वय और उपयोग;

(ख) उक्त क्षेत्रों में अनुसंधान के क्षेत्रों की पहचान;

(ग) अनुसंधान संस्थाओं/संगठनों से प्राप्त विभिन्न अनुसंधान प्रस्तावों/परियोजनाओं की छानबीन और अनुमोदन; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने से संबंधित अन्य मामले।

इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :--

(क) सरकारी सदस्य

1. विशेष सचिव/अपर सचिव (सा. न्याय. और अधि.)	अध्यक्ष (पदेन)
2. संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार)	सदस्य (पदेन)
3. संयुक्त सचिव (एसडी)	सदस्य (पदेन)
4. संयुक्त सचिव (एससीडी)	सदस्य (पदेन)
5. संयुक्त सचिव (डीडी)	सदस्य (पदेन)
6. संयुक्त सचिव (बीसी)	सदस्य (पदेन)
7. आर्थिक सलाहकार	सदस्य (पदेन)
8. वरिष्ठ सलाहकार (एसजे) योजना आयोग	सदस्य (पदेन)
9. डीडीजी	सदस्य सचिव (पदेन)

(ख) गैर-सरकारी सदस्य

1. डॉ. शीलू श्रीनिवासन,
संस्थापक अध्यक्ष,
डिगनीटी फाउंडेशन, बीएमसी स्कूल बिल्डिंग,
टोपीवाला लेन, ग्रांड रोड,
मुम्बई-400007

2. प्रो. रजत रे,
प्रोफेसर तथा मनोचिकित्सा विभाग प्रमुख,
राष्ट्रीय दवा निर्भरता उपचार केन्द्र,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर,
नई दिल्ली-110029

3. श्री एस. के. रूंगटा,
महासचिव,
राष्ट्रीय दृष्टिहीन परिसंघ,
प्लॉट नं. 21, सेक्टर-6,
प्रेस एन्कलेव रोड, पुष्प विहार,
नई दिल्ली-110017

4. प्रो. सुधीर यू. मेशराम,
निदेशक, राजीव गांधी बायोटेक्नोलॉजी सेंटर,
एल आई टी परिसर,
आर टी एम नागपुर विश्वविद्यालय,
नागपुर-440033

5. प्रो. अब्दुल वहीद,
एसोसिएट प्रोफेसर समाज-शास्त्र,
समाज-शास्त्र और समाज कार्य विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़-202002

6. डा. वी. के. मोहनराव,
फ्लैट नं. 505, वैश्वनवीज लक्ष्मी वेंकट विला
नल्लाकुंता, सब्जी मंडी रोड,
हैदराबाद-505001 (आंध्र प्रदेश)

7. डा. नरेन्द्र कुमार,
1376, सेक्टर-ए, पाकेट बी एवं सी,
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070

8. श्रीमती विजय दक्ष,
150, रेलवे रोड,
हापुड़, जिला गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश

समिति के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा अर्थात् 25 मई, 2011 से 24 मई, 2013 तक। समिति की बैठक अनुसंधान/मूल्यांकन अध्ययनों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तिमाही आधार पर होगी, जो मध्य अवधि संशाधनों के लिए भी अनुमति देगी और यह सुनिश्चित करेगी कि अंतिम परिणाम समिति को सौंपे गये विचारणीय विषय के अनुरूप हैं।

समिति के सदस्यों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। समिति के गैर-सरकारी सदस्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा के लिए भारत सरकार के समूह "क" के अधिकारियों के लिए अनुमत यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ते के पात्र होंगे। सरकारी सदस्य अपने संबंधित कार्यालयों से उनके लिए लागू नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता इत्यादि आहरित करने के लिए पात्र होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मुकुट सिंह
उप-महानिदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 मई 2011

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2009/23/22--श्री डेरेक ओ ब्रेरेन, 158, प्रिंस अनवर शाह रोड, कोलकाता-700045 की अध्यक्षता में यात्री सेवा समिति के पुनर्गठन के संबंध में रेल मंत्रालय के दिनांक 16.07.2009, 12.11.2009, 08.02.2010, 22.03.2010, 01.09.2010, 06.10.2010 के समसंख्यक संकल्प तथा 18.03.2011 के आदेश के क्रम में रेल मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि (i) श्री शांतनु राय चौधरी, 54/ई पी. के. गुहा लेन, दम दम कंटोनमेंट, कोलकाता-700028 (ii) सुश्री अनसुआ चौधरी, 9 ई, स्टेशन लेन, धाकुरिया, कोलकाता-700031 तथा (iii) श्रीमती किश्वर जहान, 7 बी/एच/13, तिलजला लेन, कोलकाता-700019 को यात्री सेवा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजय कुमार गुप्ता
सचिव
(रेलवे बोर्ड)

संकल्प

सं. ईआरबी-1/2009/23/21--श्री शुवप्रसन्ना, "नातुन बाड़ी", बी. एच-167, साल्टलेक, सेक्टर-II, कोलकाता-700091 की अध्यक्षता में यात्री सुविधा समिति के पुनर्गठन के संबंध में रेल मंत्रालय के दिनांक 16.07.2009, 17.08.2009 तथा 14.07.2010 के समसंख्यक संकल्प तथा 29.12.2009, 24.05.2010, 18.03.2011 के आदेश के क्रम में रेल मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि श्री हरनाथ चक्रवर्ती, 74, चांदी घोष रोड, कोलकाता-700040 तथा श्री समीर आइच, 4/36, विद्यासागर कॉलोनी, पी.ओ. नकतला, कोलकाता-700047 को यात्री सुविधा समिति के सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विजय कुमार गुप्ता
सचिव
(रेलवे बोर्ड)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2011

संकल्प

सं. 2/18/2005-बी.एम./943--सिंचाई मंत्रालय (वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी-राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना, 1982 में जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) के प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण के उद्देश्य से की गई थी। एनडब्ल्यूडीए के कार्य दिनांक 26.8.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 4 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् सरकार ने जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92-बी.एम. द्वारा एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में संशोधन किया, दिनांक 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002-बी. एम. द्वारा दिनांक 26.8.1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 3 और 5 में विहित सोसाइटी एवं शासी निकाय का गठन किया और संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास हेतु एनपीपी के

तहत् नदी सम्पर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शामिल करने के लिए एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या 2/18/2005-बी.एम. द्वारा संशोधन किया।

और, अब यह निर्णय लिया गया है कि एनडब्ल्यूडीए अंत:राज्यीय सम्पर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य भी करेगा।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपर्युक्त गतिविधियों के लिए सक्षम बनाने हेतु, उसके कार्यों में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:--

(क) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव जो कि जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एन.पी.पी.) का हिस्सा हैं, की व्यवहार्यता के लिए संभव जलाशय स्थलों तथा परस्पर जोड़ने वाले सम्पर्कों के संबंध में व्यापक सर्वेक्षण और अन्वेषण करना।

(ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों तथा हिमालयी नदी प्रणालियों में जल की मात्रा जिसे बेसिन/राज्यों की समुचित आवश्यकता को पूरा कर लेने के बाद निकट भविष्य में अन्य बेसिन/राज्यों में अंतरित किया जा सकता है, के संबंध में व्यापक अध्ययन करना।

(ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से जुड़ी स्कीम के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना।

(घ) संबंधित राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदी सम्पर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

(ड) राज्यों द्वारा यथाप्रस्तावित अंत:राज्य सम्पर्कों की पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना। व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पहले ऐसे प्रस्तावों के लिए संबंधित संयुक्त बेसिन वाले राज्यों की सहमति ली जाएगी।

(च) उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सोसाइटी द्वारा अन्य ऐसे प्रासंगिक, सम्पूरक अथवा सहायक कार्य करना जिन्हें सोसाइटी आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सेना सचिवों, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, योजना आयोग तथा केन्द्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ प्रेषित किया जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए तथा आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने के वास्ते संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

प्रदीप कुमार
आयुक्त

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi the 24th May, 2011

No.50–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Andhra Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. K. Eswara Reddy, Inspector

02. J. Mallikarjuna Varma, Inspector

03. A Murali Mohan Reddy, Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

Shri K Eswara Reddy, Inspector, Shri J Mallikarjuna Verma, Inspector, and Shri A Murali Mohan Reddy, Head Constble got credible information that Shakamuri Appa Rao and his protection squad are staying in the forest area of Kanukudichalama and planned an operation, left Pullalacheruvu along with district Special Party and reached a stream Kanukudichalama by 0600 hrs on 12.3.2010.

They slowly crawled towards the top of hillock and found 20-25 armed cadres of CPI (Maoist). The team – 'A' consisting of the local SI and district special party covered the Maoist camp from northern side and team 'B' consisting of the Shri K Eswara Reddy, Inspector, Shri J Mallikarjuna Verma, Inspector, and Shri A Murali Mohan Reddy, Head Constble and district special party from western side. Team-'A' disclosed their identity and warned them to surrender. But the Maoists started firing with an intention to kill Police. Team – 'A' took cover behind boulders to escape the firing.

At this juncture team – 'B' particularly Shri K Eswara Reddy, Inspector, Shri J Mallikarjuna Verma, Inspector, and Shri A Murali Mohan Reddy, Head Constble noticed Shakamuri Apparao firing with AK 47 rifle and his protection team trying to escape towards the western side, jumped out from their cover, lobbed grenades and started burst firing over the Maoists who continuously pouring bullets. Though there were spree of bullets from all sides, Shri K Eswara Reddy, Inspector, Shri J Mallikarjuna Verma, Inspector, and Shri A Murali Mohan Reddy, Head Constble determined to neutralize the Appa Rao. They found him and his gunman running out of the battle ground by giving extensive firing. K. Eswara Reddy, Inspector, J. Mallikarjuna Varma, Inspector and A Murali Mohan Reddy, Head Constable with out caring their lives, opened fire, resulting in the death of Shakamuri Appa Rao @

Ravi. The following arms, ammunition and equipments were recovered from the scene.

1. AK 47 Rifle - 01
2. AK 47 magazine - 01
3. Kit bags - 04

In this encounter S/Shri K. Eswara Reddy, Inspector, J. Mallikarjuna Varma, Inspector and A Murali Mohan Reddy, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.03.2010.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 51–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Utpal Borah, (1st Bar to PMG)
Sub Inspector

02. Pronab Kumar Gogoi (PMG)
Circle Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 26.02.2009, in the morning based a secret information about possible shelter of ULFA militants in village Baligaon under Jengraimukh-PS. A joint search operation was conducted by CI Majuli, Shri Pranab Kumar Gogoi and O/c Gormur PS SI Utpal Borah as per the direction of Supdt. Of Police, Jorhat alongwith armed force(CRPF/APSN) personnel. As soon as the security Forces had cordoned off the area, the ULFA militants taking shelter inside started indiscriminate firing at the Police and CRPF party. The security forces retaliated strongly under the guidance of CI Shri Pranab Kumar Gogoi assisted by SI Utpal Borah O/c Gormur PS. In utter disregard to their personal safety and security, they charged at the dreaded militants forcing them to retreat and killed two of them who were later identified as Sarat Borah S/o Priyaram Borah of Dhuwachala gaon, P.S Majuli and Bhaskar Hazarika (ULFA name) @ Dimbo Nath @ Dimbeswar Nath (actual name), S/O Shri Punaram

Nath of Achirikhana Nath gaon P.S Lakhimpur. Bhaskar Hazarika, Commander of 28th Bn ULFA was trained in Afghanistan and was responsible for rise and sustenance of ULFA in Assam.

The operation was conducted in a village which is very hostile to movement of security forces and scanty information is available about the movement of extremists. During the half an hour encounter, CI Pranab Kumar Gogoi fired 8 rounds of 9mm ammunition from his service pistol followed by SI Utpal Borah O/C Goramur P.S who fired 16 rounds from AK-47 Rifle. Huge cache of Arms and ammunition and some incriminating documents also were recovered from the PO. In this connection a case vide Jengraimukh PS Case No. 4/09 U/S 120(B)/121A/307 IPC R/W Sec. 25(1)(A)/27 Arms Act, 10/13 UA (P) Act has been registered.

The following recoveries were made from site of encounter:-

(a)	Rifle AK-56 (M-220098631)	-	01 No.
(b)	Pistol(No.4601043)	-	01 No.
(c)	Magazine	-	03 Nos.
(d)	Live ammunition	-	120 rds.
(e)	EFCs	-	13 Nos.
(f)	Chinese Grenade	-	01 No.
(g)	Detonator with fuze	-	20 Nos.
(h)	Wrist Watch without chain	-	05 Nos.
(i)	Walky-talky battery and ariel	-	-
(j)	Nokia Mobile	-	05 Nos.
(k)	Mobile Charger +02 Nos. of Battery Charger	-	03 Nos
(l)	Torch light	-	04 Nos
(m)	Small Radio ('Kaide')	-	01 No.
(n)	Rubber round seal of 28th Bn ULFA	-	03 Nos.
(o)	Pencil Bty	-	18 Nos.
(p)	Sim Card	-	19 Nos.
(q)	Pocket Diary	-	11 Nos.
(r)	Small Tap Cassette	-	01 No.
(s)	Money receipt book of 28th Bn. ULFA	-	05 Nos.
(t)	ULFA's printed pad(demand letters)	-	30 Nos.
(u)	ULFA's letter of 28th Bn(Written in Assamese)	-	32 Nos
(v)	Forty Steps of medicine difference type		
(w)	Indian currency notes Rs.1,00,000/-		
(x)	US notes- $ 10,000/-		
(y)	One purse with one 500/- note		
(z)	One wrist watch, Titan		
(aa)	Some ULFA's related incriminating documents/letters etc.		
(ab)	07 Nos. of Kit bag/School bag in different size.		
(ac)	03 Nos. blankets		
(ad)	03 pairs of shoes		

In this encounter S/Shri Utpal Borah, Sub Inspector and Pronob Kumar Gogoi, Circle Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.02.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.52–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Anurag Agarwal,
Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 04.03.2008 at about 3 a.m. an information was received by Shri Anurag Agarwal, IPS, Supdt. of Police, Dibrugarh about the presence of ULFA militants in the village No.1 Bhurbhuri Gaon. On receiving the said information Shri Anurag Agarwal alongwith other police personnel launched an operation in the said village. At about 4-30 AM, during search operation in the village, the police party led by him came under heavy fire opened by the ULFA militants. Shri Anurag Agarwal commanded his party for quick retaliation and he also started firing with his AK-47 rifle. His exposing himself to the extremist firing galvanized and motivated other police personnel, who also started firing towards the militants, resulting into a fierce encounter for about 40 minutes. Shri Anurag Agarwal advanced towards the direction of firing and thus exposed himself to the militants firing. Some militants of the group tried to escape under the cover of darkness and thick vegetation. Shri Anurag Agarwal chased the fleeing militants for around 3 km till they disappeared in the nearby jungle. Afterwards he organized a through search of the area and during search operation two dead bodies with bullet injuries were found. Two nos. of pistol with assorted ammunitions, 3 Mobile Phones with five Sim Cards, 5 Kgs. of explosives and some incriminating documents including extortions notices and sketch map of prohibited areas (Mohanbari Airport) were recovered from the encounter site. The killed ULFA militants were lateron identified as (1) Khanin Baruah @ Parikhit Chetry S/O Shri Bipin Baruah of Dangapathar Gaon PS-Lohowal (2) Tapan Baruah @ Arun Baruahm S/O Kate Nagen Baruah of Hudupara Gaon, PS-Naharkatia. Tapan Baruah was the District Commander of ULFA of Dibrugarh and

Lakhimpur districts. Both the militants were master mind of many violent incidents in Dibrugarh district and were wanted in many cases. In this encounter Shri Anurag Agarwal has shown indomitable courage and exemplary sense of leadership even at the risk of putting his own life at grave risk.

In this encounter Shri Anurag Agarwal, Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 04.03.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No.53–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nirmal Ch. Deka, (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 17/03/2009 receipt of specific information from own reliable source about 2-3 ULFA extremists taking shelter in the village, Kalitapara under Sipajhar PS, Darrang district, a joint team of Darrang police and 65 Field Regiment of Army, launched a cordon and search operation. The security forces started search of the houses in tactical manner. During the search the extremists who were hiding in the house tried to escape by throwing grenades and simultaneously opened fire on the security forces. Seeing no alternative, security forces opened fire in self defence. After brief exchange of fire, Shri Horen Tokbi, APS, Addl. Spudt. of Police, (HQ), Darrange who was following the extremists ordered his PSO's to chase the ULFA extremists, while he himself established a fire base and provided covering fire to them. Realising that it was impossible to escape the two extremists entered inside a katcha latrine. AB Constable, Nirmal Ch. Deka who was chasing the extremist ordered them to surrender, and simultaneously taking cover of the undulating ground advanced towards the latrine. When he was about 10 meters away from the latrine, the extremists opened fire on him with a view to escape. AB Constable Nirmal Ch. Deka also fired back and in the ensuing fire fight got injured. Constable Nirmal Ch. Deka showing exemplary courage, with utter disregard to personal safety chased the fleeing extremist and shot one of the extremist at point blank range, later identified as Ganesh Sarma @ Manoj, Financial Secretary, 709 Bn.

Constable Nirmal Ch. Deka with his courage and arduous endeavour tried to apprehend the ULFA activists, but died of bullet injuries in counter fire.

In this encounter (Late) Shri Nirmal Ch. Deka,Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.03.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 54–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Rajen Singh,
Addl. Superintendent of Police

02. Prakash Sonowal,
Sub Divisional Police Officer

03. Mahananda Gauria,
Constable

04. Ghanakanta Malakar,
Contable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 07.06.2009 evening acting on a secret information that a group of 4-5 NDFB(Anti-talk group) extremists were taking shelter in Pachim Baralipur (Niz-Defeli) village under Tamulpur PS, Shri Rana Bhuyan, APS, SP Baksa directed Shri Rajen Singh, APS, Addl.SP (HQ), Baksa to conduct search operation in the area with necessary brief. Accordingly, on the same day at about 11.00 PM, Shri Rajen Singh, APS Addl. SP (HQ) Baksa, alongwith Shri Prakash Sonowal, APS, SDPO, Tamulpur Commando BN personnel, 4 Sikh LI Army and 10 Bn CRPF cordoned the general area of the village and started search operation. At about 11.45 PM, while the police party under leadership of Shri Rajen Singh, APS were searching the area, suddenly the suspected NDFB militants started indiscriminate fire upon the search party from nearby jungle area. Sensing imminent danger, the police party took position in no time and retaliated by firing towards the militants for self defense and to counter attack Shri Rajen Singh, APS, alongwith Shri Prakash Sonowal, APS, SDPO, Tamulpur, ABC Mahananda Gauria and ABC Ghana Kanta started crawling to

advance towards the militants in the face of heavy fire. They fought a close combat with the militants risking their lives. During the exchange of fire, extremists started retreating towards Northern side crossing the river Borolia in the cover of jungle by firing intermittently towards the Police party. But the four members police team under leadership of Addl. SP brave their lives and started chasing the militants with remarkable application of field craft. A fierce encounter took place between the Addl SP led police team and the extremist and it lasted for about half an hour. During exchange of fire, two bullets hit on the BP jacket of ABC Mahananda Gauria. When the firing stopped, the PO was searched thoroughly and two bullets injured unidentified extremists were found. A massive search operation was carried out in nearby areas to nab the other extremists but they managed to escape taking advantage of darkness and jungle. During search of the PO, one 9mm Pistol loaded with five rounds of live ammunitions, one Revolver loaded with two rounds of live ammunition, one Chinese Grenade, one Austrian Grenade, one Mobile Phone were recovered and seized. The injured extremists were immediately shifted to Tamulpur PHC for treatment, but the Doctor declared them brought dead. One of the extremist was identified as Ranjit Basumatary @ Rengkha aged about 30 years, S/o Shri Jadab Basumatary of village Nayajan, PS-Sarupathar, Dist-Golaghat, a self styled corporal of NDFB (Anti talk group). The other extremists could not be identified. In this connection Tamulpur PS case No.77/09/u/s 307/34 IPC R/W Sec-25(I-B)/27 Arms Act R/W Sec E.S Act R/W Sec.10/13 UA(P) Act was registered.

In this encounter S/Shri Rajen Singh,Addl. Superintendent of Police, Prakash Sonowal, Sub Divisional Police Officer,Mahananda Gauria, Constable and Ghanakanta Malakar, Contable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.06.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 55–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Assam Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Imdad Ali,
Sub Divisional Police Officer

02. Hem Kanta Boro,
Constable

03. Ratneswar Kalita
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded.

On 11.10.2009 evening acting on a secret information regarding movement of NDFB (Anti Talk) extremists in Rangidara Village under Simla O P , Shri Rana Bhayan, APS, Supdt. of Police, Baksa chalked out an operation plan and proceeded to the village alongwith Additional SP(HQ) Baksa, SDPO, Salbari, Dy.SP Commando Battalion, I/C Simla O P and accompanying personnel of Assam Police Commando Bn/3rd Kumaon Army/F-34 CRPF to launch the operation. They cordoned the entire village from four sides and started search operation at about 6 P.M.

At about 8.30 PM when a small team comprising of Shri Rana Bhuyan, APS, S P Baksa, Shri Imdad Ali, APS SDPO Salbari, ABC Hem Kanta Boro and ABC Ratneswar Kalita were approaching a culvert on the western side of the village, they came into an ambush laid by suspected NDFB (Anti-Talk) militants who fired indiscriminately upon them from behind the culvert. In fact, they had a miraculous escape when two grenades hurled at them by the militants did not explode. Sensing imminent danger the operation team jumped to the left side of the village road in no time and retaliated by firing towards the militants for self defense and to counter the attack. They started crawling towards the culvert, with remarkable application of filed craft to get a better tactical cover in the face of heavy fire and fought a close combat with the militants braving their lives. The fierce encounter which took place between the SP led police team and the militants had lasted for about 25/30 minutes. As the exchange of fire stopped, the P.O was searched and one bullet ridden dead body of unidentified militant was found which was latter identified as Self-Styled Corporal Pradip Goyari of Anti-Talk NDFB group. The other militants managed to escape under the cover of darkness taking advantage of nearby jungle area. During search of the P.O and the body of the deceased militant in night time. One 9mm Pistol with Magazine (made in Italy), Four rounds of 9mm ammunitions, five rounds of 9mm empty cartridge, three rounds of 5.56mm empty cartridges, four rounds of 9mm ammunitions, five rounds of 9mm empty cartridges, three rounds of 5.56 mm empty cartridges, four rounds of AK-47 empty cartridges, one round of 7.62 mm SLR empty cartridges, one Motorola, VHF Hand Set, two Nos. of Nokia Mobiles hand set, two Nos. of Hand Grenades, one No. of money demand letter(blank) of NDFB and one No. of money receipt of NDFB were found and seized. The search operation continued and in the next morning, one 9mm Pistol with magazine (made in USA) and six rounds of 9mm live ammunition were recovered from the P.O. This refers Patacharkuchi P.S Case No.206/09 U/S 12(B)/121/121(A).122.353/307 IPC, R/W Sec 25(1)(a)/27 Arms Act, R/W Sec, 4/5 ES Act R/W Sec 10/13 UA(P) Act.

In this encounter S/Shri Imdad Ali, SDPO, Hem Kanta Boro, Constable and Ratneswar Kalita, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 11.10.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 56–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

01. Dr. Shankar Kumar Jha
Sub Inspector
02. Shri Kameshwar Singh
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12th Febuary 2003 at around 10:15 Hrs, after receipt of information about assemblage of a violent and stiff necked criminal Ashok Singh with his associates in the house of his maternal uncle Ram Balak Singh of Jagatpura village under P.S. Matihani (Begusarai) for committing serious crime, Dr. Shakar Jha, SI O/C Chakia OP (Begusarai), informed his superiors and with their approval rushed to the said spot under another PS alongwith SI Kameshar Singh and 4 armed Home Guard Jawans for arresting the criminals. The said criminal and his gang had unleashed terror in the area. Dr. S.K. Jha, SI picked up village chawkidar 9/3 Ram Chandra Paswan at Jagatpura for correct identification of the house of Ram Balak Singh. Dr. Jha with the police party reached the spot at about 10:30 hrs. and heard audible noise. No villager could come to his aid. Dr. Jha the leader of the Police Party resolutely took action, split his team (one unit with 2 H.G. Jawans) under S.I. Kameshwar Singh and other under himself. As soon as S.I. Kameshwar Singh and his team approached the north-east corner room of the house, 2 gangsters opened fire injuring S.I. Kameshwar Singh who instantly fell down with profuse bleeding and severe pain in right thigh. This did not deter Dr. Jha. He took up the risk and without fear took position and called the criminals to surrender. But they opened fire on Dr. Jha. Finding himself in a precarious situation, Sri Jha in order to save his unit behind him and in self defence instantly opened fire from his service pistol. Exchange of fire continued for about 20-25 minutes followed by silence and calm. When firing stopped the police party searched and found the two unknown criminals lying dead in pool of blood with their weapons, ammunitions etc. as mentioned below. These two criminals were later identified as Arbind Singh of P.S. Matihani area andUmashankar Singh(Kakwa) of Muffasil P.S. Their Post-Mortem reports indicated multiple injuries

caused by fire arms leading to their instantaneous death. The death of two criminals in confrontation mentioned above was, nonetheless, an extraordinary and rare achievement of the police party of Chakiya Police O.P., Barauni P.S. and above all prized performance of SI Dr. Jha and SI Kameshwar Singh. It was indeed a very challenging encounter . The deceased criminal Arbind Singh had been awarded life sentence in Matihani P.S. Case No. 31/94, dated 26 March 1994 u/s 302/201/34 IPS and 25(1-B)/27 Arms Act who was declared absconder. He was also accused u/s 392/411 IPC in Case No 449/2002 dated 20 oct. 2002(Barauni P.S., Chakiya O.P.), Case No-362/02, Begusarai P.S. dated 30 October 2002, u/s 326/306/34 IPC and 27 Arms Act, u/s 414 IPC and 25(1-B)26 Arms Act in Matihani Case No-78/02 dated 30 December 2002, u/s 341/307/379/224/225/34 IPC and 27 Arms Act in Begusarai P.S. U/s 395/412 IPC in Begusarai Town P.S. Case No 10/2003 dated 09 January 2003, u/s 364(A)IPC in Begusarai PS Case No 12/2003, dated 16 January 2003. Thus he was guilty in as many as seven criminal cases enumerated above. Similarly, Uma Shankar Singh(Kakwa) was also accused in seven criminal cases.

The lethal articles recovered from the criminals were Carbine (1), Carbine Magazines(2), 9 mm live cartridges(29), 9 mm fired cartridges(14), Countrymade Pistol(1). .303 fired cartridges (3), .303 live cartridges(2), Mobile Phones(3), Motorcycle(1), Amount(Rs.446.50).

In this encounter Dr. Shankar Kumar Jha, Sub Inspector and Shri Kameshwar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.02.2003.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 57–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Bihar Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Vivekanand,
Dy. Superintendent of Police

02. Pravendra Bharati
Sub Inspector

03. Rahmat Ali
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

In the intervening night of 6/7-4-2002, the police party under the leadership of Shri Vivekanand SDPO left for village Chatnanma at 22:30 Hrs to conduct raids to arrest criminals wanted in Uda-Kishungaj PS case No.26/2002 dated 14.03.2002 U/S 364 (A)/34 IPC in connection with the kidnapping of Pawan Kumar Shaha businessman.

While the raid was still going on, the SDPO received an information that the gang had taken shelter in village Abhia under Purnea district in a house situated at the western end of the said village. Detailed description of the house was also given. Mr. Vivekanand, without wasting a moment, sprang into action, recognized the raiding party and evasively moved in the night towards the said locality and silently traced out the targeted house by 2:30 AM. He ordered the first party led by SI M.B.Shukla to surround the house from Northern flank and the second party led by S.I.B. Yadav to surround the house from Southern flank. Thereupon an other party led by ASI B.N.Singh was ordered to search the ground floor where the criminals were expected to be hiding while the SDPO himself along with Sub-Inspector Pravendra Bharati and Sub-Inspector Rahmat Ali and some constables went on the roof of the house with the view to having a clear dominant view of the surroundings. They were alert and cautious. However criminals, hiding on the roof, had observed the movement of the police party. They were alert and had already taken strategic position to attack the police party. No sooner the police party went up to the roof, the criminals started pouring bullets from northern side.

SI Pravendra Bharati, who along with SDPO, was in the fore-front was hit by a bullet and fell down. Undeterred, SDPO stood his ground and inspired his men not to threat, taking up lying position at once as also the injured Sub-Inspector. The SDPO identified themselves as the police repeatedly directing the criminals to stop firing and surrender. But it fell flat on the criminals who continued indiscriminate firing. The Police party was absolutely in open, without any cover and within the firing range of the bullets. It was a grim situation. There was maximum risk to the police party while criminals took an openly defiant and aggressive posture pouring devastating rounds of bullets. Decisions required enormous moral courage and SDPO ordered his men to open fire in self-defence and to safe-guard their arms and ammunitions. SI Bharati, despite of bullet injury, continued to face the criminals in cross-firing. The exchange of fire continued for almost half an hour. When the guns of the criminals became silent, the striking party cautiously stalked towards the northern flank of the roof and found four of them (criminals) laying dead while others had managed to escape under the cover of darkness. The dead were identified as (1) Sunil Mandal (2) Munna Mandal (3) Gulia Mandal. The fourth who could not be identified on the spot, was later on identified as Bhabikshan Sharma resident of Balia PS. Rupauli under Purnea Distt. One regular DBBL Gun, one musket, two country made pistol, one sword and some cartridges and empty cartridge were recovered from their possession.

In this encounter S/Shri Vivekanand, Dy, Superintendent of Police, Pravendra Bharati, Sub Inspector, Rahmat Ali, Sub Inspector, Mani Bhushan Paswan, Constable and Vikaram Kumar Chatriya, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.04.2002.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 58–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ajeet Kumar Ogrey
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 23 April 2007 S.H.O. PS Dhanora, Shri Ajeet Kumar Ogrey, SI received an information that near village Todasi, Naxaliltes led by Barda Dalam Com. Kishore were planning to explode the vehicles & kidnap the laborer involved in the construction of Bedma – Eragaon road. On receiving the information Shri Ajeet Ogrey organized an armed police party consisting of two H.C., two Const. two Home Guard Sainiks and three S.P.Os to proceed to the spot. Before departure, the party was minutely briefed about the threat of IED's and the preparedness of the enemy. Naxalites got the information about the movement of the police and as soon as the police party reached village Todasi, naxalites exploded a landmine and began heavy firing in the direction of the police party in which Shri Ajeet Ogrey sustained injuries. Despite being injured and heavy firing he kept his presence of mind and made the party to crawl tactically out of ambush and advanced firing on enemy. He used the tactical knowledge and used 51 mm mortar to pin down the naxalites at a distance. In spite of, the heavy fire from the naxalites, Shri Ajeet Ogrey went beyond the call of his duty & followed the naxalites in the thick of the jungle using shortest route and intercepted the naxalilte party again resulting in a fierce encounter, killing two uniformed naxalites and injuring many. The dead were identified as Soma alias Ramsingh alias Mahesh, Section Commander of Platoon number thirty, resident of village Chintapally, police station Farsegarh, District Bijapur and Sanjay alias Sandeep, Section Commander of Platoon number thirty, resident of village Kadme, police station Koilibeda, district Kanker. One loaded twelve bore weapon, one

muzzle loading weapon, explosives and three empty cartridges were seized from the spot during the search following encounter.

Under extremely adverse conditions and grave danger to his life, Shri Ajeet Kumar Ogrey, exhibited an extra ordinary courage, valour and leadership to face the situation boldly and gallantly which led to the killing of two dreaded naxalites which freed the entire region from the sense of insecurity that gripped the community as a result of the presence of these dreaded naxalites.

In this encounter Shri Ajeet Kumar Ogrey, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.04.2007

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 59–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sujit Kumar
Addl. Superintendent of Police

02. Komal Netam
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 06.07.2009 Sujit Kumar Addl. S.P. Narayanpur received information that naxalites had gathered in large number near Chhinari village. Chhinari village is located fourteen kilometers away from police station Farasgaon in the difficult terrain and dense forest. Accordingly operation was planned and police party was sent from PS Dhaurai instead of PS Farasgaon. To maintain surprise, police party started movement in night. It was raining heavily and it was dark night so the movement was very difficult. At 04:30 hrs in the morning, police party reached near the objective. As per operational plan, the party was divided into three groups. They planned to operate in hammer and anvil pattern. The assault party was led by Addl. SP Sujit Kumar where as two Cordon parties were led by PC Kujur and APC Rao. After the cordon parties took their position, the assault party started search operation. When this party was approaching towards the suspected hut, naxalites fired heavily

upon police party behind the hutment. Naxalites were more in number what was expected and were positioned at strategically higher places. Sensing the gravity of situation, Shri Sujit Kumar ordered the cordon party to crawl forward and take position to cut off the target. Shri Sujit Kumar fired and moved towards left side and directed ASI Komal Netam to proceed from right side and give support firing from there. Naxalites were demoralized because they were fired upon from both sides. Thus, the tactics of Shri Sujit Kumar helped in preventing casualty of police party. The aggressive approach of shri Sujit Kumar encouraged the troops to move aggressively and further discouraged naxalites. Naxalites started running away. Police party chased them for some distance and then started searching the battle ground. On searching, police party recovered two dead bodies of naxalites in uniform along with five ML guns, three claymore mines, one grenade, 200 meter wire, drill kit, medicines, naxalite literature etc from the spot. One of the naxalites was identified as Jai ram area commander of Jhara Dalam.

In this encounter S/Shri Sujit Kumar, Addl. Superintendent of Police, and Komal Netam, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it thc special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.07.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 60–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to President's Police Medal for Gallantry/ President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Mukesh Gupta** **Inspector General of Police**	**(1st Bar to PPMG)**
02.	**Gurjeet Singh Thakur** **Reserve Inspector**	**(PPMG)**
03.	**Kirit Sinha** **Assistant Sub Inspector**	**(PPMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the morning of July 12, 2009 Naxalites attacked Madanwara Outpost in Rajnandgaon district and killed two policemen. This could have had serious consequences hence the S.P. Rajnandgaon and the I.G. Durg Range, decided to

oversee the combing operations and moved from their respective Headquarters. Shri Vinod Choubey, SP instructed the police stations en-route to be prepared to move to Madanwara. The police party from PS Ambagarh Chowki, Mohla and Manpur on motorcycles followed the SP's carcade on crossing Manpur Police Station. The carcade was ambushed by the naxalites and the follow vehicle got trapped in firing in which the driver got injured but they were successful in coming out of the ambush. Fearing that the motorcycle party following him was in danger he halted near village Kohka and instructed ASI Kirit Sinha at PS Manpur on phone to immediately rush with available force in the MPV and directed the CRPF contingent to move. He also called additional force from Sitagaon and returned back to reinforce the motorcycle party and clear the ambush. I.G. Durg Range Shri Mukesh Gupta was also apprised by Shri Gurjeet Singh, R.I. about the ambush. On his way back to the ambush spot, it was found that naxalites had laid fresh road blocks guarded by armed contingents to block SP but he cleared them bravely and reached the site. Meanwhile ASI Sinha reached ambush site in MPV with six constables. There he saw naxalites had hit the motorcycle party gravely and those remaining were fighting a losing battle with the naxalites. ASI Sinha showing great presence of mind lost no time and rammed the MPV in between the firing naxalites and policemen and fired. The injured were swiftly pulled into MPV and their life could be saved. Now the burnt of naxal firing was on the MPV, tyre was shot burst, and front glass was fired to kill the driver and were preparing to set the MPV ablaze. The men in the MPV were in a perilous capture and death situation but were fighting. IG along with Shri Gurjeet Singh, R.I. had reached from Manpur side and joined to support ASI Kirit Sinha's party. S.P.'s party also joined them in countering the attacking naxalites. A fierce battle ensued. The naxalites receded. Timely intervention saved the trapped policemen. A transport bus with civilians which had entered amidst the ambush was also rescued to safety. The receding naxalites were again spotted carrying their injured and another exchange of fire took place. Naxalites took opportunity of the cover fire and escaped. During search, Shri Gurjeet Singh, R.I. was directed to take 05 injured to Manpur. It was when they had barely moved about 500 meters ahead of the ambush and were inspecting a body for any life, that the police scout spotted an IED across the curve of the road. No sooner he shouted an alarm than the naxalites blew off the IED. A massive explosion sent the entire road high up in the air causing darkness all around with the debris and the boulders falling from the air. Just at this instant the Naxalites numbering about 300, taking advantage of the blast, came barging in from the forests, firing fiercely and occupied preset cover positions in close-by telephone cable trenches and behind large rocks. Many climbed up the trees and threw hand grenades incessantly at the police party. Police was caught in a precarious situation and lay on the ground in the open without any cover. The police parties were surrounded and were under heavy fire. Naxalites shouted loud to kill and capture in order to demoralize. But soon the police parties led by both the officers were back on their nerves and despite the enemy's numerical and topographical advantage, courageously took on the attack and retaliated formidably while concerted effort to

save their men in this grave situation with the reinforcements not yet in sight. As soon as Shri Gurjeet Singh, R.I. heard massive blast, he immediately rushed back to the site but his way was blocked by a felled tree and guarding naxalites. He fired at them and was soon joined by the CRPF contingent. After clearing the road he was the first to reach the second ambush site where IG and his men were fighting the naxalites. Shri Gurjeet Singh joined the attack and opened fire to give naxalites a formidable reply. Later CRPF joined in and the naxalites fled away. Shri Choubey leading from the front, in this adverse situation decided to make a dent in the naxal attack, moved from his position and sprang towards the naxalites in the trenches 10 meters away and fired at them. This bold and unexpected counter attack caused a flutter of panic amongst the enemy ranks and forced them to retreat behind the large rocks. Thus emboldened, the policemen opened fire and continued the attack. A fierce though uneven battle ensued. Shri Choubey fought heroically with iron determination and raw grit, and ultimately made supreme sacrifice of his life at the altar of the duty. Shri Gupta during this ambush had been the pinnacle of the police counter attack and despite the fact that reinforcement not in sight and in situation where the police party was not in a position to sustain the battle for long despite a brave front, he risked his life and he along with his men moved and entered the MPV with a lightning speed. Now, they had the formidable cover and advantage of the height. The police party started fierce counter attack with a renewed spirit and this provided opportunity to the injured Constable Krishna Kumar and to ASI Kirit Sinha's party who crawled safely and were taken inside the MPV. Seven other constables whose ammunitions had finished were also saved. Shri Gupta held on the naxalites for more than 45 minutes till the reinforcement arrived. The following arms and ammunition were recovered from the site:-

1. 09 Grenades,
2. 12 Molotov cocktail
3. Petrol bombs which were destroyed on the spot and
4. 60 Mtr. Electric wire etc.

In this encounter S/Shri Mukesh Gupta, Inspector General of Police, Gurjeet Singh Thakur, Reserve Inspector and Kirit Sinha, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to President's Police Medal/President's Police Medal and consequently carries with it. the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.07.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 61–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri N.K. Sahu,
Dy. Superintendent of Police

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 09.04.2009, SP Narayanpur got information about presence of naxalites in jungle near village Orchhametta, PS-Orchha, Distt-Narayanpur. They were planning to organize villagers to indulge in violence and boycott the parliamentary election 2009. Immediately one joint party of DEF, BSF, CAF and SPO under the leadership pf Shri N K Sahu, Deputy Superintendent of Police (Headquarters) was sent to act on this information. The party started off from Orchha, situated at the periphery of AbujhMad at 04.30 hrs. The party was tactically divided into two groups, one under command of the Dy. SP & the other under command of Shri Nitin Dhyani, Assistant Commandant, BSF. It was tactical acumen of the Dy.SP that the party could not be noticed by anyone until they reach village Kodenar, ahead of village Dulurpara. On reaching the about point, treetop sentry of naxalites saw one man of the police party. The moment he saw the police man, he aimed at the policeman and started firing. Other outlawed naxals also started firing. Naxalites had advantage of terrain, one side the hillock and beneath a nallah, the convenient tactics in such a situation would have been to fire & move back. But Dy.SP N K Sahu instead showed courage, charged his men up, and using fire & move technique, they tried to surround naxalites from the left. In the meantime the other party under leadership of Shri Nitin Dhayani surrounded them from right. The Dy.SP. N K Sahu did not bother about bullets passing by his body & head. He came perilously close to naxalites that he could locate one among them. He was ably supported by ASI Kujur & three other men some 20 feet behind him. He fired at the naxalites, by changing his position. He faced a volley of bullets but his men also changed position and fired towards the naxalites, making an impression that a large party has surrounded them. Naxalites got scared and quickly retreated by blasting a mine and firing heavily. A thorough search of place of incident was conducted in which dead body of one armed uniformed naxalite, aged 20 yrs, height 5'4" been recovered.

Shri N K Sahu showed high professional acumen, exceptional courage and admirable presence of mind. He had moved ahead making tactical use of land. Observing the terrain and the position of the naxalites. The police action under the exceptional leadership of Dy.SP resulted in neutralization of one hardcore naxalites.

The following recoveries were made from the site of gallant action:-

(a)	Bharmar Gun	-	02 Nos.
(b)	Country made Gun12 Bore	-	01 No.
(c)	Rounds of 12 Bore	-	06 Nos.
(d)	Grenade	-	01 No.
(e)	Pipe Bomb	-	01 No.
(f)	Tiffin Bomb	-	04 Nos.
(g)	Wire	-	03 Bdles.
(h)	Uniforms of Naxalites	-	02 Set
(i)	Medicines	-	02 Container
(j)	Grenade Pouch	-	01 Pair
(k)	Pitthu	-	03 Nos.
(l)	Naxalites literature (Magazine) Prabhat		
(m)	Bhoomkal	-	02Nos.
(n)	Daily use articles		

In this encounter Shri N.K. Sahu, Dy. Superintendent of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 62–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Chhattisgarh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri B.R. Mandavi
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 03.10.2006, a joint police party of personnel of Central Reserve Police Force under the command of the Assistant Commandant Mr. Joy Thomas and the local police force from the police station Basaguda under the command of the station house officer, Inspector B.R. Mandavi, was carrying out area domination exercise near village Basaguda. When the party was moving towards village Pakkel, a group of naxalite fired upon the police party. Upon retaliation from the police the naxalites

started fleeing towards Rajpenta using the covering fire while withdrawing. The police party decided to go for the hot pursuit to cordon the naxalites.

To cordon off the fleeing naxals, the police party was divided into two groups, one led by Inspector B.R. Mandavi and another led by Asistant commandant Shri Joy Thomas. The team led by Inspector Mandavi right flanked and Assistant Commandant Joy Thomas's team left flanked and encircled them near village Sarkeguda. Upon being encircled naxalites fired heavily on the police party. For further advance, it was necessary to eliminate the naxalites who were firing at the troops from behind a big rock. Here Shri Mandavi showed an extra-ordinary valour and without caring for his own life, he crawled nearly 100 metres and went close to the position of the naxalites and fired on them. With his team in the ensuing battle, two naxals were killed. One of them was identified as Mandwi Hunga, aged twenty five years, resident of Budgicherry while, the identity of the other could not be established. The police party seized one muzzle loading gun, one bow and five arrows from the first naxal and seized one bow and seven arrows from the other. While, one detonator, one tiffin bomb of 5 kgs with 156gms of explosives and a sixty meter long electric wire, kept in a nylon bag, was seized on the subsequent search of the area.

In this encounter Shri B.R. Mandavi, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.10.2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 63–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Delhi Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Rajender Singh Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**Jarnail Singh Inspector**	**(PMG)**
03.	**Satyender Singh Head Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

A brief account of gallant action:

Officers of South District, Delhi Police performed an exemplary gallant act based on extraordinary effort that led to a successful operation in which seven members of the desperate gang of Satte-Bittu Gang were arrested after a shootout incident which took place in the area of Green Park on 19.01.2009. 4 automatic pistols along with huge quantity of cartridges, nine cellular phones, 2 daggers, 1 robbed SX-4 car, 1 Maruti Zen, 1 Honda Accord, 1 Santro car and 1 motorcycle used in the commission of crime have been recovered from their possession. Four criminals including the Gang-Leader Satya Prakash @ Satte, dreaded gangsters Nadeem @ Naseem and Shakeel and their associate Kuldeep @ Sonu were critically injured in the day light shoot out.

OPERATION

During most of the year 2008 and beginning of year 2009, a desperate gang of Satte-Bittu had been indulging in committing sensational incidents of bank robberies and targeting businessmen who carried large sums of money in the areas of Delhi, N.C.R., U.P. and Rajasthan. A few members of this gang had already been arrested in Kota, Rajasthan and Delhi. Satte, the leader of the gang, committed a cash van robbery in the area of R.K. Puram in the month of November 2008 along with his other accomplices. In all these sensational incidents, firearms were extensively used by the criminals and in most of the cases victims suffered multiple gunshot injuries. Ultimately, several teams of Delhi Police pursued the leads available to arrest the members of this desperate gang. A reward of Rs.25,000/- was also processed at Police Headquarters and a case under MCOCA was also initiated against Satya Prakash Satte in Police Station Nand Nagri, New Delhi. Despite extensive efforts by several teams of Delhi Police, the gang remained at large and continuously committed series of sensational crimes in Delhi, NCR, UP and Rajasthan.

In order to neutralize this gang, a joint team of Police Station Lodhi Colony and A.A.T.S., South District consisting of Inspr. Jarnail Singh, I/c AATS, SIs Pawan Tomar, Parmod Joshi, Balihar Singh and others under the supervision of Inspector Rajender Singh, SHO/Lodhi Colony and Shri `Vikramjeet Singh, ACP/Defence Colony was formed. The team so formed activated its sources and came to know that the desperate gang of Satte-Bittu is having a well knit network of informers in South Delhi area who were specifically tipping them of the movements of cash carriers in the area and also identified some banks to commit robberies. The efforts put in by the team bore quick results and a specific information regarding the movements of the criminals was received at Police Station Lodhi Colony that the gang members of Satte are planning to commit some bank robbery in the Green Park area of South

Delhi. On receipt of this information, SHO/Lodhi Colony immediately informed DCP/South, Sh. H.G.S. Dhaliwal who formed a combined team of staff of PS Lodhi Colony under supervision of Inspr. Rajender Singh and of Anti-Auto Theft Squad, South District under supervision of Inspr. Jarnail Singh.

Further information was received that the gang members are heavily armed and moving in a black colour Honda Accord Car and motorcycles. The number of the car was later identified as DL-7-CE-0909(Honda Accord). The group of criminals initially gathered at McDonalds, South Extension Part-II and later at Hotel R.K. International, NDSE-I.

The two teams under the directions and coordination of senior officers closely worked together in this critical situation and successfully identified the vehicles being used by the dreaded criminals and started the hot pursuit. When the police team reached at NDSE-I, the criminals had already moved further in the area of Green Park Extension in the above said vehicles, leaving bchind motorcycles at NDSE-I. The police team started chasing the identified vehicle of the criminals and after a hot pursuit intercepted the black Honda Accord car at gate number 2, Green Park Extension. When the police team tried to go near the vehicle of criminals, the occupants of the black Honda Accord car opened indiscriminate firing at the police party. The firing with the criminals lasted for about 12 to 15 minutes and around 54 rounds were exchanged from both sides. All assailants occupying the Honda Accord car received multiple gunshot injuries and three policemen viz. Constables Umesh, Suresh and Kaushalender also received gunshot injuries. The other vehicle i.e. white Santro which had more accomplices of these dreaded criminals managed to flee from the spot.

All the injured were shifted to AIIMS Trauma Centre. A case vide FIR No.24 dated 19.01.2009 u/s 307/186/332/353/34 IPC and 25/27 Arms Act was registered at Police Station Hauz Khas and investigation taken up. All the four injured criminals were admitted in AIIMS Trauma Centre in critical condition. Two more accused persons viz. Nadir and Harpal @ Honey were arrested later. Arjun, an employee in AIIMS, was also arrested on 29.01.09 in a case of cheating and forgery registered at Police Station Defence Colony vide FIR No.25/09 alongwith Sharafat Sheikh for facilitating the forged medical documents of the members of Satte-Bittu Gang and mother of Sharafat Sheikh, the notorious drug dealer already lodged in Tihar Jail in MCOCA. The fleeing Santro car was also recovered from Lajpat Nagar area. One motorcycle left by the criminals at NDSE-I was also recovered at the instance of both arrested accused Honey and Nadir. One SX-4 car robbed from Geetajali was also recovered from Sarojini Nagar area at the instance of Harpal @ Honey whereas one Maruti Zen car used in several crimes by Satte and his gang members was also recovered from Comesum Restaurant parking area, H.N. Din.

The following Arms/Amn were recovered :-

i) 4 automatic pistols (3 Made in USA and 1 Made in Italy)
ii) 3 extra magazines with 8 live rounds

iii) 19 fired cartridges
iv) 1 robbed SX-4 car
v) 1 stolen Maruti Zen car
vi) 1 Honda Accord used in crime
vii) 1 Santro car used by the criminals to escape
viii) 1 motorcycle used in the commission of crime
ix) 10 cellular phones and 17 sim cards of different service providers
x) 2 daggers
xi) Some forged documents
xii) Two traveling bags for the purpose of carrying looted money

During the interrogation the accused Satte and his other associates disclosed series of sensational crimes which they committed in Delhi, Rajasthan and NCR region during their heydays of the present phase of their criminal career.

INDIVIDUAL ROLE OF THE OFFICERS

Role of Inspector Rajender Singh

The fierce gun battle between heavily armed bank robbers and the police party by one of the teams led by Inspr. Rajender Singh, in broad daylight in Green Park residential/commercial area with no injuries to any public person and minimum injuries to police team while inflicting critical injuries to the assailants, was a flawless and a highly professional example of a police operation.

Inspr. Rajender Singh played the most critical role of collection of specific intelligence about the movement of this desperate gang on the day of the shoot out. His thoughtful planning, proper placement of vehicle and unsuspecting trail of suspected persons and vehicles led to clean execution of police operation by the team led by Inspr. Rajender Singh. When the police team, led by Inspr. Rajender Singh following the Honda Accord car of Satte gang reached Green Park Extension area tried to overtake the car in order to nab the criminals, Satte and his gang occupying Honda Accord car opened indiscriminate firing at the vehicle of Rajender Singh as soon as the second team led by Inspr. Jarnail Singh rammed their vehicle in the rear of Honda Accord car. Two bullets fired by the assailants pierced through the right fender of the vehicle just in front of Inspr. Rajender Singh who escaped miraculously by inches. He put his life at risk and led his team from front which resulted in many bullets whizzing pass by his body but undaunted, he ensured that members of his team use reasonable force thus avoiding any collateral damage.

Individual role of Inspr. Jarnail Singh

Inspr. Jarnail Singh was leading the team occupying Scorpio car which forced Honda Accord Car to stop by dashing his Scorpio at the tale of Honda Accord with

such an impact that the vehicle could not escape. He put his own life in danger when he got down from the vehicle and came in front of firing range of criminals. He kept his cool and managed the task assigned in such a way that the police party escaped unhurt and no public person got injured either from the bullet of police or from the bullet of criminals, though gun battle lasted for 15 minutes and extended around 200 meters area in full view of public.

He put his life in real danger and survived the attack very closely but undeterred and unfazed, he bravely confronted the criminal's firing.

Individual role of HC Satyender Singh

HC Satyender Singh 49/SD worked for about two months to nab the member of desperate Satte-Bittoo gang and spent many sleepless nights in and around the hideouts of criminals in Trans-Yamuna area sometimes all alone putting his life at risk.

When the police party intercepted the Honda Accord Car occupied by the assailants, HC Satyender took his position at the rear side of the Honda Accord and did not give any chance to criminals to flee from the car. He fired twice to give cover fire to other members of the police party and to put the criminals at a receiving end without caring for his own safety which finally led the police party to overpower all of them.

In this encounter S/Shri Rajender Singh, Inspector, Jarnail Singh, Inspector and Satyender Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.01.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 64–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Parvaiz Ahmad
Sub Inspector

02. Imtiyaz Ahmad
Sub Inspector

03. Mohd. Shafi
Sub Inspector

04. Parveen Kumar
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15th July, 2008, on a specific information regarding presence of terrorists in village Warpora Sopore, the nafri of SOG Sopore, 179 Bn. CRPF and PS Sopore, rushed to the spot. On reaching the said village, it was learnt that two terrorists namely Hilal Ahmad Sofi @ Khalid S/o Mohammad Sultan Sofi R/o Warpora Sopore of Al-Baraq terrorist outfit and Ali Raza R/o PAK of JeM terroristoutfit are hiding in the house of one Gh.Hassan War S/o Haji Mohd Sultan War R/o Warpora Sopore. SI Mohd Shafi of SOG Sopore and SI Parviaz Ahmad of P/s Sopore, laid a tight cordon and confined the terrorists in the said house and requisitioned reinforcement. On seeing the Police party the terrorists opened indiscriminate fire on the search party. A number of civilians were present at the said place when the terrorists fired on the operational party and it was a herculean task to evacuate these civilians. Before retaliating the fire, a small component of the police personnel volunteered themselves and started rescue of civilians. On reaching in the close proximity of civilians, the terrorists lobbed grenades and a volley of fire on the police party during which SI Mohammad Shafi and Constable Abdul Qayoom sustained injuries while as SPO Abdul Rashid attained martyrdom but the Police party comprising of SI Parvaiz Ahmad, SI Imtiyaz Ahmad, SI Mohammad Shafi(in limping condition) and Constable Parveen Kumar withoutcaring for their personal lives, managed to reach the civilians. The Police personnel acted with courage and exhibited great alacrity and accomplished the task of evacuation of civilians to a safer place. Soon after, the police party comprising of SI Parvaiz Ahmad, SI Imtiyaz Ahmad, SI Mohammad Shafi and Constable Parveen Kumar joined the operation actively and took the most challenging aspect of the operation to advance towards the target place. When they reached in close proximity of the terrorists, the later lobbed grenades and heavy volley of fire on them but without caring for their personal safety they continued to advance towards the terrorists and retaliated the fire as skilled

combatants. The operation continued for 23 long hours and due to excellent fire retaliatory action by the party, it became possible for the opertion personnel to neutralize two terrorists namely Hilal Ahmed Sofi @ Khalid S/O Mohammad Sultan Sofi R/O Warpora Sorpore of Al-Baraq terrorist outfit and Ali Raza R/O PAK of JeM terrorist outfit. For this incident, case FIR No. 186/08 U/S 307,302 RPC, 7/27 A.Act stands registered in Police Station Sopore.

In this encounter S/Shri Parvaiz Ahmad, Sub Inspector, Imtiyaz Ahmad, Sub Inspector, Mohd. Shafi, Sub Inspector and Parveen Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.07.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 65–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sajad Assad
Sub Inspector

02. Gh. Mohd. Chechi
SG, Constable

03. Gh. Mohammad Malik
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12.09.2008, on a specific information regarding presence of a few terrorists in the area of Margi Diver Lolab (Kupwara), an operation was carried out by the SOG party of Police Kupwara with the assistance of 28 RR and 125 Bn. CRPF. The terrain where the terrorists were hiding was unfavourable for the operation personnel because of the chances of getting damage if fire precautions/battle tactics were not meticulously applied. Despite having less combating capabilities as compared to the personnel who are especially committed for the said task, the Police Party headed by SI Sajad Assad decided to confront the terrorists from vulnerable positions. He led his personnel towards the target site for cordon and search operation. As soon as they started the exercise of cordon and search operation, terrorists lobbed grenades and volley of fire on SI Sajjad Assad and

his associate personnel namely Sgct Gh. Mohammad and Const Gh. Mohammad who were also leading from the front. As the site was quite vulnerable, the police party was seen by the terrorists as a result of which they faced imminent danger to their lives. But without caring for their personal safety. SI Sajad Assad (SHO P/S Sogam) and his associates chased the terrorists but the terrorists launched a massive retaliatory attack which led to the scattering of the personnel from their respective positions. However, displaying presence of mind they immediately repositioned themselves and swiftly lunched a counter attack from their respective positions, due to which the terrorists lost their confidence and attempted to break the cordon and escape, but due to great alacrity exhibited by the policemen the terrorists could not escape and got t rapped and continued the firing. Ultimately, after a long gun battle, the police party gunned down two terrorists who were later on, identified as Sameer Ahmad Rather S/o Gh. Hussain R/O Nowpora Payeen Pulwama and Ahmad Reshi S/o Ab. Rehman R/o Chakoo Shopian. During the operation, two AK-56 Rifles, five AK Magazines and 90 AK rounds were recovered. In this regard, case FIR No.27/2008 dated 12th September, 2008 stands registered in Police Station Sogam.

In this encounter S/Shri Sajad Assad, Sub Inspector, Gh. Mohd. Chechi, SG. Constable and Gh. Mohammad Malik, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.09.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 66–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Jammu & Kashmir Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sheikh Faisal Qayoom
Dy. Superintendent of Police

02. Chamail Singh
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17.05.2008, acting on a specific information about the presence of terrorists out side village-Laru Jagir Tral, Awantipora, a joint cordon and search operation was launched by Police Awantipora under the command of Shri Amarjit

Singh, Dy.SP Tral with the assistance of 185 Bn. CRPF. The searching area was a vast Orchard field wherein the presence of terrorists was felt. As such, an additional contingent of 42 RR and a Police party under the command of Shri Shiekh Faisal, Dy. SP, DAR, Awantipora was called for flushing out the terrorists. Shri Faisal, accompanied by HC Chamail Singh and the other police personnel of the party were given the task of approaching from the eastern side of the orchards which infact was the highest risk prone area of the operation. The prime responsibility was to safeguard the lives of the people who were working in the orchards. While evacuating the people working in the eastern side of the Orchard fields, Shri Faisal, Dy. SP noticed the presence of the terrorists who were challenged to lay their weapons. However, the terrorists opened indiscriminate fire and hurled grenades towards the officer. Shri Faisal and HC Chamial Singh exhibited exemplary presence of mind and outstanding valor by swiftly retaliating the fire thereby engaging the terrorists in a sustained firefight without giving them any chance to escape. The Officer and his accomplice crawled towards the terrorists and succeeded in elimination of all the six terrorists in a gruesome firefight, who were later on identified as Wasim Hassan Ahanger@ Qari S/O Gh. Hassan R/O Kachmullah, Moh. Yousuf Bhat @ Primna S/O Ab. Samad R/O Charsoo, Mehraj-ud-din Sheikh S/O Gh. Nabi R/O Noorpora, Ali Baba @ BadarBhai R/O Pakistan, Iftkar Bhai R/O Pakistan and Akram @ Kaloo Bhai R/O Pakistan.

The following arms/ammunition was recovered from the site of encounter and in this connection, case FIR No. 35/2008 U/S 307-RPC, 7/27 I.A. Act stands registered in the Police Station, Tral.

(a)	Rifle AK-47	-	02
(b)	Rifle AK-56	-	04
(c)	AK Magazines	-	21
(d)	AK Rounds	-	88
(e)	Pistol Chinese	-	01
(f)	Pistol Magazine	-	02
(g)	Pistol rounds	-	03
(h)	Wireless Sets	-	03
(i)	Satelite Phone	-	01
(j)	Grenade Chinese	-	07
(k)	UBGL Grenade	-	06
(l)	Nokia Mobile Phone	-	04

In this encounter S/Shri Sheikh Faisal Qayoom, Dy. Superintendent of Police and Chamail Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 67–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Bhola Prasad Singh
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31.05.2008 the O/C Barkatha Sri Binodanand Singh informed o/C Vishnugarh SI Bhola Prasad Singh that CPI (Maoist) Zonal Commander Arjun Yadav @ Vijay Yadav has been arrested by him who is also an accused in Mandu P.S. Case No. 181/08, dated 11.5.2008, u/s 147/148/149 353/333/302/307/324/326 IPC, 27 Arms Act, 3/ 4 Explosive Act and 17 C.L.A. Act. Thereafter SI Bhola Prasad Singh and others interrogated him and came to know the pre fixed meeting of Arjun Yadav and naxal Area Commander Nitish @ Yodha Saw. SI Bhola Prasad Singh informed it to SP, Hazaribag, who chalked out the plan of raid and formed 3 teams. 1. Assault team comprising SI Bhola Prasad Singh, Asstt. Commandant, CRPF, Harspal Singh and other 2. Cordon team with SI Binodanand Singh and 3. Stopper team under the leadership of S.D.P.O. Saryu Paswan and SI Arun Kumar along with DAP constables.

All the teams proceeded at 8 pm taking along with Arjun Yadav and reached Chundarmundu Village, took a villager who guided the team and gave the information about the place of meeting. SI Bhola Prasad Singh and Asstt. Commandnt,CRPF along with Arjun Yadav after crossing a small river managed to enter in meeting area on a small hillock taking benefits of darkness and deception at about 9:30 pm. Arjun Yadav @ Vijay Yadav called Nitish and greeted with Lal Salaam after shaking hands and pointed out for others. SI Bhola Prasad Singh along with others despite the gravest and imminent threat of their life, they entered into the area where meeting of armed naxal was going on.Once he along with others came very close to the Area Commander Nitish and others naxals, they sensed that there is police and they immediately started firing upon police. S.I. Bhola Prasad Singh and Asstt. Commandant Harshpal Singh directed the jawans to fire to repulse the attack saving the villagers.There were the question of life and death because every where naxals were present while only S.I. Bhola Prasad Singh and Harshpal Singh along with one jawan entered the area which was totally encircled by naxal only. In the meantime Nitish tried to take out his .303 rifle for firing. SI Bhola Prasad Singh caught his shoulder and neck without caring for risk on his life, took out his Govt. pistol and told him to surrender but the arrested Maoist Arjun Yadav also started to help Nitish and tried to snatch his pistol. All the three while fighting hand to hand fell from the hillock onto approx. 12 feet deep ground. While S.I. Bhola Prasad

Singh separated himself from them, Nitish fired one round from his .303 rifle aiming at SI Bhola Prasad Singh. But he did not loose heart and with full courage fired aiming Nitish who fell down after getting the injury. Instantly Arjun Yadav @ Vijay Yadav tried to take rifle of Nitish to fire upon Bhola Prasad Singh but again he fired aiming Arjun Yadav who also fell down. In the meantime the encounter between naxals and rest of the police/CRPF party was going on. He fired upon the aggressive CPI(Maoist) terrorists who became dangerous due to strong presence of their cadres. The Asstt.Commandant, CRPF also retaliated along with other CRPF constable. The terrorists lost confidence and started fleeing away. After some time firing stopped. The courageous SI Bhola Prasad Singh started extensive hunt with CRPF party arrested woman activist Kanti Kumari and found 04 bodies of terrorist and Rifle, pistol, explosive I.E.D and ammunition in heavy quantity.

Following Arms & Ammunition were recovered from the site of encounter:-

1.	.303 Regular Police Rifle	01 No.
2.	Country made Gun	01 No.
3.	Country made six rounder revolver	01 No.
4.	Country made pistol	01 No.
5.	Bow (Dhanush) approx-	10
6.	Arrow	04
7.	Ken Bomb	01 (25 kg)
8.	Electric Wire with Fuse Approx	100 Meter
9.	Pithu (shoulder bag)	05 Nos.
10.	Battery	01 (12 volt)
11.	Detonator with fuse	
12.	Cartridges	
	(i) .38 live cartridges	03 Nos.
	(ii) .315 live cartridges	04 Nos.
	(iii) .303 live cartridges	35 Nos.
	(iv) .303 empty cartridges	03 Nos.
	(v) .315 empty cartridges	11 Nos.
	(vi) AK.47 empty round	05 Nos.
	(vii) 9 mm empty cartridges	03Nos.
13.	Naxal Diary	01 No.
14.	Levy Receipt book	01 No.
15.	Levy receipt book of Nari mukti sangh -	02 Nos.
16.	Levy receipt book of CPI (Mao)	02 Nos
17.	Levy Receipt Book of Kendu Patti Majdoor Sang harsh Samitee North Chotanagpur	
18.	Naxal Secret Documents	
19.	Many useful cloths of female and male	
20.	Different types of medicines in huge quantity	
21.	Many soaps	
22.	Ground sheet	08 Nos.

23. Camera flash with wire for explosion of IED
24. Paper cutting of different dates
25. Water Bottle 01 No.
26. Torch 01 No.
27. Mobile (Nokia) 01 No.
28. Mobile charger 01 No.
29. Cash amount Rs. 2930
30. Axe 02 Nos.
31. Many pair of Chapels (leather and Hawaii) Approx- 15 Pairs.
32. Other naxal related documented and material.

In this encounter Shri Bhola Prasad Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 68–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Balkishore Kisku
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the basis of the information of SP Hazaribagh on dated 18.08.2008 at about 17.15 hrs. that the "Sub-Zonal Commander of MCC(I)(Maoist) organization (the banned organization) Krishna Yadav and bubuwa Singh are wandering in Niri Hill jungle near Village-Batuka Tola Noniadih situated under PS-Keradari, Distt-Hazaribagh along with their Dusta and D Coy 22 Battalion of CRPF is being sent to the Barkagoun PS in the leadership of Asstt. Commandant P R Mishra for necessary action. O/s Kerdari-PS was also directed to reach Barkagoun-PS. After receiving aforesaid information, Officer-in-Charge of PS-Keradari Mr Balkishore Kisku moved towards Barkagoun-PS along with the PS reserve force comprising of five police personnel with Govt. vehicle and reached Barkagoun on the same day at about 19.45 hrs. Asstt. Commandant Mr. P R Mishra had reached after planning a strategy for necessary operation against naxalites, O/C Kerdari along with CRPF troops moved towards dense forest of the same day via Ambatola and reached Niri Hill jungle at about 23.20 hrs. at night for passing through the way of hills and dense

jungle on foot. Due to dense forest and hills vehicle was left at Ambatola Police Picket. Information regarding activities of naxalites collected there by O/C Keredari-PS (SI Balkishore Kisku) from local spies. After necessary discussion with Asstt. Commandant of CRPF, two stop parties and one search-cum-raid party was made by Officer-in-Charge of PS-Keredari for the purpose of special operation against naxalites. Direction were given to the both STOP PARTIES. One stop party is directed to reach north side of Noniadih towards dense jungle, whereas second stop party was directed to reach south side of Noniadih, Burhia Jharna. Searches-cum-raid party was led by Officer-in-charge of PS-Keredari. Avoiding regular routes, the police forces moved and crossed a river having deep water, mountains terrain despite thick vegetation and ditch darkness to maintain surprise under the leadership of Officer-in-Charge of PS-Keredari. Concealing themselves with Courageous feelings O/C Keredari reached Burihiya Jhama near naxalites at about 00.15 hrs. at night on dated 19.08.2008. A Cluster of house was located on the hill at dense forest. Movement was observed near a remote isolated house located on the top of hills connected with dense forest and Nala. After identifying the target area, O/C Kerredari-PS (SI Balkishore Kisku) along with Police force moved further to reach as close as possible to the target area at the same time. Naxalites shouted suddenly and started fire on Police forces and attacked with intention to kill. After this critical situation to save themselves and for self defence order was given to the force to retaliate the fire of naxalites by O/C Keredari-PS in counter attack with gallantries' way at once. Sub-Inspector Balkishore Kiski O/C Keredari_PS fired from his AK-47 Rifle whereas other forces were also begun to fire from there fire arms. O/C Keredari-PS was moving front of his group. It was heavy firing from naxalites who were on top and hidden behind rocks. Firing was continued at least one and half an hour from both sides. At the target area just like a human statue was seen there in the dark night. According to the strategy as planned earlier by O/C Keredari, two HE Bombs were thrown by Police force towards naxalites directions and thereafter firing stopped gradually from the side of naxalites. In spite of that police maintained attack and gherabandi of that area in the meanwhile the information regarding encounter was given to the SP Hazaribagh and Commandant 22 Battalion of CRPF through mobile Phone by O/C Keredari-PS. Three para bombs were also thrown by the police force on the indication of O/C Keredari-PS to know the activities of naxalites at about 3 'O' Clock. In Spite of that situation couldn't be cleared. Then the area of place of occurance was surrounded by Police force in the leadership of O/C Keredari-PS till morning.

In the very early hours of the morning at about 05.30 AM on dated 19.08.2008 O/C Keredari-PS, SI Balkishore Kisku along with other forces begun to search of locality and during the search,it was found that one naxalite was lying there at the place of occurrence in uniform along with SLR Rifle, Pithu, Umbrella, Chapples, Rifle etc. goods were lying there around the place of occurrence. Later on place of occurrence was surrounded by the O/C Keredari along with PS reserve force and CRPF for safety point of view and after the request made to this sub divisional

magistrate Hazaribagh through mobile phone by O/C Keredari-PS. A Magistrate was deputed to prepare inquest report of dead body of the naxalites who was lying there. In the meanwhile some villagers were gathered there. Amongst them in the presence of two witnesses search was made there by deputed Magistrate and during search hour the dead body was identified as a Binod Munda of Village Buchadih, PS-Keredari, Distt-Hazaribagh by local villagers. Inquest report of dead body of Binod Munda was prepared by the Magistrate. One SLR Rifle with loaded Magazine, black Pithu on their back, two magazines loaded with SLR, two mobile sets, One wireless set. Rs. 50,000/- cash one 58 Cartridges of SLR and 5 empty cartridges of SLR, besides the dead body were found. Not only this but the various articles and goods were found at the place of occurrence. 1.303 bolt action rifle with a pouch having 48 live cartridges of .303 and another wireless set was also found. Within area of firing, probably some naxalites were injured. In the presence of two witnesses seizure list was made by O/C Keredari-PS at the place of occurrence.

On the basis of the aforesaid occurrence case has been registered Keredari-PS Case No. 64/08 dated 19.08.2008 under section 147/148/149/332/353/307 IPC, 25(1-b) A/26/27/35 arms act 4/5 explosive substance act and 17 CLA Act .

In this encounter Shri Balkishore Kisku, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.08.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 69–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Jharkhand Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Daud Kiro
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On a confidential information received by Superintendent of Police Hazaribag, a plan was made by SP Hazaribag and Asstt. Commandant of CRPF Shri P R Mishra with consultation of SI Daud Kiro at SP Office Hazaribag. In the evening of 16.09.08 the information was that " Sub zonal commander of CPI (Maoist) Naxals Krishna Yadav along with his group of a strength of approx 20 was moving in " Ghama hills of Simariya Police station in Chatra district". As according to the plan prepared, O/C Katkamsandi, SI Daud Kiro and Shri P R Mishra Asstt. Commandant along with of

platoons of CRPF Jawans and one section of DAP Constables started for Ghama hill for raid at 2200 hrs. from Katkamsandi. P S through out the night. This whole team moved in forest and hilly terrain area for conducting raid and search in different villages and hills. Finally at 03.00 pm this team reached Ghama hill and came to know about location of Krishna Yadav with his associates in the hill and forest. Immediately two teams were made for cordoning and search operation from north and south side of that location and adjoining hills. Even with the danger of armed Naxals, the both teams moved under able leadership of SI Daud Kiro and Asstt. Commandant P R Mishra in dark and thick forest area taking all precautions. The 1st team reached the Nala and started crossing Nala from hill side. It was around 05.45 AM the Naxals on the other side of Nala and located in hills and rocks, spotted the police party and started firing upon the police. SI Daud Kiro and Shri P R Mishra Asstt Commandant ordered for retaliatory firing and joining the jawans and they themselves started firing from their AK-47. But the Naxals were firing from top of hill from both side and taking cover of scattered rocks. But even in extreme dangerous situation SI Daud Kiro and Shri P R Mishra along with three jawans moved inside the hills in crawling and giving each other covering fire of AK-47. After climbing a distance they saw three-four extremist firing from east side taking cover of rocks. Concealing themselves, SI Daud Kido and Shri P R Mishra reached close distance where firing was continuing. There was imminent danger of being caught in firing done by Naxals and also probability of being reached by Naxals from different positions. But for the call of duty and moved to nation both of them bravely inched towards the firing Naxals and fired towards naxals with their AK-47 rifles. This firing resulted in crying of one naxals and he fell down. Other naxals also got injured and fled away taking cover of rocks and trees. The firing between police/CRPF and naxals continued till one and half an hour and finally it stopped from naxals side. The police party continued to hold their position in the hills for another few hrs.

Lateron in the presence of local villager a search operation was done in which one naxal dead body was recovered. The following arms/amns and other items were recovered from the site of encounter:-

1. .303 rifle -1 with 06 cartridges
2. Live cartridges of .303- 143 in a bandolier
3. SLR rifle-01 with magazine loaded with 05 cartridges
4. 7.62 cartridges in two pouch
5. Rifle chargers-07 in a black coloured bandolier and earch chargers contained eight cartridges, total – 56 and 83 cartridges of 30.06 in a bandolier
6. Umbrella-07

In this encounter Shri Daud Kiro, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 70–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/ Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Karnataka Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Shankar Mahadev Bidari** **Dy. Inspector General**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**K.K. Vijay Kumar** **Reserve Sub Inspector**	**(PMG)**
03.	**Konjalatta Ramanand** **Police Constable**	**(PMG)**
04.	**G.K. Dileep Kumar** **Police Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Sri Shankar Mahadev Bidari served as the Dy. Inspector General of Police and Commander, Task Force, MM Hills specially constituted to nab notorious poacher, elephant killer, sandalwood smuggler and murderer Veerappan and his gang members from 18.2.1993 to 28.6.1996. During this period, on 30th October 1993 when he had gone for combing operations to the North Bargur forests in Erode District in Tamilnadu, along with his operation group, he received information that the Forest Brigand Veerappan and his gang members were hiding themselves in South Talamalai forest in Sathyamangala Taluk of Erode district near Gejjalhatti pass on the northern side of the Moyar river. On coming to know of this information, he immediately returned to his headquarters at MM Hills, mobilized an operation group consisting of one DSP, 3 Inspectors and 32 other ranks of the Karnataka Police and One PSI and 15 men of Border Security Force and briefed them regarding the information. This operation group, led by Sri Bidari left MM Hills on 30th October 1993 in jeeps at 2300 hours and after covering a distance of 150 Kms on forest tracks by jeeps, the group reached Gejjalhatti pass at 0500 hours on 31.10.1993. The vehicles of the operation groups were parked at a convenient place and adequate guard was deployed to protect them. With the remaining members of the group, Sri Bidari entered the South Talamalai forests from Gejjalhatti on foot and started his efforts to trace the hideout of the gang. After covering a distance of about 6 Kms in the thick forest, consisting of steep hills and deep woods and very difficult terrain, he sensed that he had come near the possible hideout.

At a distance of about 2 kms from the suspected place of hideout, he divided his operation group into 3 parts. One group led by Shri Jogalekar, RPI with 10 men of BSF was deployed as cut off group to block and arrest gang members who might have run away after the operation towards the west. Another group headed by Sri Monappa, ARSI was deployed on the eastern side to perform similar duties. The 3rd group led by Sri Bidari and consisting of DSP Mudalayya, RPI Parashiva, PI Saudagar, PSI, BSF Bhojappa, ARSI Vijay Kumar, and 15 Constables, proceeded towards the hideout. At a distance of about 300 meters from the hideout, he divided his group into 4 sections. One section was deployed under the leadership of Sri Parashiva to remain in ambush on the left side of the hideout at a distance of 300 meters from the suspected place of the hideout, the second section led by Sri Bhojappa to remain in ambush on the right side; the third section led by Sri Mudalayya, DSP and 2 constables was deployed to take care of the informant and to follow the fourth section i.e. the assault group which was led by Sri Bidari . Sri Bidari along with PI Saudagar, ARSI Vijay Kumar, APCs Dileep Kumar and K. Ramanand, advanced towards the hideout. When they were at a distance of about 30 meters from the hideout, which was situated on the top of knoll overlooking a nala (stream), Veerappan and his gang members noticed the arrival of the assault group led by Sri Bidari and suddenly opened fire on them. The assault group immediately took cover and returned the fire. The firing by the assault group led by Sri Bidari and his colleagues did not have any effect as the gang was on an elevated place. On the other hand, because of the cover taken by the assault group led by Sri Bidari, the bullets fired by the Veerappan gang did not harm the assault group and the bullets passed over their heads. At that moment, Sri Bidari instructed APC Dileep Kumar to hurl a HE-36 grenade towards the gang. Soon after the grenade burst, all the members of the assault group i.e. Sri Bidari, Saudagar, Vijay Kumar, Dileep and K. Ramanand opened fire towards the hideout. The firing continued until the firing by the gang towards the assault group stopped. 5 minutes after the firing from the gang towards the assault group stopped, the assault group advanced cautiously towards the hideout. At the hideout, they found a person wearing an Olive green uniform with police belt and a SLR rifle by his side, lying on the ground with grenade and bullet injuries. He disclosed his name as Moolakar Mani @ Karanglur Mani @ N.S. Mani and that other gang members ran away. He died within a few minutes at the spot. The following fire arms, gun powder, lead balls, police uniforms, etc. were found at the spot and were seized:-

1. One Self Loading rifle bearing No. 15124270
2. One SLR magazine containing 9 SLR live rounds
3. One .303 Rifle No. 33533 along with ten .303 live rounds and 3 charger clips
4. Four single rounds and 3 charger clip.
5. One empty 0.450 cartridge
6. One Aluminum bottle containing gun powder

7. One small cotton bag containing lead balls
8. One small plastic cover containing gun powder
9. One plastic cover containing SBML capes.
10. 3 red and blue police shoulder badges
11. Police Uniform shoulder stars
12. One Tamilnadu Police Peak cap badge
13. One small broken ivory piece
14. Coins amounting to Rs. 9.00
15. Three olive green shirts
16. Two olive green trousers.
17. One red whistle cord of Police uniform
18. Two Khaki uniform shirts
19. One khaki trouser
20. One silver leg chain ornament used by ladies
21. Some utensils and food grains.

Hideout was fortified with stone bunkers all around. The entire forest area in the vicinity of the hideout was searched for about 5 hours with the help of the cut-off and ambush groups deployed, but no gang member was found. Encounter took place at about 8.30 A.M. As around 3 p.m. on 31.10.1993, it started raining heavily in the forest area. It would not have been safe for the operation group to continue in the forest any further and after the sunset. Sri Bidari along with his operation group, therefore, brought the seized fire arms and other materials and the dead-body of gangster N.S. Mani by foot to the Gejjalhatti pass through thick forest, steep hills and difficult and deeply wooded terrain. He proceeded to Bhavanisagar Police Station at a distance of about 25 Kms from Gejjalhatti by jeep and handed over the dead body of the gangster N.S. Mani and the fire arms and other materials seized at the hideout and lodged a First Information Report regarding the incident at 7.20 P.M. on 31.10.1993. On the basis of his report, a case was registered in Bhavanisagar P.S. Cr.No.262/93.

Sri Bidari, displayed organizational and operational skills, leadership, courage and most conspicuous gallantry of highest order without caring for his life, in having covered a distance of more than 150 Kms by jeep and more than 10 Kms by walk in the difficult and thick and unfamiliar forest terrain and in leading the assault group personally, in the face of death due to the firing by Veerappan and his gang with SLRs, .303 rifles and SBML guns. He was able to successfully raid the hideout and kill one dreaded and important member of the gang who was carrying a cash reward of Rs.10 lakhs on his head.

In this encounter S/Shri Shankar Mahadev Bidari, Dy. Inspector General, K.K. Vijay Kumar, Reserve Sub Inspector, Konjalatta Ramanand, Police Constable and G.K. Dileep Kumar, Police Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.10.1993.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 71–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri L. Bikram Singh
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19/11/09 at around 3.20 a.m., a reliable information was received about the presence of armed cadres belonging to a valley based underground outfit in and around the area of Keibi Tiger Camp. Based on the intelligence input, a combined team of Imphal East Commando and 23 Assam Rifles personnel lead by Maj.Kaushalendra Singh, Bravo Coy., rushed to the area with proper planning and briefing about the location.

As planned, the Assam Rifles personnel conducted C.I.Ops in the inhabited area of the Tiger Camp i.e., on the eastern side while the Commandos led by Jemadar Ch. Pushpendra kumar operated on the western side of the Tiger Camp hill range known as Sanapat.

Strategically, the Commandos alighting from their vehicle approached towards the suspected area i.e., Keibi hill range. In the foot-hill area, paddy field with uneven ground stretched separating from the inhabited area. As the commandos walking towards the hilly area keeping strategic distance among themselves, armed militants numbering about 9/10 fired upon the commandos using sophisticated weapons. The Commandos retaliated by taking position along the drain located on the foot-hill and continued to crawl upside the hill from different directions. Jemadar Pushpendra kumar led a group of commandos in the forefront advancing from the northern side with continued firing. He was closely followed by Rifleman I. Sunil Singh. In the meantime, Asstt. Sub-Inspector L. Bikram Singh engaged in the heavy encounter advancing from the western side of the hill range. After moving up about 50 metres upside the hill, ASI Bikram spotted one youth who were resorting to fire towards the commandos. The youth was a bit isolated from the rest of his comrades. ASI Bikram informed Jemadar Pushpendra kumar through Radio Set of the rare situation. Thus,

the commandos made constant effort to get closed-in towards the said militant from different angles. The militant had a tough situation facing Jemadar Pushpendra kumar and Rifleman I. Singh and he unable to withstand against the forceful assault of the commandos retreated running down on the western side where ASI Bikram was positioning. Thus, the militant happened to face ASI Bikram. ASI Bikram fought the militant with strong nerve and renewed zeal at this critical juncture. In the lively and single- handed fight, ASI Bikram succeeded in hitting the militant. The remaining militants spreading on the southern side continued firing towards the area. Jemadar Pushpendra kumar and Rifleman Sunil re-inforced and engaged in heavy encounter with the well-equipped militants. The remaining militants retreated taking advantange of the thick jungle of the hill-range. Thus, one of the militants who was later on identified as Ngairangbam Amit@ Rose @ Vicky (19)yrs , s/o (L) Ng. Birbal Singh of Kiyamgei Khoirom Leikai, a/p Sagolband Meino Leirak, Imphal, a s/s Sgt., of the U.G. outfit People's Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) was killed in the encounter. One AK-56 Assault Rifle bearing No. 84575 loaded with one live round in the chamber and 12 nos. of live rounds in the magazine was recovered from nearby the dead body. Further, during search of the encounter site, one empty magazine of AK- Rifle, 44 nos. of empty cases of AK-56 Rifles, 13 nos. of empty cases of SLR, high explosive shell of M-79, one.36 H.E. Hand grenade were recovered.

In this encounter Shri L. Bikram Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.11.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 72–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. A Geetchandra
Havildar

02. M. Dhanajit Singh
Havildar

03. H. Tikendrajit Singh
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12th June, 2010 at about 4.30 pm, the Commando Unit of Thoubal District stationed at Sugnu PS received a reliable information that one Sub-Contractor namely Laishram Naoba Singh had been kidnapped by some armed cadres of the banned underground outfit Kangleipak Communist Party (MC) from Wangoo Sandangkhong LP School where labourers for construction of road were staying. On receipt of the said specific and credible information, two teams of commando of Thoubal District-one led by Havildar M Dhanajit Singh with 4 Riflemen and another by Havildar. A Geetchandra with 4 Riflemen rushed to the said village namely Wangoo Sadangkhong to conduct counter-insurgency operation and rescue the said sub-contractor.

Wangoo Sadangkhong village about 13 Kms. from Sugnu- PS(50 kms. from Thoubal District HQ). is a very remote area infested with insurgents because of its topographical feature. In view of the sensitive nature of the area, Havildar Dhanajit and Havildar Geetchandra briefed their men to maintain extra-alertness and planned the operation properly so that the militants might not sneak out of the village.

Thus, at about 5.30 pm. While the commandos were entering Wangoo Sadangkhong village in two vehicles. Havildar Dhanajit Singh who was in the first vehicle happened to notice one youth coming out from the village. The said individual seemed perturbed and uneasy on seeing the Commandos and moved hurriedly. On seeing the suspicious movement of the youth. Havildar Dhanajit shouted at him to stop for verification. However, the youth instead of paying heed to

the warning, started running towards the Imphal river bank. The commandos in the second vehicle were also alerted and both the parties made a hot pursuit of the fleeing youth. As the Commandos were chasing the youth along a narrow by-lane of the village leading to Imphal river and getting close to him, the commandos were suddenly fired upon from two directions amidst cluster of bamboos spread on the river bank.

The commandos immediately jumped down and took position wherever they could in the by lane. For a moment they could hardly move. Then the commandos took no time in spreading themselves in different directions and retaliated and there ensued a lively encounter. When the commandos started to react sharply and advanced forward charging against the militants, they also started maneuvering to withstand against the drive of commandos. Approximately, the militants might be about 8 to 10 in number.

Havildar Dhanajit Singh made a forceful drive against the militants in the forefront. He happened to notice one of the militants coming out of the cluster of bamboos holding a small arms(pistol) and running on the southern side towards the river bank. Havildar Dhanajit made a hot pursuit of the fleeing youth, who fired 4/5 rounds at him. Without hesitation of his safety and loss of life he ran after the youth and ultimately shot him down. By the time, the other militants also continued to fire upon Havildar Dhanajit. At this critical juncture, Havildar Geetchandra singh and Rifleman Tikendrajit Singh also advanced forward to the help of Havildar Dhanajit Singh.

On the other hand, Havildar Geetchandra and Rifleman Tikendrajit Singh penetrated into the cluster of bamboos opening fire to flush out the militants, who resorted to running here and there to retreat. When the militants numbering about 3/4 were running out towards the river bank in their abortive attempt to escape, they were physically exposed a bit. At this crucial juncture, Havildar Geetchandra and Rifleman Tikendrajit Singh made a hot pursuit of the fleeing youth militants and charged against them. Wherein the commandos succeeded in shooting down another militant. Thus, two of the militants succumbed to their bullet injuries at the encounter site. The remaining militants managed to escape by taking advantage of darkness and thick bushes/cluster of bamboos.

The firing continued intermittently for a while. When there was a lull, the commandos conducted through search over the area and they came across one person hiding near a bamboo grove by the river bank, who was later on identified as the said sub-contractor namely Laishram Naoba Singh, S/o L Dhiren Singh of Kakwa Lilando Lampak, Imphal. He was thus rescued.

The two slain militants were later on identified as (1) Ninthoujam Hemanta Singh aged about 35 years, s/o (L) N Tomba Singh of Pangaltabi Makha Leikai, and

(2) Huidrom Bijen Singh @ Inao, aged about 25 years, s/o H Ibomcha Singh of Kwasiphai Mayai Laikai, both listed hard core cadres of the underground outfit Kangleipak Communist Party(MC). One of them namely N Hemanta Singh surrendered in the year 1996 and under the Rehabilitation Scheme of the State Govt. he was recruited in Manipur Police. But on 30.12.2001, the said individual deserted the State Police along with arms and ammunition. (One SLR, three Magazines, 30 rounds of 7.62 amn and one HE hand grande) and rejoined his parent UG outfit. Police records reveal involvement of the said individual in many heinous crimes like extortion, planting and explosion of bombs etc. Another slain militant namely Huidrom Bijen joined PLA in the year 1999 and later on joined Kangleipak Communist Party (MC). As such, he was also a listed hard core extremist involving in many heinous crimes.

The following arms and ammunition were recovered from the encounter site :-

(a) One .32mm (marked as 7.65) Caliber Pistol loaded with two live rounds of .32 ammunition (marked as 7.65) in the magazine (Elley brand made in USA bearing Regn No. A-1477) recovered from the hand of slain H Bijen.

(b) One 9mm Caliber Pistol (Country made) loaded with 2 live rounds of 9mm ammunition in the magazine recovered from the hand slain militant N Hemanta

(c) Two empty cases of .32 ammunition (marked as 7.65) two empty cases of 9mm ammunition, 15 empty cases of AK Rifle amn.

(d) One black leather wallet containing one Election ID Card and one PAN Card (No.BCSPS 1475 G) in the name of Nigthoujam Hemanta Singh, s/o N Tomba Singh of Pangaltabi and one driving licence in the name of N Achouba Singh, s/o N Shamu Singh of Wangoo Sandangkhong from the pocket of slain Ningthoujam Hemanta.

(e) Two Nokia mobile hand sets, one black in colour bearing IMEI number 352761/01/733849/3 from the slain N Hemanta and another red in colour bearing IMEI No.352260/01/840598/9 from the slain H Bijen Singh.

It refers to case FIR No. 20(6)2010 u/s 364-A/342/307/34 IPC, 20 UA(P) A. Act and 25(1-C) Arms Act of Sugnu PS.

In this encounter S/Shri A. Geetchandra, Havildar, M. Dhanajit Singh, Havildar and H. Tikendrajit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.06.2010.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 73–Pres/2011- The President is pleased to award the 4th Bar to Police Medal for Gallantry/3rd Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri		
01.	**P. Sanjoy Singh** **Sub Inspector**	**(4th Bar to PMG)**
02.	**M. Sudhirkumar Meitei** **Inspector**	**(3rd Bar to PMG)**
03.	**G. Thaingampou** **Sub Inspector**	**(PMG)**
04.	**Gingouthang** **Havildar**	**(PMG)**
05.	**Md. Majibur Rahaman** **Havildar**	**(PMG)**
06.	**Md. Salamad Shah** **Rifleman**	**(PMG)**
07.	**Th. Anandkumar Singh** **Rifleman**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 01/09/2009 valley based extremists struck down on a bus plying on NH-150 at Phougakchao Ikhai along Tiddim Road and killed the driver in the spot. The killing of the driver on broad day light caused serious concern of the district administration and of the State as well. Immediately, the district police swung into action to nail the culprits involved in the heinous crime so that people repose their faith in District Police or for that matter in District Administration.

As a result of the all out efforts of the District Police, Bishnupur, a specific and reliable source information was received at about 8 a.m. on 07/09/2009 that valley-based extremists of the banned organization Kanglei Yawol Kanna Lup-Military Defence Force (KYKL-MDF in short) numbering about 20 led by some senior cadres who are known to be involved in the killing of the said driver namely one

Ngasekpam Basanta @ Ngongo (28) s/o Ng. Mani Singh of Nambol Thangtek, Bishnupur were taking shelter at Anandapur hill range (Ningthoukhong Khunou Chingya Leikai) located at a distance of about 10 Kms towards south-west side from Kumbi Police Station. On receipt of this information, the Superintendent of Police, Bishnupur District, Shri K. Jayanta Singh, MPS, closeted with OC/CDO-BPR, Shri, M. Sudhirkumar Meitei and other officers and chalked out a well planned operation and proper briefing was done accordingly. Four teams were drawn up to reach the said place and strike at the extremist from different directions. A team of 7th A.R. was also requisitioned to provide quick reinforcement if need arises.

Accordingly, SI, P. Sanjoy Singh, SI, G. Thaingampou, Havildar Gingouthang, Rfn. Md. Salamad Shah, Const. Th. Anandkumar Singh and other personnel were to reach Anandapur hill range where the underground elements were taking shelter through Haotak via Bonglushi village on foot. Inspector, M. Sudhirkumar Meitei, OC/Commando Bishnupur assisted by Hav. Md. Mujibur Rahaman and his men were to reach Anandapur hill range through Wathalambi via Shantipur and cover the strategic northern side on foot and strike at the under ground elements. Inspector, Sh. Chandrakumar Singh 2 I/C Commando Bishnupur along with other remaining commandos and A.R. personnel were to move from Nganukon via Dongkon on foot and SP/Bishnupur, Shri K. Jayanta Singh and his men were to proceed from Wangoo Sabal area. The other 7th A.R. team were to take care of direct reinforcement if need arises. Although, there was heavy rainfall on the fateful day, all the teams left the District Head Quarter at 9 a.m. for their destinations.

When SI, P. Sanjoy Singh, SI, G. Thaingampou, Havildar Gingouthang, Rfn. Md. Salamad Shah, Const. Th. Anandkumar Singh and other personnel reached near the foot hill of Anandapur hill range at about 11:45 a.m., they could see about 3(three) kheti-huts in the vicinity. In inspite of their best efforts they could not observe or see the presence of any persons occupying the huts as there was heavy rain lashing the area. At this point of time SI. P. Sanjoy Singh and Havildar Gingouthang tactically and cautiously move toward the kheti-huts from the eastern side to have a better cover of the huts. The extremists who were present inside the huts suddenly opened burst fire from their sophisticated weapons towards them. In a fraction of a second they dove for cover and retaliated swiftly by firing from their AK-47 assault rifles and covered the eastern side. Instinctively, SI, Thaingampou Rfn. Md. Salamad Shah and Const. Th. Anandkumar Singh also dove for cover and retaliated fiercely by firing volley of bullets from their AK-47 assault rifles and cover the southern side. Now all of them were at a piquant situation as they were at a very vulnerable range of the under ground elements. Without loss of senses and beyond the call of normal duties they put up a fierce gun battle against the under ground elements and succeeded in bringing down two extremists. Still volley of fire continued between the extremist and the commandos with more fire coming from the extremists who were taking position on the dominating hill tops heavily fortified and entrenched by mere gift of nature. They fired machine guns and lethod bombs against

the advancing commandos on all the directions. At this critical moment, Inspector M. Sudhirkumar Meitei, OC/Commando Bishnupur and Hav. Md. Mujibur Rahaman directing his men to provide sufficient cover-firing, stealthily closed-in on the hillock from the northern side under adverse condition and without caring for their personal safety, retaliated with persistent firing of Mortar Bombs causing serious havoc on the extremists taking position on the hilltop. Seizing this right moment, they moved up further and shot down another extremist instantly. The fierce encounter continued for sometime and seeing the might of the advancing commandos, the remaining extremists fled in the thick jungles surrounding the hills.

Following the lull of fire from both the sides, a massive and extensive search operation was carried out in and around the Anandapur hill range by all the Commando personnel under the direct supervision of SP-Bishnupur. The search party found three camp like huts on the hill top but no underground element were found as they have managed to escape through the thick jungles. Three dead bodies of unknown armed extremists were found lying at different places and the following arms, ammunition, incriminating documents and warlike stores were also recovered:-

1. 1 (one) AK- 56 assault rifle.
2. 1 (one) Magazine.
3. 8 (eight) live rounds of AK ammunitions.
4. 3 (three) empty cartridges of AK ammunitions.
5. 1 (one) Nokia mobile handset.
6. 1 (one) M-16 rifle.
7. 1 (one) magazine.
8. 15 (fifteen) live rounds of M-16 ammunitions.
9. 1 (one) 9 mm pistol.
10. 1(one) magazine.
11. 2 (two) live rounds of 9 mm ammunitions.
12. 3 (three) nos. of Chinese made Hand Grenade.
13. 1 (one) Generator Set.
14. 1 (one) wireless I-Com Handset.
15. 1 (one) Receipt Book of KYKL (MDF).
16. 7 (seven) demand letters of KYKL (MDF) signed by one Khaba Mangang, Finance Secretary, KYKL (MDF).
17. 10 (ten) nos. of Blankets.
18. 3 (three) nos. of Tarpaulin and
19. 1 (one) Camouflage T- shirt.

To give further blow to the fleeing extremists, the three camps like huts were also destroyed completely.

The deceased persons were later on identified as hard core armed cadres of banned organisation Kanglei Yawol Kanna Lup, Military Defense Force (KYKL (MDF in short) operating in the area. However, only two dead bodies of the slain cadres namely, (1) Thingom Lukhoi Meitei @ Ayokpa (21) s/o. Th. Ango Meitei of Kakching Khunou, Umathel Awang Leikai. P.O. Kakching, Thoubal, (2) Phurailatpam Ajitkumar Sharma @ Sarumba (16) s/o. Ph. Tomba Sharma of Chingdong Leikai, Joypur Khunou, Bishnupur were claimed by their relatives and the third one was disposed of as an unclaimed dead body through Municipal Council, Bishnupur after observing all the legal formalities.

In this encounter S/Shri P. Sanjoy Singh, Sub Inspector, M. Sudhirkumar Meitei, Inspector, G. Thaingampou, Sub Inspector, Gingouthang, Havildar, Md. Majibur Rahaman, Havildar, Md. Salamad Shah, Rifleman and Th. Anandkumar Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 4th Bar to Police Medal/3rd Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.09.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 74–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Huidrom Sukumar Singh
Sub Inspector

02. P. Maniratan Singh
Assistant Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 03rd may, 2009 at about 9.00 pm a credible information from 39 AR about the movement of some group of cadre suspected banned unlawful organization (PREPAK) at the general area of Kameng Village for performing their prejudicial activities like extortion, kidnapping, ransom from the general public and planning ambushed to the security force when get opportune chance. Based on the intelligence input a joint team of Imphal West Commando under the command of O/V, CDO, Imphal West & a team of 39 AR were rushed to that areas.

While the team was patrolling towards the Kameng Village on the road leading to Khongampat Village the team saw suspicious movement of 6/7 unknown youth on the eastern side of the road towards the jungle. Suddenly the security force shouted the youth to stop for verification but instead, they immediately fired upon the security force by using sophisticated weapons & also hurled a hand grenade and continued firing without caring the personnel safety, the security force jumped out from the vehicles and retaliated with firing. On seeing a stiff resistance and accurate firing the youths started running towards Langol Reserve Forest. To prevent from the entering into thick forest areas, the security force fired two rounds from 2 inch Mortor and hurled hand grenade.

While SI, H Sukumar Singh, SI, T. Khogen, Jem. Y Raju Singh and ASI, P Maniratan Singh alongwith a team of 39 Assam Rifles were moved towards the firing place from north east side of the road. SI, H Sukumar Singh & ASI, P Maniratan moved slowly towards the place where the youth running for safety. SI, H Sukumar Singh & ASI, P Maniratan Singh moved closely and on seeing the position

of the commando, the youth fired upon the security force and SI, Sukumar was able to pin down one youth while ASI, P Maniratan pursued another youth running towards the forces who was also pinned down at once. The firing took place at about 10.20 pm & lasted at 10 minutes. The remaining unknown youths were escaped by taking the advantage of darkness & thick forest area.

After encounter a detailed search was carried out within the area, one bullet redden youth was found dead on eastern side of the road near the hill and a Chinese hand grenade without pin was found near the dead body. Another dead body was also found about a distance of 10/12 fts. to south east of the first body and one Sten. Carbine alongwith magazine loaded with 10 live rounds were recovered. The following articles were recovered from the areas of encounter:-

(a) One Sten. Carbine alongwith a magazine loaded with 10 live rounds. One missed fire rounds in the chamber.
(b) One Chinese made hand grenade without pin.
(c) Five empty cases of 9mm ammunition.
(d) Four empty cases of 7.62 AK ammunition.

Later on the unknown youths were identified (1) Mayengham Bijoy Singh (34) S/o M Biren Singh of Yummam Leikai, Nagakraba Leirak (2) Gurumyum Bishe Sharma(32) S/o (L) G Shamu Sharma of Bheigyabati Leikai Mangil all hard core member of PREPAK.

It refers to case FIR No.21(5) 09 of Lamsang PS U/s 307/341 IPC, 25(1-C)A. Act. 20 UA(P)A. Act & 5 Expl. Sub Act.

In this encounter S/Shri Huidrom Sukumar Singh, Sub Inspector and P. Maniratan Singh, Assistant Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 03.05.2009 .

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 75–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Manipur Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Jogeshchandra Haobijam** **Addl. Superintendent of Police**	**(PMG)**
02.	**Sh. Chandrakumar Singh** **Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
03.	**M. Dhanajit Singh** **Havildar**	**(1st Bar to PMG)**
04.	**H. Tikendrajit Singh** **Rifleman**	**(1st Bar to PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17.8.2010 at about 5.30 p.m, based on a reliable source information regarding presence of armed cadres belonging to a valley based underground outfit namely Peoples Revolutionary Party of Kangleipak (PREPAK) in the general area of the village "Sarik Konjin" and "Lairou", a team of Thoubal District Commandos led by Shri Jogeshchandra Haobijam, Additional Supdt. of Police (OPS) and Inspector Sh. Chandrakumar Singh, Officer-in-Charge of Commando Unit Thoubal District Police was organized and rushed to the said area.

The suspected hide-out being located at a remote area, infested with insurgency activities, Shri Jogeshchandra Haobijam and Inspector Sh. Chandrakumar Singh made a proper planning of the counter-insurgency operation according to the existing topography and the officers briefed the commando personnel properly to maintain extra-alertness during the operation.

At about 6.30 p.m, almost dark by the time, while the commandos were proceeding towards Sarik Konjin Village along the inter-village road of Kakching Khunou and Ithai Village in three vehicles and reached a road junction adjoining Lairou Munushoi hill, they were fired upon from different directions by militants who were taking position behind thick bushes and trees of the adjoining hill range. The commandos while being ambushed with sophisticated weapons from different directions could hardly react immediately, however, they sprang out from their respective vehicles.

The commandos having seen no tangible object/protection for their physical coverage rushed to the marshy lake from where they retaliated against the militants. Havildar M Dhanajit Singh and Rifleman H Tikendrajit Singh who were amongst the commandos in the third (last) vehicles managed to advance forward with crawling as the officers and men in the first two vehicles were under heavy attack.

With cool mind Shri Joeshchandra Haobijam reorganized, sensitized and revampt his men who were in a State of momentary confusion due to the sudden attack. The officer advanced forward with incessant firing towards the foothill area from where volley of fire continued to showering upon the commandos. Inspector Shri Sh. Chandrakumar Singh also joined the team moving forward with crawling. Havildar M Dhanajit Singh and Rifleman H Tikendrajit Singh made a concerted effort to pursue a splitting group a 2/3 militants on the western side of the foothill area. However, they got handicapped as they were doubly blocked with incessant firing of the militants bearing automatic weapons. At this crucial juncture Shri Jogeshchandra Haobijam and Inspector Sh. Chandrakumar Singh rushed to the location and thus the commandos had a direct confrontation with the militants. With the advantage of re-enforcement and cover-firing provided by Shri Jogeshchandra Haobijam and Inspector Sh. Chandrakumar, Havildar M Dhanajit Singh and Rifleman H. Tikendrajit Singh continued to advance forward with incessant firing and charged against the militants. Ultimately, both of them succeeded in shooting down one of the militants holding AK-56 Rifle. Inspite of bullet injury, the militant rolled down and taking his physical coverage behind a bush continued to fire for a while. Shri Jogeshchandra Haobijam happened to notice the position of the said militant. The officer then rushed to the location and fired to the militant with his AK-47 Rifle. Then, the militant succumbed to his bullet injury.

On the other hand, Inspector Sh. Chandrakumar Singh, while charging against the militants, faced directly with another militant. Inspector Sh. Chandrakumar Singh in utter disregard of his personal safety, acted in such a swift and brave manner that the extremist could hardly move further. Inspector Sh. Chandrakumar Singh was in the meantime, fired upon from other directions also.

However, undeterred to all difficulties surrounding him. Inspector Sh. Chandrakumar Singh moved fast further and shot down the militant, who succumbed to his injury at the spot. Thus, in the encounter two of the militants namely :-

(a) Sorokhaibam Khellen Singh, S/o S Nipamacha Singh (35 yrs) of Khudekpi, armed with AK-56 Rifle.

(b) Moirangthem Tombi Singh (60 yrs) S/o (Late) M Ningthouren Singh of Lairok armed with 9mm Pistol were shot down who succumbed to their injuries.

The following arms and ammunition were recovered from the encounter site:-

(a) One AK-56 Rifle loaded with nine live rounds in the magazine from the slain militant namely S Khellen Singh.
(b) One 9mm Pistol made in China Model-213 Norincio, Body No. 403366 loaded with 2 live rounds of 9mm ammunition in the magazine from the slain militant namely M Tombi Singh.
(c) Two Chinese hand grenades with detonator from near the slain UGs.

Further, during search 23 (twenty three) empty cases of AK Rifle ammunitions and 3 (three) empty case of 9mm ammunition were also recovered from the encounter site.

In this encounter S/Shri Jogeshchandra Haobijam, Addl. Superintendent of Police, Sh. Chandrakumar Singh, Inspector, M. Dhanajit Singh, Havildar and H. Tikendrajit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.08.2010 .

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 76–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry/1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Uttar Pradesh Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

01.	**Dr. Preetinder Singh** **Superintendent of Police**	**(PMG)**
02.	**Shri Vijaymal Singh Yadav** **Inspector**	**(1st Bar to PMG)**
03.	**Shri Akhilesh Kumar Singh** **Sub Inspector**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 09/11/2009 Dr. Preetinder Singh, S.P. Sonbhadra received an information about the presense of naxalites' gang with deadly weapons in the forest of village Kanachh, PS Chopan. Dr. Preetinder Singh S.P.Sonbhadra alongwith police force reached village Kanachh. After briefing the force in detail about the action plan, S.P.

Sonbhadra divided entire force into two teams. First team led by Dr. Preetinder along with Inspr. Vijayamal advanced from East to West and second team led by SI Akhilesh proceeded from South to North. As the teams moved into the forest, Dr. Preetinder suddenly observed the movement of 10-12 naxalites. He asked the police parties to take suitable positions. He himself challenged naxalites to surrender before the police. Instead of surrendering, the naxalites started indiscriminate firing. A bullet hit the bullet proof jacket of Dr. Preetinder, Vijaymal and later on Akhilesh was also hit by bullet in bullet proof jacket. On having no impact of repeated warnings, police party also resorted to return fire on naxalites in self defense.

The naxalites resorted to heavy firing with the intent to kill. Dr. Preetinder, S.P., Inspr Vijaymal, SI Akhilesh exhibited exemplary courage and unparallel bravery inspite of injuries caused by crawling through bushy, rocky terrain and proceeded towards, naxalites without caring for their lives. When firing stopped, police parties advanced cautiously and saw a dead body of naxalite lying in the foothill, who was identified as Sub-Zonal Commander CPI(Maoist) Kamlesh Chaudhary, on whom the government of UP had declared a cash reward of Rs.1,00,000/- and the government of Bihar a cash reward of Rs.50,000/-. The following arms/ammunitions were recovered from the operation site:-

1. One rifle .303 bore, 31 live cartridges and 01 empty shell.
2- One SBBGun 12 bore Factory made, 13 live cartridges and 09 empty shells.
3- One Revolver .32 bore country made, 3 live cartridges and 03 empty shells.
4- 16 empty shells of AK-47 rifle, 10 empty shells of SLR rifle and 04 empty shells of 315 bore.

In this encounter Dr. Preetinder Singh, Superintendent of Police, Shri Vijaymal Singh Yadav, Inspector and Shri Akhilesh Kumar Singh, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal/1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.11.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 77–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of West Bengal Police:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Rabi Lochan Mitra (Posthumously)
Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 24/02/2010 at 22.15 hrs. Shri Rabi Lochan Mitra, I.C, Sarenga PS of Bankura district received a credible source information over telephone that 40/50 Maoist Squad Members led by Sidhu Soren and Sasadhar Mahato had assembled near the house of Shri Tarasankar Patra, a leader of CPI (M) Party at Vill– Sonardanga, PS- Sarenga, Dist.- Bankura to abduct and kill Shri Tarasankar Patra and thereafter Sri Ramesh Duley of Kuldiha and Sri Rajesh Ranadive of Gobindapur, both of PS Sarenga.

Shri Rabi Lochan Mitra decided to work out the information in order to save the lives of the aforesaid persons. He directed the officers and Police force of the PS to get ready and accompany him in the operation. At around 22.40 hrs. on reaching near the house of Shri Tarasankar Patra with force I.C Sarenga PS found that some Maoist rebels had surrounded the said house and some of them were seen forcibly dragging out Shri Tarasankar Patra from his house aiming a small arm on his head. Both the hands of Shri Patra were found tied with rope. Seeing this, I.C Sarenga PS challenged the Maoist rebels. Instantly, one of them fired aiming the lower portion of the body of Shri Patra. Simultaneously other Maoist activists started firing aiming at Police personnel from their automatic / semi automatic and other fire arms. With a view to saving the life of Shri Patra and to protect the lives of other Police personnel, I.C Sarenga PS fired two (02) rounds from his service 9MM Pistol and directed Shri Sanjib Debnath, Asish Bisai, Himangshu Pal, and Amit Bal to open fire. As ordered, they fired five (05) rounds each from their respective fire arms. Hearing the gun shorts the Maoist rebels came out of the house leaving an injured and bleeding Tarasankar Patra and attacked Police by firing repeatedly from their fire arms. Undaunted under the brilliant and courageous leadership of I.C Sarenga PS, the Police force charged the Maoist rebels from all sides in order to apprehend them. On reaching Gobindapur More, Shri R.L. Mitra, I.C, Sarenga PS without caring for his personal safety and life and in order to save the lives of other Police personnel accompanying him proceeded towards the Maoist rebels firing from his service 9MM Pistol. After a brief encounter, firing from the Maoist side stopped. The Police party tried to watch the movement of the Maoists. A search was made at that time around

the house of Tarasankar Patra. He was found in his house with gun shot injury on his left leg. One Maoist rebel who identified himself as Jagannah Duley S/O Joydev of Saluka, PS Sarenga was also found with gun shot injury. One improvised pipe gun loaded with one round live ammunition was found beside him. On thorough search two more live ammunitions were recovered from the pocket of his trousers.

At that time Shri Sanjib Debnath who was accompanying Shri R.L. Mitra, I.C, Sarenga PS found that Shri Mitra had received bullet injury on his left chest and lying in an unconscious state while valiantly chasing and trying to apprehend the Maoist gang. Another Maoist rebel who identified himself as Mittan Duley S/O Mahadev Duley of Saluka, PS Sarenga was also found lying injured with gun short injury on his right shoulder. Shri R.L. Mitra, I.C, Sarenga PS, Tarasankar Patra and the two (02) Maoists rebels were immediately shifted to the "Sarenga Khristiya Seva Niketan" for their treatment where Shri Rabi Lochan Mitra, I.C, Sarenga PS was declared dead. One Maoist rebel Jagannath Duley was also declared dead. Injured Tarasankar Patra and Mittan Duley were later shifted to Bankura Sammilani Medical College & Hospital for better treatment.

During the encounter with Maoist Squad Members in the darkness of night Shri Rabi Lochan Mitra as I.C, Sarenga PS showed extreme courage and led from the front to combat the terrorist attack. Under the compelling situation of grave danger and life risk, he did not care for his own safety while taking all due care and caution about the safety, security and lives of officers and men working under his leadership. His exemplary leadership and bravery enabled the Police force to save the life of Tarasankar Patra. His valiant action also led to the death of Jagannath Duley a hard-core Maoist rebel and injuring another Maoist named Mittan Duley.

The following arms and ammunition were recovered during search:-

1. Improvised pipe Gun having trigger firing pin etc. – 01 No.
2. Live ammunition - 03 Rds
3. Carbonn black coloured Mobile set in working condition - 01

In this encounter (Late) Shri Rabi Lochan Mitra, Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24.02.2010

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 78–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Thongam Bishorjit Singh
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11th June, 2008, on receipt of specific intelligence, a joint operation was launched by Major RD Vyas with Battalion Special Operations Team and Imphal East Police Commandos in Urup RM 4579. The teams established ambush on the hillock dominating the village. At 1800 hours, 5-6 heavily armed militants were observed moving directly into the ambush. When the militants were within range, the team opened accurate volley of fire and a fierce firefight ensued.

The team including, Rifleman Bishorjit Singh, in a classic case of bravado got up, rushed down the hillock while firing and charged onto one militant and killed him. Later one more militant was killed at 2100 hours.

To prevent other militants from escaping, the area was cordoned off. Maj RD Vyas alongwith Rifleman Bishorjit Singh established an ambush in a nullah. On 12 June 2008 at 0300 hours, two militants were observed coming towards the ambush and when challenged, they fired onto the ambush and attempted to escape, but, Bishorjit immediately fired back and shot one militant on his leg. The injured militant, took up position behind a stone and continued firing on the brave soldier and threw a grenade. Inspite of grave danger and miraculously missing certain death, Rifleman Bishorjit came out in the open, diverting militant's attention and bought down accurate covering fire. This relieved pressure on Major Vyas, who got up, charged onto the militant and shot him dead. Later, Rifleman Bishorjit assisted in killing one more militant.

By his bold and well-considered action in face of extreme danger and at grave risk to his own life, he provided effective covering fire, thus assisting in eliminating the militants and displayed fearless instinct and conspicuous bravery.

The following recoveries were made at the site of gallant action : -

a) Militants killed – 04 b) G2 Rifle with magazine – 01 (c) .315 Rifle with Magazine – 01 (d) .303 Rifle with magazine – 01 (e) 9 mm Pistol with magazine – 01 (f) Lethod Bomb - 02 g) Live rounds of G2 Rifle – 13 (h) Live rounds of .315 – 05 (i) Live rounds of .303 – 05 (j) Live rounds of 9 mm – 03 .

In this encounter Shri Thongam Bishorjit Singh, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.06.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 79–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Assam Rifles:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Mohd. Sayeed
Rifleman

Statement of service for which the decoration has been awarded

Rifleman General Duty Mohd Sayeed has been part of a number of successful operations. As part of leadinfg Quick Reaction Team in "OP PECHI" on 11th Feb, 2009 he helped in eliminating one hardcore terrorist.

On 30th April, 2009 at 0600 hrs, combined teams of 34 Assam Rifles and Thoubal Commandos launched a search and destroy operation in general area New Tolen. The team, under Major Neeraj Rawat receiving input regarding movement of 3-4 armed terrorists rushed to New Tolen, where it came under heavy fire. Rifleman General Duty Mohd Sayeed, the leading scout, sensing danger to fellow troops stealthily crawled in face of live fire towards the firing terrorists and without fearing for own life, closed into the terrorists as near as possible and fired at them killing one of them on the spot. The other terrorists panicked and fled towards the hills. One 9mm Pistol with magazine, four live rounds of 9 mm, three fired case of 9 mm and ten fired case of AK-47 were recovered from the stain terrorist.

In this encounter Shri Mohd. Sayeed, Rifleman displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 80–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Border Security Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Nitin Dhyani
Assistant Commandant

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the night intervening 08/09th April, 2009, while Shri Nitin Dhyani, Asstt. Commandant, 84 Bn BSF and Shri N K Sahoo, DSP, Chhattisgarh Police were planning for an operation for laying a strong ambush on 9th April, 2009, a local villager informed about the presence of armed Naxalites in Ader area, that was about 26 Kms inside the jungle towards South of Orcha Police Station. Enthralled on getting this clue, Shri Nitin Dhyani, Asstt. Commandant, BSF prepared a comprehensive operational plan to nab this group of Naxalites. Accordingly, two platoons of BSF, one platoon of SAF Chhattisgarh Police, few policemen of Orcha Police Station and few SPOs were grouped for the operation. After detailed briefing, at about 090345 hrs, the party, under the command of Shri Nitin Dhyani, Assistant Commandant, 84 Bn BSF and Shri N K Sahoo, DSP(HQ) left for Village Ader. The move of troops was carried out very cautiously and tactically, observing high degree of secrecy. One section of BSF and one section of SAF Chhattisgarh with two SPOs moved as point section. The party could negotiate about 13 Kms of stretch in thick jungles interspersed with tributaries of a small river. When the party reached Orcha Meta and Bae Tundabara, the troops started searching the area and when the party reached an open plateau at around 0800 hrs, they came under heavy volume of fire from two directions.

Shri Nitin Dhyani, Assistant Commandant BSF displaying exemplary professional acumen and courage leading the column just behind the column sections, sent Shri N K Sahoo, DSP to cover left flank, whereas, he himself crawled ahead with 51mm Mor Det to cover the right flank. While advancing ahead, he located a Naxalite firing with a country made Gun. On this, Shri Nitin Dhyani without losing initiative fired five shots from his INSAS Rifle to neutralize the Naxalite. Soon after he fired from his weapon, screams of Naxalites were heard and the Naxalites started fleeing towards jungle. Shri Nitin Dhyani immediately ordered 51mm Mor fire on the fleeing Naxalites. Even in heightened excitement and noise all around, he kept his nerves controlled the fire of his party. Keeping the positioning of Police Party and reflected high standard of fire discipline by just accurately firing 09 rounds of INSAS, 01 Rifle Grenade and 03 HE Bombs of 51 mm Mor.

The firing continued for 15 minutes. Thereafter, a search operation was carried out tactically which resulted into the recovery of a body of unidentified Naxalite from the area where Shri Nitin Dhyani, Assistant Commandant, BSF targeted the Naxalites and following arms/ammunition/explosives and other items were recovered:-

(a)	Rifle Bharmar	:	02 Nos.
(b)	Country made Katta	:	01 (12 Bore)
(c)	12 Bore live round	:	06 Rds.
(d)	Grenade	:	01 No.
(e)	Pipe Bomb	;	01 No.
(f)	Tiffin Bomb	:	04 Nos.
(g)	Wire	:	03 Bdls.
(h)	Uniform(Naxalite)	:	02 Nos.
(i)	Medicines	:	02 Boxes
(j)	Grenade Pouch	:	01 No.
(k)	Haversacks	:	03 Nos.
(l)	Naxalites literature	:	02 Nos(Prabhat, hurokal)
(m)	Daily use items		

In this encounter Shri Nitin Dhyani, Assistant Commandant displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 81–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Thorat Prasad
Constable

02. Raj Kumar
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of reliable information on 26/02/2009 at 0630 hours from OC Garmur, Majuli Island about militants were hiding in a house at Vill: Baligaon under

PS: Jangraimukh, Majuli sub division a special joint operation consisting of local police and G/189 Bn, CRPF was planned and advanced tactically to retaliate/capture the militants. On seeing the rapid movement of the force, the militants panicked and started indiscriminate firing on the ops party from a house in which they took shelter. Ops party immediately took their position and cordoned to target the house. CT/GD Thorat Prasad and CT/GD Raj Kumar moved a long distance by crawling between volley of bullets. They accepted a grave risk to their lives and reached near the militants position. When 2 militants tried to escape by themselves by running with heavy firing. CT/GD Thorat Prasad and CT/GD Raj Kumar retaliated by aimed firing , resulting 2 dreaded militants namely Bhaskar Hazarika (Ops commander of 28 BN ULFA) and Sharat Bora hard core ULFA cadres shot down and a cache of arms/ammunitions/explosive, important documents with 10000 US dollars and Rs. 1,00,000 Indian Currency were recovered.

Following arm/ammunition were recovered :-

1. one AK 56 rifle, magazine with four live round.
2. 49 live rounds of AK series
3. 13 empty cases of AK series
4. 01 9 mm pistol with magazine having seven rounds.
5. 02 spare magazines and 55 live rounds
6. Small arms live one round
7. One Chinese Grenade
8. Detonators -20
9. Mobile Phone -05
10. Unused SIM Cards -18
11. Wrist watches -05
12. Indian currency – One Lakh
13. US Dollar – 10,000 with other documents pertaining to ULFA and medicines.

In this encounter S/Shri Thorat Prasad, Constable and Raj Kumar Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 26.02.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 82–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Ghubade Dewidas (Posthumously)
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 17.06.2008 around 0700 hrs two platoons of A/65 Bn. comprising of 41 personnel and 05 Civil Police personnel started for the operation. Enroute they searched the suspected villages/jungle area and after about five and a half hours of foot walk they reached Gumridih and searched houses. Next in the list of search was village Konde, this area is full of hillocks, Nallahs and jungle thereby facing natural obstacle for any advancing party.

Hardly had the party negotiated 200 meters from Gumridih when they were fired upon indiscriminately with automatic weapons. Naxalites even threw Grenades, blasted IED from their position in Jungle/hillocks surrounding the fields. HC/GD Shatrughan Singh of A/65 was hit by a LMG burst and he was severely injured. This was an all round attack by naxals and there was heavy volley enemy side from the right side of road. Two jawans of our party started firing grenades towards naxals but unfortunately some of the grenades did not explode. Consequently naxals were motivated and they intensified their firing.

Accordingly, naxals had upper hand in fierce ambush. Having quickly assessing the entire situation. HC/GD Ghubada Dewidas first crawled for about 20 meters to reach a relatively higher ground and gained tactical advantage then he analyzed and spotted the position of naxals. Constable Leela Ram Patel who was positioned nearby had 51 mm mortar but he was injured in firing by naxals. Assessing the situation HC/GD Ghubade Dewidas valiantly fired upon the naxal party. He thought of reaching injured jawan Leela Ram for help and also to use 51 mm Mortar to counter the ambush effectively whereas naxals were determined to thwart his plan. Simultaneously two ladies of naxals moved ahead towards injured HC/GD Shatrughan Singh to snatch his weapon. Our troops spotted this and in the

retaliatory fire both these lady naxals were killed. Despite heavy odds HC/GD Ghubade Dewidas managed to reach CT/GD Leela Ram and pulled him to safety and cover. Now without wasting a second he fired a 51 mm Mortar Bomb on the enemy. The bomb hit the naxals hard and their group turned panicky. Enemy now realized that it was difficult for them to hold ground for long. They even realized that unless they stop HC/GD Dewidas Ghubade, it would be difficult for them to manage escape. Meanwhile HC Ghubade Dewidas tried to fire another bomb but the safety pin broke. Naxals now diverted that heavy fire towards HC/GD Ghubade Dewidas resulting in severe injuries to him. By this time our troops had effectively countered enemy and taking advantage of panic stricken naxals even moved forward to apprehend them. They started running for life taking advantage of Gumridih Nallah/jungle. This battle lasted for more than half an hour and by the time troops searched the area, it was evening.

In this battle five personnel including HC Ghubade Dewidas who were injured were brought to hospital for treatment. Whereas others were saved HC/GD Ghubade Dewidas succumbed to his severe injuries. Enemy managed to carry their dead and injured accomplices with them.

The following were recovered from the site of encounter :-

(a)	Rocket Launcher	-	01 No.
(b)	Empty case of SLR	-	23 Nos.
(c)	Empty case of AK-47	-	12 Nos.
(d)	Empty case of 315 Bore	-	08 Nos.
(e)	Empty Case of Insas	-	01 No.
(f)	Pencil Battery	-	06 Nos.
(g)	Camouflage Cap	-	01 No.

In this encounter (Late) Shri Ghubade Dewidas, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.06.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 83–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Harshpal Singh
Assistant Commandant

02. Riyaz Ahmed
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 31/5/08 at about 1730 hours, on receipt of a specific information regarding prefixed meeting between Arjun Yadav @ Vijay Yadav (arrested maoist) and Naxal Area Commander Nitish @ Yodha Saw, the Commandant 22 Bn CRPF and S.P.Hazaribag chalked out a plan of raid and thus formed following 3 teams:

Team 1. Assault team under Command Shri Harshpal Singh, Asstt. Commandant of A/22Bn, CRPF and SI. Bhola Prasad Singh of Jharkhand Police and others.

Team 2. Cordon team under command S.I. Binodanand Singh of Jharkhand Police.

Team 3. Stopper team under the leadership of S.D.P.O Saryu Paswan, SI/GD Madan Lal of E/22 Bn and S.I. Arun Kumar along with Jharkhand Police constables.

All the teams proceeded at 8 PM alongwith Arjun Yadav and reached Chandarmandu Village, took a villager who guided the team and gave the information about the place of meeting. Shri Harshpal Singh, Assistant Commandant and SI Bhola Prasad Singh and CT/GD Riyaz Ahmed along with Arjun Yadav after crossing a small river managed to enter in meeting area on a small hillock taking benefits of darkness and deception. Shri Harshpal Singh, Assistant Commandant and SHO Bhola Prasad showing themselves as party of Naxal to attend said meeting asked for the place of meeting and one civilian of that village presuming the party as part of Naxal group took them to the location of meeting. The target area i.e place of

meeting was approached with full element of surprise by Shri Harshpal Singh Assistant Commandant, SHO Bhola Prasad and HC/GD Mahinder Singh with 08 Cts. Before entering into place of meeting, Shri Harshpal Singh, Assistant Commandant briefed the striking party commander HC/GD Mahinder Singh to take position along with his party in the nearby Venue from where supporting fire can be given at the time of need. Shri Harshpal Singh A/C, SHO Bhola Prasad and CT/GD Riyaz Ahmed entered into the meeting place very silently being in civil dress along with the arrested Maoist, Arjun Yadav @ Vijay Yadav @ Doctor. At about 0930 PM Arjun Yadav @ Vijay Yadav called Nitish and greeted Lal Salaam after shaking hands and pointed out for others. On having noticed AK-47 Rifle with the party, Naxal smelt the presence of Police and opened fire. Striking party under command of Shri Harshpal Singh, Assistant Commandant retaliated the fire with full and effective control. During the encounter Nitish @Yodha Sao and Arjun Yadav @ Vijay Yadav @ Doctor tried to snatch pistol and over power SHO Bhola Prasad, Shri Harspal Singh, A/C and CT/GD Riyaz Ahmed encircled by Naxals, retaliated bravely and killed both Nitish and Arjun on the spot .The Naxals from other side started firing heavily on Shri Harshpal Singh, A/C and CT/GD Riyaz Ahmed, but they took risk of their lives and over powered the Naxals along with SI Bhola Prasad in which two more Naxal cadres namely Rashmi and Vijay Ghatbar received bullet hit and got killed. One naxal cadre Miss Kanti- aged-16 years D/O Bhuveshwer Hemram was apprehended. Commandant-22 Bn along with S.P. Hazaribag, Second in Command-22 Bn with QRT moved to the spot immediately during the night and supervised rest of the operation. In the operation Shri Harshpal Singh, A/C had shown extraordinary courage, braveness and effective command & control and thus succeed the operation without injury to any one from CRPF party. CT/GD Riyaz Ahmed had also shown extraordinary braveness and courage putting his life in risk during the whole encounter. .303 Bolt Action Rifle -01 No., Single Barrel Muzzle loading rifle -01, Country made pistol (.315) -01, revolver (.38)-01 No, one Cane Bomb (appx-25 kg), IED-1 NO, Electronic detonator-01, IED wire -01 Bundle, Medicine-01 packet, training Material -01 packet, uniform-01, Nokia mobile phone-01, Axes-02, 12 Volt battery-01, round -.303-35 rounds, .38 -04 rounds, .315 -09 rounds, Bow – Arrow - 01, pithu-06 full of cloth, cash Rs 2200/- and some indiscriminate documents were also recovered during the operation.

In this encounter S/Shri Harshpal Singh, Assistant Commandant and Riyaz Ahmed, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 84–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Vinay Kumar Kapil** **Assistant Commandant**	**(Posthumously)**
02.	**Hanamant Biradar** **Head Constable**	**(Posthumously)**
03.	**Pankaj Kumar Tyagi** **Constable**	**(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

Based on the intelligence information received on 19/12/2007 with regard to gathering of Maoist at village Laxmania, a joint operation of CRPF, Civil Police and BMP under command of Shri Vinay Kumar Kapil, A/C 153 Bn left for raid and search duty at village Laxmania. When the party was about 1 Km away from Laxmania village they saw 40-50 Maoists fleeing the village from southern side towards village Semrha. Shri Vinay Kumar Kapil, A/C who was on motor cycle, decided that he alongwith 9 personnel of G/153 will chase the Maoist on Motor cycle while the left out party will chase Maoist on foot. The party of Shri V.K. Kapil, Asstt. Comdt. chased the Maoist through a longer route. On ensuing of the chase, Shri V.K. Kapil, Asstt. Comdt. with party without caring for the dangers ahead carried out the chase till Vill- Kadma where Maoist had already entered after crossing a bamboo bridge. Shri Vinay Kumar Kapil and his party entered in Vill-Kadma before the remaining party and inquired about Maoist. After getting a hint his party crossed the dangerously poised one meter wide bamboo bridge which was very weak. After crossing the bridge since there was no passes for negotiating of Motor Cycles he alongwith his party moved and advanced on foot which is show of courageous act and dedication as they advanced even towards the lurking danger in an unknown area. Sh. V.K. Kapil, Asstt. Comdt. and his party consisting HC/GD Hanamant Biradar, CT/GD Pnakaj Kumar Tyagi, CT/GD K. Sanmugam, CT/GD Sandeep Kumar, CT/GD Mushir Ahmed, CT/Bug. Vinod Kumar, CT/GD Mahender Singh, CT/GD Satish Chand and CT/GD Pradeep Kumar further entered in Kadma village under P.S. Rajepur after crossing through Bamboo bridge (around 1½ meter wide). Sh. V.K. Kapil AC alongwith HC/GD Hanamant Biradar and CT/GD Pankaj Kr. Tyagi, CT/GD K. Sanmugam and CT/Bug. Vinod Kumar moved ahead in the above party while the remaining were also moving tactically behind them. At one spot they even thought and discussed of asking the rear party consisting of SI/GD Attar Singh and other personnel to join them but the very next moment they were

fired upon by the Maoist from behind the cluster of Bamboo and bushes from left flank. Sh. V.K. Kapil, A/C and his party immediately retaliated on that side but at the same time firing from their right flank bamboo bushes and two houses in front also commenced. They fought with bravery even from a disadvantageous position as they were in open area and defenseless. Meanwhile Sh. V.K. Kapil, A/C was hit by a bullet in left forearm in a face to face encounter. Despite a grievous injury to him on forearm, he kept on firing and he asked to HC/GD Hanamant Biradar and CT/GD Pankaj Kumar Tyagi to return back and save their lives. He also ordered personnel behind him to continue firing on the Maoist. But HC/GD Hanamant Biradar and CT/GD Pankaj Kumar Tyagi didn't return back and kept continue firing. He effectively proved dower the Maoist and did not let them advance to take advantage of their members. Later Sh. V.K. Kapil fell unconscious but HC/GD Hanamant Biradar and CT/GD Pankaj Kumar Tyagi kept on firing from a nearby position. CT/GD Pankaj Kumar Tyagi tried to evacuate Sh. Vinay Kumar Kapil but unfortunately he was twice hit on the back and middle of the chest and Shri Vinay Kumar Kapil was also hit at the back of the chest, which proved fatal for both. Meanwhile HC/GD Hanamant Biradar continued firing and fought courageously in face to face encounter from a flat surface. In the meantime HC/GD Hanamant Biradar was also shot from the front of the left shoulder and also on the rear of the left shoulder. Later, on reaching the spot by unit QRT dead bodies of brave soldiers/martyred were recovered.

As per report of Sub Divisional Officer, Pakridayal,West Champran, submitted to SP, Motihari,West Champran, it was conspicuously denotes that the before putting their supreme sacrifice the trio martyrs shot dead one militant named Brij Kishore Ram (24 Years). During through search, blood stains were found which further indicated that 4-5 Maoists were killed in the encounter. Further the Maoists escaped taking advantage of the acute darkness and thick fog and also managed to drag the dead bodies with them. However one dead body of said militant recovered. Following were also found/recovered from the land of Bindeshwar Singh and Yogender Singh on eastern corner of the incident site.

(i) 08 ammunition of AK rifle
(ii) 01 ammunition of SLR
(iii) 04 ammunition of Insas rifle
(iv) 02 live rounds of Insas rifle.

In this encounter S/Shri (Late) Vinay Kumar Kapil, Assistant Commandant, (Late) Hanamant Biradar; Head Constable and (Late) Pankaj Kumar Tyagi, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.12.2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 85–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Prakash Ranjan Mishra (1st Bar to PMG)
Assistant Commandant

02. Hem Raj Thakur (PMG)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting specific information from SP Hazaribagh on 18.08.2008 at about 1700 hrs regarding movement of Naxals in the area of Noniadih and nearby forest hill area of PS-Keredari, SP Hazaribagh, Commandant 22 Bn CRPF and Shri P R Mishra AC, OC-22 Bn. planned a special operation of search and raid and executed it with two strong platoons of D22 Bn under command of Shri P R Mishra. Troops of D 22 Bn were divided into three groups to carry out the assigned task STOP Group was led by SI/GD Ranjeet Singh and Reserve Group and Raid Group was led by Shru P R Mishra with five other personnel, The troops were briefed in detail and thereafter left for special operation at 1745 hours. The party reached Barka Gaon Police Station at approximate 1945 hrs where SI Bal Kishore Kisku OC, PS-Keredari joined the troops. The troops moved further and left their vehicle at Ambatand Police Picket and thereafter moved on foot through cross country avoiding regular routes, crossed a river having deep water, negotiated mountainous terrain, thick vegetation and pitch darkness to maintain surprise. After covering a distance of about 10 Kms, the party reached near village-Noniyadih and started searching for Naxal Indo-outs shelters. A Cluster of houses were located along the foot hills of the long range hills. By means of NVD some un-usual movements were observed near a remote isolated house located on the top of the foot hills adjacent to dense forest and a Nala. However, no naxal was seen at that time. Shri P R Mishra placed all six Stops at likely escape routes and tried to dominate the very difficult terrain from all sides. Shri P R Mishra alongwith raid group moved further to reach as close as possible to

the isolated house. After reaching very close to the target area, the Raid groups started moving towards the hill and noticed presence of some Naxals on the hills perhaps deployed for sentry duty at very strategic point who sensed some threat of presence of Police Force and fired on Shri P R Mishra and the raid party. But Shri P R Mishra survived from heavy fire and ordered the troops to give cover fire to him and he continued to proceed further close to the sentry to over-power him, and locate the position of other Naxals and also retaliated the fire of Naxals. As shri P R Mishra was moving ahead of the raid group a volley of bullets fired by naxals crossed over him, but he took very brave initiative showed extra ordinary courage and extreme braveness and control on the team. Despite knowing that many other naxals might be present all around and must be in defence as none were visible due to darkness and dense forest and rocky hills, he alongwith CT/GD Hemraj Thakur and supporting fire of HC/GD and two CTs/GD of Raid Group from rear side moved closer and closer and reached very close to that particular naxals who was firing continuously from long range weapon which was subsequently found to be a 7.62 mm SLR. Shri P R Mishra along with CT/GD Hemraj Thakur taking grave risk to their lives kept moving towards target area despite heavy firing from naxals who were on top and behind rocks. Shri P R Mishra and CT/GD Hemraj Thakur were at the foot hills and were moving upwards while naxals were hiding behind the rocks in safe and dominating position. Both tried to reach very near to the sentry without caring for their lives and after reaching very near, Shri P R Mishra fired many rounds on that naxal and killed him on the spot. The other naxals kept on firing on him and CT/GD Hemraj Thakur and there was a heavy exchange of fire from very close distance in which Shri P R Mishra and CT/GD Hemraj Thakur survived due to their tactics and braveness shown at that time. The exchange of fire continued till 0300 hrs causing further probability of killing and injury to some naxals too whose sound of cry was heard but they fled away making best use of darkness and dense forest. Exchange of fire also took place with Stop Group who in turn retaliated with due care to avoid any casualty from own side due to cross firing. During the encounter three Para Bombs were fired to locate the position of naxals. After 0300 hrs, naxals could not hold the calculated and controlled fire power and brave penetration done by Shri P R Mishra & CT/GD Hemraj Thakur which made them helpless and despite being in defense and vantage position in the toughest terrain, they were unable to kill Shri P R Mishra and CT/GD Hemraj Thakur and managed to flee away taking advantage of nala connected and series of hills with dense forests. Two HE Bombs were also fired on the possible escape routes of naxals to cut their escape routes. In the first light the whole area was searched and combed and the party found the dead body of the naxal killed by Shri P R Mishra in the night initially identified by villagers as Binod Munda (Platoon Commander) but later identified as Kailu Manjhi, alias Suman manji alias Parvez Da (Platoon Commander of MCCI Military Wing) known as very hardcore naxal, S/O Jhallu Manjhi of Vill-Simrabeda, PS-Mahuatand, Distt-Bakaro,

Jharkhand. Shri P R Mishra and CT/GD Hemraj Thakur had shown extraordinary courage and dexterity during the whole encounter without caring for their own lives which resulted in killing of one hard-core Naxal namely, 'Kaila alias Suman Manjhi, alias Parvez Da (Platoon Commander of MCCI Military Wing) and injury of many naxals. In the operation following Arms/ammunition/other articles were recovered from their hide outs:-

(a)	7.62 mm SLR	:	01 No.
(b)	303 Bolt Action Rifle	:	01 No.
(c)	7.62 SLR Ammunition	:	158 Rds.
(d)	.303 Bolt Action Ammunition	:	48 rds.
(e)	7.62 SLR Magazine	:	03 Nos.
(f)	.303 Bolt Action Magazine	:	01 No.
(g)	Electronic Detonator	:	02 Nos.
(h)	Wireless Set	:	02 Nos.
(i)	Mobile set	:	02 Nos.
(j)	Walkman	:	02 Nos
(k)	Pithu	:	07 Nos.
(l)	Indian Currency	:	1,71, 750/-
(m)	Naxal Literature,Levy receipts:	:	Some
(n)	Pull through	:	04 Nos.
(o)	.303 empty cases	:	03 rds.
(p)	Empty cases of 6.2 mm	:	08 rds.
(q)	Gents & Lady Clothes	:	Some
(r)	Umbrella	:	12 Nos.

In this encounter S/Shri Prakash Ranjan Mishra, Assistant Commandant and Hem Raj Thakur, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.08.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 86–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Anand Singh
Second-in-Command

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15-16/07/2008, specific information was received through SOG, Sopore/Srinagar regarding presence of terrorists in village Warpora, PS-Sopore, Distt-Baramulla(J&K). A joint operation was launched by SOG/JKP, Sopore/Srinagar. 179/177/92 Battalions of CRPF and 22 RR. Initial cordon was laid by troops around the suspected houses. Shri Anand Singh, 2 IC, 179 Bn. CRPF also reached the spot with unit QAT. While concertina coil was being laid around the target houses, terrorists hiding there lobbed a grenade causing injuries to 13 personnel of RR, CRPF and JKP including Officers. Shri Anand Singh, 2 IC, 179 Bn. CRPF personally evacuated many injured personnel. At night he closely supervised and strengthened the cordon, got illuminated the suspected area and did not allow terrorists to escape. In the morning, he went to the main suspected house for search but the terrorists had shifted their position during night to a nearby house. They fired at the search party of SOG/JKP in that house, killing one JKP person and injuring another. The search party and injured personnel were evacuated with the help of BP vehicles, during evacuation the terrorists fired at the bullet proof Gypsy also, damaging its wind screen. After evacuation of injured and search party, heavy fire was made on the house by the troops including MGL by Army but no breakthrough could be made. Then it was decided to lob hand grenades in the kitchen of the target house from where the terrorists were firing. But there was only one window in the kitchen opening on road and no cover was available. Shri Anand Singh, volunteered himself to lob the grenades despite knowing the fact that the terrorists were firing from kitchen and they were having grenades. Shri Anand Singh went alone to lobe grenade whereas covering party of CRPF and Army were in bullet proof vehicles. Shri Anand Singh advanced on the road in open and lobbed hand grenade through the window in the kitchen which blasted inside. Then he lobbed another grenade through the same window. Had the terrorists opened fire when he was moving towards the window or lobbed a grenade from the window on the road. Shri Anand Singh would not have survived as there was no cover available to him.

Thereafter an IED was placed in the house by Army but that did not explode. Then Shri Anand Singh again putting his life in grave danger went in open to the window and planted another IED in the kitchen through window. The house gutted down due to explosion of IEDs and caught fire. During excavation of debris dead bodies of two terrorists were recovered from the same room (kitchen) where Shri Anand Singh had lobbed grenades and planted IED. They were identified as

Hilal Ahmed Sofi @ Khalid S/o Mohd Sultan Sofi (Al-Burg/J-e-M) r/o Warpora Sopore and Ali Raza (Al-Burq/J-e-M) r/o Pakistan alongwith 02 AK-47 Rifles, 05 AK-47 Magazines and 60 rounds of AK-47.

In this encounter Shri Anand Singh, Second-in-Command, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.07.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 87–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**K. Sajjanuddin Commandant**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**Santosh Kumar Pal Assistant Commandant**	**(PMG)**
03.	**Chandradev Singh Yadav Constable**	**(PMG)**
04.	**Waseem Ahmad Khan Constable**	**(PMG)**
05.	**Krishan Kumar Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On the night of 16/5/2008 information was received from a source by Shri K Sajjanuddin, Commandant 185 BN, CRPF regarding the presence of 6 to 8 militants in the fields and orchards surrounding village Lurojagir. Information further indicated that by following the water pipe passing near the village, the location of militants could be verified. After verification of information an operation was planned for early morning of 17/5/2008.

A strong platoon under command of Sh Santosh Kumar Pal, Assistant Commandant 185 BN was deployed to ascertain the position of militants. This

platoon was divided into two parts, one under command of HC/GD TD Nair and other under command of Shri Santosh Kumar Pal, Assistant Commandant. In the process of searching the fields and orchards surrounding village Lurojagir, CT/GD C S Yadav and CT/GD Krishan Kumar who were in the party led by HC/GD T D Nair spotted the militants on a slightly elevated position in a walnut orchard. The first exchange of fire started between these two constables and the militants. In this exchange of fire two militants were killed. The remaining militants leaving behind two AK 56 magazines, one wireless set and other equipment at the spot of encounter, tried to flee towards the neighbouring hillside but Shri Santosh Kumar Pal on hearing the fire had already out flanked them. In a heavy exchange of fire, the militants were forced to retreat from the hillside lying in the north east direction of village Lurojagir. This party managed to move despite heavy fire of militants and succeeded in occupying higher reaches so that militants were forced towards fields and orchards surrounding the village. One militant was killed in this exchange. This entire action was conducted under the command of Shri Santosh Kumar Pal, Assistant Commandant, HC/GD Vanraj Bhai, CT/GD Waseem Ahmad Khan, CT/GD C S Yadav, CT/GD Krishan Kumar, CT/GD Jatinder Kumar, CT/GD Hilal Ahmad Hurrah and CT/GD Showkat Hussain Mir of 185 BN displayed outstanding valour, bravery and steadfastness of the highest degree.

At this point the main party led by Shri K Sajjanuddin, Commandant 185 BN alongwith some elements of 42 BN RR arrived at the scene. Shri Sajjanuddin immediately sized up the situation and realized that it was imperative to cordon the area of village as the militants may try to escape into the village. Having established a cordon to the village, Shri Sajjanuddin then systematically closed the cordon till the militants were forced to retaliate due to increasing pressure from CRPF troops. There was extremely heavy automatic and grenade fire from the militants whose number was believed to be almost six. In this extremely volatile situation, Shri Sajjanuddin maintained close contact with troops and provided frontal leadership of a very high quality. It was due to his personal leadership and example that the militants were finally trapped.

In the final assault there was extremely heavy automatic fire accompanied by grenade attack from the side of militants. Two grenades exploded very near to the position of Shri Sajjanuddin but with total disregard of his personal safety, he brought the encounter to a logical and successful conclusion.

In this broad day light encounter a total of six militants of J-e-M were killed who were later identified as Waseem Hassan Ahanger (Distt. Comdr) S/O Gh Hassan Ahanger r/o Kuchmulla, Mehraj Ahmed Shaikh S/O Gulam Nabi Saikh R/O Noorpora, Mohd Yousuf Bhat S/O Abdul Samad Bhat R/O Charsoo, Tral, Ifthikar Ahmed R/O Pakistan and Ahram Alias Kullu Bhat R/O Pakistan and Ali Baba alias

Bhat R/O Pakistan. 02 AK-47 Rifles, 04 AK-56 Rifles, 23 AK 47 magazines, 3 wireless sets, 4 wireless set antennas with adapters, 10 Nokia mobile phones, 5 Chinese grenades, 1 Pak grenade, 6 UBGL shells, 1 Chinese pistol, 2 pistol magazines, 3 pistol rounds, 88 AK-47 rounds and some miscellaneous items like clothing shoes, mobile phone chargers, eatable items etc were recovered from the encounter site.

In this encounter S/Shri K. Sajjanuddin, Commandant, Santosh Kumar Pal, Assistant Commandant, Chandradev Singh Yadav, Constable. Waseem Ahmad Khan, Constable and Krishan Kumar Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/ Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 17.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 88–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. P. Maharajan
Constable

02. Satish Chand
Head Constable

03. Niranjan Singh
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11.09.2008 at around 2030 hrs, OC A/125 Shri A K Singh AC got on SOS from I/C, SOG Lalpora that few personnel of SOG Tikkipora have encountered militants at village Chhoti Margi near village Dever, the encounter is going on and SOG, Tikkipora needs immediate re-enforcement. Shri A K Singh, AC after discussing the matter with Commandant 125, took the Platoon of his Coy consisting of selected men and rushed to the place of encounter along with 10 men of SOG Lalpora. While enroute to the place of encounter, Shri A K Singh, AC spoke to I/C SOG Tikkipora over phone and took stock the situation including likely number of militants, place of their taking shelter etc. CRPF platoon on reaching the encounter place cordoned, the area and repulsed the militants firing whenever required. At

around 2230 hrs, a militant was located by cordon party members of HC/GD Satish Chand, CT/GD P Maharajan, CT/GD Niranjan Singh who killed the militant by putting targeted fire on him. Encounter continued for whole night. Since area is full of vegetation, and it was dark, hence it was very difficult to be sealed. CT/GD P Maharajan however made it difficult for militant to escape from the cordoned, area by firing Para Bomb from the 2 inch Mortar, he was holding. This made it easy to locate militants and put effective fire by the forces. At 2330 hrs Shri A K Singh, AC contacted Shri Sanjay Kumar, Commandant again over phone and asked for reinforcement. Shri Sanjay Kumar Commandant 125 Bn CRPF rushed along with Unit QRT and reached the spot at 1245 hrs on 12.09.2008. He, on taking over the command of the operation, strengthened the cordon of A/125 CRPF.

Search of the area started at first light. During search a militant who was hiding himself under the vegetation fired towards the searching party. He was liquidated by Shri A K Singh AC, HC/GD G C Baumatari, CT/GD Roshan Lal and CT/GD Raja Ram Meena who were part of the searching party. All the houses and the open area surrounding the spot inside the cordon was searched thoroughly but no other militant was found. The operation was mopped up. Dead bodies of two militants of LeT were found lying separate places. They were lateron identified as Mohd. Ismail r/o POK Father's name was not known and Samir Ahmed Rather S/O Ghulam Ahmed Rather r/o Nawpora, Payeen, Pulwama accorder, 2 AK-47 Rifles, 5 Magazines and 90 rounds apart from lot of dry ration was recovered from the possession of the slain militants. This was a very important operational achievement in this area by CRPF considering that there was no loss of life or property to the Forces.

In this encounter S/Shri P. Maharajan, Constable, Satish Chand, Head Constable and Niranjan Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 89–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Kedar Nath Singh
Head Constable/Driver

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 12/07/2009 at about 0600 hrs Civil Police personnel of Rajnandgaon out post Madanwada were ambushed by the Naxalites when they went to attend natural call. On receipt of information S.P.Rajnandgaon, Sh.Vinod Choubey ,IPS, left for the police out post Madanwada in a convoy to visit the incident site. When the convoy reached near the village Korkotti, Naxlites fired on the convoy, in which bullet hit to a driver of the said convoy and in the meantime SP Rajnandgaon informed about the incident to nearby Police station and asked for CRPF MPV which was stationed at Manpur.

On receipt of information reinforcement party alongwith MPV of CRPF were sent to incident site. When MPV along with civil Police reached near the seventh milestone it was fired upon by the Naxalites. HC/Dvr. Kedar Nath Singh who driven the MPV kept on moving forward the MPV even ongoing fire and has accepted a grave risk to his life and he also stationed the MPV into a side and picked up the injured DF Jawans and pulled when into the vehicle. HC/DVR Kedar Nath Singh even risk to his own life skin fully and courageously moved the MPV all around so as to give the opportunity to the policemen sitting in the vehicle for effective retaliation. The naxalites were in large numbers and countered this move by shooting burst the tyre and surrounded the MPV while few naxalites came from the road and menacingly fired on the front glass straight towards the driver to intimidate him, but HC/Dvr. Kedar Nath Singh did not relent and even with a burst tyre he bravely kept on moving the vehicle enabling the policemen to fire effectively and stretched his carbine towards the upper slot of MPV and fired upon the naxalites in which one of the naxal sustained bullet injury who fell down on the road. Driver Kedar Nath Singh tried to crush the naxalite by the MPV itself being moving MPV forward but immediately all of sudden another naxalite came from

behind the boulder and pulled the injured naxalite into the bushes. Later the naxalites attacked the MPV and tried to set ablaze the MPV by petrol bombs. HC/DVR K N Singh with a grave risk to his own life drove MPV towards Manpur successfully under heavy fire and showed an act of gallant.

HC/Dvr Kedar Nath Singh then moved the MPV back & forth so that Jawans can fire more effectively and also to reach to other personnel so that they can take cover in MPV. Suddenly he saw IGP Durg with his gunmen on the ground along a tree adjacent to the road under ongoing fire. Immediately he reversed the MPV to the point near IGP and caught hold his shirt collar and pulled IGP and his gunmen into the MPV and again moved the MPV back & forth so that personnel inside can fire from the slots of MPV in different direction. He also noticed that naxalites were popping up from behind the boulders and trees and picking up the weapons of dead Jawans and immediately disappearing into the Jungle again. At this time HC/Dvr. Kedar Nath Singh started shouting on the microphone of the MPV to fire on different direction on naxalites. CRPF party which almost reached on the spot fired HE bombs towards moving direction of naxalites, as a result naxals fled away from incident site by taking advantages of dense forest, undulating ground and Nalahs.

In the Incident HC/Dvr. Kedar Nath Singh has shown a conspicuous and noticeable exemplary rgallant act, enormous, character, unparallel bravery risking his own life and outstanding presence of mind while performing the bonafide duties in which life of Shri Mukesh Gutpa,IGP (Civil Police) and other 11 personnel could be saved.

The following recoveries were made from the site of encounter and the same were destroyed on the spot:-

(a) 09 Nos of Grenade(b)12 Molotov Cocktail (c)petrol bombs (d) 60 mtrs. Electric wire.

In this encounter Shri Kedar Nath Singh, Head Constable/Driver displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.07.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 90–Pres/2011- The President is pleased to award the 1st Bar to Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Satyendra Nath Singh** **Assistant Commandant**	**(1st Bar to PMG)**
02.	**Santosh Kumar Singh** **Constable**	**(1st Bar to PMG)**
03.	**Gulab Singh** **Constable**	**(1st Bar to PMG)**
04.	**Krashan Kumar** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

In view of BANDH call given by Naxalites w.e.f. 14/06/2006 and 15/06/2006, troops were out in connection with operation duties as per the requisition of police. On 13/06/2006 troops moved to Patratu under PS. Ramgarh and made night halt. On 14/06/2006 at 1000 hrs troops boarded a train from Patratu and reached Hendargir and carried out search in the area. On 15/06/2006 the troops boarded Saktipunj Express train at around 2000 hrs and reached Barkakhana by 2130 hrs. From there troops boarded CRPF/Civil police vehicles and rached Ghato at 0030 hrs. On getting information about concentration of naxalites in Narki jungle, SP Hazaribagh informed the troops to move to Dubka village. On reaching Narki at 0600 hrs troops left the vehicles and move toward Dubka village on foot in two parties i.e. one party under command of Shri S.N. Singh, A/C and one party under command of SI/GD Naveen Kumar Jha. In the mean time Sh. S.N. Singh, A/C also gathered information from a local villagers about concentration of the naxals and on getting affirmative reply troops of 72 Bn. Moved tactically covering all area. When Shri S.N. Singh with his party was approaching the suspected hideout/training area, the naxals from the observation post opened fire on this party. Shri S.N. Singh A/C got bullet injury on

his right leg calf muscle and without caring for his personal safety and life, he continued to advance and retaliated the fire. During this encounter one naxalite was shot dead by Shri S.N. Singh, A/C and one SLR was recovered from his possession. A fierce encounter with naxalites continued and the officer kept firing and organized his troops so that troops may not get demoralized by knowing about bullet injury sustained by him. Inspite of getting bullet injury in his right calf, Shri S.N. Singh, A/C kept directing his troops to cordon the front hill and to continue firing and throwing bombs on the naxal groups. Shri S.N. Singh, A/C alongwith three constables namely CT/GD Gulab Singh, CT/GD Santosh Kumar Singh and CT/GD Krashan Kumar of his troops challenged the naxals and kept on firing. When firing from naxalites side was stopped the whole area was cordoned and thoroughly searched. During search, one SLR, two .303 Rifle with Mag., One .315 single barrel rifle, one dead body of naxalite, three man packed Motorola sets, 12 Electronic detonators, 700 live rounds, two Flash operated IED, one Electric operated IED, Rs.26700 Cash, 40 Haver Sacks containing polythene sheets, uniforms, utensils, naxal literatures and utility items were recovered. All recovered Arms/Amns and other items alongwith dead body of the killed naxalite were handed over to civil police. After the encounter, nearby villagers confirmed that 2-3 naxals were also injured during encounter who were taken away by other naxals. As may be seen from the above mentioned facts the elimination of one dreaded naxal and recovery of huge quantity of Arms/explosive could be possible because of the extra ordinary valour, leadership, grit and determination of Shri S.N. Singh and exemplary gallant act and grit of three constables of 72 Bn namely CT. Santosh Kumar Singh, CT. Gulab Singh and CT Krashan Kumar who fought well with naxals without caring for their life by continuing to advance in the midst of heavy firing and achieved the success with minimum use of force and without lost of any precious life of police personnel.

In this encounter S/Shri Satyendra Nath Singh, Assistant Commandant, Santosh Kumar Singh , Constable, Gulab Singh, Constable and Krashan Kumar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of 1st Bar to Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16.06.2006.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 91–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Arun Kumar
Assistant Commandant

02. Mohd. Riaz
Constable

03. Anup Kumar Hrangkhal
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 05.10.2009 at about 2200 hrs, Shri Arun Kumar OC-A/187 Bn. was on regular checking of night camp area patrolling. When he received an information from the sources developed by Unit/Coy about the presence of some militants in Dumru top area. He immediately passed on the information to Commandant,187 Bn on telephone and sought further orders for launching operation. After verifying the information from other sources Commandant,187 Bn ordered for conducting operation alongwith civil police. Shri Arun Kumar, AC prepared the ops plan and selected men for operation, briefed them along with civil police about the role and responsibility and precaution to be taken during the movement, RV points, before the ops and during the operation. A joint party of CRPF consisting GO-01, HC/GD-03, CT/GD-24, Total-28 and civil police-09 led by Shri Arun Kumar, AC left for Dumru Top area at about 2300 hrs. The party travelled about 10 kms in dark and dense hilly forest and reached at RVat about 0400 hrs on 06.10.2009. Shri Arun Kumar, AC placed the cut offs on vital/strategic points and cordoned the area in the dark only. Shri Arun Kumar, AC himself along with some selected force personnel stealthily reached at the top of Dumru Top without revealing their position. At about 0600 hrs, when the joint party started search operations, Shri Arun Kumar (Party Comdr.) detected 03 suspected personnel covered with blankets approaching towards the Dumru Top. Shri Arun Kumar (Party Comdr.) challenged the suspected personnel.

At this suspected personnel opened indiscriminate fire on the party. Shri Arun Kumar along with CT/GD Mohd. Riyaz Khan, CT/GD Anup Kumar Hrangkhal of A/187 Bn. and other CRPF/Civil Police personnel started firing in retaliation. During the exchange of fire Shri Arun Kumar, AC noticed one militant hiding in the bushes in a deep gorge of hilly terrain. Shri Arun Kumar, AC Mohd Riyaz Khan, CT/GD and Anup Kumar Hrangkhal, CT/GD advanced tactically towards the militants hiding place without caring for their lives amidst heavy firing. Shri Arun Kumar, AC and two above CT/GD of A/187 Bn. chased the militant for about 500 meters in hilly terrain under heavy fire by the injured militant without caring for their lives and

killed a hard core militant of HM namely, Javed Iqbal, Code Name-Mateen r/o Dehedani Marmat, Distt-Doda and recovered one AK-47 Rilfe, 10 live rounds, one Magazine and one Wireless set from the encounter site. The gallant act displayed by Shri Arun Kumar, AC has brought laurels to the Unit in particular and the Force in general. During the search operation a hide out of militant was destroyed. The party of above three personnel has shown exemplary courage and dedication to duty.

In this encounter S/Shri Arun Kumar, Assistant Commandant, Mohd. Riaz, Constable and Anup Kumar Hrangkhal, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 06.10.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 92–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Sewa Singh
Head Constable

02. G. Radhakrishnan
Head Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27/9/08 three Platoons of 63 Bn, CRPF along with 4 civil police personnel marched from A/63 Bn, Dhauadi camp at about 0300 hrs. to conduct anti naxal operation at Badenghol & Kongera villages where large no. of naxalites were gathered in connection with their raising day celebration as per intelligence input. The Troops had planned to search the surrounding area to nab and neutralize the naxalites. They were going on foot tactically towards the above villages. It was around 0845 hrs when troops were searching the deep jungle area near the above villages, a naxalites Dalam (Military wing) consisting of at least 30-40 naxalites led by Naxal Commander namely Ramu and Urmila, Andhra based hardcore and listed naxalites, ambushed the troops. They opened heavy gunfire with sophisticated arms on the troops. The Troops after taking fire cover, engaged the attacking naxalites in gunfire. During gun battle, naxalites were trying hard to dominate the scene in order to loot weapons after killing/injuring some police personnel. In this melee, naxalites

spotted SPO Chaitu of civil police who accompanied as a local guide and was advancing, sustained bullet injury and fell down. One naxalite appeared there and attacked the injured SPO Chaitu with the intention of killing him and snatching his SLR Rifle. SPO Chaitu seeing his life in danger cried for help. On this HC Sewa Singh of C/63 Bn, who was positioned nearby and engaged in firing, came quickly amidst heavy firing and found a naxalite trying to over power the injured SPO Chaitu and to drag him for killing with sharp edged weapon as well as looting his SLR Rifle. Intensity of conflict was at its peak at this point of time. Sewa Singh, in the pitched battle, without wasting any time, jeopardizing his own life, took sharp aim and shot the naxal dead on the spot and was instrumental in saving the life of injured SPO and his weapon. At the same time, while Sewa Singh was engaged in fight, another naxalite hiding nearby, suddenly came in action and started to aim his gun at Sewa Singh. HC G. Radhakrishnan of A/63 Bn who also came there hearing hue and cry, saw naxalite aiming his colleague Sewa Singh. G.Radhakrishnan with quick reflexes displayed his presence of mind gallantly and shot dead this naxalite on the spot. This doughty act of G.Radhakrishnan was paramount example of bravery with presence of mind of giving more value to lives of others than to his own life. The naxalites attempted to lift and drag the bodies of both the naxals but could not succeed in their attempt due to aimed and effective firing from both the above personnel. Seeing killing of their naxal comrades at the spot and befitting reply by security forces, the naxalites timidly fled away from the gun battle taking advantage of the dense forest undergrowths and hilly terrain. However, exchange of firing from both sides lastcd for about 20-25 minutes. Thereafter, the area was thoroughly searched wherein bodies of both the naxalites along with 03 nos. of Bharmar Guns, one Tiffin Bomb containing IED and 25 meter of electric wire were recovered. Blood stains were found at various spots at the incident site which was indicative of the fact that some more naxalites were definitely killed in the encounter, but naxalites dragged them away.

In this encounter S/Shri Sewa Singh, Head Constable and G. Radhakrishnan, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 93–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Amit Kumar Tyagi (Posthumously)
Constable

02. Bhanu Pratap Yadav
Constable

03. Bhupal Mazumdar
Sub Inspector

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 19.4.2009 at about 1930 hrs a specific information was received from SP(OPS), SOG, Cargo, Srinagar about the presence of militants at Village-Mundyari, PS-Pattan, Baramulla (J&K). The special operation was jointly planned by SP(OPS), SOG, Srinagar and Shri Nishant Vaishnav, Asstt. Commandant of 117 Bn. CRPF. Accordingly platoon of F/117 Bn CRPF with SOG Cargo personnel left SOG Cargo Complex at about 2030 hrs and reached at the out skirts of Village-Maundyari (Pattan) at about 2115 hrs. As per briefing platoon F/117 Bn. CRPF and SOG started laying the inner cordon of Village-Mundyari. The inner cordon was completed at about 0300 hrs. 29 RR and 45 Bn. CRPF also joined in the mean time and laid outer cordons. The search was launched at the first light by party of F/117 Bn. CRPF and personnel of SOG Cargo Srinagar. All efforts were made to evacuate the inmates of suspected house of Md. Khanday S/O Abdul Aziz Khanday and nearby houses to avoid any civilian casualties. During the search operations militant hiding in the house of Md. Khanday S/O Abdul Aziz Khanday finding no escape route, opened indiscriminate fire on the security troops around 0700 hrs. The fire was effectively retaliated by the security troops. In the mean time militant hurled grenade towards the security troops. In order to save themselves from grenade's splinters , the party took safe position accordingly to the available protection. In the mean time the militant covered distance and fired on the security troops from very close distance in which SI/GD Bhupal Mazumdar, CT/GD Bhanu Pratap Yadav and CT/GD Amit Kumar Tyagi received multiple bullet injuries but security troops without caring

about their lives kept firing on the militant and killed him on the spot. The killed militant was identified as Abdul Rashid Beigh S/O Gh. Mohammad Beigh R/O Ganistan. The Sumbal Distt. Bandipora (J&K) of HM group. Further based on lead from these militants following weapon/ammunition were recovered by our party alongwith SOG personnel from them. Rifle AK-47- 01 No. Magazine AK-47-05 Nos. Magazine Pistol-01 No. and pouch-01 No. Dead body of killed militant and recovered arms/ammunition handed over to PS-Pattan, Baramulla, Jammu & Kashmir.

SI/GD Bhupal Mazumdar, CT/GD Bhanu Pratap Yadav and CT/GD Amit Kumar Tyagi got multiple bullet injuries during the Special Operation. Injured personnel were immediately evacuated/shifted 29 RR Hospital for treatment where Amit Kumar Tyagi succumbed to his injuries.

The operation was handled in a professional way and it took place in the midst of inclement weather condition.. The success of the operation was only possible due to exemplary bravery, extraordinary courage, exceptional gallant exhibited by Late CT/GD Amit Kumar Tyagi, CT/GD Bhanu Pratap Yadav and SI/GD Bhupal Mazumdar who took immense personal risk & neutralized other one readied militant of HM Group.

In this encounter S/Shri (Late) Amit Kumar Tyagi, Constable, Bhanu Pratap Yadav, Constable and Bhupal Mazumdar, Sub Inspector displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 94–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Raghuvansh Kumar
Second-in-Command

02. Krishna Kumar Halder
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 27/01/2009, about 1300 hours, Shri Raghuvansh Kumar, 2-I/C, 177 Bn, CRPF launched a joint cordon and search operation at Amargarh, Sopore. On seeing the troops, the terrorist opened fire and tried to escape. Shri Raghuvansh Kumar, showing tremendous courage and putting his life in grave danger, fired at him from close range to save other troops and injured the terrorist who went in a lane nearby.

Ct. Krishna Kumar Halder, manning that lane, without caring for his life, opened fire on the terrorist from the front. The terrorist hid himself in a house and kept silent. Shri Kumar and Ct Halder volunteered for house search with the joint team of JKP and 52 RR. During the search, the terrorist suddenly opened heavy fire and lobbed grenades on team, killing Rifleman Sohan Lal Sharma of 52 RR and injuring two other troops. Shri Kumar and Ct Halder went very close to the terrorist without caring for their lives and fired at him. Their quick and brave action not only saved the life of other personnel but also contributed to the killing of the terrorist.

The slain terrorist was identified as Abu Hamza, Divisional Commander, Lashkar-e-Tayyaba. An AK-47 rifle, 04 magazines and 31 rounds were recovered.

In this encounter S/Shri Raghuvansh Kumar, Second-in-Command and Krishna Kumar Halder, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28.01.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 95–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Vishal Patidar
Assistant Commandant

02. Mohammad Arif Wagay
Constable

03. Tanveer Ahmad Mir
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of specific information of presence of heavily armed terrorists, a section of whom might have been of the suicidal squad known terrorist organization like JeM, on 11/04/2009 and within few minutes of the operation of cordon and search of the specific area was launched under the leadership of the local additional SP (Operations) Sh Aslam of Pulwama district accompanied by Sh Vishal Patidar, Asstt. Comdt. and the special operation group comprising of 53 RR and the S.O.G unit of JK Police. Sh Vishal Patidar was the Company Commander in charge of the CRPF operation and was under the charge of co-ordination for special operation carried out against militants/terrorist attack in Pulwama. Accordingly around 1845 hrs. one platoon of A/182 CRPF led by Sh Vishal Patidar and accompanied by special operation group of JK Police and 53 RR rushed to the area and evacuated all the civilian population in the area and zeroed on the target house. It was known at that point of time that the number of terrorists in the target house might be more and there may be simultaneous attacks on security forces from all the sides and that all the militants may not be at one place. The party of the S.O.G in which Sh Vishal Patidar was representative of the CRPF, without bothering for his life rushed to the spot and immediately arranged for the cordoning of the area in order to flush out the terrorists and in order to conduct the CASO. This continued till the dawn of the next day during the long break of time of which, Sh Vishal Patidar and two constables namely Mohammad Arif Wagay and Tanveer Ahmad Mir displayed true spirit of gallant and patience and also maintained the same degree of preparedness. Next day in the dawn when the terrorists fired on the search party Sh Vishal took hold of the situation. Sh Vishal displayed an exemplary degree of gallantry in rushing to the spot when firing was going on right from the front and left direction in a very effective manner and his aim for rescuing the search party and also the civilian population was thus fulfilled. In that process one terrorist of JeM named Azaz Badar was killed by the SOG team led by SP (Operation) Sh. Aslam.

The assault Commander Captain Patiyal of 53 RR received a fatal injury by another terrorist. This terrorist later shifted to a big neighboring house in order to continue the firing on all the parties. While the rest of the team and the rest of the leadership was busy in defending for themselves in taking cover form the fire, Sh Vishal Patidar, once again accompanied by only two constables displayed indomitable courage and sense of gallant and he sensed the importance of the very critical stage and led the small CRPF contingent who converted themselves into the assault party rather than remaining in the cordon party. This act of leadership in crisis unfailingly brings out the great quality of a fearless solider who is ready to sacrifice the life also for sake of rescuing his colleague and for fulfilling the target of the operation. Then Sh. Vishal immediately sealed the only possible escape route which was available to the trapped terrorist. Had Sh Vishal not displayed the sprit of gallant and replaced the assault commander, the militant would have definitely escaped. As all the three displayed utter disregard for their own safety and at the same time infested systematic well co-coordinated and aimed fire by displaying their competency and skillfulness when these qualities were most needed. Such display of this rarest of rare qualities at rarest of the rare time resulted in the injury in the leg of the terrorist. Sh Vishal being the assault commander thus accomplished two tasks namely by physically covering only the escape route and by injuring the terrorist on his leg.

The best witness and testimony to the gallant action of assault commander of that particular point of time (Sh Vishal) came out from the injured militant himself since the telephonic conversation of the injured militant with his commander elsewhere was being constantly intercepted by the competent authority. Later on Sh Vishal assisted by constables Mohammad Arif and Tanveer Ahmed Mir as part of the final assault lobbed the grenade in the house and concluded the operation. They were also the first men to enter the area from where the firing was constantly coming. At end of the operation the dead bodies of two dreaded JeM terrorists were recovered identifies as (1) Azaz Babar S/O Taj Mohd R/O Haweli Lakah Distt. Okara, Pakistan (2) Ahsanullah Farroqui@ Afaq S/O Barkatullah Qureshi R/O Rawalpindi, Pakistan. This operation also resulted in the recovery of the following arms/ammn/items:-

i)	AK – 56 Rifle	-	01 No (Damaged)
ii)	AK- 47 Rifle	-	01 No.
iii)	AK Magazine	-	05 Nos.(Incl 02 damged)
iv)	Chinese Grenade	-	01 No.
v)	JEM identity Card	-	01 No.
vi)	Fake local I/Card	-	01 No.

In this encounter S/Shri Vishal Patidar, Assistant Commandant, Mohammad Arif Wagay, Constable and Tanveer Ahmad Mir, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 96–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Jaipal Singh** **Sub Inspector**	**(PPMG)** **(Posthumously)**
02.	**Bharat Ram** **Head Constable**	**(PPMG)** **(Posthumously)**
03.	**Diwakar Tiwari** **Dy. Commandant**	**(PPMG)** **(Posthumously)**
04.	**Shanker Kumar** **Assistant Commandant**	**(PMG)**
05.	**Pradeep Kumar Singh** **Constable**	**(PMG)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 10/4/09 at about 0840 hrs, a party of 45 personnel of A/55 Bn. CRPF accompanied by 06 civil police personnel located at PS:- Chintagufa marched on foot to reccee the area and route of Minappa Polling Booth in c/w GPE 2009. Around 1130 hrs. enroute while the troops were crossing the Vill:- Paidiguda, a large group of naxalites having sophisticated weapons and supported by Jan Mitiia attacked them to which the troops retaliated effectively. However, naxalites were successful to encircle the troops and soon dominated the scene. Meanwhile, the troops asked for reinforcements from their HQrs through wireless. In the fierce gun battle, HC Bharat Ram on spotting a naxalites firing, taking cover of a tree, took sharp aim and shot him dead. After a little gap, a fellow naxal, who was attempting to lift and drag the killed naxal was also eliminated by him. In this melee, HC Bharat Ram also came under heavy fire of the naxals and sacrificed his life at the altar of Govt. duty. The martyr cleverly saved his weapon by hiding it under his body before taking his last breath. Constable Chola Ram Patel of Chhattisgarh Police also succeeded to neutralize one naxal. The reinforcements came in three lots. They moved ahead of

the first party and engaged themselves in direct confrontation. SI Jaipal Singh without caring for his own life neutralized and recovered 03 naxals bodies and their weapons. However, naxalites in attempt to recover the bodies of their colleagues poured heavy firing wherein he died on the spot. Shri Shankar Kumar, AC led his men from the front and eliminated many naxalites. The officer unconcerned of his eye injury galvanized his troops to advance. Shri Diwakar Tiwary, DC entered the ambush arena along with his team from west direction of naxals firing. Constable Pradeep Kumar Singh displayed a daring gallant act by advancing towards naxals boldly challenging them without caring for his own life and directed heavy fire towards enemy causing heavy casualty to naxals. However, in this act. he could not detect a naxal firing from the tree top and received multiple bullet injuries on his chest and right ankle. He, however, kept on firing till be became pale and unconscious. Shri Diwakar Tiwari, DC evacuated injured CT Pradeep Kumar Singh and Shri Shanker Kumar, AC in an unconscious state to safe position. Simultaneously, he kept on encouraging men boldly to keep naxals pin down. Unfortunately, he also got hit by naxal bullet and succumbed to his injury on the spot. The firing lasted almost for three hours. After firing from area weapons, naxalites retreated and fled away in deep forest. Reportedly, 20-25 naxalites were killed and many more injured in gun battle but the naxalites were able to drag their dead bodies away.

However, troops succeeded to recover 03 dead bodies of naxalites in combat dress along with one regular AKM Rifle with loaded magazine, live rounds, Wireless sets, naxalites, literature etc.

In this encounter S/Shri (Late) Jaipal Singh, Sub Inspector, (Late) Bharat Ram, Head Constable, (Late) Diwakar Tiwari, Dy. Commandant, Shanker Kumar, Assistant Commandant and Pradeep Kumar Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4(i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10.04.2009.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 97–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

01. Smt. Siam Hoi Ching Mehra
Second-in-Command

02. Shri Machamalla Sadanandam
Constable

03. Shri Vinay Sarkar
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

During January 06-07/01/2010 the CRPF successfully engaged and neutralized two heavily armed terrorists including one Pakistani Abu Qari and a Kashmiri Manzoor Ahmed who had taken control of the Hotel Punjab in Lal Chowk, Srinagar without any single casualty amongst their ranks in dead. The operation lasted for 22 hours. The incident happened and developed in the following manner.

On January 06 at about 1405 hrs the SHO of PS Maisuma was checking suspicious persons in the Lal chowk area. When he asked two men to lift their phirans, they fired from inside the phirans. His driver who was standing nearby was hit in the head and died on the spot. After that the terrorists fled and while fleeing, threw a grenade. HC Gendalal Kushwaha of CRPF who was on duty was injured. The terrorists entered the Hotel Punjab on the other side of the road and started firing from there. The fire was returned immediately by the personnel of the command post of 132 Bn,CRPF in front of the hotel.

The troops of 132 Bn,CRPF under command of Smt. Siam Hoi Ching Mehra, Second-in-Command, alongwith troops from 180 Bn,CRPF and JK Police were engaged in an operation from 06/01/2010 to 07/01/2010 to counter the Fidayeen attack on the Palladium Theatre, at Lal Chowk, Srinagar, which for operational purposes, serves at the Command Post of CRPF at Lal Chowk. The Command Post of 132 Bn,CRPF i.e. Palladium Theater was attacked by armed Fidayeen on 06/01/2010 at about 1405 hrs and resorted to indiscriminate firing and grenade lobbing. The attack on the post of 132 Bn,CRPF was tactically reciprocated under the command of Smt. Siam Hoi Ching Mehra, Second-in-Command, who planned the counter attack of Fidayeens and compelled them to take refuge in Hotel Punjab. Smt. Siam Hoi Ching Mehra, Second-in-Command, also ensured laying of effective cordon around Lal Chowk areas, thereby successfully plugging the escape routes and personally evacuated the casualties from the encounter site without caring for her personal safety and risking her life. The encounter i.e exchange of fire between own troops and the militants went on through out the night and ended at 1130 hrs next day i.e. 07/01/2010. Smt. Siam Hoi Ching Mehra, Second-in-Command alongwith troops of 132 Bn,CRPF came under heavy indiscriminate firing by the Militants front the dominating building of Hotel Punjab. Notwithstanding to the heavy firing brought upon her and the deployed Security Forces and aware of entrapment tactics, the Room intervention tactically advanced forwards the line of fire. Thus risking her life, she braved the assaults and kept the militants engaged with fire which enabled the Room intervention Party to maneuver the final assault in which two militants were neutralized.

Even as the terrorists were kept engaged by firing. Hundreds of people who were stranded in the market were evacuated safely the terrorists were ultimately engaged the next day by house intervention party. The house intervention was made through a breach created by firing the MMG on the wall of top floor of the Hotel

Punjab. The breach was made by a novel method of firing from the MMG. The house intervention was carried out in a professional manner. As a result there was casualty in dead, though one jawan namely CT Sadanandam was injured in the leg by a terrorist bullet. CT Vinay Sarkar created a passage for entry of the house intervention team. He traversed almost 20-25 feet on the tin roof by taking grave risk. He enabled the other team members to enter the building. He displayed conspicuous gallantry inspite of grave risk to his life. His gallant action is ultimately led to elimination of terrorists because of entry of other members of house intervention team.

When the house intervention party entered the hotel, CT Sadanandam led from the front and gave frontal protection of other members by placing himself to grave danger knowing very well that the terrorists were hiding and observing the movements of the troops. He was fired upon the sustained bullet injuries but he remained steadfast and alerted the other members of the team and saved their lives. His gallant action ultimately led to elimination of the terrorists.

Subsequently the terrorists set the hotel on fire and under the cover of the confusion thus created, tried to escape by jumping out of the window in the rear. They were neutralized by the party that was covering the rear.

In this operation, following terrorists of LeT were killed:-

1) Abu Qari resident of Pakistan
2) Manzoor Ahmed from Sopre

The following weapons, ammunitions were recovered from the slain terrorists:-

i.	AK-47 rifle	: 01
ii.	AK-56 rifle	: 01
iii.	UBGL	: 01
iv.	AK Ammn	: 162 rds
v.	Chinese Grenade	: 01
vi.	AK Mag	: 10
vii.	Pouches	: 02

In this encounter Smt. Siam Hoi Ching Mehra, Second-in-Command, Shri Machamalla Sadanandam, Consable and Shri Vinay Sarkar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 07.01.2010

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 98–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Arvind Singh Bisht
Assistant Commandant

02. Ajay Singh Tomar
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On specific intelligence developed by SOG(Pulwama), joint team of SOG u/c Sh. Anwar-Ul-Haq(DySP/J.K.P), 183 Bn. u/c CO-183, 44 R.R and one platoon G/182 u/c Arvind Singh Bisht, A/C cordoned the general area of Kadipora, P.S.-Rajpora, Distt.- Pulwama(J&K) on 27 Sep.2008 around 17:30 Hrs.

Shri Bisht planned and initiated the searching by leading the joint searching party of SOG/CRPF in a hostile, mountainous and bushy terrain. Sh, Bisht cautiously and judiciously evacuated the civilian out of the encounter site. Their relentless and systematic search forced the H.M. Militant to escape downward where CT/GD Ajay Singh Tomar, without caring for his life bravely and single handedly frustrated the escape bid of the militant till the support came. Sh. Bisht with his searching team joined the contact site. From that site they launched the flanking attack from the right side, climbing upward and descending towards the militant applying fire and move tactics. As Sh. Bisht was leading the pack, hence he first saw the militant and signaled the assault team to open concentric fire on that direction. Control and coordinated firing handicapped the movement of the militant.

The militant played the trick and posed dead. Meanwhile Shri Bisht creped stealthily behind the militant , just in that moment SI Salim (SOG/Pulwama) and Ct Gaffur (SOG/Pulwama) rushed towards the militant, suddenly the cunning militant opened fire on them, losing no time, Shri Bihst gave aimed shot towards the militant causing fatal injury on the rear side of his head.

Though the success of the operation was because of the well organized team effort, but two personnel due to their very gallant effort and conspicuous devotion beyond the call of duty rose best out of the best.

First is Ct Tomar whose alertness and daring effort restricted and failed the escape bid made by the militant under constant danger to his life. Also he played cardinal hone in the final assault too. Second is Shri Bisht who with immaculate planning and perfect execution, initiated the search in a very hostile topography, under constant danger lurking on him. He judiciously classified and evacuated the civilian out of the encounter site. His never yielding attitude and tactically, systematic search forced the militant to expose. His action was clinical in hammering the final nail in the coffin of the militant, during which he also saved the life of two SOG personnel.

His meticulous planning and conspicuous dedication and led by example attitude resulted into a successful ops in which no loss of arms, civilians and force personnel occurred.

When the operation concluded, body of the terrorist recovered, who was identified as Rayees Ah Dar @ Shoaib S/O Mohd. Yaseen Dar R/o Gaddipura Shupiyan of HM Tanzeem.

The following arms/ammunition were also recovered from the site of encounter:-

(a)	AK-56 Rifle	-	01 No.
(b)	AK Magazine	-	02 Nos.
(c)	AK Amns.	-	25 Rds.
(d)	Pistol Chinese	-	01No.(damaged)
(e)	Pistol Magazine	-	01 No.
(f)	Pistol Rounds	-	03 Nos.

In this encounter Arvind Singh Bisht, Assistant Commandant and Ajay Singh Tomar, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27.09.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 99–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ranbir Singh Solankey
Constable

02. Biren Chandra Das
Head Constable

03. Neelamegam Ullagappan
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 20th August'2007 at about 1100 Hrs, Commandant 166 BN, CRPF on receiving information about the presence of two LeT terrorists in Ganaupora village, mobilized his troops and moved to village Ganaupora and cordoned the area around the target house. As the troops started the search operation, the terrorists sensing danger opened indiscriminate fire on the troops. As a large number of villagers and domestic animals were still trapped in between the troops and the terrorists, the troops exhibited great restrain in retaliation and ensured safe passage for the villagers to move to safer area.

Meanwhile IG (OPS) Kashmir and DIG South Kashmir, CRPF also reached the spot and analyzed the situation before planning the next move. Accordingly three assault groups were formed under the command of DIG, South Kashmir, Commandant 166 BN and Shri Salwinder Kumar, Assistant Commandant. The second group led by the Commandant tried to enter the target house from the front with covering fire provided by the first party under DIG's command. As soon as the assault group entered the house a terrorist hiding in the bath room rushed out firing indiscriminately towards the troops. Despite being exposed and unmindful of the danger or consequences CT/GD Ranbir Singh Solankey of 166 BN CRPF tactically neutralized the militant and showing great presence of mind snatched the slain terrorist's weapon. Meanwhile the second terrorist who was cornered on the top floor continued heavy firing on the troops and lobbed a grenade towards the troops but Shri Salwinder Kumar, Assistant Commandant who was alert to the situation kicked the grenade away into a nearby stream.

During the course of action, a lady, resident of the target house (occupied by the terrorists) pleaded for help and requested for evacuation of a polio affected person held up in the house. Taking advantage of the covering fire given by the first and third assault party, GD Ranbir Singh Solankey, HC/GD Biren Chandra Das and CT/GD Neelamegam Ullagappan of 166 BN CRPF, without caring for their life evacuated the disabled man in spite of heavy fire by the terrorists hiding on the top floor of the house. A final assault was planned to neutralize the remaining terrorist and heavy concentrated fire was effected on the top floor and some rifle grenades were fired. After lapse of some time, firing from the house stopped completely. After the conclusion of the operation, during the search of the house, dead bodies of two terrorists were recovered who were identified as:-

a) Ahmed Hai Rather @ Khubaid @ Sad Bhai r/o Aliyalpur (District commander of LeT outfit – "A" Category).
b) Siraz Ahmed Mir @ Umer R/O Tulram (Terrorist of LeT outfit)

The following arms/amn were recovered:-

i)	5.56 Insas Rifle (without butt)	-	1 No.
ii)	5.56 Insas Mag	-	1 No.
iii)	Insas Rounds	-	9 Nos.
iv)	Rifle A.K 56 (damaged)	-	1 No.
v)	A K Mag	-	1 No.
vi)	A K Round	-	8 Nos.
vii)	Satellite Phone with SIM	-	1 No.
viii)	Wire set I.Com	-	1 No.
ix)	Improvised charger	-	1 No.
x)	Mobile (Nokia-1100)	-	1 No.

In this encounter Ranbir Singh Solankey, Constable, Biren Chandra Das, Head Constable and Neelamegam Ullagappan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 20.08.2007.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 100–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Susar Arun Balvanta
Head Constable

02. Tukaram Chavhan
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On getting reliable information from Superintendent of Police (Ops) Srinagar on 13.04.2008 at about 2130 hours regarding presence of militants in the area of Dachigaon National Park under P.S Harwan, Srinagar(J&K). One Platoon of G/122 under Command Shri Shiv Kumar Jha, Asstt. Comdt, one platoon of F/117 under command Shri Harish Chand, Asstt. Comdt. alongwith SOG Srinagar (J&K) left camp location and reached Dachigaon National Park at about 2230 hrs.

Platoon of G/122 & F/117 alongwith SOG Srinagar (J&K) started laying ambush at possible escape routes. CT/GD Vinod Kumar Yadav, CT/GD Takaram Chavhan under Command of HC/GD Susar Arun Balvanta of G/122 Bn laid ambush near a small nallah in the given area of monitor.

At about 0045 hours CT/GD Takaram Chavhan observed movement of two suspected persons a few yards away from him and he challenged to stop for identification. Instead, the suspected personnel opened fire. CT/GD Tukaram Chavhan retaliated the fire of militants and jumped from his position to alternative location and also alerted HC/GD Susar Arun Balvanta and CT/GD Vinod Kumar Yadav to open fire.

HC/GD Susar Arun Balvanta and CT/GD Vinod Kumar Yadav immediately opened fire without loosing time towards the militants. During this close exchange of fire HC/GD Susar Arun Balvanta received a burst of fire on his left leg. Despite being seriously injured HC/GD Susar Arun Balvanta without caring for his life, he fought bravely alongwith CT/GD Tukaram Chavhan and succeeded in killing one militant on the spot. The second militant managed to escape by taking cover of darkness and thick vegetation. The killed militant was identified as Abu Hafiz @ Jakira R/O Pakistan (District Commander of LeT). The recovery of AK-47 Rifle-01, Magazine-02, Live ammunition-10 and Grenade-03 was made.

In this encounter Susar Arun Balvanta, Head Constable and Tukaram Chavhan,Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.04.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 101–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri S.M. Sidhganesh
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 14/05/2008 at 11.15 hrs, on receipt of specific information about gathering of Maoists in village-Madhi under PS-Sirdala, a CRPF party consisting of two Platoons under command of Smt. Vijaya Laxmi, Asstt. Comdt. of 153 Bn. moved tactically to the pin pointed location for briefing. The SP, Nawada briefed the CRPF, BMP and SAP troops participating in the operation about the situation. However, sensing the presence of troops, the Maoists managed to escape from village Madhi before arrival of troops there.

The troops, thereafter were divided into three small groups to tactically move forward through dense forest on foot to apprehend the Maoists from their hide-out. While on move the troops suddenly noticed the presence of Maoists and their red flag under a tree. The party Commander alerted the troops to be vigilant to meet any tough and challenging situation and cordoned off the Maoist. The Maoist realizing that they are bring trapped, immediately opened indiscriminate fire towards the troops. The watchful troops handled the situation and effectively retaliated. Since, Maoists are familiar with the hilly area, they took full advantage of the situation.

Smt. Vijaya Laxami, Asstt. Comdt. 153 Bn. who was leading the operation from the front in a daring move, ordered to fire HE bombs to control the situation, CT/GD S M Sidhganesh of 153 Bn. CRPF who was on firing zone executed the order in order to stop the advance of Maoist towards the troops caused severe damage to Maoist camps. Other personnel of the operational group also supported him in

combating the Maoists. During the operation, CT/GD S M Sidhganesh sustained bullet injuries on his left ankle but valiantly fought against naxals with grave risk to his own life and exhibited great courage and high sense of morale while performing his duties in elimination of anti-socials from the Country.

During the search operation 06 dead bodies of Maoists, 03 bolt action rifles, 02 hand made carbine, 2 Kgs. RDX, 100 Meter fuze wire, 40 live rounds of 303 rifle, one wireless set, three case bombs and two chargers of Mobile sets were recovered from the side.

The role played by CT/GD S.M. Sidhganesh of E/153 Bn had not only neutralized the naxalites but also effectively eroded the morale of Maoist in their most secured hideouts which was safe heaven for them . The sense of responsibility at the point of time in adverse situation and proper application of mind, assiduous training of the Force and grave risk taken by him, made the operation successful.

In this encounter Shri S.M. Sidhganesh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.05.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 102–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Theyshingu Rajan
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

The District Police Force and SPOs along with 2 platoons of F/63 Bn u/c Insp. Rajeev Kumar and Unit QRT moved out from pharasgaon CRPF camp under over all supervision of 63 Bn,CRPF camp under over all supervision of 63 Bn,CRPF 2I/C Shri R.M.Sampar for special operation to village Karmari, on 14/09/08 at 0200 hrs. They cordoned the village at 0600 hrs to search it. When the party was searching the jungle area of village Karmari at about 0800 hrs, a group of naxalites, at least 10 in number, camping nearby, attacked the party using 2 IED blasts & fire by automatic weapons. Hearing the sound of explosion, CT/GD Theyshingu Rajan who was

leading that part of the troops, carefully, positioned himself & noticed the direction of naxalites. He bravely crawled forward & fired tactically at them without caring for his life. His initiative not only lowered the spirit of naxals but also they began the preparation to flee as CT/GD Theyshingu Rajan was able to kill one dreaded naxalite. Rest of the troops also after taking cover, started firing. Thus bold initiative and tactical acumen of CT/GD Theyshingu Rajan was instrumental in saving lives, arms and ammunition. Shri R.M.Sampar, then launched flanking attack which forced naxalites to withdraw in hustle. Thus the above act of CT/GD Theyshingu Rajan sets a superlative example of valour and tactical initiative and displayed exemplary courage and gallantry. His initiative managed to kill one hard core naxalite. Also saved precious life of other members of the operational party. He was the first person whose prompt gallant action suppressed the fire of naxalites and killed one of them.

In this encounter Shri Theyshingu Rajan, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14.09.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 103–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Dharmendra Singh
Second-in-Command

02. Amaresh Kumar Jamatia
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On receipt of information, a party of 45 Bn CRPF under supervision of Shri Sunand Kumar, Commandant went to 13 RR Hqrs. at 2100 hrs, on 23/09/08, where operation as planned by officers of 13 RR, 45 Bn CRPF and SDPO Sumbal and consequently a well planned ambush was laid out at different places from Ajas to Sumbal. At 2230 hrs, it was decided to lay one ambush at Old Bridge Sumbal. After thorough reccee of the area, a joint party of 45 Bn CRPF, 13 RR and Jammu & Kashmir Police were placed on both side of the bridge tactically under supervision of Commandant-45 Bn CRPF. At about 0315 hrs, the QRT members saw two militants crossing the bridge. The above party challenged the militants, but the militants

opened fire on them and ran towards the Nasbal end of the bridge, where the parties of Sh. Dharmender Singh,2-I/C, 45 Bn CRPF and Lt.Colonel Das of 13 RR Challenged them .Both the militants opened fire on Lt. Colonel Das and his party. With quick positive reception and showing great operational agility, Sh Dharmendra Singh 2-I/C moved fast to open area from back side within no time and retaliated with fire to save the life of party of 13 RR and to kill the militants. CT/GD A K Jamatiya also followed the officer and opened fire towards militants. Due to fire by Sh Dharmendra Singh,2-IC and CT/GD A K Jamatiaya, both the militants got injured and fell down but at the same time they turned back towards Sh. Dharmendra Singh,2-I/C and CT/GD A K Jamatiya and started firing indiscriminately. Both personnel immediately took lying position on open ground and fired again towards the militants and shifted position in cover after crawling & running with great alertness and speed. When this party took position in cover, one injured militant again tried to fire on the party. Immediately Sh. Dharmendera Singh, 2-I/C went close to the militant after tactical move with utter disregard to risk of life and fired upon them and killed the militants. Ambush party of Sh. Dharmendra Singh,2-I/C had close gun fight with militants during operation. Sh Dharmendra Singh, 2-IC and CT/GD A K Jamatiya took grave risk of life to eliminate the militants and had a very narrow escape from fire of militants. Resultantly both militants were killed on the spot. During the encounter, two most wanted Pakistani LeT militants namely Abu Tahir, Divisional Commander of North Kashmir and Abu Abdulla alias Maaz, District Commander of Pattan were killed.

Details of Arms/Amn and other items recovered from their possession:-

1.	AK/47 Rifle	-	02 Nos
2.	AK/47 Mag	-	06 Nos
3.	AK/47 Ammn	-	89 Nos
4.	Hand grenade (Destroyed)	-	02 Nos
5.	Mag Pouch	-	02 Nos
6.	Satellite Phone	-	01 Nos

In this encounter S/Shri Dharmendra Singh, Second-in-Command and Amresh Kumar Jamatia,Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23.09.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 104–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Jitender Ranga
Constable

02. Chetram
Constable

03. Devendra
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 11/04/2009 around 2100 Hrs Civil Police personnel and SPO Goutam Naresh Kumar and Kans Ram informed that naxalites had kept three nos of country made Mortar near village Edenar, and 30 to 40 naxlites are moving between Vill-Sarandi and Vill Edenar for instigating the villagers to boycott the forcoming parliamentary elections- 2009. They also informed that Naxalite had fixed a meeting near village Saradi with villagers on 11/04/2009 night. Apprised of intelligence, Sh. Anil Kumar Ram, Astt Comdt, OC- G/65 arranged a meeting and discussed with SI/GD K.P. Singh, SI/GD Prithvi Singh, Civil Police ASI R.P. Tiwari and three SOPs about the movement of Naxalites and planned an operation. Subsequently, OC/G-65 briefed Jawans about the plan of action, hilly area, undulated routes avoiding main track and asked them to move as per topography. They were also briefed about IEDs, Naxalite activities, history intentions, movement modus operandi & Order of March. On 12/4/2009 at 0345 hrs a party of 72 Bn CRPF personnel including ASI R.P.Tiwari. CT/GD Dakesh Kumar, SPO Naresh Kumar Gautam and Kansh Ram of Civil police under command Sh. Anil Kumar Ram, Asst Commandant left for Cordon and Search operation of village- Edanar. Around 0520 hrs while the party was advancing in single file formation towards East leaving Village- Sarandi (1.5 Kms South) a quickly assessing the entire situation and direction of fire, OC-G/65 Sh. Anil Kumar Ram, Astt. Comdt. immediately ordered section commanders to take position and retaliate the fire accordingly. The party immediately mobilized themselves according to position of naxalites. OC G/65 ordered section 3,4,5 to fire and he alongwith section 1 & 2 advanced for taking them on from front side. Section 6 was ordered to cordon naxalites from the right side. Section 4 & 5 kept the naxalites engaged with heavy fire. CT/GD Jitender Ranga of Section 5 advanced towards naxalites taking cover of hedges. On the other side CT/GD Chetram of Section 6 crawled towards naxalites. Few naxalites were continuously firing on the party so as to engage the party so as to enable other naxalites to flee from the incident site. One naxalites suddenly fired from his 303 rifle towards CT/GD Jitender Ranga. In reply CT/GD Jitender Ranga fired upon the naxalites from a close range

risking his own life and managed to injure the naxalites. Injured naxalites again fired on CT/GD Jitender Ranga, but in the meantime CT/GD Chetram of section 6 who was also approaching towards the naxal party fired upon naxalites and shot him dead on the spot. In the other hand, CT/GD Devndra of Section 4 tactical move towards the naxals putting his life in danger, despite volley of fire from their sides, immediately one naxal was spotted and fired upon him and killed him on the spot. As such, to save their own lives, naxalites fled the scene leaving their weapons, ammunitions and belongings at site of encounter. On detailed searched of the area, dead bodies of three naxals and large scale Arms, ammunition & explosives were recovered from the spot. The whole act by our party manifested highest degree of professionalism, great sense of mutual support/coordination and brave retaliation.

CT/GD Jitender Ranga, CT/GD Chetram and CT/GD Devendra Kumar of section 4,5 & 6 showed exemplary bravery without fear of their lives and killed three naxalites which were identified as (1) Fagu Ram Usendi, S/O Sukhram R/O Vill-Edanar. Combatised Commander of Edangar Janmilitia (2) Baiju Ram S/O Sopa Singh, Vill- Sarandi, (3) Mander S/O Rajja Gaud, Vill- Sarandi. The killed naxalites were also accused of Camp firing incident on Tadoki Camp.

The following recoveries were made from the site of encounter:-

1- Bhramar Gun-09 Nos.
2- Claymor Mine (Pipe Bomb)- 01 No
3- One Steel Tiffin Bomb weighing approx 3 kg, Electric wire rolled on wood, Big Battery-06 Nos , Green Color Power Bomb with wire-03 Nos,.
4- One Rifle 303, with Body No. 31202 K-99 Butt No. 119 KPT.
5- Magazine with 02 live round and one empty case.
6- One haversack with 03 Nos Detonator, one Flashgun Switch , one Brown colour Full Pant , one Full Shirt, One underwear.
7- One 315 bore country made gun.
8- One Hand Grenade country made.
9- One Box containing 10 Nos of cracker.
10- One Bharmar Gun, length -29½ inch with Butt- 6 foot.
11- One Jeri cane of five litre.

In this encounter S/Shri Jitender Ranga, Constable, Chetram, Constable and Devendra, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12.04.2009.

58—101 GI/2011

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 105–Pres/2011- The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry/Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01.	**Amara Ram** **Head Constable**	**(PPMG)** **(Posthumously)**
02.	**Sarbjeet Singh** **Head Constable**	**(PMG)** **(Posthumously)**
03.	**Suresh Kumar** **Head Constable**	**(PMG)** **(Posthumously)**
04.	**Lakhwinder Singh** **Constable**	**(PMG)** **(Posthumously)**
05.	**Sukhwinder Singh** **Constable**	**(PMG)** **(Posthumously)**
06.	**O.L.N. Reddy** **Constable**	**(PMG)** **(Posthumously)**

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 18/02/08 at about 0930 hrs. one Platoon comprising 29 personnel of B/31 Bn, CRPF under command of Sub-Inspector Jagdish Prasad marched on foot for anti naxal searching and area domination duty at Vill:- Tadkel about 03 KMs north west to Mirtoor Police Station under district :- Bijapur, Chhattisgarh. 07 civil police personnel and 26 SPOs also accompanied the CRPF troops. CRPF troops were divided into 03 Sections to move tactically in `Arrow head` formation wherein Section No. 01 was leading followed by Section No. 02 in left and Section No. 03 on right led by SI Jagdish Prasad. The civil police personnel were left to Section No. 2. After traversing for about 04 hours on foot and searching Phulgetta village en-route, it was around 1330 hrs. when troops were about one KM from Tadkel hillocks, suddenly a Coy of Military Dalam of naxalites attacked heavily on them. The naxalites were numbering in 300 plus in combat dress having sophisticated weapons like LMG, 2`` Mortar, AK-47, SLR, Hand Grenade, Rifle grenade and a nos. of their frontal organization equipped with 12 bore guns, .303 Rifles, Bow & Arrows fitted

with detonators petrol bombs and other lethal weapons. The naxalites opened heavy gunfire on the troops by taking the cover of thick trees, abandoned huts and hillocks from left, front and right sides wherein some of the Jawans of first Section who were moving ahead and came in ambush arena sustained bullet injuries. The troops also took available fire cover and engaged the attacking naxalites in gunfire bravely. During gun battle, naxalites were trying hard to dominate the scene in order to kill security forces and loot their weapons. Although the troops also fired upon the naxalites but there was not much effect on the naxalites because they were in tactical advantage and large in number. In this critical situation Head Constables Sarbjeet Singh, Suresh Kumar and Constables Lakhwinder Singh, Sukhwinder Singh and OLN Raddey who were in Section No. 01 despite being injured advanced tactically and poured heavy gunfire on the naxalites due to which many naxalites were eliminated on the spot in addition to injuries to others. They continued to remain offensive and kept on firing on naxalites to keep them pin down till they breathed their last. At the same time, HC Amara Ram who was in Section No. 2 engaged the naxalites in the fierce gun battle. Constable D.M.Deka was at a close distance from him. This Constable in spite of having 51`` MM Mortar in hand could not open fire from this area weapon. On noticing this, HC Amara Ram, despite heavy naxal firing, made an attempt to advance from his position towards Constable D.M.Deka, crawled and reached there within a few minutes bravely. He took 51 ``MM Mortar from D.M.Deka after giving his own weapon to the said Constable, and opened directional fire from Mortar to clear the area, resultant caused heavy causalities on naxalites. Unfortunately, in this process, while firing from 51``MM Mortar, he was hit by naxalites. Due to gunshot of naxalites he fell down and succumbed to his injury on the spot while fighting till his last breath. But, in this melee, owing to his brave actions to fire from area weapon and dynamism displayed by him the ambush of naxalites was broken and naxals cadres started to flee by shouting at their military Coys ` BHAGO BHAGO NAHI TO SAB KE SAB MARE JAOGE`. The above encounter lasted for more than two hours.

During the above encounter all the above 06 soldiers countered the deliberate ambush and made supreme sacrifice for the nation by fighting armed naxalites till their last breath. Reportedly, 30-40 naxalites were killed in the encounter but their frontal cadres succeeded to drag them away. However, troops recovered 03 dead bodies of the naxalites from the spot in search operation. After getting the information about the above encounter, reinforcement parties under command of the Commandant-31 Bn, SP Bijapur and other senior officers reached the encounter spot from Bhairmagarh. Thereafter, after regrouping, they chased the fleeing naxalites by fire and run. In this process, there was encounter again between the troops of police and naxalites at Phuladi in which security forces proved heavy on the naxalites and forced them to retreat. Due to effective counter attack, the naxalites fled away taking cover of deep forest and hilly terrain. During subsequent search operation in the area,

07 more dead bodies of naxalites and 3 nos. of Rifles 12 bore and other items were recovered from Phuladi area. As per Dandkarayanyata Military Magazine titled ` Padriyora Pollo` for the month of Oct. `2008, it was confessed by the naxalites that they suffered major loss during the above encounter and due to effective retaliation by the troops they could not succeed in their aim completely. They accepted that 06 Comrades namely Company Commander Madhu, Deputy Badru, Section Commander Ayatu, Nandal, Shanti and Pawan were killed by the CRPF troops during the above encounter at Tadkel.

In this encounter S/Shri (Late) Amara Ram, Head Constable, (Late) Sarbjeet Singh, Head Constable, (Late) Suresh Kumar, Head Constable, (Late) Lakhwinder Singh, Constable, (Late) Sukhwinder Singh, Constable and (Late) O.L.N. Reddy, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of President's Police Medal/Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18.02.2008.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 106–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officer of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICER

Shri Krusn Chandra Sahoo (Posthumously)
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 22/06/2008 Shri M.P. Nathanael, DIG (Ops), CRPF, Srinagar directed Shri Karpal Singh , Commandant – 137 over telephone to contact Shri Md. Irshad S.P. (Ops) Srinagar to discuss an intelligence input related to his A.O.R .Based on the input received, two platoons of G/137 and unit QRT under command Shri Ajay Kumar, Asstt. Comdt. were mobilized by Shri Karpal Singh, Commandant to carry out special operation along with S.O.G. JKP and 2 Platoons of 117 Bn CRPF. After briefing of CRPF troops and S.O.G. JKP, cordon and search operation at Habak area was started at 0300 hours. After searching the Habak area, party moved to Wanihama where Shri Karpal Singh Commandant also joined and supervised the operation. The search operation at Wanihama also proved futile . After that party of CRPF and JKP personnel moved to Suparibagh, Chhatrahama and cordoned off the area. While the cordon of suspicious building was in progress, militants hiding in the building started

indiscriminate firing on the troops in which CT/GD Virender Kumar of G/137 Bn sustained bullet injury over right side of shoulder and he was immediately evacuated. While heavy exchange of firing was going on between the militants and CRPF/JKP personnel, one militant came out from the building firing indiscriminately on the troops in order to break out from the cordon site but was immediately neutralised by CRPF and JKP personnel.

Shri Karpal Singh, Commandant – 137 Bn. after consultation with SP (Ops) directed QRT 137 Bn. to fire CGRL shells inside the building where the militant was hiding. On seeing no response from the militant side for about one hour, QRT of 137 Bn including CT/GD Krusn Chandra Sahoo advanced tactically towards the house for room intervention operation in order to clear the house. When the main building was occupied by the QRT of 137 Bn CRPF, CT/GD Krusn Chandra Sahoo of G/137 Bn. moved towards the rear of the house tactically for searching the area. In the meantime a militant who was hiding below a low shed fired towards CT/GD Krusn Chandra Sahoo with AK-47 due to which CT/GD Krusn Chandra Sahoo sustained bullet injury in his throat but even after sustaining bullet injury he continuously fired towards hiding militant and in the exchange of fire , militant sustained many bullet injuries and CT/GD Krusn Chandra Sahoo succumbed to bullet injury on the spot. The injured militant was subsequently killed by CRPF and JKP personnel. During the encounter two LeT Militants were killed and two AK-47 Rifles, 5 Magazines, 20 live Rounds and one hand Grenade were recovered from the deceased militants/encounter site.

In this encounter (Late) Shri Krusn Chandra Sahoo, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22.06.2008

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 107–Pres/2011- The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the under mentioned officers of Central Reserve Police Force:-

NAME & RANK OF THE OFFICERS

S/Shri

01. Ajay Kumar Barman
Constable

02. Subhash
Constable

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 09/10/2009 at around 2130 Hrs. based on a specific information received in out post Kastigarh, Doda (J&K) regarding hide out of militants, a Joint search operation was launched by a section D/76 CRPF under the supervision of HC/GD Srinath, Police party and 10 RR in village Jaran, Kastigarh, Police Station and District Doda (J&K). During the search operation, information received that one terrorist was hiding in the house of Noor Mohd. The house was condoned of by CRPF Party/Police Party/ 10 RR and presence of terrorist was confirmed in the house. During operation, militant indiscriminately fired from inside the house on the operation party. The joint operation party retaliated in self-defense and an encounter took place.

During the encounter, when the terrorist hiding in the house located, CT/GD Ajay Kumar Barman & CT/GD Subhash of 76 Bn showed exemplary gallant action in which both of them without caring for their life climbed at the top of the roof of the house and engaged them in firing through out the night. In the morning, they located the militants and took a sharp aim towards the militant and braving the bullets, without caring for life fired towards the militant and killed him on the spot. Later the militant was identified as Liyakat Ali, Code Junaid, Tehsil Commander (HM) S/O Ali Mohd. Gujjar of village Laloor Police Station Dessa, Distt- Doda (J&K) and 01 AK 56 Rifle, 03 magazine, 01 Detonator recovered from encounter site.

In this encounter S/Shri Ajay Kumar Barman, Constable and Subhash, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under Rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 09.10.2009

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 108–Pres/2011 – The Vishisht Seva Medal awarded to IC-27022 Brigadier Anil Kumar Lal vide this Secretariat Notification No. 28-Pres/2004 dated 26 January, 2004 is hereby cancelled.

(Barun Mitra)
Joint Secretary

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 5th May 2011

No. A-43011/11/2010-Adm.I—In pursuance of Cabinet Secretariat's OM No. 571/2/3/2010-Cab.III dated 11.02.2010 a high level committee viz. the National Transport Development Policy Committee (NTDPC) has been constituted w.e.f. 11.02.2010 under the Chairmanship of Shri Rakesh Mohan who is holding this assignment in an Honorary capacity with the status of a Minister of State. The terms of reference, composition and other modalities of the Committee are as under :—

1. TERMS OF REFERENCE

(I) To assess the transport requirements of the economy for the next two decades in the context of economic, demographic and technological trends at local, national and global levels.

(II) To recommend a comprehensive and sustainable policy for meeting the transport requirements keeping in view the comparative resource cost advantages of various modes of transport i.e. road, rail, air, shipping and inland water transport with a special focus on the modes that have developed less than economically desirable and the need to :—

(a) Encourage a rational mix of various modes of transport in order to minimize the overall resource cost to the economy,

(b) Ensure balance between the ability of transport of serve economic development and to conserve energy, protect the environment, promote safety and sustain future quality of life,

(c) Ensure universal rural connectivity,

(d) Address the special problems of remote and difficult areas on the one hand and of urban and metropolitan areas on the other, and

(f) adopt and evolve suitable technologies for cost effective creation, economical maintenance and efficient utilization of transport assets.

(III) To assess the investment requirements of the transport sector and to indentify the roles of state and private sector in meeting these investment needs and to suggest measures for greater commercial orientation of transport services. In this context, the Committee should pay particular attention to reviewing the experience with the PPP approach or suggest ways of modifying it further.

(IV) To examine the laws, rules and regulations pertaining to various modes of transport and traffic and to suggest measures for strengthening their enforecement in the interest of the community and streamlining the procedures and processes in line with the needs of a fast growing modern economy.

(V) To identify areas where data base needs to be improved in order to formulate and implement policy measures recommended by the Committee.

(VI) To suggest measures to improve the capacity to evolve and implement project.

(VII) To suggest measures for implementing various components of the recommended policy within a specified time frame.

(VIII) To recommend any other measures which the Committee consider relevant to the items (I) and (VII) above.

2. COMPOSITION

Chairman

Shri Rakesh Mohan (in Honorary capacity, with status of MoS). He is authorized to co-opt any Member to assist in the work of the Committee.

Members

(1) Chairman, Railway Board

(2) Secretary, Ministry of Urban Development

(3) Secretary, Ministry of Road Transport & Highways

(4) Secretary, Ministry of Civil Aviation

(5) Secretary, Ministry of Shipping

(6) Secretary, Deptt. of Financial Services

(7) Secretary, Ministry of Coal

(8) Secretary, Ministry of Power

(9) Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas

(10) Adviser to Deputy Chairman, Planning Commission

(11) Chairman, RITES

(12) Shri K. L. Thapar, Chairman, Asian Institute of Transport Development

(13) Shri M. Ravindra, former Chairman, Railway Board

(14) Shri S. Sundar, former Secretary, Transport & Shipping

(15) Shri D. P. Gupta, former DG Roads

(16) Prof. Dinesh Mohan, IIT Delhi

(17) Shri Bharat Seth, MD, Great Eastern Shipping

(18) Dr. Rajiv B. Lall, MD, IDFC

(19) Shri Mohandas Pai

(20) Shri Cyrus Guzder, Chairman, AFL Group

(21) Senior Consultant (Transport), Planning Commission as Member Secretary

3. METHOD OF OPERATION

The Committee may get special studies carried out by expert bodies. The Headquarter of the Committee is at New Delhi. The Committee may visit such places and consult such stakeholders and experts as may be considered necessary for its work.

4. TIMELINE

Tenure of the Committee shall be 18 months w.e.f. 11 February, 2010 i.e. the dt. of constitution of the Committee vide Cabinet Secretriat's OM No. 571/2/3/2010-Cab.III dated 11.02.2010.

5. MANAGEMENT

The Committee is being serviced by the Planning Commission.

6. BUDGETING

Planning Commission is providing funds budgeted for NTDPC to the Infrastructure Development finance Company (IDFC) as Grant-in-aid for meeting expenses towards hiring of consultants and supporting secretarial staff, TA/DA to Members and functionaries of the Committee, Commissioning of Studies, expenses on stationery, conveyance and travel and other misc. expenditure. Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFC) is providing infrastructure in the shape of office accommodation and computers/printers, free of cost.

G. RAJEEV
Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

(PLANNING, RESEARCH, EVALUTION & MONITORING DIVISION)

New Delhi-110066, the 16th May 2011

RESOLUTION

No. 4-3/2010-(R)PREM—The Ministry of Social Justice & Empowerment hereby constitutes the Research Advisory Committee in the areas of Disabled Development, Social Defence, Other Backward Classes and Scheduled Castes Development to advise the Ministry on the following aspects :—

(a) Promotion/coordination and utilization of research work in the field of Disabled Development, Social Defence, Other Backward Classes and Scheduled Castes Development;

(b) Identification of areas of research in said fields;

(c) Screening and approval of various research proposals/projects received from research institution/organizations; and

(d) Other matters relating to promotion of research in the said fields.

The Committee will have the following Members :—

A. OFFICIAL MEMBERS

1.	Special Secretary/ Additional Secretary (SJ&E)	— Chairperson (Ex-Officio)
2.	JS (Financial Advisor)	— Member (Ex-Officio)
3.	JS (SD)	— Member (Ex-Officio)
4.	JS (SCD)	— Member (Ex-Officio)
5.	JS (DD)	— Member (Ex-Officio)
6.	JS (BC)	— Member (Ex-Officio)
7.	Economic Adviser	— Member (Ex-Officio)
8.	Senior Advisor (SJ) Planning Commission	— Member (Ex-Officio)
9.	DDG	— Member Secretary (Ex-Officio)

B. NON-OFFICIAL MEMBERS

1. Dr. Sheilu Sreenivasan
Founder President,
Diginity Foundation,
BMC School Building,
Topiwala Lane,
Grand Road,
Mumbai-400007.

2. Prof. Rajat Ray
Professor & Chief,
Department of Psychiatry,
National Drug Dependence Treatment Centre,
All India Institute of Medical Sciences,
Ansari Nagar,
New Delhi-110029.

3. Shri S. K. Rungta
General Secretary,
National Federation of the Blind,
Plot No. 21, Sector-VI,
Press Enclave Road,
Pushp Vihar,
New Delhi-110017.

4. Prof Sudhir U. Meshram
Director,
Rajiv Gandhi Biotechnology Centre,
L.I.T. Premises,
R.T.M. Nagpur University,
Nagpur-440033.

5. Prof. Abdul Waheed
Associate Professor of Sociology,
Department of Sociology and Social Work,
Faculty of Social Sciences,
Aligarh Muslim University,
Aligarh-202002.

6. Dr. V. K. Mohan Rao
Flat No. 505. Vaishnavi's Laxmi Venkat Villa,
Nallakunta, Vegetable Market Road,
Hyderabad-505001 (A.P.).

7. Dr. Narender Kumar,
1376, Sector-A, Pocket B&C
Vasant Kunj,
New Delhi-110070.

8. Smt. Vijay Daksh
150, Railway Road,
Hapur, Distt. Ghaziabad,
U.P.

The tenure of the Members of the Committee will be two years i.e. from 25th May, 2011 to 24th May, 2013. The Committee will meet on a quarterly basis to take a review of the progress of Research/Evaluation Studies which will allow for mid-course corrections and ensure that the end product is in conformity with the terms of reference assigned by the Committee.

No remuneration will be paid for membership of the Committee. The Non-Official Members of the Committee will be entitled to TA/DA for their journeys to attend the meetings as admissible to officers of Group 'A' of the Government of India. The Official members will be entitled to draw TA/DA etc. as per rules applicable to them from the respective Offices.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

MUKAT SINGH
Dy. Dir. Genl.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 16th May 2011

RESOLUTION

No. ERB-I/2009/23/22—Further to Ministry of Railways' Resolutions of even number dated 16.07.2009, 12.11.2009, 08.02.2010, 22.03.2010, 01.09.2010, 06.10.2010 and order dated 18.03.2011 regarding reconstitution of of the Passenger Services Committee under the Chirmanship of Shri Derek O'Brien, 158, Prince Anwar Shah Road, Kolkata-700045, Ministry of Railways have now decided that (i) Shri Santanu Roychoudhury, 54/E, P. K. Guha Lane, Dum Dum Cantonment, Kolkata-700028 (ii) Ms. Anasua Choudhury, 9E Station Lane, Dhakuria, Kolkata-700031 and (iii) Smt. Kishwar Jahan, 7B/H/13, Tiljala Lane, Kolkata-700019 should be nominated as Members of the Passenger Services Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. GUPTA
Secy., Railway Board

RESOLUTION

No. ERB-I/2009/23/21—Further to Ministry of Railways' Resolutions of even number dated 16.07.2009, 17.08.2009 & 14.07.2010 and Orders 29.12.2009, 24.05.2010, 18.03.2011regarding reconstitution of the Passenger Amenities Committee under the Chairmanship of Shri Shuvaprasanna, "Natun Bari", B. H-167, Saltlake, Sector-II, Kolkata-700091, Ministry of Railways have now decided that Shri Haranath Chakraborty, 74, Chandi Ghosh Road, Kolkata-700040 and Shri Samir Aich, 4/36, Vidyasagar Colony, PO Naktala, Kolkata-700047 should be nominated as Members of the Passenger Amenities Committee.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. K. GUPTA
Secy., Railway Board

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 19th May 2011

RESOLUTION

No. 2/18/2005-BM/943—The National Water Development Agency (NWDA), a Registered Society under the Ministry of Irrigation (now Ministry of Water Resources) was set up in the year 1982 to carry out detailed studies, surveys and investigations in respect of Peninsular Component of National Perspective for Water Resources Development. The Functions of NWDA were published under para 4 of the Gazette Notification No. 1(7)/80-PP dated 26.08.1981. The Government subsequently modified the functions of NWDA to include the Himalayan Component of National Perspective for Water Resources Development through the Resolution No. 22/27/92-BM dated 11th March, 1994, composition of Society and Governing Body contained in Para 3 & 5 of the Resolution No. 1(7)/80-PP dated 26.08.1981 through the Resolution Nos. 2/9/2002-BM dated 13th Feb. 2003 & 12th March, 2004 and modified the functions of NWDA to include the activity to prepare the DPR of river link proposals under National Perspective Plan (NPP) for Water Resources Development after concurrence of the concerned States vide Notification No. 2/18/2005-BM dated 30.11.2006.

It has now been decided that NWDA may take up the work of preparation of DPRs of intra-State links also.

To enable National Water Development Agency to undertake above activities, its functions are modified as under :—

a. To carry out detailed surveys and investigations of possible reservoir sites and inter-connecting links in order to establish feasibility of the proposal of Peninsular Rivers Development and Himalayan rivers Development Components forming part of the National Perspective for Water Resources Development prepared by the then Ministry of Irrigation (now Ministry of Water Resources) and Central Water Commission.

b. To carry out detailed studies about the quantum of water in various Peninsular River Systems and Himalayan River Systems which can be transferred to other basins/ States after meeting the reasonable needs of the basins/ States in the foreseeable future.

c. To prepare feasibility report of the various components of the scheme relating to Peninsular Rivers Development and Himalayan Rivers Development.

d. To prepare detailed project report of river link proposals under National Perspective Plan for Water Resources Development after concurrence of the concerned States.

e. To prepare pre-feasibility/feasibility/detailed project reports of the intra-State links as may be proposed by the States. The concurrence of the concerned co-basin States for such proposals may be obtained before taking up their FRs/DPRs.

f. To do all such other things the Society may consider necessary, incidental, supplementary or conductive to the attainment of above objectives.

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the concerned State Governments and the Union Territories, The Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, The Comptroller & Auditor General of India, The Planning Commission and all concerned Ministries/Departments of the Central Government for information.

2. Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to published it in the State Gazettes for general information

PRADEEP KUMAR
Commissioner

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011